सत्यमेव जयते

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
पर
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

सत्यमेव जयते

संघ सरकार
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
2018 का प्रतिवेदन संख्या 22
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
पर
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

संघ सरकार

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय

2018 का प्रतिवेदन संख्या 22

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	iii
	कार्यकारी सार	v
अध्याय I	कार्यक्रम अवलोकन तथा लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	1
अध्याय II	योजना	11
अध्याय III	वित्तीय प्रबंधन	24
अध्याय IV	कार्यक्रम कार्यान्वयन	
	खंड एः कार्यक्रम डिलिवरेबल्स की उपलब्धि	44
	खंड बीः कार्यक्रम कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले कारक	67
अध्याय V	परियोजनाओं की निगरानी, संचालन व रखरखाव	99
	निष्कर्ष	111
	अनुशंसाएं	113
	अनुबंध	115-220
	शब्दकोष	221

प्राक्कथन

यह रिपोर्ट मार्च 2017 को समाप्त हुई अवधि के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन 2008-17 की अवधि हेतु त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को शामिल करती हैं।

इस रिपोर्ट में वे प्रमाण वर्णित हैं जो 2008-17 की अवधि में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए थे तथा वे भी, जो पिछले वर्षों में देखे गये किन्तु पिछली रिपोर्टों में शामिल नहीं किए जा सके। 2016-17 के बाद के मामले भी, जहां उचित थे, शामिल किये गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

कार्यकारी सार

	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई (एम.एम.आई.) परियोजनाएं	लघु सिंचाई (एम.आई.) योजनाएं
मुख्य तथ्य		
2008-17 के दौरान कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं की संख्या	201	11,291
2008-17 के दौरान पूर्ण की गईं परियोजनाओं की संख्या	62	8,014
31 मार्च 2017 को चालू परियोजनाओं की संख्या	139	3,277
2008-17 को दौरान (राष्ट्रीय परियोजनाओं को छोड़कर) की गई परियोजनाओं की कुल संस्वीकृत लागत	₹ 2,22,799.98 करोड़	₹ 16,800.78 करोड़
2008-17 के दौरान ए.आई.बी.पी. परियोजनाओं (राष्ट्रीय परियोजनाओं को छोड़कर) को दी गई केन्द्रीय सहायता	₹ 28,334 करोड़	₹ 12,809 करोड़
नमूना में ली गई परियोजनाओं/योजनाओं की संख्या	118 (कुल एम.एम.आई. परियोजनाओं का 59 प्रतिशत)	335 (कुल एम.आई. योजनाओं का तीन प्रतिशत)
नमूना में ली गई परियोजनाओं/योजनाओं की संस्वीकृत लागत	₹ 1,80,145.79 करोड़	₹ 1,680.55 करोड़
नमूना में ली गई परियोजनाओं/योजनाओं पर व्यय	₹ 62,801 करोड़	₹ 1,591.71 करोड़
नमूना में ली गई पूर्ण परियोजनाओं/ योजनाओं की संख्या	30	213
नमूना में ली गई परियोजनाओं/योजनाओं को दी गई केन्द्रीय सहायता	₹ 19,184 करोड़	उपलब्ध नहीं[1]
नमूना में ली गई परियोजनाओं/योजनाओं हेतु सिंचाई क्षमता के निर्माण का लक्ष्य	85.41 लाख हेक्टेयर	1.50 लाख हेक्टेयर

[1] एम.आई. योजनाओं के पूरे समूह के लिए केन्द्रीय सहायता जारी किया जाता है।

नमूना एम.एम.आई. परियोजनाओं/एम.आई. योजनाओं के मुख्य निष्कर्ष		
समय लंघन वाली परियोजनाओं/ योजनाओं की संख्या (पूर्ण एवं चालू परियोजनाओं/ योजनाओं में)	105	153
समय लंघन (पूर्ण एवं चालू परियोजनाओं/ योजनाओं में) की सीमा	18 वर्ष तक	12 वर्ष तक
लागत लंघन की सीमा	₹ 1,20,772.05 करोड़	₹ 61.61 करोड़
बनाई गई सिंचाई क्षमता	58.38 लाख हेक्टेयर (68 प्रतिशत)	0.58 लाख हेक्टेयर (39 प्रतिशत)
उपयोग की गई सिंचाई क्षमता	38.05 लाख हेक्टेयर (65 प्रतिशत)	0.33 लाख हेक्टेयर (72 प्रतिशत)
उपयोगिता प्रमाण पत्रों का जमा नहीं किया जाना	₹ 1,455.71 करोड़ (जारी किए गए सी.ए. का 32 प्रतिशत)	₹ 731.69 करोड़ (जारी किए गए सी.ए. का 52 प्रतिशत)
परियोजनाओं/ योजनाओं का ए.आई.बी.पी. के अधीन अनियमित समावेश	30	41
निधियों का विपथन	₹ 1,572.31 करोड़	₹ 6.24 करोड़
राजस्व की कम प्राप्ति/हानि	₹ 1,251.20 करोड़	₹ 0.19 करोड़
काल्पनिक एवं छलपूर्ण व्यय	₹ 4.54 करोड़	₹ 3.04 करोड़
घटिया कार्य प्रबंधन के कारण वित्तीय निहितार्थ	₹ 1,572.63 करोड़	₹ 68.54 करोड़

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) को 1996-97 में केंद्रीय सहायता (सी.ए) कार्यक्रम के रुप में उन विशाल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने के लिए आरंभ किया गया था जो राज्यों की संसाधन क्षमता से परे थीं एवं अन्य सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने हेतु जो अग्रिम अवस्था में थीं परन्तु राज्य सरकार द्वारा महसूस की जा रहीं संसाधनों की कमी के कारण विलंबित थीं। प्रारंभ में, ए.आई.बी.पी. का प्राथमिक लक्ष्य मुख्य एवं मध्यम सिंचाई (एम.एम.आई.) परियोजनाओं को तेजी से पूर्ण करना था। ओडिशा के के.बी.के. जिलों के सूखा प्रभावित क्षेत्र व विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों (एस.सी.एस.) की लघु सिंचाई (एम.आई.) योजनाओं; विस्तार, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) परियोजनाओं तथा गैर-एस.सी.एस. के विशेष

क्षेत्रों[2] (एस.ए.) की एम.आई. योजनाओं को सम्मिलित करने के लिए पिछले कई वर्षों के दौरान ए.आई.बी.पी. के अधीन क्षेत्र को धीरे-धीरे विस्तारित किया गया था। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय (एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एवं जी.आर./मंत्रालय) कार्यान्वयन हेतु नीति दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जबकि राज्य सरकारें मुख्यतः सिंचाई परियोजनाओं एवं योजनाओं की योजना तथा कार्यान्वयन से संबंधित हैं।

ए.आई.बी.पी. की निष्पादन लेखापरीक्षा ने कार्यक्रम की योजना, कार्यान्वयन तथा निगरानी में विभिन्न कमियों को प्रकट किया। कार्यक्रम दिशानिर्देशों के विरुद्ध ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत परियोजनाएं एवं योजनाएं सम्मिलित की गईं, जिससे ₹ 3,718.71 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ। विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डी.पी.आर.) को तैयार करने तथा उनके प्रसंस्करण में अपर्याप्त सर्वेक्षण, जल उपलब्धता, सिंचाई क्षमता (आई.पी.) व कमांड क्षेत्र का त्रुटिपूर्ण आकलन, गतिविधिवार निर्माण योजनाओं का अभाव, इत्यादि तथा परियोजनाओं की लाभ-लागत अनुपात की गलत गणना जैसी कमियों के कारण कार्य के आरंभ के पश्चात अभिकल्पना व कार्यक्षेत्र में परिवर्तन व लागत आकलन में संशोधन हुए, जिसने परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कार्यक्रम को प्रतिकूल रुप से प्रभावित किया।

ए.आई.बी.पी. का वित्तीय प्रबंधन अक्षम था क्योंकि निधियों को जारी नही करने/कम जारी करने, विभिन्न स्तरों पर निधियों को जारी करने में विलंब, वित्त वर्ष के अंत में जारी करने तथा बाद में जारी की जाने वाली निधियों में अव्ययित शेष के असमायोजन जैसे मामले थे। ₹ 2,187.40 करोड़ की राशि की निधियों हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र जो राज्य एजेन्सियों द्वारा प्राप्त कुल सी.ए. का 37 प्रतिशत था, मंत्रालय को समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया था। अन्य वित्तीय अनियमितताएं जैसे ₹ 1,578.55 करोड़ की राशि की निधियों का विपथन, ₹ 1,112.56 करोड़ की राशि की निधियों को रोके रखना तथा ₹ 7.58 करोड़ की राशि का कल्पित एवं कपटपूर्ण व्यय भी पायी गईं थीं। ₹ 1,251.39 करोड़ के राजस्व की कम/गैर-प्राप्ति के उदाहरण भी दृष्टांत थे।

ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन मन्द था, जिसमें परियोजनाओं के पूर्ण होने में एक से 18 वर्षों का विलम्ब हुआ। नमूना में ली गई 118 एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा 335 एम.आई. योजनाओं में से केवल 30 एम.एम.आई. परियोजनाएं तथा 213 एम.आई. योजनाएं ही मार्च 2017 तक पूर्ण हुई थी। भूमि अधिग्रहण में कमी, अग्रिम रुप से सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में असमर्थता, कार्य की अभिकल्पना एवं विस्तार में परिवर्तन, आदि विलंब के लिए उत्तरदायी रहे। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब सहित अकुशल कार्य प्रबंधन से

[2] विशेष क्षेत्र सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों, मरूस्थलों, बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्रों को दर्शाता है।

परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई। 84 एम.एम.आई. परियोजनाओं, जिसमें 16 पूर्ण व 68 चालू परियोजनाऐं शामिल थीं, की कुल लागत वृद्धि ₹ 1,20,772.05 करोड़ थी जो मूल लागत का 295 प्रतिशत थी। सिंचाई क्षमता (आई.पी.) निर्माण के संबंध में परिकल्पित लाभों की प्राप्ति में एम.एम.आई. परियोजनाओं में 68 प्रतिशत तथा एम.आई. योजनाओं में 39 प्रतिशत तक की कमी रही। एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा एम.आई. योजनाओं के लिए निर्मित आई.पी. का उपयोग क्रमशः 65 प्रतिशत एवं 72 प्रतिशत था।

कार्य प्रबंधन में कार्य को देने में विलंब, कार्य का विभाजन, परियोजना कार्यान्वयन की त्रुटिपूर्ण चरण, अवमानक कार्य का निष्पादन, ठेकेदारों को अनुचित लाभ, आदि जैसी कमियाँ थी। अनियमित/अपव्ययी/परिहार्य/अतिरिक्त व्यय पर ₹ 1,337.81 करोड़ तथा ठेकेदार को दिए गए अनुचित लाभ पर ₹ 303.36 करोड़ तक के अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ को लेखापरीक्षा में पाया गया।

केन्द्रीय तथा राज्य एजेन्सियों द्वारा की गई निगरानी कमजोर थी। सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा किए गए निगरानी दौरों की संख्या में कमियाँ थी तथा सभी मूल्यांकित परियोजनाओं की रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, सी.डब्ल्यू.सी. रिपोर्ट में दर्शाए गए मुद्दों का अनुपालन भी लंबित था। सभी राज्यों में राज्य स्तरीय निगरानी कमेटी नहीं बनाई गई थी। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, हैदराबाद (एन.आर.एस.सी.) द्वारा सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी के माध्यम से की गई निगरानी इमेजरी की कम दृश्यता (रिजोल्यूशन) तथा मंत्रालय द्वारा बताई गई अन्य सीमाओं के कारण बहुत सीमित थी। एन.आर.एस.सी. द्वारा दर्शायी गई आई.पी. में अंतर तथा एन.आर.एस.सी. व मंत्रालय द्वारा दर्शाए गए आई.पी. डाटा में भिन्नता थी। जल उपयोगकर्ता संघों के माध्यम से सहभागिता पर आधारित सिंचाई प्रबंधन सीमित संख्या, स्थिति तथा उनके नियंत्रण में संसाधनों के कारण गंभीर सीमाओं से ग्रस्त था, जो परियोजनाओं के संचालन एवं निगरानी को प्रभावित कर रहा था।

अध्याय I: कार्यक्रम अवलोकन तथा लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

1.1 प्रस्तावना

सिंचाई एक राज्य विषय है तथा इस क्षेत्र में भारत सरकार (जी.ओ.आई.) की भूमिका मुख्य रूप से समग्र योजना, नीति निरूपण, समन्वय तथा मार्गदर्शन पर केन्द्रित है। राष्ट्र की सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति सिंचाई के विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से की जाती है जिसमें मुख्य[1], मध्यम[2] सिंचाई (एम.एम.आई.) परियोजनाएं तथा लघु सिंचाई (एम.आई.) योजनाएं[3] सम्मिलित हैं। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) का आरंभ 1996-97 के दौरान केंद्रीय सहायता कार्याक्रम के रूप में उन विशाल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने के लिए किया गया था जो कि राज्यों की संसाधन क्षमता से परे थी तथा उन अन्य सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए जो उन्नत स्तर पर थीं परन्तु राज्य सरकार द्वारा महसूस की जा रही संसाधनों की कमी के कारण विलंबित थी। हालांकि, तत्पश्चात कार्यक्रम के कार्य क्षेत्र को अन्य राज्यों के विशिष्ट क्षेत्रों में तथा विशेष वर्ग के राज्यों[4] (एस.सी.एस.) में एम.आई. योजनाओं को समाविष्ट करने के लिए समय-समय पर विस्तारित किया गया था।

1.2 कार्यक्रम विकास तथा डिजाइन

जैसा कि उपरोक्त कहा गया है, 1996-97 में आरंभ किये गए ए.आई.बी.पी. का मुख्य लक्ष्य उन एम.एम.आई. परियोजनाओं की पूर्णता में तीव्रता लाना था, जो निर्माण के उन्नत स्तर पर थे। ओडिशा के के.बी.के.[5] जिलों के सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों व विशष श्रेणी राज्यों (एस.सी.एस.) की एम.आई. योजनाओं; विस्तार, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) परियोजनओं तथा गैर-एस.सी.एस. के विशष क्षेत्रों[6] (एस.ए.) की एम.आई. योजनाओं को सम्मिलित करने के लिए पिछले कई वर्षों में ए.आई.बी.पी. के अधीन क्षेत्र को धीरे-धीरे विस्तारित किया गया था।

अक्टूबर 2013 से, सिंचाई क्षमता (आई.पी.) के उपयोग में वृद्धि हेतु कमांड क्षेत्र के विकास (सी.ए.डी.) कार्यों के समरूप कार्यान्वयन पर अतिरिक्त बल दिया गया था। 2015-16 के दौरान, ए.आई.बी.पी. को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के चार घटकों

---

1 क्लचर्रबल कमांड क्षेत्र (सी.सी.ए.) की 10,000 हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई क्षमता (आई.पी.) सहित परियोजनाएं।

2 सी.सी.ए. की 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर की आई.पी. सहित परियोजनाएं।

3 सी.सी.ए. की 2,000 हेक्टेयर से कम आई.पी. सहित परियोजनाएं।

4 उत्तर पूर्वी राज्यों तथा पहाड़ी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तराखंड)।

5 कोरापुट, बोलांगिर तथा कालाहांडी।

6 विशेष क्षेत्र सूखा प्रवण क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों, मरूस्थलों, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को दर्शाता है।

में से एक घटक बनाया गया था चो चालू एम.एम.आई. परियोजनाओं जिसमें राष्ट्रीय परियोजनाएं भी शामिल हैं, की शीघ्र पूर्णता पर केन्द्रित था। एम.आई. योजनाओं को पी.एम.के.एस.वाई.–हर खेत को पानी के पृथक घटक का एक भाग बनाया गया था। पी.एम.के.एस.वाई. के अंतर्गत, 99[7] अपूर्ण एम.एम.आई. परियोजनाओं को मिशन-प्रणाली मे पूर्णता हेतु चिन्हित किया गया था (जुलाई 2016) तथा उन्हें प्राथमिकता परियोजनाओं के रूप में संदर्भित किया गया था। सभी प्राथमिकता परियोजनाओं को प्राथमिकता-I (23), प्राथमिकता-II (31) तथा प्राथमिकता-III (45) परियोजनाओं में पृथक किया गया था और उनकी पूर्णता का कार्यक्रम क्रमशः मार्च 2017, मार्च 2018 और दिसंबर 2019 था।

1.3 संगठनात्मक संरचना

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय (एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एवं जी.आर./मंत्रालय) कार्यान्वयन हेतु नीति दिशानिर्देश तैयार करने के लिए उत्तरदायी है जबकि राज्य सरकारें प्रमुख रूप से सिंचाई परियोजनाओं व योजनाओं के आयोजन एवं कार्यान्वयन से संबंधित हैं। ए.आई.बी.पी. के कार्यान्वयन में विभिन्न एजेन्सियों की भूमिका को दर्शाता हुआ एक चार्ट निम्नानुसार है:-

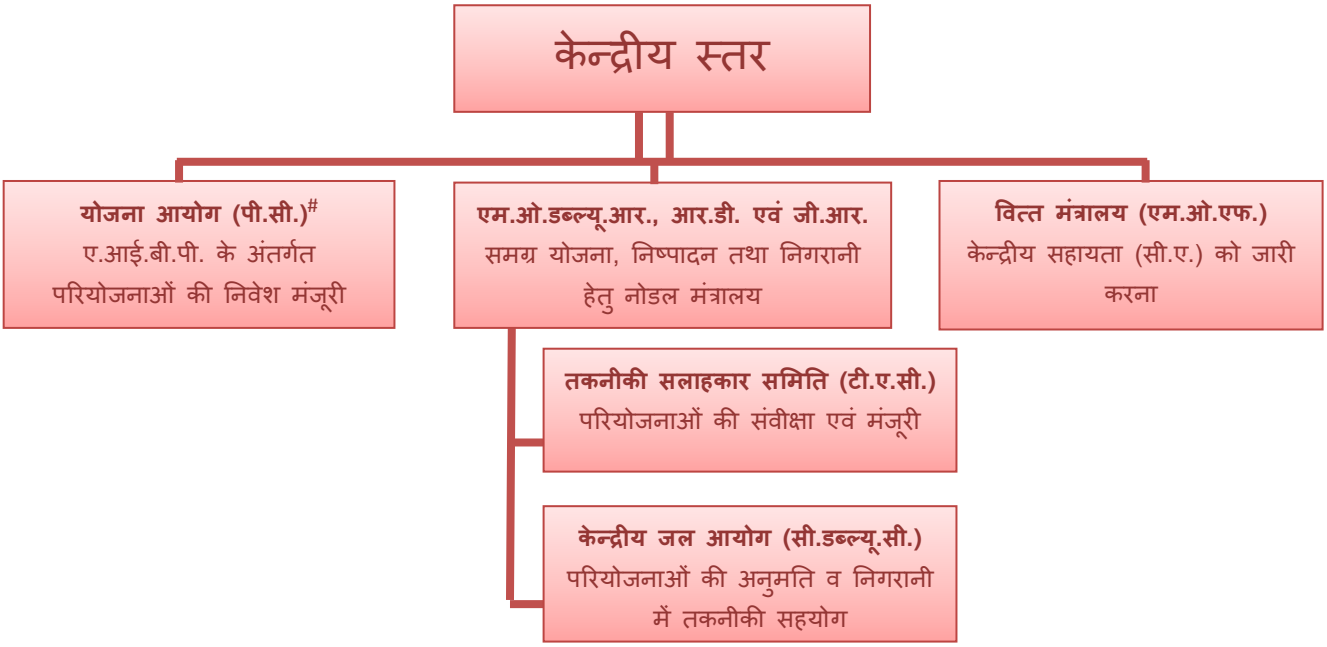

[7] पी.एम.के.एस.वाई. के आरंभ के समय, 149 परियोजनाऐं चालू थीं जिनमें पाँच राष्ट्रीय परियोजनाएं सम्मिलित थीं। 99 परियोजनाओं में दो राष्ट्रीय परियोजनाएं (उत्तर प्रदेश में सरयू नहर परियोजना तथा महाराष्ट्र में गोसीखुर्द परियोजना) सम्मिलित हैं।

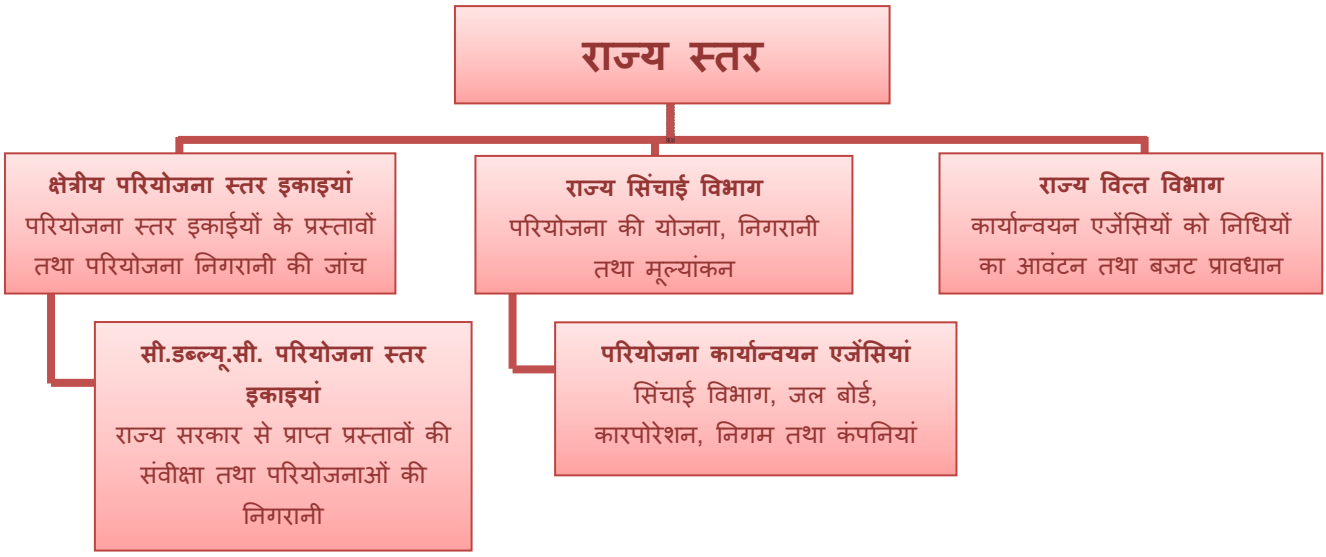

नीति आयोग (जनवरी 2015) के गठन के बाद से परियोजनाओं हेतु निवेश मंजूरी मंत्रालय द्वारा दी जा रही है।

पी.एम.के.एस.वाई. के अंतर्गत, कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय स्तर पर एक तीन-स्तरीय कार्यान्वयन संरचना बनाई गई थी (सितम्बर 2016), जिसका विवरण निम्नानुसार है।

- एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एवं जी.आर. के अपर सचिव/विशेष सचिव को मिशन निदेशक के रूप में **पी.एम.के.एस.वाई. मिशन** को अन्य बातों के साथ-साथ चिन्हित 99 एम.एम.आई. परियोजनाओं, जिसमें मिशन प्रणाली में उनकी सी.ए.डी. कार्य सम्मिलित है, को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व था।
- मिशन के कार्यों के समग्र कार्यान्वयन, समन्वय, नीति संबंधी मामले व निगरानी हेतु एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एवं जी.आर. तथा कृषि सहयोग व किसान कल्याण (ए.सी. व एफ.डब्ल्यू.) मंत्रालय के सचिवों को सदस्य के रूप में और सी.ई.ओ. नीति आयोग की अध्यक्षा में एक परिषद का गठन किया गया। बड़ी संख्या में परियोजनाओं वाले राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ अन्य राज्यों से बारी-बारी से एक मुख्य सचिव को सदस्य नियुक्त किया गया। **परिषद** का सदस्य सचिव मिशन निदेशक है।
- पी.एम.के.एस.वाई. के अन्य घटकों तथा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु वित्त मंत्री, एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एवं जी.आर. मंत्री, ए.सी. एवं एफ.डब्ल्यू. मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा उप अध्यक्ष (नीति आयोग) को सदस्य के रूप में रखते हुए एक **उच्च स्तरीय सशक्त समिति (एच.एल.ई.सी.)** गठित की गई थी।

1.4 ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाएं

2008-17 (लेखापरीक्षा क्षेत्र की अवधि) के दौरान ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत 201 एम.एम.आई. परियोजनाएं थीं जिसमें से 47 एम.एम.आई. परियोजनाओं को लेखापरीक्षा अवधि के दौरान ए.आई.बी.पी. में सम्मिलित किया गया था। इसी प्रकार से, 31 मार्च 2008 तक 2,808 एम.आई. योजनाएं चालू थीं तथा 8,483 योजनाओं को ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत 2008-17 के दौरान लिया गया था। एम.एम.आई. परियोजनाओं व एम.आई. योजनाओं की राज्यवार संख्या *अनुबंध 1.1* में दी गई है। ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत अवधि के दौरान अन्तर्निहित एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा एम.आई. योजनाओं का सार निम्न तालिका 1.1 में दिया गया है:

तालिका 1.1: ए.आई.बी.पी. परियोजनाओं/योजनाओं की संख्या

अवधि	एम.एम.आई. व ई.आर.एम. परियोजनाएं	एम.आई. योजनाएं
2008-09 तक चालू परियोजनाएं/योजनाएं	154	2,808
2008-09 से 2016-17 के दौरान सम्मिलित किए गए	47	8,483
2008-09 से 2016-17 के दौरान पूर्ण किए गए	62	8,014
31.03.2017 तक चालू ए.आई.बी.पी. परियोजनाएं/योजनाएं	139*	3,277

*चार स्थगित परियोजनाएं सम्मिलित हैं।

1.5 ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता

ए.आई.बी.पी. का मुख्य उद्देश्य एम.एम.आई. परियोजनाओं व एम.आई. योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले राज्यों को उनके संसाधनों की कमी की पूर्ति हेतु केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाना था ताकि सिंचाई योजना व परियोजनाओं की त्वरित पूर्णता को सुनिश्चित किया जा सके। ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत निधिकरण की व्यवस्था भी कार्यक्रम के आरंभ (अक्टूबर 1996) से विकसित हुई थी तथा उसे निम्न तालिका 1.2 में संक्षिप्त किया गया है।

तालिका 1.2 निधिकरण संरचना में परिवर्तन

महीना/वर्ष	निधिकरण के लिए मानदंड
अक्टूबर 1996	केन्द्र व राज्यों की बीच 1:1 आधार पर केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) के रूप में एम.एम.आई. परियोजनाओं का निधिकरण।
अप्रैल 1997	केन्द्र व राज्यों के बीच 2:1 आधार पर एस.सी.एस. हेतु एम.एम.आई. परियोजनाओं के लिए निधिकरण।
अप्रैल 1999	केन्द्र व राज्यों के बीच 3:1 आधर पर एस.सी.एस. के एम.एम.आई. परियोजनाओं व एम.आई. योजनाओं दोनों के लिए निधिकरण।

फरवरी 2002	• 4:1 आधार पर निधिकरण सहित राज्य सुधार[8] की संकल्पना का आरंभ किया गया। • एस.सी.एस. हेतु 100 प्रतिशत सी.एल.ए. का प्रावधान जिसमें ओडिशा के के.बी.के. जिले सम्मिलित हैं।
अप्रैल 2004	सी.एल.ए. को परियोजना की पूर्णता पर सामान्य राज्यों हेतु 30 प्रतिशत अनुदान/70 प्रतिशत ऋण पर तथा एस.सी.एस. हेतु 90 प्रतिशत अनुदान/10 प्रतिशत ऋण पर परिवर्तित किया जाना है।
अप्रैल 2005	ऋण घटक राज्यों द्वारा बढाए जाने हैं तथा अनुदान घटक केन्द्र द्वारा दिया जाना है।
दिसंबर 2006	एस.सी.एस. के अतिरिक्त, एस.ए. जैसे जनजातीय क्षेत्रों, सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) व बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्रों तथा के.बी.के. जिलों पर 90 प्रतिशत का अनुदान (सी.ए.) भी लागू किया गया है जबकि अन्य सभी क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए अनुदान 25 प्रतिशत होगा।
अक्टूबर 2013	एस.ए. जैसे डी.पी.ए.पी. क्षेत्रों, मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों, गैर-एस.सी.एस. के बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्रों में परियोजना लागत के 75 प्रतिशत तक सी.ए. को अनुदान के रूप में घटा दिया गया। अन्य सभी राज्यों में व्यवस्था अपरिवर्तित रही।
अक्टूबर 2015	एस.ए. जैसे सूखा प्रवृत्त/मरूस्थल/जनजातीय व गैर-एस.सी.एस. में बाढ़ प्रवृत्त क्षेत्रों में परियोजना लागत के 60 प्रतिशत सी.ए. तथा अन्य क्षेत्रों हेतु 25 प्रतिशत का प्रावधान है। अन्य सभी क्षेत्रों हेतु प्रावधान अपरिवर्तित रहा।
जुलाई 2016	₹ 20,000 करोड़ की प्रारंभिक निधि सहित दीर्घावधि सिंचाई निधि के निर्माण द्वारा नाबार्ड के माध्यम से 99 प्राथमिकता परियोजनाओं के निधिकरण हेतु प्रावधान।

(स्रोत: मंत्रालय)

राज्यों को ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत परियोजनाओं हेतु सी.ए. ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों[9] पर आधारित अनुदान के रूप में दी जाती है। 2008-17 के दौरान, जी.ओ.आई. ने ₹ 41,143 करोड़[10] कार्यक्रम हेतु सी.ए. के रूप में जारी किए, जिसमें 197 एम.एम.आई. परियोजनाओं हेतु ₹ 28,334 करोड़ तथा 11,291 एम.आई. योजनाओं हेतु ₹ 12,809 करोड़ सम्मिलित है। पी.एम.के.एस.वाई. के अंतर्गत, प्राथमिकता परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुल आवश्यक केन्द्रीय सहायता ₹ 31,342 करोड़ अनुमानित थी।

---

8 वर्ष-वार प्रति हेक्टेयर संचालन एवं रख-रखाव (ओ. & एम.) लागत तथा निवल राजस्व संग्रहण, एम.आई. योजनाओं हेतु ₹ 225 प्रति हेक्टेयर तथा तीन वर्षों के अंतराल के बाद एम.एम.आई. परियोजनाओं हेतु ₹ 450 प्रति हेक्टेयर की दर से पानी की दरों में वृद्धि और पाँच वर्षों के बाद परियोजनाओं के सभी वर्गों हेतु (ओ. & एम.) लागत की पूर्ति करने के लिए पानी की दरों में वृद्धि।

9 केंद्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) नवंबर 2006 से पहले दी गई थी। दिसंबर 2006 से सी.ए. को केवल अनुदान के रूप में दिया गया।

10 2016-17 के दौरान नाबार्ड से ऋण के रूप में ₹ 2,421 करोड़ सम्मिलित है।

20[11] राज्यों के संदर्भ में 2008-17 के दौरान सूचित व्यय तथा दिया गया सी.ए. व राज्य के हिस्से का राज्य-वार विवरण ***अनुबंध 1.2*** में दिया गया है। एम.एम.आई. परियोजनाओं व एम.आई. योजनाओं के लिए दिए गए सी.ए. का विवरण ***अनुबंध 1.3*** में दिया गया है। ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत एम.एम.आई. परियोजनाओं व एम.आई. योजनाओं के लिए जारी की गई निधियों की संक्षिप्त स्थिति तथा 20 राज्यों के संबंध में प्रतिवेदित व्यय जिसके लिए पूर्ण सूचना उपलब्ध कराई गई थी, को निम्न तालिका 1.3 में दिया गया है:

तालिका 1.3: ए.आई.बी.पी. पर वित्तीय परिव्यय तथा व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

अवधि	जारी किया गया केन्द्र का हिस्सा	जारी किया गया राज्य का हिस्सा	कुल जारी की गई राशि	सूचित व्यय
2008-09 से 2016-17	41,143	56,805.84	97,985.32	92,522.39

स्रोत: केन्द्र द्वारा जारी राशि मंत्रालय के अभिलेखों पर आधारित हैं जबकि राज्य के हिस्से व सूचित व्यय को केवल 20 राज्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से संकलित किया गया है।

1.6 परियोजनाओं/योजनाओं का राज्य वार विवरण तथा उनकी स्वीकृत लागत

201 एम.एम.आई. परियोजनाएं, जो कि 2008-17 के दौरान ए.आई.बी.पी. का भाग थीं, की कुल स्वीकृत लागत ₹ 2,22,799.98 करोड़ थी। एम.एम.आई. परियोजनाओं के राज्य वार वितरण का विश्लेषण दर्शाता है कि नौ राज्यों जैसे महाराष्ट्र (48); मध्यप्रदेश (19); कर्नाटक (17); तेलंगाना (13); जम्मू एवं कश्मीर (13); आंध्रप्रदेश (12); ओडिशा (11); उत्तरप्रदेश (नौ) तथा झारखंड (आठ) ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सम्मिलित परियोजनाओं के 75 प्रतिशत हेतु लेखाबद्ध थे। स्वीकृत लागत के संबंध में, गुजरात (24.71 प्रतिशत), महाराष्ट्र (16.07 प्रतिशत), तेलंगाना (11.05 प्रतिशत), कर्नाटक (10.76 प्रतिशत), मध्यप्रदेश (7.14 प्रतिशत), ओडिशा (7.11 प्रतिशत), राजस्थान (4.50 प्रतिशत), उत्तरप्रदेश (4.49 प्रतिशत) तथा झारखंड (3.26 प्रतिशत) वित्तीय संदर्भ में परियोजनाओं के प्रमुख हिस्से हेतु लेखाबद्ध थे। इन राज्यों तथा शेष राज्यों के बीच परियोजनाओं का वितरण व स्वीकृत लागत चार्ट 1 में दर्शायी गई है।

[11] पांच राज्यों जैसे कि अरूणाचल प्रदेश, गोवा, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के संबंध में राज्यों के हिस्से की रिहाई पर विवरण राज्यों/मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

चार्ट 1: 2008-17 के दौरान ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत एम.एम.आई. परियोजनाएं

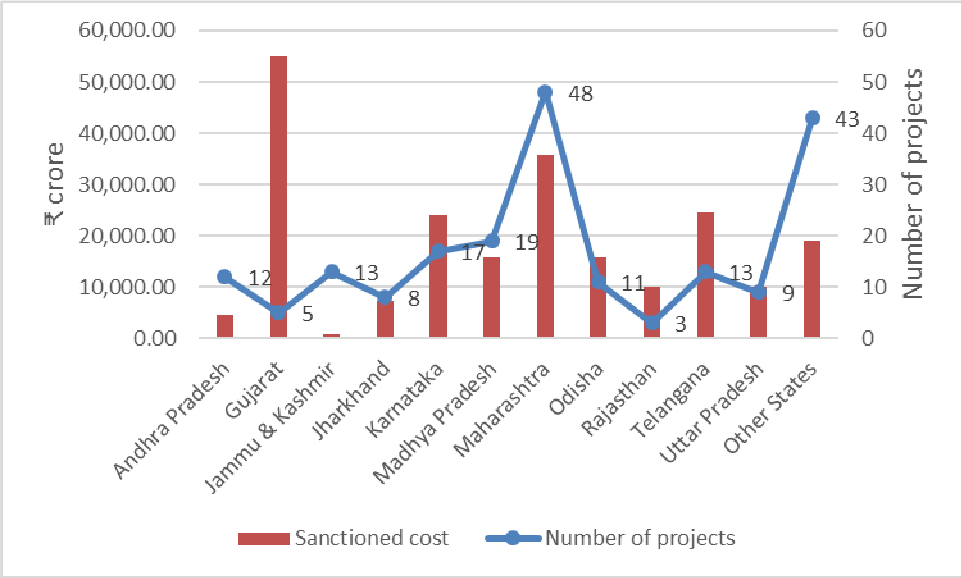

11,291 एम.आई. योजनाओं की कुल स्वीकृत लागत ₹ 16,800.78 करोड़ थी। इनमें से, प्रमुख हिस्सा उत्तरपूर्वी राज्यों (47.82 प्रतिशत) इसके बाद पर्वतीय राज्यों (14.60 प्रतिशत) तथा अन्य राज्यों (37.58 प्रतिशत) हेतु आंवाटित किया गया था। एम.आई. योजनाओं का वितरण तथा इन राज्यों की स्वीकृत लागत चार्ट 2 में दर्शायी गई है।

चार्ट 2: 2008-17 के दौरान ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत एम.आई. योजनाएं

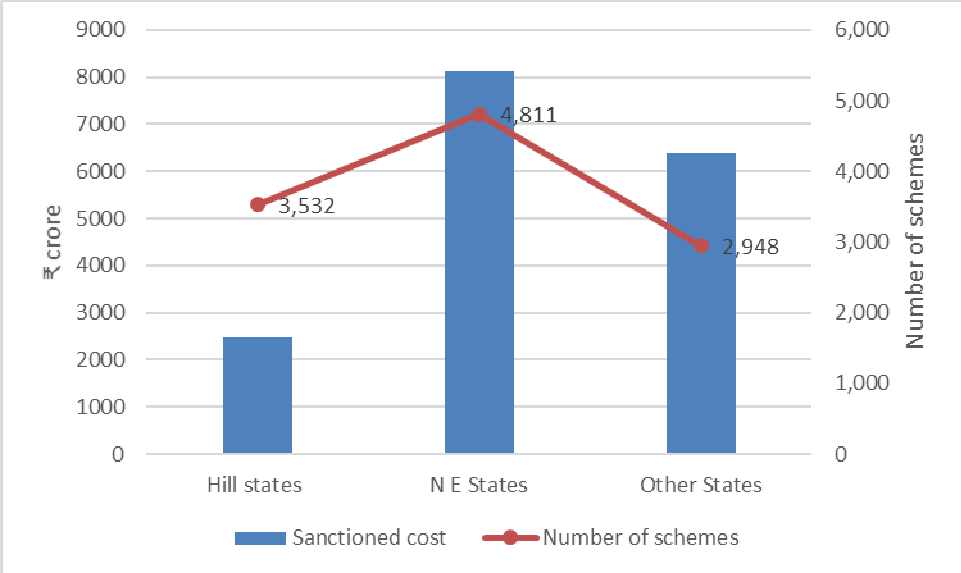

1.7 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने ए.आई.बी.पी. की निष्पादन लेखापरीक्षा निम्न को जाँचने व निर्धारित करने के लिए की:

- लक्षित आई.पी. निर्माण तथा उसके उपयोग को प्राप्त करने के लिए क्या कार्यक्रम की योजना पर्याप्त थी;
- क्या निधियाँ पर्याप्त थीं, समय पर उपलब्ध व उचित रूप से उपयोग की जा रही थीं;
- क्या जल के सतत प्रबंधन तथा उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए परियोजनाओं को एक लाभदायक, कुशल एवं प्रभावी तरीके से निष्पादित किया गया था;
- क्या परियोजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु तंत्र पर्याप्त एवं प्रभावी थे; तथा
- क्या पी.ए.सी. की पूर्व अनुशंसाओं के संदर्भ में मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन का अनुपालन व कार्यान्वयन किया गया था।

1.8 लेखापरीक्षा मानदंड

निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा मानदंड के मुख्य स्रोत निम्नानुसार थेः

- ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देश;
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डी.पी.आर.) की तैयारी हेतु केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) द्वारा जारी दिशानिर्देश;
- राज्य व केन्द्र सरकार के बीच परियोजनावार समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.);
- राज्य पी.डब्ल्यू.डी. मैनुअल/राज्य अधिप्राप्ति मैनुअल;
- सामान्य वित्तीय नियम;
- एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एवं जी.आर. तथा सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा जारी अन्य संबंधित परिपत्र/निर्देश; तथा
- पी.एम.के.एस.वाई. दिशानिर्देश

1.9 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा नमूना चयन

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में हमने 25[12] राज्यों की 2008-09 से 2016-17 की अवधि से संबंधित एम.एम.आई. परियोजनाओं एवं एम.आई. योजनाओं को सम्मिलित किया है। रैंडम आधार पर 201 परियोजनाओं में से 118 एम.एम.आई. परियोजनाओं के नमूने का चयन इस शर्त के अधीन किया गया था कि प्रत्येक राज्य में 50 प्रतिशत परियोजनाओं में नमूना क तथा नमूना ख के समूह के अंतर्गत प्राथमिकता-I परियोजनाओं का कम से कम एक तथा 100 प्रतिशत का चयन सम्मिलित हो। नमूना क में 47 परियोजनाओं में से ली गई 30 एम.एम.आई. परियोजनाएं (छह प्राथमिकता-I, छह प्राथमिकता-II, नौ प्राथमिकता-III तथा नौ अन्य परियोजनाएं) जिन्हें 2008-17 में सम्मिलित किया गया था समाविष्ट हैं जबकि नमूना

[12] हमने प्रत्येक 21 राज्यों में एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा एम.आई. योजनाओं को सम्मिलित किया है। एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा एम.आई. योजनाओं दोनों के लिए कुल 25 राज्यों को सम्मिलित किया गया था।

ख में शेष 154 परियोजनाओं में ली गई 88 एम.एम.आई. परियोजनाएं (15 प्राथमिकता-I, नौ प्राथमिकता-II, 18 प्राथमिकता-III तथा 46 अन्य परियोजनाएं) सम्मिलित हैं। चयनित 118 एम.एम.आई. परियोजना कुल एम.एम.आई. परियोजनाओं का 58 प्रतिशत है।

2008-17 की अवधि से संबंधित 11,291 चालू एवं पूर्ण एम.आई. योजनाओं में से रैंडम आधार पर 335 योजनाओं जो योजनाओं की कुल संख्या का तीन प्रतिशत है, का एक नमूना ग इस शर्त के अधीन लिया गया था कि प्रत्येक राज्य में पांच प्रतिशत पूर्ण एवं चालू परियोजनाओं के अधीन अधिकतम 15 चालू एवं पूर्ण योजनाओं का चयन किया हो। तीनों नमूनों के अंतर्गत राज्यवार संख्या तथा परियोजनाओं/योजनाओं का नमूना ***अनुबंध 1.4*** में दिया गया है।

चयनित 118 एम.एम.आई. परियोजनाएं जिनकी कुल स्वीकृत लागत ₹ 1,80,145.79 करोड़ है, में पी.एम.के.एस.वाई. के अंतर्गत 64 प्राथमिकता (21 प्राथमिकता-I, 15 प्राथमिकता-II तथा 28 प्राथमिकता-III) परियोजनाएं सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, 118 नमूने में लिए गए एम.एम.आई. परियोजनाओं में से 25 एम.एम.आई. परियोजनाएं एस.सी.एस. तथा ओडिशा के के.बी.के. क्षेत्रों से संबंधित हैं और 40 परियोजनाएं गैर-एस.सी.एस. में विशेष क्षेत्रों तथा प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत सम्मिलित कृषि परेशानी वाले क्षेत्रों से संबंधित हैं। इन 118 एम.एम.आई. परियोजनाओं में से, 31 मार्च 2017 तक 30 परियोजनाएं पूर्ण थीं, तीन आस्थगित थीं तथा 85 चालू थीं। जी.ओ.आई. ने 115 नमूने में लिए गए एम.एम.आई. परियोजनाओं[13] हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹ 19,184 करोड़ जारी किए तथा 2008-17 के दौरान इन परियोजनाओं पर किया व्यय ₹ 62,801 करोड़ था।

335 चयनित एम.आई. योजनाओं की कुल स्वीकृत लागत ₹ 1,680.55 करोड़ थी, जिनमें से 31 मार्च 2017 तक 213 पूर्ण थी तथा 122 चालू थीं। 2008-17[14] के दौरान 335 एम.आई. योजनाओं के विरूद्ध ₹ 1,591.71 करोड़ का व्यय हुआ।

नमूने में शामिल एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा एम.आई. योजनाओं हेतु राज्य-वार जारी होने तथा व्यय होने का वितरण ***अनुबंध 1.5*** में दिया गया है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि एम.आई. योजनाओं के मामले में सी.ए. योजनाओं के समूह हेतु दी गई थी न की व्यक्तिगत योजनाओं हेतु।

---

13 2008 से पहले की तीन आस्थगित परियोजनाएं।

14 परियोजना प्राधिकारियों द्वारा योजना-वार सी.ए. का जारी होना प्रस्तुत नहीं किया गया था।

1.10 लेखापरीक्षा पद्धति

निष्पादन लेखापरीक्षा का आरंभ 12 अप्रैल 2017 को मंत्रालय के साथ हुए प्रवेश सम्मेलन के साथ हुआ जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र तथा पद्धति की व्याख्या की गई। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा अप्रैल से सितंबर 2017 तक आयोजित की गई थी। केन्द्रीय स्तर पर परियोजनाओं के अनुमोदन/स्वीकृति, निधिकरण, निगरानी व मूल्यांकन में सम्मिलित ऐजन्सियों के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु मंत्रालय तथा सी.डब्ल्यू.सी. से संबंधित अभिलेखों की जाँच की गई थी। 25 राज्यों में राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों ने संबंधित राज्यों के संबंध में चयनित परियोजनाओं की योजना, वित्तीय प्रबंधन, निष्पादन, निगरानी व मूल्यांकन से संबंधित अभिलेखों की जाँच की।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रारूप 30 नवंबर 2017 को मंत्रालय को जारी किया गया था तथा उनकी टिप्पणियाँ 09 फरवरी 2018 को प्राप्त हुई। मंत्रालय के अधिकारियों के साथ 15 फरवरी 2018 को एक समापन सम्मेलन आयोजित किया गया। रिपोर्ट को समापन सम्मेलन में हुई चर्चाओं के आधार पर संशोधित किया गया और मंत्रालय को उनके आगे की टिप्पणियों के लिए जारी (जुलाई 2018) किया गया था। संशोधित रिपोर्ट पर मंत्रालय की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

1.11 पिछले लेखापरीक्षा जाँच परिणाम तथा लोक लेखा आयोग की अनुशंसाएं

ए.आई.बी.पी. की पहले भी दो अवसरों पर लेखापरीक्षा में जाँच की गई थी। प्रथम लेखापरीक्षा मे उत्पन्न लेखापरीक्षा जाँच परिणाम को 2004 की सी.ए.जी. की प्रतिवेदन संख्या 15 (संघ सरकार-निष्पादन मूल्यांकन) में प्रतिवेदित किया गया था। ए.आई.बी.पी. की दूसरी लेखापरीक्षा के जाँच परिणाम को 2010-11 की सी.ए.जी. की प्रतिवेदन संख्या 4 (निष्पादन लेखापरीक्षा) में प्रतिवेदित किया गया था। 2010-11 की सी.ए.जी. की प्रतिवेदन संख्या 4 (निष्पादन लेखापरीक्षा) में समाविष्ट जाँच परिणामों को लोक लेखा समिति द्वारा विस्तृत जाँच हेतु लिया गया तथा इस विषय पर उनकी अनुशंसाऐं 68वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में की गई थीं। वर्तमान प्रतिवदन में लोक लेखा समिति तथा उससे संबंधित लेखापरीक्षा जाँच परिणामों के संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कृत-कार्रवाई प्रतिवेदन ***अनुबंध 1.6*** में दिया गया है।

1.12 अभीस्वीकृति

हम निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रत्येक स्तर पर एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एवं जी.आर., केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) तथा राज्य सरकार विभागों द्वारा दिए गए सहयोग को अभिस्वीकृत करते हैं।

अध्याय II: योजना

2.1 प्रस्तावना

ए.आई.बी.पी. योजना हेतु एक विस्तृत संरचना उपलब्ध कराता है जिसमें केन्द्र तथा राज्य स्तर दोनों की विभिन्न एजेंसियाँ सम्मिलित हैं। एम.एम.आई. परियोजनाओं के मामले में, योजना प्रक्रिया में आवश्यक सर्वेक्षण व जाँच के पश्चात परियोजनाओं पर प्राथमिक प्रतिवेदनों को तैयार करना व्यापक रूप से सम्मिलित है। इसके पश्चात इन्हें केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) को प्रस्तुत कर दिया जाता है जो उसकी संवीक्षा करता है तथा विस्तृत परियोजन प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) को तैयार करने हेतु अपनी सैद्धांतिक सहमति देता है। राज्य सरकार द्वारा तैयार डी.पी.आर. को सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा जाँचा जाता है तथा तकनीकी स्वीकृति हेतु मंत्रालय की तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) को भेज दिया जाता है। टी.ए.सी. की स्वीकृति के पश्चात, डी.पी.आर. को अंतिम अनुमोदन व निवेश स्वीकृति[15] हेतु योजना आयोग/मंत्रालय को भेजा जाता है। ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत लघु सिंचाई योजनाओं को राज्य टी.ए.सी./राज्य योजना विभाग की अनुमति के पश्चात ही लिया जा सकता है।

2.2 ए.आई.बी.पी. पात्रता मानदंड तथा नियम

ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देश, ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सम्मिलित की जाने वाली परियोजनाओं एवं योजनाओं हेतु पात्रता मानदंड तथा नियमों को निर्दिष्ट करते हैं। इन नियमों में अक्टूबर 1996 में ए.आई.बी.पी. के आरंभ होने से अनेकों संशोधन हुए हैं जैसाकि निम्न तालिका 2.1 में संक्षिप्त है:-

तालिका 2.1: ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत परियोजनाओं को सम्मिलित करने हेतु नियमों में संशोधन

महीना/वर्ष	ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत परियोजना को सम्मिलित करने हेतु नियम
अक्टूबर 1996	• ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की बहुउद्धेशीय परियोजनाएं जहाँ पर्याप्त प्रगति की गई थी तथा जो राज्य की संसाधन क्षमता से ऊपर/बाहर (beyond) थीं। • एम.एम.आई. परियोजनाएं जो पूर्ण होने के उन्नत स्तर पर हैं व जिनकी 1,00,000 हेक्टेयर की आश्वस्त जल आपूर्ति की लाभ क्षमता है।

[15] योजना आयोग के नेशनल इंस्टिट्यूशन फार ट्रांसफोर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग के प्रतिस्थापन (1 जनवरी 2015) के बाद से निवेश स्वीकृति मंत्रालय द्वारा दी जाती है।

महीना/वर्ष	ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत परियोजना को सम्मिलित करने हेतु नियम
	• परियोजनाओं में योजना आयोग की निवेश स्वीकृति होनी चाहिए।
अप्रैल 1997	• ₹ 500 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाएं।
अप्रैल 1999	• ओडिशा के के.बी.के. जिलों में परियोजनाएं। • एस.सी.एस. (उत्तर पूर्व में सात राज्य तथा अन्य पर्वतीय राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर) की एम.आई. योजनाएं।
अप्रैल 2005	• योजनाओं के समूह हेतु 50 हेक्टेयर से अधिक तथा पृथक योजना हेतु 20 हेक्टेयर की आई.पी. के साथ एस.सी.एस. में एम.आई. योजनाएं, जिसकी प्रति हेक्टेयर लागत ₹ एक लाख से अधिक न हो तथा पृथक योजनाओं हेतु 100 हेक्टेयर से अधिक आई.पी. के साथ गैर-एस.सी.एस. में एम.आई. योजनाएं जिसमें आदिवासी क्षेत्रों व सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों को वरीयता दी गई थी व जो पूर्ण रूप से दलितों तथा आदिवासियों (विशेष क्षेत्रों) को लाभान्वित करते है। • ई.आर.एम. परियोजनाओं को सम्मिलित करना। • एम.एम.आई. एवं ई.आर.एम. परियोजनाओं (अपवादों सहित) हेतु विनिर्दिष्ट एक के लिए एक शर्तें[16]।
दिसंबर 2006	• ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सम्मिलित होने के लिए, एम.एम.आई. और ई.आर.एम. परियोजनाओं को अगले चार वर्षों में पूर्ण होने की निर्धारित अवधि होनी चाहिए। • प्रत्येक योजना हेतु 50 हेक्टेयर से अधिक आई.पी. के साथ गैर-एस.सी.एस. में जो जनजातीय क्षेत्रों व सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों की हैं।
अक्टूबर 2013	• योजना आयोग की निवेश मंजूरी के साथ ई.आर.एम. परियोजनाएं जो उन परियाजनाओं से संबंधित हैं जिन्हें शर्तों के अधीन कम से कम 10 वर्ष पहले ही पूर्ण तथा कमीशन कर लिया गया था। • प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत पहचाने गए कृषि आपदाग्रस्त जिलों में परियोजनाओं हेतु एक के लिए एक नियम से छूट अनुमत्त होना। • "उन्नत स्तर" से तात्पर्य उस परियोजना से है जिसमें नवीनतम अनुमोदित अनुमानित लागत का कम से कम 50 प्रतिशत व्यय हुआ हो तथा अनिवार्य कार्यों[17] के मामले में कम से कम 50 प्रतिशत की भौतिक प्रगति प्राप्त की गई हो।

16 कार्यक्रम के अंतर्गत एक परियोजना के पूर्ण होने पर ही अन्य परियोजना को सम्मिलित करने पर विचार किया जाएगा।

17 नहर हेतु हेड वर्क, खुदाई का कार्य, भूमि अधिग्रहण, जलाशय क्षेत्र हेतु आर.एवं.आर गतिविधियाँ, अभिकल्पना को अंतिम रूप देना तथा निर्माण आरेखण की उपलब्धता कार्य को देने के अनुसार कार्य को पूरा करने के अनुरूप थी

महीना/वर्ष	ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत परियोजना को सम्मिलित करने हेतु नियम
	• गैर-एस.सी.एस. में एम.आई. योजनाओं हेतु पूर्णता की नियत तिथि दो वित्त वर्ष थी। • आई.पी.सी. के उपयोग हेतु सी.ए.डी. कार्यों का समकालिक कार्यान्वयन।
जुलाई 2015	• ए.आई.बी.पी. को पी.एम.के.एस.वाई. के चार घटकों में से एक बनाया गया था एवं अपूर्ण एम.एम.आई. परियोजनाएं सम्मिलित की गई थी। • हर खेत को पानी के अंतर्गत, एम.आई. योजनाओं को पी.एम.के.एस.वाई. का एक अलग घटक बनाया गया था।
जुलाई 2016	• 144 अपूर्ण एम.एम.आई. परियोजनाओं में से 99[18] परियोजनाओं को दिसंबर 2019 तक चरणों में पूर्ण करने के लिए प्राथमिकता परियोजना घोषित किया गया था।

(स्रोत:मंत्रालय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 2010-11 की प्रतिवेदन संख्या 4 ने दर्शाया था कि ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों (1997,1999,2005 तथा 2006) में निरंतर संशोधन ए.आई.बी.पी. के केन्द्र, दृष्टिकोण तथा उद्देश्यों में स्पष्टता के अभाव को दर्शाते हैं। संसदीय स्थायी समिति (16वीं लोक सभा) ने भी ए.आई.बी.पी. की समीक्षा पर अपनी चौदहवें प्रतिवेदन (मार्च 2017) में पाया था कि दिशानिर्देशों में ऐसे निरंतर परिवर्तनों ने "कार्यक्रम के सुचारू कार्यान्वयन में बाधा डाली तथा नीति तैयार करने में दूरदृष्टि के अभाव को दर्शाता है"। लेखापरीक्षा जांच ने उजागर किया कि इसके बाद भी दिशानिर्देश समय-समय पर बदले जाते रहे जैसे कि 2013, 2015 तथा 2016 में।

2.3 निर्धारित मानदंडों का अनुपालन किये बिना ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत परियोजनाओं को सम्मिलित करना

एम.एम.आई. परियोजनाएं

लेखापरीक्षा ने पाया कि 30 एम.एम.आई. परियोजनाएं जिसमें ₹ 30,192.70 करोड़ की स्वीकृत लागत सम्मिलित है अर्थात 118 नमूना परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत के 17 प्रतिशत को दिशानिर्देशों में निर्धारित मानको एवं मानदंडों का उल्लंघन करते हुए ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। 2016-17 तक केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹ 3,718.71 करोड़ की राशि इन परियोजनाओं के ए.आई.बी.पी. में सम्मिलित होने से जारी की गई थी। उपरोक्त 30 परियोजनाओं का विवरण ***अनुबंध 2.1*** में दिया गया है। 30

[18] दो राष्ट्रीय परियोजनाएं सम्मिलित हैं

एम.एम.आई. परियोजनाएं जिन्हें दिशानिर्देशों के उल्लंघन में ए.आई.बी.पी. में सम्मिलित किया गया था, से संबंधित लेखापरीक्षा जाँच परिणाम पर चर्चा निम्न पैराग्राफ में दी गई है:

- चार राज्यों के मामले में यानि, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल तथा उत्तर प्रदेश जिनमें पहले से ही ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत एम.एम.आई. परियोजनाएं चल रही हैं, नौ ई.आर.एम. परियोजनाएं जिनकी कुल स्वीकृत लागत ₹ 1,016.02 करोड़ थी, को ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों[19] में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन में 2005-12 के दौरान ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। इन नौ ई.आर.एम. परियोजनाओं के विरूद्ध ₹ 239.46 करोड़ की राशि जारी की गई थी। मंत्रालय का स्पष्टीकरण (फरवरी 2018) कि दिशानिर्देश ई.आर.एम. को शामिल करने की अनुमति देते हैं जहाँ परिकल्पित नई क्षमता पर विचार किया गया है, मान्य नहीं है क्योंकि ए.आई.बी.पी. में सम्मिलित होने के लिए सर्वप्रथम राज्य में कोई चालू एम.एम.आई. परियोजनाएं नहीं होनी चाहिए की प्रमुख आवश्यकता की पूर्ति की जानी चाहिए।
- दो राज्यों अर्थात कर्नाटक व महाराष्ट्र में चार एम.एम.आई. परियोजनाएं, जिनकी कुल स्वीकृत लागत ₹ 2,045 करोड़ थी को योजना आयोग की निवेश स्वीकृति प्राप्त किए बिना 2002-03 तथा 2009-10 के बीच ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। 2003-10 के दौरान इन परियोजनाओं हेतु ₹ 301.18 करोड़ की राशि जारी की गई थी। मंत्रालय (फरवरी 2018) ने 1997 में योजना आयोग द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर उपरोक्त को उचित ठहराया, जिसमें राज्य सरकारों को अंतर-राज्य पहलूओं के बिना मध्यम सिंचाई योजनाओं हेतु निवेश स्वीकृति देने की सहमति दी। यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 1996 से ए.आई.बी.पी दिशानिर्देशों ने योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति मिलने के पश्चात ही एम.एम.आई. परियोजनाओं को सम्मिलित करने का आदेश दिया।
- आठ राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश में 14 एम.एम.आई. परियोजनाएं जिनकी स्वीकृत लागत ₹ 26,822.10 करोड़ थी को 2005-06 से 2009-10 के दौरान ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया था, यद्यपि वे निर्माण के उन्नत स्तर पर भी नहीं थे। हमने पाया कि इन परियोजनाओं पर व्यय उनके सम्मिलित होने के समय पर उनकी अनुमानित लागत के शून्य से 34 प्रतिशत के बीच था। इसके अतिरिक्त, ए.आई.बी.पी. में उनके सम्मिलित होने से मार्च 2017 तक इन परियोजनाओं के लिए ₹ 3,114.15 करोड़ राशि जारी की गई थी। मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2018) कि

[19] 2005 ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों का पैरा 6 (क)।

2006 के ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों में "निर्माण के उन्नत स्तर" को परिभाषित नहीं किया था और इसलिए इन परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया था। मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन परियोजनाओं पर व्यय कम था तथा उनकी केवल मूल अनुमानित लागत के शून्य से 34 प्रतिशत के बीच था।

- झारखंड में, तीन परियोजनाओं का प्रस्तावित कुल कमांड क्षेत्र जिसकी स्वीकृत लागत ₹ 309.58 करोड़ थी, को उपरोक्त कथित ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित एक लाख हेक्टेयर के नियोजित कमांड क्षेत्र के मानदंड को पूरा न करने पर भी इन्हें ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार, ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत इन परियोजनाओं का चयन अनियमित था। मार्च 2017 तक इन परियोजनाओं को ₹ 63.92 करोड़ की राशि जारी की गई थी।

एम.आई. योजनाएं

एम.आई. योजनाओं को सम्मिलित करने हेतु ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों के अंतर्गत पात्रता मापदंड एस.सी.एस. एवं गैर-एस.सी.एस के बीच था एवं समय-समय पर मंत्रालय द्वारा संशोधित भी किया गया था जैसाकि निम्न तालिका 2.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.2: एम.आई. योजनाएं हेतु पात्रता मापदंड

वर्ष	राज्य का वर्ग	क्षेत्र		प्रति हेक्टेयर विकास लागत
		एकल एम.आई. योजनाएं	योजनाओं का समूह	
2005	एस.सी.एस.	कम से कम 20 हेक्टेयर	कम से कम 50 हेक्टेयर	₹ एक लाख से कम
	गैर-एस.सी.एस	100 हेक्टेयर से अधिक	-	-
2006	एस.सी.एस.	कम से कम 20 हेक्टेयर	कम से कम 50 हेक्टेयर	₹ एक लाख से कम
	गैर-एस.सी.एस.	50 हेक्टेयर से अधिक	-	₹ एक लाख से कम
2013	एस.सी.एस.	10 हेक्टेयर	20 हेक्टेयर	₹ 2.50 लाख से कम
	गैर-एस.सी.एस.	20 हेक्टेयर	50 हेक्टेयर	₹ 2.50 लाख से कम

तीन राज्यों में ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सम्मिलित एम.आई. योजनाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा ने एम.आई. योजनाओं में सम्मिलित ऐसे 41 मामलों को दर्शाया जो अधिकथित मानदंडों के अनुरूप नहीं थे। महत्त्वपूर्ण जाँच परिणामों का राज्य वार विवरण निम्म तालिका 2.3 में दिया गया है:

तालिका 2.3: निर्धारित मापदंडों का पालन किये बिना सम्मिलित एम.आई. योजनाएं

राज्य	निर्धिरित मापदंडों का पालन किये बिना सम्मिलित की गई योजनाएं
अरूणाचल प्रदेश	• **कुकुर्जन, ओल्ड गंगा एम.आई. योजना, सिंगरी हापा जोते इंद्रजुली एम.आई. योजना, चिंपू डब्ल्यू.आर.डी. कॉम्पलेक्स पर मॉडल एम.आई. योजना, इटानगर उपखंड के अंतर्गत पोमा में रीलो एम.आई. योजना पर एम.आई. योजना का समूह पोरेन्ग, बोलेन्ग, सुपसिंग, रेंगो, यिंगकू, लिलेंग, मोपित, बेगिंग, डोसिंग, पारोंग, रीयू, रीगा, पेंगकेंग, कुमकू, उग्गींग, येमसिंग, कालेक, कोमसिंग में एम.आई. योजना का समूह।** उपरोक्त एम.आई. योजनाओं के दो समूह फरवरी 2011 के दौरान स्वीकृत किए गए, जिसमें ₹ एक लाख से कम प्रति हेक्टेयर की निर्धारित लागत के विरूद्ध परियोजनाओं हेतु प्रति हेक्टेयर की विकास लागत क्रमशः ₹ 1.81 लाख तथा ₹ 1.24 लाख थी। • **बुडागांव, वांगहू, ताखोंग रामलिंगम कृषि फील्ड क्षेत्रों हेतु गिपजैंग एम.आई. योजना।** 42 हेक्टेयर की कुल आई.पी. के साथ योजना को जनवरी 2009 में स्वीकृत किया गया था जो कि न्यूनतम निर्धारित 50 हेक्टेयर से कम था।
जम्मू एवं कश्मीर	• वर्ष 2013-14 से पूर्व 30 जाँची गईं योजनाओं में से 11 के संदर्भ में विकास लागत ₹ एक लाख प्रति हेक्टेयर से अधिक थी तथा ₹ 1.05 लाख से ₹ 3.10 लाख प्रति हेक्टेयर के बीच थी। मार्च 2017 को समाप्त अवधि हेतु इन योजनाओं पर किया गया व्यय ₹ 33.22 करोड़ था। विभाग ने कहा कि चूँकि योजनाएं सक्षम प्राधिकारी (टी.ए.सी.) द्वारा अनुमोदित थीं इसलिए निधियों को कार्य के निष्पादन हेतु जारी किया गया था। • 20 नलकूपों जिनमें ₹ सात करोड़ की अनुमोदित लागत निहित थी, को 2008-09 के दौरान ए.आई.बी.पी के अंतर्गत एम.आई. योजना के रूप में सम्मिलित किया गया था, जो कि अनियमित थे क्योंकि योजनाओं में कोई भी सतही सिंचाई सम्मिलित नहीं थी।
राजस्थान	**भिमनी एम.आई. योजना** ₹ एक लाख प्रति हेक्टेयर से कम की निर्धारित लागत के विरूद्ध परियोजनाओं हेतु प्रति हेक्टेयर विकास लागत ₹ 1.13 लाख थी, यद्यपि ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत अनुदान हेतु योजना पात्र नहीं थी फिर भी विभाग को परियोजना हेतु स्वीकृति तथा ₹ 7.87 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ।

2.4 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.)

सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं की प्रस्तुति, मूल्यांकन तथा स्वीकृति हेतु सी.डब्ल्यू.सी. दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर., सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा तकनीकी-आर्थिक संवीक्षा के अधीन हैं, जिन्हें 38 सप्ताह के अधिकतम समय के भीतर मूल्यांकन पूरा करना था। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक परियोजना हेतु कमांड क्षेत्र पर ब्लॉक वार सूचना[20] भी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी। लोक लेखा समिति (15वीं लोक सभा) ने ए.आई.बी.पी. पर अपने 68वें प्रतिवेदन में अनुशंसा की कि सभी लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु डी.पी.आर. पर अवश्य जोर दिया जाना चाहिए जैसा कि प्रमुख एवं मध्यम परियोजनाओं के मामले में किया गया था तथा परिकल्पना पेपर या साधारण परियोजना प्रस्तावों को पर्याप्त नहीं मानना चाहिए। ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों में यह भी अपेक्षित है कि डी.पी.आर. के आधार पर राज्य टी.ए.सी. द्वारा एम.आई. योजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन किया जाना चाहिए तथा उनके अनुमोदन के पश्चात ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सम्मिलित करने हेतु मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सात राज्यों[21] से संबंधित 14 नमूना एम.एम.आई. परियोजनाओं के मामले में जिनमें तीन प्राथमिकता-I परियोजनाएं सम्मिलित है व जिनकी समग्र स्वीकृत लागत ₹ 10,550.91 करोड़ थी के डी.पी.आर. लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

एक मामले में, एक परियोजना (रॉन्गई घाटी, मेघालय) जिसकी स्वीकृत लागत ₹ 16.30 करोड़ थी, को डी.पी.आर. तैयार किए बिना ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। परियोजना हेतु 2002-03 तक भारत सरकार द्वारा ₹ चार करोड़ की राशि जारी की गई थी। ₹ 17.90 करोड़ के व्यय तथा 95 प्रतिशत की भौतिक प्रगति के पश्चात अप्रैल 2003 में ठेकेदार द्वारा कमांड क्षेत्र के जलमग्न तथा भूमि अधिग्रहण में असामान्य विलम्ब होने के कारण, परियोजना को बाद में त्याग दिया गया।

शेष नमूना एम.एम.आई. परियोजनाओं में से जहाँ डी.पी.आर. उपलब्ध कराए गए थे वहाँ हमारी जाँच परीक्षा ने खुलासा किया कि 35 परियोजनाओं में, जिनकी समग्र स्वीकृत लागत ₹ 55,955.19 करोड़ (31 प्रतिशत) थी, में विलम्ब, अपर्याप्त सर्वेक्षण, सर्वेक्षण में कमियाँ, जल उपलब्धता का त्रुटिपूर्ण आकलन, त्रुटिपूर्ण आई.पी., कमांड क्षेत्र का त्रुटिपूर्ण आकलन, कमांड क्षेत्र में कमी, गतिविधि वार निर्माण योजनाओं का अभाव तथा वितरण प्रणालियों में

---

[20] कमांड क्षेत्र का विवरण, स्थान, भूमि का वर्गीकरण, कुल कमांड क्षेत्र, कृषियोग्य कमांड क्षेत्र, भूमि अधिग्रहण का आकार आदि।

[21] आंध्रप्रदेशः दो, असमः चार, बिहारः एक, गोवाः एक, कर्नाटकः तीन, ओडिशाः एक, त्रिपुराः दो।

प्रति जलनिकासी का अपर्याप्त प्रावधान जैसी कमियां तथा अभाव डी.पी.आर. की तैयारी एवं प्रसंस्करण में थे। इन कमियों से कार्यक्रम के आरंभ के बाद कार्य की मदों की मात्रा, कार्य के कार्यक्षेत्र में संशोधन तथा संरचनात्मक अभियांत्रिकी एवं अभिकल्पना में परिवर्तन हुए जिसके महत्त्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव थे।

पाँच राज्यों की छः एम.आई. योजनाओं में, हमने डी.पी.आर. को तैयार न करने, डी.पी.आर. में अपूर्ण सूचना तथा अनुचित सर्वेक्षण व जाँच के दृष्टांतों को पाया।

विवरण ***अनुबंध 2.2*** में दिया गया है। कुछ उदाहरणात्मक मामले जिसमें विभिन्न मुद्दे समाविष्ट हैं पर चर्चा निम्न तालिका 2.4 में की गई है:

तालिका 2.4: डी.पी.आर. में कमियाँ

राज्य	डी.पी.आर. में कमियाँ
अरूणाचल प्रदेश	**बाना ब्लॉक के अंतर्गत एम.आई. योजनाओं का समूह** ₹ 98.00 लाख की अनुमानित लागत के परियोजना प्रस्ताव में केवल सर्वेक्षण एवं उप एम.आई.पी. के अनुमान सम्मिलित थे। बी.सी. अनुपात, परियोजना की मुख्य विशेषताऐं, परियोजना का चरण/सारणी, इंडेक्स मैप आदि जैसी महत्वपूर्ण सूचना को परियोजना प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया गया था। **इटानगर उप-भाग के अंतर्गत कुकुरजन, पुरानी गंगा एम.आई. योजना आदि एम.आई. योजना का समूह** 79 हेक्टेयर के भौतिक लक्ष्य सहित ₹ 1.43 करोड़ की लागत में उपरोक्त योजना को अनुमोदित किया गया था। डी.पी.आर. की लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि परियोजना में सात उप एम.आई. योजनाएं हैं जिनका सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार कुल लक्षित क्षेत्र 270 हेक्टेयर था। इसलिए, डी.पी.आर. में हेक्टेयर कवरेज के संबंध में दी गई सूचना सर्वेक्षण के अनुसार नहीं है।
आंध्रप्रदेश तथा महाराष्ट्र	**वेल्लीगल्लू (आंध्र प्रदेश), लोअर वर्धा, वांग तथा कृष्णा कोयना एल.आई.एस. (महाराष्ट्र)** डी.पी.आर. के अनुमोदन में चार से 25 वर्षों का विलम्ब था। ₹ 7,498.77 करोड. की कुल राशि हेतु यह परियोजनाएं अंततः अनुमोदित की गई थीं। डी.पी.आर. के अनुमोदन में विलम्ब ने लंबी अवधि तक परियोजनाओं से होने वाले परिकल्पित लाभ से लाभार्थियों को वंचित रखा।
कर्नाटक	**उपरी तुंगा परियोजना** अनुमोदन के समय मुख्य नहर के संरेखण को 212 कि.मी. से 217 कि.मी. तक संशोधित किया गया था। नहर के एक विस्तार के पूरा होने के पश्चात, 212 कि.मी. से 213.220 कि.मी. तक कार्य नहीं लिया जा सका क्योंकि

राज्य	डी.पी.आर. में कमियाँ
	किसानों की माँग थी कि संरेखण को उस मूल सर्वेक्षित संरेखण में परिवर्तित किया जाए जिस पर वह भूमि देने के लिए सहमत थे। इसलिए, मूल संरेखण को संशोधित करने से किसानों ने विरोध किया तथा कार्य रूक गया। ठेके को बाद में रद्द कर दिया गया तथा शेष कार्य हेतु एक नई निविदा अधिसूचित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, परियोजना जिसे मार्च 2015 तक पूरा हो जाना चाहिए था और जिसे अब प्राथमिकता-I वर्ग में सम्मिलित किया गया है, अभी तक अपूर्ण हैं तथा किसानों को सिंचाई से वंचित कर रही है।
मध्य प्रदेश	**कचनारी विचलन योजना** निष्पादन के दौरान, स्थल पर वास्तविक कमांड क्षेत्र (220 हेक्टेयर की सी.सी.ए.) की अनुपलब्धता के कारण 3,420 मी. लंबी नहर का निर्माण नहीं किया जा सका था। यह दर्शाता है कि डी.पी.आर. में कमांड क्षेत्र की उपलब्धता का सही आकलन नही किया गया था। नहर का कार्य पूरा न होने पर परियोजना पर ₹ 3.21 करोड़ का अपव्यय हुआ।
महाराष्ट्र	**चन्द्रभागा बैराज** बैराज के निर्माण का कार्य ₹ 188.96 करोड़ की लागत पर जून 2015 में पूर्ण हुआ था, परन्तु जलमग्न क्षेत्र से कमांड क्षेत्र का स्थान उच्च स्तर पर होने के कारण नहर निर्मित नहीं की जा सकी जो अनुचित सर्वेक्षण एवं योजना को दर्शाता है तथा जिससे ₹ 188.96 करोड़ का भारी व्यय अवरूद्ध रहा। इसके अलावा जलमग्न के अंतर्गत आने वाले दो गाँवों का पुनर्वास न होने के कारण पानी बैराज में संग्रहित नहीं किया जा सका।
नागालैंड	**अलचिला एम.आई. योजना (मोकोकचुंग), बालिजन एम.आई. योजना (दीमापुर), बलुघोकी एम.आई. योजना (दीमापुर), समूह-II एम.आई. योजना (दीमापुर), खेकिहो आर.डब्ल्यू.एच. (दीमापुर), अपर अमलुमा एम.आई. योजना (दीमापुर), रालान एम.आई. योजना (वोखा), करझोल एम.आई. योजना (कोहिमा), कीयाकी एम.आई. योजना (कोहिमा), चेन्याक एम.आई. योजना (तुएनसांग), चोकलोत्सो (तुएनसांग) तथा शॉपोंग एम.आई. योजना (तुएनसांग)** 12 चयनित एम.आई. योजनाओं के डी.पी.आर. में मौसम संबंधी ऑकड़े, मृदा सर्वेक्षणों, मानसूनी वर्षा, जलग्रहण क्षेत्र की प्रकृति, जलग्रहण क्षेत्र की मौजूदा जल उपलब्धता, भूजल क्षमता आदि जैसे जल विज्ञान संबंधी पहलू नहीं थे। यद्यपि स्वतंत्र निगरानी दल (एन.ए.बी.सी.ओ.एन.एस. प्राइवेट लिमिटेड) ने इन कमियों को दिसंबर 2016 में बताया था फिर भी एस.टी.ए.सी. ने पूर्वकथित महत्वपूर्ण आँकड़ों के बिना डी.पी.आर. को अनुमोदित किया।

राज्य	डी.पी.आर. में कमियाँ
तेलंगाना	**श्री राम सागर अवस्था चरण II परियोजना** जल उपलब्धता का उचित रूप से आकलन नहीं किया गया था तथा जलग्रहण क्षेत्र के अभाव व वन क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की समस्याओं के कारण तीन में से दो जलाशयों से जल उपलब्धता नहीं हुई। परिणामस्वरूप अभाव को ₹ 121.69 करोड़ (मार्च 2017) की लागत के साथ एक और निर्मित नवीन उत्थापक सिंचाई योजना के माध्यम से पूरा किया जाना था। इससे एस.आर.एस.पी. II परियोजना पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा तथा सिंचाई क्षमता की उपलब्धि में देरी हुई।
त्रिपुरा	**प्रतियक रॉयचेरा विपथन योजना, दुराईचेरा विपथन योजना, चंदुकचेरा विपथन योजना, पूरब नडियापुर ली योजना, तालताला ली योजना, रबियाड्राफिडा पैरा ली योजना, शानखोला ली योजना तथा कलाशती पैरा ली योजना** नौ में से आठ चयनित एम.आई योजनाओं के मामले में डी.पी.आर तैयार नहीं किये गए थे। डी.पी.आर. की जगह राज्य सरकार ने निधिकरण हेतु भारत सरकार को अनुमानित लागत तथा लक्षित सी.सी.ए. को दर्शाते हुए परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत किया। विभाग ने कहा कि प्रारंभिक सर्वेक्षण एवं जाँच की गई थी परन्तु यह प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।
उत्तर प्रदेश	**लाहचुरा बांध का आधुनिकीकरण** ₹ 99.66 करोड़ की लागत पर मूल रूप से अनुमोदित परियोजना में, अनुमोदित डी.पी.आर. में उल्लिखित कार्य की 75 मदों की प्रमात्रा में महत्वपूर्ण अन्तर थे। यह डी.पी.आर. को तैयार करने के चरण में प्रमात्राओं के त्रुटिपूर्ण आंकलन तथा सर्वेक्षणों व जांच में कमियों को दर्शाता है। परियोजना में ₹ 229.16 करोड़ की लागत वृद्धि तथा आठ वर्षों का समय लंघन हुआ। **मध्य गंगा नहर परियोजना चरण-II** ₹ 117.87 करोड़ की लागत पर जुलाई 2007 में मंजूर की गई नहर की कंक्रीट लाइनिंग का कार्य भूजल के पुनर्भरण को प्रभावित करने के बहाने, 66.20 कि.मी. में से 31.55 कि.मी. तक का कार्य पूर्ण हो जाने के बावजूद रोक दिया गया था। यह दर्शाता है कि डी.पी.आर. चरण पर कंक्रीट लाइनिंग उपलब्ध कराने की आवश्यकता एवं संभाव्यता का उपयुक्त रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया था जिस से बेड लाइनिंग पर परिहार्य व्यय हुआ।

2.5 लाभ लागत अनुपात (बी.सी.आर.)

लाभ लागत अनुपात (बी.सी.आर.) सिंचाई के कारण वार्षिक लागत को लाभ देने के लिए वार्षिक अतिरिक्त लाभ का अनुपात है। बी.सी.आर. की गणना को डी.पी.आर. में समाविष्ट किया गया क्योंकि यह एक सिंचाई परियोजना की आर्थिक संभाव्यता का निर्धारण करने के

लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं की डी.पी.आर. को तैयार करने के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु न्यूनतम बी.सी.आर. सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों में एक तथा अन्य क्षेत्रों में 1.5 थी।

लोक लेखा समिति ने पन्द्रहवीं लोकसभा के दौरान अपनी 68वीं रिपोर्ट में सिफारिश की है कि मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी परियोजनाओं के लिए मान्य एवं सत्यापन योग्य डेटा और लागत संबंधी धारणाएं, राजस्व और फसल पैटर्न आदि के आधार पर बी.सी.आर. की गणना उचित रूप से की गई है।

आंध्र प्रदेश में चयनित सभी छः एम.एम.आई. परियोजनाओं एवं दो एम.आई. योजनाओं में बी.सी.आर. की गणना हेतु विचारित आगत लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जिसके अभाव में आँकड़ों की यथार्थता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

नौ राज्यों[22] में 28 एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा 10 राज्यों[23] में 82 एम.आई. योजनाओं में हमने पाया कि सी.डब्ल्यू.सी. एवं परियोजना प्राधिकारियों ने बी.सी.आर. की गणना के लिए समान मापदंड नहीं अपनाए थे। भूमि विकास की पूंजी लागत, विभिन्न कार्यों की लागत, वार्षिक संचालन एवं रखरखाव (ओ.&.एम.) शुल्क व मूल्यह्रास को अपनाने में विपथन तथा विसंगतियां थीं जबकि विभिन्न अनाज की उपज तथा वार्षिक लाभ बढ़े हुए थे। महत्वपूर्ण जाँच परिणाम निम्नानुसार हैः-

एम.एम.आई. परियोजनाएं

- तीन राज्यों की पाँच परियोजनाओं[24] में बी.सी.आर. की गणना हेतु फसलों की वार्षिक उपज के संबंध में जिला कृषि अधिकारी से वास्तविक आंकड़े नहीं लिए गए थे।
- महाराष्ट्र की अरूणा परियोजना में बी.सी. अनुपात हेतु परियोजना की लागत की गणना करने के लिए भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में ₹ 129.01 करोड़ की लागत को छोड़ दिया गया था।
- छत्तीसगढ़[25] की चार परियोजनाओं में वार्षिक ओ.&एम. शुल्क की गणना में भिन्नताऐं थीं जैसे दो परियोजनाओं में वार्षिक ओ.&एम. की गणना हेतु असमान मापदंडों को अपनाया गया था। दो परियोजनाओं में वार्षिक ओ.&एम. शुल्क ₹ 500.00 से ₹ 600.00 प्रति हेक्टेयर की दरों पर सम्मिलित किया गया था जबकि

22 असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश

23 असम, बिहार, झारखंड, मिज़ोरम, सिक्किम, मध्यप्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान तथा उत्तराखंड

24 बिहार में दुर्गावती, महाराष्ट्र में लोअर पैनजार और बावंथदी, उत्तराखंड में हैरदोई शाखा व बाणसागर की मरम्मत

25 मनियारी नहर, केलो, महानदी तथा कोसार्टेडा

अन्य दो परियोजनाओं में ओ.&एम. शुल्क के स्थान पर ₹ 100.00 व ₹ 600.00 प्रति हेक्टेयर पर प्रशासनिक व्यय सम्मिलित किया गया था। पूंजी लागत पर मूल्यह्रास व ब्याज भी विभिन्न दरों पर अनुमानित पाए गए थे। इसके अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण एवं आरेखण व अभिकल्पना को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण लागत वृद्धि जैसी आकस्मिकताओं को किसी भी परियोजना में ध्यान में नहीं लिया गया था।

- ओडिशा की चार परियोजनाओं[26] में 50 वर्षों की अवधि वाली परियोजना की लागत का दो प्रतिशत/100 वर्षों की अवधि वाली परियोजना की लागत का एक प्रतिशत के निर्धारित दर के अनुसार मूल्यह्रास लागत नहीं ली गई थी।
- महाराष्ट्र की तारली परियोजना में तारली घाटी एवं सूखा प्रवृत्त क्षेत्र (मान व खाटवतालुका) के बी.सी.आर. की अलग से कोई गणना नहीं की गई थी।
- राजस्थान की नर्मदा नहर परियोजना के मामले में, परियोजना के निर्माण से पहले असिंचित क्षेत्र 1,14,927 हेक्टेयर के स्थान पर 1,70,222 हेक्टेयर माना गया था तथा निवल मूल्य की गणना भी उच्च मूल्य अर्थात ₹ 633.42 करोड़ के स्थान पर ₹ 651.83 करोड़ पर की गई थी। इसके अतिरिक्त, संचालन एवं रखरखाव लागत की गणना कुल कमाण्ड क्षेत्र (जी.सी.ए.) के स्थान पर सी.सी.ए. के आधार पर की गई थी, जो अधिक थी।

एम.आई. योजनाएं

एम.आई. योजनाओं के मामले में 10 राज्यों की 82 योजनाओं में बी.सी.आर. की गणना निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं पायी गई थीं। तीन राज्यों की 20 एम.आई. योजनाओं[27] में वार्षिक रखरखाव एवं संचालन शुल्क की गणना में भिन्नताएं थीं। तीन राज्यों की 59 योजनाओं[28] में सिंचाई के बाद अनाज में वृद्धि पर आँकड़े, जिला कृषि कार्यालय की प्रमाणिकता के बिना लिए गए थे तथा झारखंड की तीन योजनाओं में क्षेत्र की सिंचित भूमि की गणना गलत थी।

यह देखा गया कि परियोजनाओं/योजनाओं में मंजूर बी.सी.आर. की गणना पुण्यमय नहीं है क्योंकि वास्तविक बी.सी.आर. जैसा कि बाद के अध्यायों में उल्लिखित है, लागत में वृद्धि के कारण उल्लेखनीय रूप से कम हो सकता है और उन मामलों में लाभ में कमी हो सकती है जहां उपयोग सिंचाई संभावित सिंचाई क्षमता के नीचे है।

---

[26] ओडिशा में लोअर इंद्रा, लोअर शुक्टेल, आनंदपुर बैराज एवं रिट सिंचाई

[27] मिजोरम में 12 एम.आई. योजनाएं, असम में एक तथा सिक्किम में दो

[28] बिहार में 14 एम.आई. योजनाएं, उत्तराखंड में 30 एम.आई. योजनाएं तथा मध्यप्रदेश में आठ एम.आई. योजनाएं।

2.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

कार्यक्रम की योजना का अवलोकन ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत परियोजनाओं के विस्तारित कार्यक्षेत्र को दर्शाता है। ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों में परियोजनाओं को सम्मिलित करने के मानदंडों को बार-बार संशोधित किया गया था तथा उनका अनुपालन किए बिना ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत परियोजनाओं एवं योजनाओं को सम्मिलित किया गया था जिससे ₹ 3,718.71 करोड़ अनियमित रूप से जारी किए गए। डी.पी.आर. की तैयारी एवं प्रसंस्करण में देरी, अपर्याप्त और कम सर्वेक्षण, कमांड क्षेत्र में कमी और वितरण प्रणालियों में क्रॉस ड्रेनेज कार्यों के अपर्याप्त प्रावधान जैसी कमियां थी। जबकि बी.सी.आर. लाभ लागत अनुपात परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करने हेतु महत्वपूर्ण था, परियोजना प्राधिकरणों ने बी.सी.आर. की गणना के लिए समान मानदंडों को नहीं अपनाया था और देरी एवं लागत वृद्धि के कारण परियोजनाओं के पूर्ण होने तक वास्तविक बी.सी.आर. की गणना मापे गए बी.सी.आर. की तुलना में बहुत कम होने की संभावना है।

अध्याय III: वित्तीय प्रबंधन

3.1 परिचय

राज्यों को समय-समय पर यथा संशोधित ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों के आधार पर ए.आई.बी.पी. के तहत परियोजनाओं एवं योजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सी.एफ.ए.) ऋण/अनुदान के रूप में दिए गए हैं। सी.एफ.ए. वर्ष 2004 तक ऋण के रूप में दिया गया था और उसके बाद उसे प्रदर्शन के आधार पर आंशिक रूप से अनुदान में परिवर्तित किए जाने की अनुमति दी गई थी। दिसम्बर 2006 के बाद से सहायता में से ऋण घटक को हटा दिया गया और सम्पूर्ण सहायता को अनुदान के रूप में दिया गया। ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों में इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 1.5 में यथा चर्चित विशिष्ट श्रेणी (एस.सी.) राज्यों से संबंधित परियोजनाओं के लिए एवं सामान्य राज्यों के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए तथा सामान्य राज्यों के शेष क्षेत्रों के लिए विविध वित्तपोषण प्रणालियों की व्यवस्था है। पी.एम.के.एस.वाई. के तहत, 99 प्राथमिकता परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ दीर्घकालीन सिंचाई निधि (एल.टी.आई.एफ.) के निर्माण की परिकल्पना की गई है। एल.टी.आई.एफ. के तहत नई वित्तपोषण व्यवस्थाओं की मुख्य विशेषताएं ***अनुबंध 3.1*** में दी गई है।

3.2 ए.आई.बी.पी. के तहत जारी केंद्रीय सहायता

मंत्रालय ने 2008-17 की अवधि के दौरान 115 चयनित एम.एम.आई.[29] के लिए ₹ 19,184 करोड़[30] और सभी एम.आई. योजनाओं के लिए ₹ 12,809 करोड़[31] तक की कुल केंद्रीय सहायता (सी.ए.) जारी की थी। उपरोक्त में वर्ष 2016-17 में नाबार्ड के माध्यम से एल.टी.आई.एफ. से जारी ₹ 2,413 करोड़ की राशि का सी.ए. भी शामिल है। वर्ष 2008-17 के दौरान चालू 201 एम.एम.आई. परियोजनाओं में से 150 (75 प्रतिशत) परियोजनाएं नौ राज्यों (आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडीशा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश) में क्रियान्वित किए जा रहे थे और वर्ष 2008-17 के दौरान जारी ए.आई.बी.पी. अनुदानों का 73 प्रतिशत प्राप्त किया था।

---

29 तीन परियोजनाओं को स्थगित किया गया था।

30 ₹ 17,372 करोड़ सी.ए. के रूप में और ₹ 1,812 करोड़ नाबार्ड के माध्यम से

31 एम.आई. योजनाओं के तहत सी.ए. योजनाओं के समूहों के लिए जारी किया जाता है।

3.2.1 सी.ए. का नहीं/अल्प जारी किया जाना

2006 और 2013 के ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों[32] के अनुसार, राज्यों को सी.ए. राज्य के शेयर की विमुक्ति और पूर्व में जारी निधियों के उपयोग के आधार पर दो किश्तों में जारी किया जाना था। 115 चयनित एम.एम.आई. परियोजनाओं हेतु राज्यों को सी.ए. जारी करने के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है।

- 13 राज्यों से संबंधित 42 एम.एम.आई. परियोजनाओं में, वर्ष 2008-09 से वर्ष 2016-17 के दौरान कुल ₹ 9,665.88 करोड़ तक की राशि के केंद्रीय शेयर कम जारी किए गए थे। त्रिपुरा में परियोजनाओं के मामले में अल्प विमुक्ति ₹ 4.76 करोड़ से लेकर झारखंड में परियोजनाओं के मामले में ₹ 3,345 करोड़ तक थी। इसका विवरण ***अनुबंध 3.2*** में दिया गया है।
- मार्च 2017 तक समापन हेतु निर्धारित तीन राज्यों से संबंधित छह प्राथमिकता-I परियोजनाओं[33] को 2016-17 के दौरान कोई सी.ए. प्राप्त नहीं हुआ। इनमें से तीन मामलों[34] में सी.ए. जारी नहीं किए गए थे क्योंकि विगत वर्ष में प्रदत निधियों का उपयोग नहीं किया गया था और एक मामले[35] में सी.ए. इस आधार पर जारी नहीं किया गया था कि विगत वर्ष हेतु सी.ए. वर्ष के आखिर में जारी किया गया था।
- चार राज्यों (असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान) में 457 एम.आई. योजनाओं में 2008-17 की अवधि के दौरान कुल ₹ 695.73 करोड़ तक के केंद्रीय शेयर की अल्प विमुक्ति की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सी.ए. जारी न होना/कम जारी होने का कारण राज्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों में कमियों, उपयोगित प्रमाण पत्रों तथा लेखापरीक्षित व्यय-विवरण के देरी से या न जमा करना, परियोजनाओं पर व्यय के संबंध में धीमी प्रगति और खर्च में समानता सुनिश्चित करने में असमर्थता थी।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष को स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2018) कि राज्यों द्वारा अधूरे प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण, विगत वर्ष में राज्यों के व्यय में कमी और वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही में व्यय की उपरी सीमा के कारण सी.ए. नहीं/कम जारी किए गए थे।

---

32 ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देश 2006 का अनुच्छेद बी. (2) और ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देश 2013 का अनुच्छेद 4.6

33 धानसिरी, चंपामती (असम), त्राल एल.आई.एस., मुख्य रावि नहर की बहाली, प्रवाचिक खोउस (जम्मू और कश्मीर), श्री रामेश्वर (कर्नाटक)

34 त्राल एल.आई.एस., मुख्य रवि नहर और चंपामती का पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण

35 कर्नाटक में श्री रामेश्वर परियोजना

3.2.2 मंत्रालय द्वारा सी.ए. जारी करने में देरी

ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देश सी.ए. जारी करने हेतु राज्यों द्वारा प्रस्तावों के समयबद्ध प्रस्तुतीकरण और केंद्र सरकार द्वारा उसके बाद सी.ए. के ससमय जारी करने की व्यवस्था करता है ताकि उसी वित्तीय वर्ष (एफ.वाई.) में निधियाँ उपलब्ध हो सके। लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) ने भी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की वर्ष 2010-11 को प्रतिवेदन सं. 4 के संदर्भ में मंत्रालय द्वारा राज्यों को समय पर धनराशि जारी करने की सिफारिश की थी।

चयनित एम.एम.आई. परियोजनाओं के मामले में राज्यों को मंत्रालय द्वारा सी.ए. जारी करने के लेखापरीक्षा विश्लेषण में पता चला कि 2008-09 से 2016-17 की अवधि के दौरान मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष के आखिर में अर्थात मार्च महीने में 16 राज्यों[36] में 53 एम.एम.आई. परियोजनाओं के मामले में ₹ 5,717.23 करोड़ जारी किया था जो इन परियोजनाओं को जारी किए गए कुल धनराशि का 30 प्रतिशत था। इसके अलावा, वर्ष 2008-09 और वर्ष 2009-10 से संबंधित 11 उदाहरण ऐसे हैं जिनमें ₹ 1,030.41 करोड़ तक की धनराशि वित्तीय वर्ष के समाप्त हो जाने के बाद जारी की गई थी। एम.आई. योजनाओं के मामले में, मंत्रालय ने 2009-10 से 2015-16 के दौरान 19 राज्यों में एम.आई. योजनाओं के 95 समूहों[37] के मामले में ₹ 2,725.55 करोड़ की राशि वर्ष के अंत में जारी की थी।

वित्त वर्ष के आखिर में निधियों के निरन्तर निस्तारण ने कमजोर वित्तीय योजना को दर्शाया और परियोजना निष्पादन हेतु निधियों की ससमय उपलब्धता को प्रभावित किया। परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं में से अधिकांश ने दीर्घकालीन अतिक्रमण का सामना किया।

मंत्रालय ने उक्त स्थिति को स्वीकार किया और निधियों को जारी करने में देरी (फरवरी 2018) के लिए प्रस्तावों के देरी से प्रस्तुतीकरण और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों में कमियों को उत्तरदायी ठहराया।

---

[36] असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

[37] असम (नौ), आंध्र प्रदेश (एक), अरूणाचल प्रदेश (चार), बिहार (एक), छत्तीशगढ़ (12), हिमाचल प्रदेश (दो), जम्मू और कश्मीर (10), झारखण्ड (दो), कर्नाटक (दो), मध्य प्रदेश (20), महाराष्ट्र (सात), मेघालय (पाँच), मिजोरम (चार), नागालैण्ड (तीन), ओडिशा (दो), सिक्किम (एक), त्रिपुरा (चार), उत्तराखंड (पाँच) और पश्चिम बंगाल (एक)।

3.3 राज्य सरकारों द्वारा परियोजना प्राधिकरणों को निधि जारी करने में त्रुटियाँ

ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी करने के 15 दिनों के भीतर राज्य सरकारों द्वारा परियोजना प्राधिकरणों को राज्य के हिस्से के साथ अनुदान जारी करना जरूरी है। इस आवश्यकता के अनुपालन के संबंध में हमारे निष्कर्ष नीचे दिए गए हैः

- पाँच राज्यों में 15 एम.एम.आई. परियोजनाओं में, 2008-09 से 2016-17 के दौरान परियोजना प्राधिकरणों को ₹ 1,514.34 करोड़ की राशि के समतुल्य राज्य शेयर कम जारी किया गया था। इसका विवरण ***अनुबंध 3.3 ए*** में दिया गया है।
- सात राज्यों में, राज्य सरकारों ने 2008-09 से 2015-16 की अवधि के दौरान तीन दिन से लेकर 17 महीनों के विलंब के बाद परियोजना प्राधिकरणों को ₹ 2,314.49 करोड़ की राशि जारी की। इसका विवरण ***अनुबंध 3.3 बी*** में दिया गया है।
- बिहार में, 2008-17 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ समतुल्य शेयर कम जारी करने के कारण ₹ 369.41 करोड़ के सी.ए. को भी वापिस करना पड़ा था।
- महाराष्ट्र में दो परियोजनाओं (वर्णा और संगोला शाखा नहर) के मामले में राज्य सरकार द्वारा कोई निधि जारी नहीं कि गई थी और दो से तीन सालों[38] तक कोई व्यय नहीं किया गया था क्योंकि मूल अनुमोदनों में संस्वीकृत राशि से ज्यादा हो गई थी तथा संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन ससमय प्राप्त नहीं किए गए थें। परिणामस्वरुप, चालू कार्य लम्बी अवधि तक रूके हुए थे।

निधियों को जारी करने में विलंब सहित निधियों के कम/न जारी करने से कार्य की प्रगति को प्रतिकूल प्रभाव का जोखिम पहुँचा और उपरलिखित सभी परियोजनाओं ने काफी समय का अतिक्रमण झेला।

3.4 उपयोगिता प्रमाणपत्रों एवं व्यय-विवरणों का गैर-प्रस्तुतिकरण

जी.एफ.आर. और सी.ए. जारी करने हेतु संस्वीकृत पत्रों की शर्तों के अनुसार, राज्यों को जारी अनुदान के विरूद्ध किए गए व्यय के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यू.सी.) को प्रस्तुत करना आवश्यक है। ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों में भी राज्यों को उस वित्त वर्ष, जिसमें निधियाँ जारी किए गए थें, के समापन के नौ महीनों के भीतर लेखापरीक्षित व्यय-विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। परियोजना हेतु निधियों के प्रवाह को विनियमित करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि जिस उद्देश्य से जारी किए गए हैं उसी उद्देश्य हेतु उनका उपयोग किया

[38] वर्णाः 2013-16 और संगोला शाखा नहरः 2014-16

गया है तथा वे संचित अथवा विपथित नहीं किये गए हैं, के लिए यू.सी. एवं लेखापरीक्षित व्यय-विवरणों का ससमय प्रस्तुतीकरण अनिवार्य था। यू.सी. एवं लेखापरीक्षित व्यय-विवरणों के विलंब/गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण परियोजनाओं के भावी निधि-प्रवाह तथा उसकी प्रगति भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि 12 राज्यों के 24 एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा चार राज्यों में 1,041 एम.आई. योजनाओं, जिसके लिए 2008-09 से 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 5,900.31 करोड़ की राशि जारी की गई थी, में राज्य सरकारों द्वारा केवल ₹ 3,712.91 करोड़ के लिए यू.सी. प्रस्तुत किए गए थें। ₹ 2,187.40 करोड़ (37 प्रतिशत) की बकाया निधि हेतु उपयोग का विवरण मार्च 2017 तक प्रस्तुत नहीं किया गया था। इन मामलों का ब्यौरा ***अनुबंध 3.4*** में दिया गया है। इसके अलावा 14 राज्यों से संबंधित 65 एम.एम.आई. परियोजनाओं[39] के प्रकरण में, लेखपरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा हेतु मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए परियोजना अभिलेखों में विविध अवधियों के लिए लेखापरीक्षित व्यय-विवरण मौजूद नहीं थें। यू.सी. और लेखपरीक्षित व्यय-विवरणों के प्रस्तुतीकरण के संबंध में कमियों से संबंधित कुछ वर्णनात्मक मामलों की नीचे तालिका 3.1 में की गई है:

तालिका 3.1: यू.सी. एवं व्यय-विवरण में कमियाँ

राज्य	यू.सी. एवं व्यय-विवरण में कमियाँ
असम	जमुना सिंचाई और बोरोलिया परियोजना के आधुनिकीकरण के संबंध में व्यय-विवरण (एस.ओ.ई.) लेखापरीक्षा हेतु जुलाई 2017 तक अग्रेषित नहीं किए गए थे।
छत्तीसगढ़	चार एम.एम.आई. परियोजनाओं में राज्य सरकार ने 2005-06 से 2010-11 के दौरान जारी ₹ 147.63 करोड़ हेतु व्यय-विवरण प्रस्तुत नहीं किया था। राज्य सरकार द्वारा 2008-09 से 2016-17 के दौरान 421 एम.आई. योजनाओं के लिए जारी किए गए ₹ 688.37 करोड़ हेतु यू.सी. मार्च 2017 तक प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

[39] आंध्र प्रदेश (तीन), असम (चार), छत्तीसगढ़ (चार), गोवा (एक), हिमाचल प्रदेश (दो), जम्मू और कश्मीर (छह), कर्नाटक (नौ), केरल (दो), मध्य प्रदेश (एक), महाराष्ट्र (16), ओडिशा (छह), तेलंगाना (तीन), राजस्थान (दो) और उत्तर प्रदेश (छह)।

राज्य	यू.सी. एवं व्यय-विवरण में कमियाँ
गुजरात	गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना में, वित्त वर्ष 2016-17 हेतु ₹ 166.66 करोड़ की राशि का अनुदान वित्त वर्ष 2015-16[40] हेतु यू.सी. के प्रस्तुतीकरण के पहले जारी किए गए थे। मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2018) कि 2016-17 में जारी किया गया ₹ 166.66 करोड़ का सी.ए. 2015-16 में स्वीकृत किए गए ₹ 426.51 करोड़ के विरूद्ध था जिसे उस वर्ष बजट उपलब्धता के अभाव में उस समय जारी नहीं किया जा सका था।
झारखंड	537 एम.आई. योजनाओं, जिनके लिए 2008-09 से 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 538.64 करोड़ की राशि जारी की गई थी, में राज्य सरकार द्वारा केवल ₹ 526.54 करोड़ के लिए यू.सी. प्रस्तुत किया गया था। मार्च 2017 तक ₹ 12.10 करोड़ की बकाया राशि हेतु उपयोग का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।
केरल	दो परियोजनाओं में, वर्ष 2006-07 से 2016-17 के लिए व्यय-विवरण (एस.ओ.ई.) की लेखापरीक्षा जुलाई 2017 में की गई थी क्योंकि विभाग से उसे जून 2017 में ही प्राप्त किया गया था।
महाराष्ट्र	टी.आई.डी.सी. के तहत सूर एम.आई. एवं कंग एम.आई. नामक दो लघु योजनाओं में परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण द्वारा भारत सरकार को यू.सी. प्रस्तुत नहीं किया गया था जबकि वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान क्रमशः ₹ 14.40 करोड़ एवं ₹ 7.85 करोड़ की निधियां जारी की गई थी। दोनों परियोजनाओं के लिए बाँध का कार्य पूरा कर लिया गया था परन्तु नहर/वितरिकाएं अपूर्ण थी।
ओडिशा	2008-09 से 2016-17 की अवधि के दौरान जिन 81 एम.आई. योजनाओं के लिए ₹ 150.55 करोड़ जारी किए गए थें उनमें राज्य सरकार द्वारा केवल ₹ 138.58 करोड़ के लिए यू.सी. प्रस्तुत किया गया था। मार्च 2017 तक ₹ 11.97 करोड़ के बकाया निधि के लिए उपयोग का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

यू.सी. और व्यय-विवरण के प्रस्तुतीकरण में कमियाँ न केवल बजटीय एवं वित्तीय नियंत्रण को शिथिल करते हैं बल्कि कार्यक्रम निगरानी को कठिन भी बनाते हैं जिसके परिणामस्वरुप भौतिक प्रदर्शन में चूक होती है।

3.5 कार्य की भौतिक बनाम वित्तीय प्रगति

हमलोगों ने संबंधित राज्य अभिकरणों से प्राप्त भौतिक प्रगति (पी.पी.) एवं वित्तीय प्रगति (एफ.पी.) से संबंधित आकड़ों के आधार पर 85 चालू एम.एम.आई. परियोजनाओं में भौतिक एवं वित्तीय प्रदर्शन की जाँच की। एम.एम.आई. परियोजनाओं के मामलों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष ब्यौरा नीचे दिया गया है:

[40] वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ₹ 128 करोड़ की राशि के सी.ए. हेतु यू.सी. 21 जून 2016 को जमा किया गया था लेकिन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान 3 जून 2016 को जारी किए गए थें।

- चार राज्यों की सात परियोजनाओं[41] में यद्यपि पी.पी. एवं एफ.पी. 100 प्रतिशत बताए गए थें तथापि उन परियोजनाओं के जारी रहने की रिपोर्ट थी।
- 32 एम.एम.आई. परियोजनाओं में एफ.पी., पी.पी. से चार से लेकर 144 प्रतिशत तक अधिक था। इनमें से, केवल राजस्थान में गंग नहर के आधुनिकीकरण ने 100 प्रतिशत पी.पी. प्राप्त किया था। यह दर्शाता है कि इन परियोजनाओं के संस्वीकृत लागत के विरूद्ध अतिरिक्त व्यय किया गया था।
- 32 परियोजनाओं, जिनमें एफ.पी., पी.पी. से ज्यादा था, में से आठ राज्यों[42] में नौ परियोजनाओं ने 100 प्रतिशत से ज्यादा एफ.पी. प्राप्त किया था जबकि पीपी 29 से 99 प्रतिशत तक था। यह अपर्याप्त वित्तीय योजना तथा संशोधित परियोजना लागतों को प्रतिपादित करने और अनुमोदित करने की आवश्यकता की ओर संकेत करता है।
- पश्चिम बंगाल में सुवर्णरेखा बैराज परियोजना में, केवल परियोजना से संबंधित प्रारंभिक कार्य शुरु किया गया था और वास्तविक परियोजना कार्य की शुरुआत अभी भी की जानी थी। परिणामस्वरुप, प्राप्त एफ.पी. केवल चार प्रतिशत था जबकि इस परियोजना को ए.आई.बी.पी. के तहत 2001-02 में शामिल किया गया था।

मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2018) कि भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास व पुनः स्थापना (आर. एवं आर.) पर व्यय के कारण कुछ मामलों में वित्तीय प्रगति की तुलना में भौतिक प्रगति को कम बताया जाता है। यह तर्कसंगत नहीं है क्योंकि परियोजनाओं के एफ.पी. को सटीक रुप से दर्शाने के लिए परियोजनाओं के संशोधित लागत में भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर के लागत को शामिल किया जाना है।

लेखापरीक्षा में परीक्षित एम.आई. योजनाओं के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा तालिका 3.2 में की गई हैः

---

41 बाल्ह वेली लेफ्ट बैंक, सिधाता, शाहनेहर (हिमाचल प्रदेश), गुल (महाराष्ट्र), नर्मदा नहर (राजस्थान), लाहचुरा बाँध का आधुनिकीकरण और हरदोई शाखा (उत्तर प्रदेश) की सिंचाई तीव्रता में सुधार करना

42 दुर्गावती (बिहार), तिल्लरी (गोवा), न्यु प्रताप (जम्मू और कश्मीर) का आधुनिकीकरण, सुरांगी और पंचखेरो (झारखण्ड), वराही (कर्नाटक), संजय सागर (मध्य प्रदेश), गंगा नहर (राजस्थान) और खोवाई (त्रिपुरा) का आधुनिकीकरण।

तालिका 3.2: एम.आई. योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

राज्य	भौतिक एवं वित्तीय प्रगति
असम	13 अधूरी एम.आई. योजनाओं में, मार्च 2017 तक, भौतिक प्रगति 41 से 85 प्रतिशत के बीच थी। कुल लक्ष्यबद्ध आई.पी. (11,048 हेक्टेयर) का अत्यल्प 12 प्रतिशत (1,300 हेक्टेयर) ₹ 88.68 करोड़ (अनुमानित लागत का 49 प्रतिशत) के व्यय के साथ सृजित किया जा सका था। नोनोई आई.एस. और एफ.आई.एस. से तिलक नाला में पी.पी. क्रमशः 41 से 47 प्रतिशत था जबकि कार्य के विरुद्ध कोई भुगतान नहीं किया गया था।
जम्मू और कश्मीर	• तीन एम.आई. योजनाओं यथा पट्टनगरखुल के निर्माण, ग्रेविटि फीडर चैनल रजाल और एल.आई.एस. अम्बारन II के निर्माण में एफ.पी. 100 प्रतिशत था लेकिन पी.पी. 33 से 70 प्रतिशत तक था। • खोईखुल और गोरीवान जमींदारी खुल के निर्माण नामक दो एम.आई. योजनाओं में में पी.पी. 100 प्रतिशत था लेकिन एफ.पी. क्रमशः 50 और 82 प्रतिशत था। • हंसाखुल के निर्माण में एफ.पी. 37 प्रतिशत था लेकिन पी.पी. निधियों के विपथन के कारण शून्य था। • तीन एम.आई. योजनाओं यथा घाईखुल का निर्माण, चेकडैम तलूर और दुलंजा खुल का निर्माण में डिजाइन और रुपरेखा में परिवर्तन, ठेकेदारों द्वारा कार्य नहीं शुरु करने, पंप हाउस के स्थल में परिवर्तनों और मशीनरी के गैर-संस्थापन के कारण एफ.पी. पी.पी. से 10 से 70 प्रतिशत तक अधिक था।
मध्य प्रदेश	11 चयनित एम.आई. योजनाओं में, एफ.पी. 100 प्रतिशत से अधिक था जो संस्वीकृत लागत से अतिरिक्त व्यय की ओर संकेत करता है। इन 11 योजनाओं में संस्वीकृत लागत के आधिक्य में कुल व्यय ₹ 25.73 करोड़ था। इनमें से तीन योजनाओं में पी.पी. 100 प्रतिशत दर्शाया गया था लेकिन कार्य अभी भी चल रहा था।

3.6 निधियों का विपथन

जी.एफ.आर. 209 (6)(ix)(b) में अन्य बातों के साथ-साथ अनुबंधित है कि अनुदानग्राही (ग्रांटी) उन्हे प्राप्त निधियों/अनुदानों का विपथन नहीं करेगा। मंत्रालय द्वारा जारी संस्वीकृतियों में भी अनबंधित है कि अनुदानों का उपयोग केवल कार्यक्रम पर किया जाना चाहिए और स्वीकृत दिशानिर्देशों के अतिक्रमण में किया गया व्यय अनुमत नहीं है। तथापि परियोजना अभिलेखों के जाँच में 13 राज्यों में ₹ 1,578.55 करोड़ की राशि के निधियों के विपथन के उदाहरण मिले। इसने लेखांकन प्राधिकारियों द्वारा व्यय पर अपर्याप्त अनुशासन, नियंत्रण एवं निगरानी को दर्शाया। इसके अलावा, परियोजनाओं को ससमय परियोजना कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निधियों से वंचित रहना पड़ा। इन मामलों की चर्चा तालिका 3.3 में की गई है:

तालिका 3.3: निधियों का विपथन

राज्य	निधियों का विपथन
अरूणाचल प्रदेश	सात एम.आई. योजनाओं में मौजूदा परियोजनाओं के अनुरक्षण और ए.आई.बी.पी. से गैर-संबंधित अन्य कार्यों के लिए ₹ 82.07 लाख का विपथन किया गया था।
असम	• धनसिरी और चंपामति परियोजनाओं में उन मदों की ओर ₹ 9.93 करोड़ की राशि का व्यय किया गया जो ए.आई.बी.पी. के तहत अनुमेय नहीं है यथा कार्यालय भवन परिसीमा की दीवार, कर्मचारी आवास और बस्ती-सड़क का निर्माण कार्य, मरम्मत एवं नवीनीकरण; वाहनों की मरम्मत; नहर प्रणालियों के मरम्मत एवं सुधार कार्य और कार्यालय लेखन-सामग्री, कंप्यूटरों व सहायक उपकरणों की खरीद। • कोकराझार प्रभाग के अंतर्गत हुमाईसरी फ्लो सिंचाई योजना के लिए मुहैया की गई ₹ 15.66 लाख की निधि का विपथन एक सिंचाई कॉलोनी के निर्माण कार्य के लिए किया गया था जबकि यह ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों के तहत अनुमत मद नहीं था।. • सात योजनाओं यथा हकामा, होरीनचोरा, दंगधारा, टुनी नदी से एल.आई.एस., मेनेहाजामुन, होरुजिया में ए.आई.बी.पी. निधियों में से ₹ 5.16 करोड़ का व्यय मरम्मत व अनुरक्षण कार्य पहुँच पथ और निवास स्थान के निर्माण में किया गया था।
बिहार	वर्ष 2008-17 के दौरान ₹ 3,730.64 करोड़ के ए.आई.बी.पी. हेतु बजटीय प्रावधान में से गैर-ए.आई.बी.पी. परियोजनाओं पर ₹ 1,007.93 करोड़ [43] का व्यय किया गया था। अभिलेखों के अनुसार, इस प्रकार का विचलन भविष्य में ए.आई.बी.पी. में परियोजनाओं के समायोजन की प्रत्याशा में किया गया था।
गुजरात	सरदार सरोवर परियोजना की परियोजना अभिलेखों के जाँच में अयोग्य उद्देश्यों के लिए ₹ 447.44 करोड़ तक की ए.आई.बी.पी. निधियो के उपयोग का पता चला जैसा कि नीचे चर्चा की गई है: • वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए व्यय-विवरण (एस.ओ.ई.) की संवीक्षा में पता चला कि ए.आई.बी.पी. के तहत ऊर्जा परियोजनाओं एवं नहर शीर्ष सौर ऊर्जा संयत्रों पर ₹ 213.17 करोड़[44] के व्यय को बुक कर दिया गया था जबकि सी.डब्लयू.सी. ने ए.आई.बी.पी. के तहत वित्तपोषण हेतु पात्र संघटकों से ऊर्जा परियोजनाओं, यदि मुख्य/शाखा नहरों में लगे हो तो, को बाहर कर दिया था। इस तरह ए.आई.बी.पी. निधियों का उपयोजन अनुचित मद के लिए किया गया था और उस पर प्रकाश डाले बगैर मंत्रालय को गलत यू.सी. प्रस्तुत किए गए थें।. • ए.आई.बी.पी. के तहत प्राप्त निधियों से नहर, शाखाओं तथा वितरिकाओं के मरम्मत एवं अनुरक्षण पर व्यय अनुमत नहीं था। इसके अलावा, मंत्रालय ने विशेष रूप से

[43] पूर्वी कोशी नहर (ई.आर.एम.): ₹ 618.62 करोड़ और बटेश्वरस्थान पंप नहर स्कीमः ₹ 389.31 करोड़

[44] वर्ष 2014-15 के लिए मार्च 2015 में ₹ 94.63 करोड़ बुक किया गया था और ₹ 118.54 करोड़ 2015-16 में बुक किया गया था।

राज्य	निधियों का विपथन
	परियोजना के संशोधित लागत से मरम्मत एवं अनुरक्षण पर व्यय को बाहर कर दिया था। फिर भी, नहर के नेटवर्क की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर ₹ 179 करोड़ का व्यय किया गया था जिसे ए.आई.बी.पी. के तहत अप्रैल 2010 से मार्च 2017 के दौरान परियोजना प्राधिकरणों द्वारा बुक किया गया था। • कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.) गतिविधियों[45] के अंतर्गत शामिल और ए.आई.बी.पी. वितपोषण हेतु अपात्र सब-माइनर्स पर ₹ 55.27 करोड़ का व्यय किया गया था जिसे 2010-2017 की अवधि के दौरान ए.आई.बी.पी. अनुदान के तहत गलत ढ़ंग से बुक किया गया था। • इस परियोजना में कई डिविजनों को रॉयल्टी, भूमि के अतिरिक्त मुआवजा, सेवा कर, बीमा शुल्कों, कार्यालय एवं अन्य खर्चों जैसे व्यय को ए.आई.बी.पी. के तहत बुक किया पाया गया जो अनुमत नहीं था। परियोजना प्राधिकरणों ने स्वीकार किया कि उर्जा परियोजनाओं पर व्यय को ए.आई.बी.पी. के तहत अनजाने में बुक किया गया था और उन्होंने ए.आई.बी.पी. के तहत केवल पात्र व्यय की बुकिंग के संबंध में अनुदेश जारी किया है।
हिमाचल प्रदेश	शाहनेहर और सिधाता परियोजनाओं में प्रतिपूरक वृक्षारोपण, ईंधन डिपो की स्थापना, सार्वजनिक स्वास्थ्य आकलन हेतु प्रावधान, शिकार विरोधी कानून का प्रवर्तन, पंप हाऊस का निर्माण, अन्य संघटक, आदि पर ₹ 83 लाख और ₹ 2.35 करोड़ का व्यय किया गया था।
जम्मू और कश्मीर	• त्राल एल.आई.एस. परियोजना में भूमि मुआवजा, यात्रा भत्ता, पी.ओ.एल., वाहनों की मरम्मत, लेखन-सामग्री के क्रय, सामयिक मजदूरों को मजदूरी, इत्यादि के भुगतान पर ₹ 5.77 करोड़ की राशि का व्यय किया गया था जो ए.आई.बी.पी. के तहत अनुमत नहीं था। इसके अतिरिक्त राजपोरा एल.आई.एस. परियोजना में स्वीकार्य नहीं होने के बावजूद, ए.आई.बी.पी. निधि में से भूमि मुआवजा के भुगतान पर ₹ 3.37 करोड़ की राशि का व्यय किया गया था। • 'हंसाखुल का निर्माण' एम.आई. योजना के तहत ₹ 2.03 करोड़ के निर्माण सामग्री का विपथन बाढ़ और सिंचाई क्षेत्र से संबंधित अन्य योजनाओं पर उपयोग हेतु किया गया था क्योंकि इन योजनाओं के तहत कोई निधि उपलब्ध नहीं थी। विभाग नें निधियों के विपथन को स्वीकार (अगस्त 2017) किया। • नौ एम.आई. योजनाओं[46] में पी.ओ.एल. की खरीद, वाहनों के किराया प्रभार, हार्ड कोक की खरीद, सामयिक मजदूरों की मजदूरी, विज्ञापन प्रभार, संरक्षण कार्य, लेखन-सामग्री का क्रय, अन्य योजनाओं और लदाई/उतराई प्रभारों आदि के लिए ए.आई.बी.पी. के तहत निधियों में से ₹ 83 लाख का व्यय किया गया था।

[45] (i) यू.जी.पी.एल. सब-माइनर्स (₹ 53.49 करोड़) और (ii) कृषक प्रशिक्षण एवं जागरुकता (₹ 1.78 करोड़)

[46] आरी नहर गांदरबल, तिलगॉ जमींदार-खुल, दौलत खुल का आधुनिकीकरण, जमींदार खुल, पथोंजमींदार खुल, पट्टानगढ़ खुल, देतांग गारकोन, वाजु नाला और हंसना खुल विपथन योजनाओं

राज्य	निधियों का विपथन
कर्नाटक	नारायणपुरा में लेफ्ट बैंक कैनल, ई.आर.एम. में, नहर अनुरक्षण कार्यों और सफाई/बस्ती अनुरक्षण कार्यों पर ₹ 40.70 करोड़ का व्यय, जो योजना आयोग द्वारा स्वीकृत संघटकों का हिस्सा नहीं थें, को मार्च 2017 में प्रस्तुत ए.आई.बी.पी. हेतु लेखापरीक्षित व्यय-विवरण में शामिल किया गया था।
महाराष्ट्र	• 2015-16 के दौरान, विशेष रूप से हेटवेन परियोजना हेतु मुहैया की गई ₹ 3.17 करोड़ की राशि को अन्य ए.आई.बी.पी. परियोजना अर्थात् गडनदी परियोजना में विपथित किया गया था। • महाराष्ट्र में वांग और तिल्लारी परियोजनाओं में, संबंधित जिला पंचायतों को गाँवों के स्थानान्तरण के बाद भी गाँवों में बसे परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पी.ए.पी.) को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ₹ 14.59 करोड़ की राशि के कार्य में ए.आई.बी.पी. निधियों का उपयोग किया गया जो निधियों के विपथन के समतुल्य था।
मिजोरम	मिजोरम में, मट योजना के लिए प्रदान किए गए ₹ 9.08 लाख की राशि का विपथन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और इलेक्ट्रिक जनरेटर की खरीद के लिए किया गया था जबकि आकलन में इस पर विचार नहीं किया गया था तथा एक अन्य एम.आई. योजना के तहत प्रदान की गई ₹ 1.50 लाख की राशि का उपयोग किया गया था।
ओडिशा	• एकीकृत आनन्दपुर बैराज परियोजना का एक हिस्सा सालंदी संस्कार परियोजना को 2007-08 तक समापन हेतु ₹ 99.14 करोड़ के अनुमानित लागत पर अक्तूबर 2003 में योजना आयोग द्वारा मंजूर किया गया था। जुलाई 2017 तक, परियोजना ₹ 144.64 करोड़ के कार्य मूल्य सहित प्रगति पर था। परियोजना का उद्देश्य संस्कार और गोपालिया नदियों के साथ तटबंध के मौजूदा सुरक्षा को बढ़ाने और मजबूत करने, मौजूदा दासमौजा और गोपालिया नाला में सुधार तथा अधिशेष बाढ़ के पानी से बचने के लिए भद्रक शहर की जल निकासी व्यवस्था में सुधार करके बाढ़ के प्रभाव को कम करना था। इस तरह, यह परियोजना किसी परिकल्पित आई.पी. के बिना एक बाढ़ संरक्षण कार्य था और ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों के विचलन में था। परियोजनाओं पर ए.आई.बी.पी. के तहत ₹ 144.66 करोड़ की बड़ी रकम के व्यय के बावजूद कोई आई.पी. सृजित नहीं किया गया था। • कानुपुर परियोजना के मामले में, सी.ई. के संपर्क कार्यालय के सुधार और कंप्यूटर उपकरणों की खरीद पर ₹ 29 लाख का व्यय किया गया था।
राजस्थान	• नर्मदा नहर परियोजना के मामले में, भवनों के निर्माण जैसे सहायक वन संरक्षक का निवास, वन चौकी, वनपाल के कार्यालय जैसे, और वाहनों, कंप्यूटरों एवं प्रिंटरों की खरीद पर ₹ 2.27 करोड़ का व्यय किया गया था जबकि ए.आई.बी.पी. के तहत इसकी अनुमति नहीं है।

राज्य	निधियों का विपथन
	• सात एम.आई. योजनाओं में से, ₹ 1.89 करोड़ की कुल संस्वीकृत अनुदान राशि वाली चार[47] योजनाओं को, राज्य सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था लेकिन इन रद्द परियोजनाओं के लिए प्राप्त अनुदान (₹ 1.70 करोड़, संस्वीकृत अनुदान का 90 प्रतिशत) की पूरी राशि का उपयोग शेष तीन परियोजनाओं में किया गया था। इस प्रकार, ₹ 1.70 करोड़ की राशि का उपयोग अनाधिकृत रूप से उन परियोजनाओं, जिनके लिए इसे मंजूरी नहीं दी गई थी, किया गया था।
त्रिपुरा	• संबंधित डिविजन ने खोवाई और गुम्ती परियोजनाओं पर खर्च को पूरा करने के लिए मनु सिंचाई परियोजना के लिए प्रदान किए गए ₹ 11.32 करोड़ का व्यय किया। विभाग ने विपथन को इस आधार पर उचित ठहराया कि मनु परियोजना में भूमि उपलब्धता की समस्याओं के कारण बाधा उत्पन्न हुई थी और उपलब्ध निधियों का उपयोग अस्थायी रूप से अन्य परियोजनाओं के लिए किया गया था। • मनु और खोवाई परियोजनाओं के तहत मरम्मत एवं अनुरक्षण पर ₹ 2.41 करोड़ का व्यय किया गया था जो ए.आई.बी.पी. के तहत स्वीकार्य नहीं था।
पश्चिम बंगाल	• सुवर्णरेखा बैराज परियोजना से संबंधित ₹ 15.37 करोड़ की ए.आई.बी.पी. निधि को तिस्ता बैराज परियोजना में हस्तानांतरित कर दिया गया था क्योंकि राज्य सरकार एक समय में इन दोनों परियोजनाओं को जारी रखने की स्थिति में नहीं थी।

3.7 अव्ययित निधि का निष्क्रिय रहना

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि नौ राज्यों में 17 एम.एम.आई. परियोजनाओं में ₹ 40 लाख से ₹ 500.34 करोड़ तक की अव्ययित शेष राशियां एक से सात साल की अवधि के लिए निष्क्रिय पड़े थें। इनमें से दो परियोजनाओं[48] में बाद के वर्षों में निधि जारी किए गए थें। लेखापरीक्षा में संज्ञान में आए मामलों का विवरण ***अनुबंध 3.5*** में दिया गया है। परियोजनाओं के तहत विशाल अव्ययित शेष राशियों का होना अपर्याप्त निधि प्रबंधन और कार्यों के अनुरूप भौतिक प्रगति की कमी को दर्शाता है।

3.8 निधियों को रोके रखना

एम.एम.आई. परियोजनाओं से संबंधित अभिलेखों के हमारे जांच से पता चला है कि सात राज्यों में 18 एम.एम.आई. परियोजनाओं और दो राज्यों में एम.आई. योजनाओं के मामले में ₹ 1,112.56 करोड़ की निधि को विभिन्न बैंक खातों और व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खातों में

47 अन्वा, किशोरपुरा, लाडपुरा, डाटा

48 गुड्डा मल्लापुरा (कर्नाटक) और जे. चोखा राव (तेलंगाना)

रोक कर रखा गया था। कार्यक्रम निधियों के आहरण और सरकारी खातों के बाहर उनकी जमा का प्रभाव बढ़ा हुआ परियोजना व्यय था और इससे निधियों की निष्क्रियता भी हुई थी। यह व्यय नियंत्रण प्रणाली में गंभीर कमजोरी को इंगित करता है क्योंकि अनुदान को समय बाधित होने से बचने के लिए निधियों को लौटाया नहीं गया था और यह विधायी वित्तीय नियंत्रण और प्रभावी बजटीय प्रबंधन प्रणाली को शिथिल करता है। कुछ उदाहरणात्मक मामलों की चर्चा तालिका 3.4 में की गई है।

तालिका 3.4: निधियों को रोके रखना

राज्य	निधियों को रोके रखना
बिहार	• दुर्गावती और पुनपुन परियोजनाओं के मामले में यद्यपि क्रमशः 96 और 86 प्रतिशत भूमि का आधिपत्य राज्य सरकार को दिया गया था तथापि जारी किया गया मुआवजा केवल 72 और 42 प्रतिशत था। परिणामतः ₹ 128.60 करोड़ की राशि पी.डी. खाते/बैंकों में अव्ययित और रूका हुआ पड़ा रहा। • दुर्गावती, पुनपुन तथा कोसी बैराज की मरम्मत से संबंधित ₹ 134.09 करोड़ की योजनाबद्ध निधि सोन कमांड क्षेत्र विकास एजेंसी (एस.सी.ए.डी.ए.) और कोसी कमांड क्षेत्र विकास एजेंसी (के.सी.ए.डी.ए.) के साथ पांच साल से अधिक समय तक अप्रयुक्त पड़ी रही। इस राशि में से एस.सी.ए.डीए के पास ₹ 108.63 करोड़ की राशि अप्रयुक्त जमा थी जिसमें से ₹ 35.15 करोड़ को अपनी नकद बही में दर्ज किए बिना सावधि जमा के रूप में रखा गया था, वहीं के.सी.ए.डी.ए. के बैंक खाते में ₹ 25.46 करोड़ था जिसमें से ₹ 8.65 करोड़ सावधि जमा थी। इसके अलावा, इन जमाओं से अर्जित ₹ 1.13 करोड़ के ब्याज को भी सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया था।
गोवा	तिल्लारी परियोजना के मामले में 1 अक्टूबर 2014 को परियोजना को जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित किए जाने के बाद भी ₹ 3.95 करोड़ की धनराशि पूर्व कार्यान्वयन एजेंसी यानी जी.टी.आई.डी.सी. के साथ इसके बैंक खातों में पड़ी रही और तब से अप्रयुक्त रही।
हिमाचल प्रदेश	तीन एम.एम.आई. परियोजनाओं में (शाहनेर, सिद्धाता तथा बाल्ह घाटी) लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2008-17 की अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में ₹ 62.59 करोड़ की राशि खजाने से निकाली गई थी और खातों में अंतिम व्यय के रूप में बताई गई थी। डिविजन ने तब इस राशि को उसी दिन अन्य डिवीजनों को हस्तांतरित कर दिया। फिर भी बाद के वित्तीय वर्षों में इन निधियों को मार्च 2009 से जून 2017 के दौरान संबंधित विभागों द्वारा वापस प्राप्त किया गया था और जमा के तहत रखा गया था। नियमित बजटीय निधि की समाप्ति से बचने के लिए उसे जमा शीर्ष में रोके रखने और केवल कार्यों के व्यय की बुकिंग किए रखने के परिणामस्वरूप कार्यों के वास्तविक निष्पादन के बिना गलत व्यय का चित्रण हुआ।

राज्य	निधियों को रोके रखना
	इसके अलावा, बाल्ह घाटी परियोजना में परियोजना के निष्पादन में शामिल डिविजन ने परियोजना समापन रिपोर्ट (पी.सी.आर.) में कुल व्यय को डिवीजन के खातों में उपस्थित ₹ 95.47 करोड़ के बताए गए व्यय की तुलना में ₹ 8.39 करोड़ तक अधिक बताया था। इसके अलावा, डिविजन ने व्यय को वर्ष 2006-07, 2008-09 और 2009-10 के लिए आवंटित बजट से ₹ 23.14 करोड़ की धनराशि को जमा शीर्ष में हस्तांतरित करके दिखाया। अगस्त 2017 तक इन जमाओं के विरूद्ध वास्तविक व्यय केवल ₹ 5.56 करोड़ था। इसी प्रकार, दो अनुदान शीर्षों के तहत ₹ 5.09 करोड़ की अव्ययित निधि को मार्च 2016 में जमा शीर्षों में हस्तांतरित कर दिया गया था जिसमें से 1.20 करोड़ वास्तव में अगस्त 2017 तक खर्च किया गया था। इस तरह ₹ 21.47 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को परियोजना के तहत दिखाया गया था जबकि निधियां डिविजन में अव्ययित पड़े हुए थे।
झारखंड	सुवर्णरेखा बहूउद्देशीय परियोजना के मामले में, भूमि अधिग्रहण के लिए और आर. एंड आर. के लिए ₹ 113.62 करोड़ की राशि का मुआवजा अवितरित रहा और अवितरित शेष धन को सरकारी खाते में जमा करने के सरकारी आदेश के बावजूद, 31 मार्च 2017 तक अपर निदेशक/विशेष एल.ए.ओ. तथा पुनर्वास अधिकारी के विभिन्न बैंक खातों में रोके रखा गया।
मिजोरम	• परियोजना प्राधिकरण ने 10 महीने से 70 महीने तक सिविल जमा में ₹ 14.18 करोड़ रोके रखा। • 2009-12 के दौरान विभाग ने ₹ 144.06 करोड़ के यू.सी. जमा किए, जिनमें से ₹ 117 करोड़ सिविल जमा में रोके रखा गया।
नागालैंड	एम.आई. योजनाओं के लिए ₹ 213.10 करोड़ की राशि को सिविल जमा में रोके रखा गया था।
ओडिशा	सात एम.एम.आई. परियोजनाओं के मामले में ₹ 294.95 करोड़ की ए.आई.बी.पी. निधि को सात विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा विभिन्न बैंक खातों में रोके रखा गया था।
त्रिपुरा	दो एम.एम.आई. परियोजनाओं में ₹ 2.73 करोड़ क्रमशः मार्च 2010 और मार्च 2011 से भूमि अधिग्रहण कलेक्टरों के व्यक्तिगत बही खातों (पी.एल. खाता) में अप्रयुक्त और रोके रखा गया था।
उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल[49] के प्रावधानों के विरूद्ध 2009-17 के दौरान मध्य गंगा स्टेज-II परियोजना में भूमि की खरीद के लिए ₹ 6.28 करोड़ निकाले गए थे और बैंक ड्राफ्ट (बी.डी.) के रूप में अनियमित रूप से रखे गए थे। जांच से पता चला कि भूमि खरीदने के लिए किसानों को मुआवजे का भुगतान करने के लिए तैयार किए गए बी.डी. (2009-17) को बाद में अपनी भूमि बेचने के लिए किसानों के गैर-लामबंदी के कारण संवितरित नहीं किया गया था।

[49] यू.पी. बजट मैनुअल अध्याय (XV) अनुच्छेद 174(10), अनुच्छेद 107 (v) और अनुच्छेद 108

राज्य	निधियों को रोके रखना
	वित्तीय वर्ष के खत्म होने के बाद अप्रयुक्त धन को बी.डी. के रूप में रखना वित्तीय नियमों के संदर्भ में न केवल अनियमित था बल्कि इससे ब्याज[50] के ₹ 1.88 करोड़ का नुकसान भी हुआ।

3.9 व्यय का आधिक्य

वित्त मंत्रालय ने सितम्बर 2007 में मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए कि मार्च महीने के दौरान व्यय को बजट आकलनों के 15 प्रतिशत तक सीमित करे। तीन राज्यों में छह एम.एम.आई. परियोजनाओं में वित्तीय वर्ष के मार्च महीने के दौरान ₹ 1,262.88 करोड़ के व्यय के आधिक्य के उदाहरण देखे गए थें जो वर्ष के दौरान किए गए कुल व्यय का 16 से 83 प्रतिशत के बीच था। व्यय का आधिक्य वित्तीय अनुशासन और व्यय के परिणाम को प्रभावित करता है। इन मामलों का विवरण ***अनुबंध 3.6*** में दिया गया है।

3.10 अनुदान के ऋण में गैर-रूपांतरण के मामले

ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि राज्य सरकारें समापन की नियत तारीख का अनुपालन करने में विफल होती हैं तो जारी किए गए अनुदान घटक को ऋण के रूप में माना जाएगा और वसूली केंद्रीय ऋण पर लागू वसूली की सामान्य शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

ए.आई.बी.पी. पर 2010-11 की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के रिपोर्ट सं. 4 के आधार पर ए.आई.बी.पी. के विस्तृत जाँच के दौरान पी.ए.सी. ने पाया था कि नोडल मंत्रालय समय पर परियोजनाओं को पूरा करने में विफलता के मामले में अनुदान घटक को ऋण में परिवर्तित करने के लिए ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों के प्रावधानों को लागू करने में विफल था। हमने पाया कि यद्यपि ये प्रावधान 105 परियोजनाओं के मामले में लागू किए जाने योग्य थें जिन्हें ₹ 31,120.59 करोड़ का सी.ए. प्राप्त हुआ था तथापि मंत्रालय ने इसका सहारा नहीं लिया, जबकि इन परियोजनाओं में एक से 18 वर्षों की देरी हो रही थी। विवरण ***अनुबंध 3.7*** में दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2018) कि इन परियोजनाओं की प्रगति कई कारकों द्वारा प्रभावित हुई थी और समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-विस्तारण प्रदान किए गए हैं। यह उत्तर दर्शाता है कि विलंबित परियोजनाओं के मामले में अनुदानों के ऋणों में रूपांतरण को निर्धारित करके परियोजनाओं में देरी के विरूद्ध निवारण प्रदान करने के निश्चय को बुरी

[50] उन प्रचलित दरों पर गणना की गई जिस पर राज्य सरकार ने भारत सरकार एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से धनराशि उधार पर लिया था।

तरह से विलंबित परियोजनाओं के मामले में भी समय के विस्तार के माध्यम से राहत देकर शिथिल किया जा रहा था।

3.11 काल्पनिक एवं छलपूर्ण व्यय

ए.आई.बी.पी. परियोजनाओं एवं योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में चार राज्यों में धोखाधड़ी तथा संदिग्ध छलपूर्ण भुगतान के ₹ 7.58 करोड़ की राशि के मामले हैं। इन मामलों का विवरण तालिका 3.5 में दिया गया है:

तालिका 3.5: काल्पनिक और छलपूर्ण व्यय

राज्य	काल्पनिक एवं छलपूर्ण व्यय
असम	धनसिरी सिंचाई परियोजना के मामले में, शाखा नहर बी3एम 1980-81 के दौरान फ्लैश बाढ़ से होने वाली क्षति के कारण निष्क्रिय था। हालांकि, अभिलेखों के जांच परीक्षण से पता चला कि मरम्मत और पुनर्स्थापन कार्यों के साथ कंक्रीट स्तर के कार्यों को ₹ 28.68 लाख की कुल लागत पर निष्पादित किया गया था। डिवीजनल कर्मचारियों के साथ नहर की साइट पर यात्रा के दौरान कोई प्रत्यक्ष नहर प्रणाली नहीं थी और कंक्रीट स्तर सूचित क्षेत्र में नहर प्रणाली में थी। उपर्युक्त स्थिति इंगित करती है कि ₹ 28.68 लाख का व्यय काल्पनिक कार्यों के विरूद्ध किया गया था।
कर्नाटक	अपर तुंग परियोजना (प्राथमिकता -I) में 06 जून 2014 और 23 जुलाई 2014 के बीच पांच जाली चेक के माध्यम से ₹ 98 लाख की राशि की निकासी की गई थी। यद्यपि ₹ 51 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथापि ₹ 47 लाख दिसंबर 2016 तक वसूल नहीं किए गए थें। उसी परियोजना में ₹ 32 लाख के भूमि मुआवजे और क्षति मुआवजा के दिए जाने के विरूद्ध ₹ 2.63 करोड़ का मुआवजा धोखाधड़ी से जारी किया गया था।
नागालैंड	• बालजीन एम.आई. योजना को 2010-11 में ए.आई.बी.पी. में शामिल किया गया था और ₹ 2.29 करोड़ के व्यय के बाद सितंबर 2011 में इसके पूरा होने की सूचना दी गई थी। हालांकि, कार्यों के भौतिक सत्यापन से पता चला कि ये कार्य इस योजना या उसके घटकों का हिस्सा नहीं थें जैसा कि अनुमोदित योजना में दिया गया था और न ही वे अभिलेखों के अनुसार पूरा किए गए दर्शाया गया था। अतः इस योजना का वास्तविक निष्पादन संदेहास्पद था और इस योजना पर खर्च किए गए ₹ 2.29 करोड़ के दुरूपयोग की संभावना की ओर संकेत किया गया था। • नागालैंड के दीमापुर जिले में अतुघोकी और अखिजीघोकी नामक दो एम.आई. योजनाओं को क्रमश: ₹ 64.69 लाख और ₹ 28.77 लाख की लागत पर पूरा (सितम्बर-नवम्बर 2014) किया गया था और मार्च 2016 के दौरान डिवीजन को अंतिम भुगतान भी

राज्य	काल्पनिक एवं छलपूर्ण व्यय
	जारी किया गया था। हालांकि, उसी परियोजना के विरूद्ध मार्च 2017 के दौरान अंतिम बिल के रूप में ₹ 28.02 लाख की अतिरिक्त राशि जारी की गई थी। • विभाग ने लाभार्थियों को तत्काल संवितरण के लिए एम.आई. योजनाओं के 155 समूहों के विरूद्ध खजाना (दक्षिण), कोहिमा से ₹ 24.46 करोड़ की राशि के लिए अंतिम किश्त बिल (मार्च 2016) तैयार किया था और संबंधित विभागों को लाभार्थियों को भुगतान के लिए जारी किया था। मापन पुस्तकों (एम.बी.) से भी यह देखा गया है कि कार्य अनुमोदित डी.पी.आर. के अनुसार पूरा किए गए थें और माप विभाग के सक्षम तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया था तथा उसे स्वीकार कर लिया गया था। एम.बी. से यह देखा गया था कि लाभार्थियों द्वारा न तो अतिरिक्त काम किए गए थें और न ही भुगतान के लिए कोई देनदारियां बकाया थीं। इस संबंध में, विभाग ने कहा था कि 155 बैच परियोजना को 2015 के दिसंबर महीने के दौरान पूरा कर लिया गया था। बिल/वाउचर की आगे की जांच से पता चला कि विभाग ने 155 बैच (2013-14) परियोजना के 45 लाभार्थियों/योजनाओं को भुगतान के लिए ₹ 2.71 करोड़ की राशि का आहरण (मार्च 2016) किया था। यह ध्यान देने योग्य है कि 45 एम.आई. योजनाओं में से 16 एम.आई. परियोजनाएं 155 बैच की सूची में नहीं थें जो दर्शाता है कि 16 योजनाओं के लिए आहरण की गई राशि भी अस्वीकार्य थी। इस प्रकार, विभाग ने कार्यों के निष्पादन के बिना जाली बिलों पर ₹ 46.55 लाख का आहरण किया था।
उत्तर प्रदेश	• हरदोई शाखा नहर की तीव्रता में सुधार की बहाली के मामले में लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच समझौतों में कार्यों को दोहराया गया था क्योंकि उन समतल भागों में बहाली का काम किया गया था जो पहले से ही अन्य संविदाओं के तहत निष्पादित किए जा चुके थें और ₹ 1.47 करोड़ धोखाधड़ी से खर्च किए गए थे।

3.12 राजस्व की कम वसूली/हानि

पांच राज्यों में 10 एम.एम.आई. परियोजनाओं और दो राज्यों में दो एम.आई. योजनाओं में ₹ 1,251.39 करोड़ तक राजस्व की कम वसूली/हानि देखी गई जिनकी चर्चा नीचे तालिका 3.6 में की गई है:

तालिका 3.6: राजस्व की कम वसूली/हानि

राज्य	राजस्व की गैर-वसूली
असम	• असम सिंचाई अधिनियम, 1983 के अनुपालन में मार्च 2000 में सिंचाई विभाग ने अधिसूचित किया कि सिंचाई उद्देश्य हेतु कमांड क्षेत्रों में आपूर्ति किए गए पानी के लिए लाभार्थियों से सिंचाई सेवा शुल्क की वसूली की जाएगी। इस राज्य में चार

राज्य	राजस्व की गैर-वसूली
	चयनित एम.एम.आई. परियोजनाओं के तहत विभाग ने 2008-17 की अवधि के दौरान 490.99 हजार हेक्टेयर के आई.पी. का उपयोग किया। जल प्रभारों पर अभिलेखों की जांच से पता चला कि ₹ 16.58 करोड़ की वसूली की वास्तविक राशि के विरूद्ध किसानों से केवल 14 लाख के जल प्रभारों की वसूली की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.44 करोड़ के जल प्रभार की कम वसूली हुई। • 'जमुना सिंचाई स्कीम का आधुनिकीकरण' परियोजना के तहत 2008-09 के दौरान निष्पादित 1,60,131.27 घन मीटर के भूमि कार्य के विरूद्ध ₹ 27.85 लाख (कर सहित) की वन रॉयल्टी की वसूली नहीं की गई थी। डिवीजन वन रॉयल्टी की छूट के लिए उपयुक्त भूमि दस्तावेज नहीं दे सका। • धनसिरी सिंचाई परियोजना के तहत, 'डेसम नदी पर जलसेतु का निर्माण' कार्य के विरूद्ध बकाया वन रॉयल्टी (कर सहित) की ₹ 70.43 लाख की राशि के विरूद्ध केवल ₹ 27.76 लाख की राशि की वसूली की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 42.67 लाख की कम वसूली हुई। • हुमाइसीरी योजना में 2016-17 के दौरान रेत, बजरी, गोल पत्थरों के उपयोग के लिए ₹ 6.13 लाख की सीमा तक वन रॉयल्टी की कम वसूली हुई।
छत्तीसगढ़	महानदी और केलो परियोजना के अभिलेखों की जांच से पता चला कि विभिन्न संविदाओं के माध्यम से नहर की खुदाई कार्य से प्राप्त सख्त चट्टानों (2.68 लाख घन मीटर) पिछले आठ वर्षों से नहर पर निष्क्रिय पड़ी थी। यद्यपि उसी प्रभाग द्वारा उसी परियोजना के संरचनाओं और नहर स्तर के निर्माण कार्य के लिए बड़ी संख्या में संविदाएं प्रदान की गई थी तथापि विभाग द्वारा किसी भी संविदा में खुदाई से प्राप्त सख्त चट्टानों के उपयोग हेतु प्रयास नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.19 करोड़ तक के सख्त चट्टानों की लागत की गैर-वसूली हुई।
मध्य प्रदेश	सिंध चरण II और सिंहपुर परियोजनाओं के तहत आर.बी.सी. डिवीजन, नारवर के समझौते में ₹ 24.92 लाख की रॉयल्टी वसूली योग्य थी। ठेकेदार ने न तो भुगतान किया और न ही कलेक्टर, खनन का रॉयल्टी मंजूरी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया लेकिन केवल ₹ 7.22 लाख की राशि वसूल की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17.70 लाख की कम वसूली हुई।
ओडिशा	राज्य सरकार राजस्व विभाग परिपत्र के अनुसार उधार क्षेत्र से ली गई भूमि पर रॉयल्टी ₹ 10 प्रति घन मीटर पर वसूल की जानी चाहिए जिसे तीन वर्ष पूरा होने के बाद 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना था। हमने देखा कि निचले इंद्र सिंचाई परियोजना के तहत उधार क्षेत्र से उठाए गए भूमि के लिए ₹ 2.18 करोड़ की रॉयल्टी की वसूली ठेकेदार

राज्य	राजस्व की गैर-वसूली
	से नहीं की गई थी। दब्लाजोर एम.आई. स्कीम में ठेकेदार द्वारा उधार क्षेत्र से प्राप्त भूमि के लिए ₹ 13.21 लाख की रॉयल्टी सरकार द्वारा वसूल नहीं की गई थी। ई.ई. ने यह अवलोकन स्वीकार कर लिया।
उत्तर प्रदेश	बनसागर नहर परियोजना के तहत तीन मुख्य फीडर चैनलों यथा बनसागर फीडर चैनल (बी.एफ.सी.), अडवा मेजा लिंक चैनल ए.एम.एल.सी. और मेजाजिरगो लिंक चैनल (एम.जे.एल.सी.) सहित भूमि में विविध मात्रा के गोल पत्थरों का समावेश था। ए.एम.एल.सी. और एम.जे.एल.सी. के मामले में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा गणित ₹ 420 प्रति घन मीटर की दर से ₹ 79.99 करोड़ के मूल्य वाले पत्थरों की मात्रा 19,04,509 घन मीटर तक कम हो गई थी। इसके अलावा, बी.एफ.सी. के संबंध में डिविजन द्वारा मूल्यांकित ₹ 875.06 करोड़ के मूल्य वाले 2,08,34,755 घन मीटर की मात्रा के गोल पत्थरों का विवरण और सूचना जिला प्राधिकरणों को नीलामी के लिए नहीं दी गई थी। इस प्रकार, ए.एम.एल.सी. और एम.जे.एल.सी. में गोल पत्थरों की कम सूचना और बी.एफ.सी. में गोल पत्थरों की गैर-सूचना से जिला प्राधिकरणों को ₹ 955.05 करोड़[51] तक के सरकारी राजस्व में हानि हुई। इसके अलावा, 20,59,003 घन मीटर टन से भी ₹ 420 प्रति घन मीटर की दर से ₹ 86.48 करोड़ के मूल्य वाले गोल पत्थर बिना निपटारे के रहे। इसके अलावा, यद्यपि 2011 के सरकारी आदेश ने आकलन में 6.875 फीसदी की दर से स्थापना प्रभार का प्रावधान और राजस्व शीर्ष में उसके हस्तांतरण को अनुबंधित किया था तथापि ₹ 266.65 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था जिसे राजस्व शीर्ष को नहीं भेजा गया था। इस राशि का उपयोग परियोजना कार्यों पर अनियमित रूप से किया गया था, इस प्रकार परियोजना लागत में वृद्धि हुई जिससे सरकार को ₹ 266.65 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। • यू.पी. खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियमावली 2002 कहता है कि वैध पारगमन पास (एम.एम.-11) के बिना खनिजों का परिवहन अनियमित है। खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 21 (5) और सरकारी आदेश (अक्टूबर 2015) में लिखा है कि अवैध खनन से खनिजों की खपत के मामले में लागू रॉयल्टी के साथ खनिज की लागत (रॉयल्टी के पांच गुना) भी वसूल किया जाएगा। लाहचुरा बांध के आधुनिकीकरण में रॉयल्टी के कारण ठेकेदार से

[51] ₹ 79.99 करोड़ + ₹ 875.06 करोड़

राज्य	राजस्व की गैर-वसूली
	₹ 1.36 करोड़ वसूल किए गए थे क्योंकि ठेकेदार एम.एम.-11 जमा करने में असफल हो गया था। हालांकि, परियोजना प्राधिकरण ने ठेकेदार से ₹ 6.80 करोड़ (₹ 1.36 करोड़ का पांच गुना) की खनिजों की लागत की वसूली नहीं की।

3.13 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

ए.आई.बी.पी. के लिए वित्तीय प्रबंधन धनराशि के नहीं/कम जारी करने, विभिन्न स्तरों पर धनराशि जारी करने में देरी, वित्तीय वर्ष के आखिर में धनराशि जारी करने और बाद के जारी राशियों में निधियों के अव्ययित शेष राशियों के गैर-समायोजन से ग्रसित था। राज्य एजेंसियों द्वारा प्राप्त कुल सी.ए. का 37 प्रतिशत, ₹ 2,187.40 करोड़ की राशि के लिए उपयोग प्रमाणपत्र समय पर मंत्रालय को जमा नहीं किए गए थें। परियोजनाओं के तहत निष्पादित किए जा रहे कार्यों में ₹ 1,578.55 करोड़ की धनराशि का विपथन, ₹ 1,112.56 करोड़ की धनराशि को रोके रखने और ₹ 7.58 करोड़ की काल्पनिक एवं छलपूर्ण व्यय के उदाहरण थें। निधि जारी करने में देरी और निर्धारित अवधि के भीतर उनके अधूरे उपयोग से कार्यक्रम प्रभावित हुआ जिससे समय और लागत का अतिक्रमण हुआ। परियोजनाओं में 18 साल तक समय के अतिक्रमण के बावजूद मंत्रालय अनुदानों के ऋण में रूपांतरण हेतु प्रावधान को लागू करने में असफल रहा जिसने चूक और कमियों के विरूद्ध एक अप्रभावी और कमजोर निवारक बना दिया। सरकार को राजस्व के ₹ 29.69 करोड़ के कम वसूली और ₹ 1,221.70 करोड़ के हानि के उदाहरण भी पाए गए थें।

अध्याय IV: कार्यक्रम कार्यान्वयन

4.1 परिचय

ए.आई.बी.पी. की शुरूआत मुख्य रूप से परियोजनाओं और योजनाओं को लागू करने वाले राज्यों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सी.एफ.ए.) प्रदान करके सिंचाई परियोजनाओं और योजनाओं को पूरा करने में तेजी लाने के लिए की गई थी। वित्तीय और अन्य संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम के कार्यान्वयन की भी आवश्यकता थी। इसके अलावा चूँकि किसानों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना ही अंतिम उद्देश्य था इसलिए ए.आई.बी.पी. में शामिल परियोजनाओं और योजनाओं ने सिंचाई क्षमता के निर्माण और उपयोग के संदर्भ में डिलिवरेबल्स को भी परिभाषित किया था। इस अध्याय का भाग ए निर्धारित कार्यक्रम डिलिवरेबल्स के विरूद्ध उपलब्धि से संबंधित है। उपलब्धि की सीमा को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की चर्चा इस अध्याय के भाग बी में की गई है।

खंड ए: कार्यक्रम डिलिवरेबल्स की उपलब्धि

4.2 एम.एम.आई. परियोजनाओं का कार्यान्वयन

31 मार्च 2008 को ए.आई.बी.पी. के तहत 154 चालू एम.एम.आई. परियोजनाएं थीं और 47 एम.एम.आई. परियोजनाओं को लेखापरीक्षा अवधि अर्थात् 2008-17 के दौरान शामिल किया गया था। इस प्रकार 2008-17 के दौरान ए.आई.बी.पी. के तहत शामिल एम.एम.आई. परियोजनाओं की कुल संख्या 201 थी। पी.एम.के.एस.वाई. के तहत दो राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित 99 एम.एम.आई. परियोजनाओं को दिसंबर 2019 तक चरणों में पूरा करने के लिए प्राथमिकता परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 201 एम.एम.आई. परियोजनाओं में से 62 परियोजनाएं 2008-2017 के दौरान पूरी कर ली गई थी जिनमें ग्यारह प्राथमिकता परियोजनाएं[52] शामिल थीं। मार्च 2017 तक 139 एम.एम.आई. परियोजनाएं जारी थीं और चार को स्थगित कर दिया गया था।

[52] प्राथमिकता I: रामेश्वर सिंचाई परियोजना (कर्नाटक), लोअर पंजारा एवं बवानथडी (महाराष्ट्र), प्राथमिकता II: मेड्डिगेड्डा (आंध्र प्रदेश) सिंहपुर, महुआर और सगाद (मध्य प्रदेश), प्राथमिकता III: मनियारी टैंक एवं खुरंग (छत्तीसगढ़), डोनगरगांव और वर्ण (महाराष्ट्र)

4.2.1 पूरा होने की स्थिति

118 चयनित एम.एम.आई. परियोजनाओं में से तीन परियोजनाओं को स्थगित कर दिया गया था और शेष 115 परियोजनाओं में से केवल 30 परियोजनाएं अर्थात् 26 प्रतिशत पूर्ण किए गए थें। इसमें 2008-09 से 2016-17 की अवधि के दौरान तीन प्राथमिकता I और चार प्रत्येक प्राथमिकता II और प्राथमिकता III परियोजनाएं शामिल है। 85 परियोजनाएं (18 प्राथमिकता I सहित) मार्च 2017 तक जारी थें। 118 चयनित एम.एम.आई. परियोजनाओं में से 65 एम.एम.आई. परियोजनाएं एस.सी.एस., गैर-एस.सी.एस. में एस.ए. और पी.एम. के पैकेज के तहत विपदग्रस्त जिलों से संबंधित थें। हालांकि, इन परियोजनाओं में से केवल आठ ही इस लेखापरीक्षा द्वारा शामिल अवधि के दौरान पूरा[53] किए गए थें। प्राथमिकता I के रूप में वर्गीकृत 23 परियोजनाओं में से, जो मार्च 2017 तक पूरा करने के लिए निर्धारित थें, केवल तीन परियोजनाएं अर्थात् 13 प्रतिशत ही पूर्ण किए गए थें जबकि 20 परियोजनाएं को अभी भी पूरा किया जाना बाकी था। इस प्रकार, कार्य-पूर्ति का कुल प्रतिशत कम था और पी.एम.के.एस.वाई. के तहत परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के बाद भी प्रगति मन्द रही। पी.एम.के.एस.वाई के लिए अनुमोदन प्राप्त करते समय मंत्रालय ने सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया कि परियोजनाएं जहां 100 प्रतिशत प्रमुख कार्य पूरा हो चुके हैं और 90 प्रतिशत लक्षित आई.पी. तैयार कर लिए गए हैं, उन्हें पूरा माना जाता है। चयनित पूर्ण एम.एम.आई. परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि 30 एम.एम.आई. परियोजनाओं जिन्हें पूर्ण घोषित कर दिया गया था में से, पांच राज्यों के 12 परियोजनाओं, जो पूर्ण एम.एम.आई. परियोजनाओं का 40 प्रतिशत थे, को पूर्ण माना गया जबकि इन परियोजनाओं के तहत लंबित कार्य पड़े थे और बनाया गया आई.पी. लक्षित आई.पी. के 90 प्रतिशत से कम था। इनमें से कुछ परियोजनाओं का विवरण तालिका 4.10 में शामिल है। इससे पता चला कि परियोजनाओं की प्रगति और पूरा होने की रिपोर्टिंग की प्रणाली विश्वसनीय नहीं थी। लक्षित/थ्रेस्होल्ड आई.पी. की गैर-उपलब्धि सिंचाई परियोजनाओं से लाभ और बी.सी.आर. के संदर्भ में उनकी व्यवहार्यता के लिए महत्वपूर्ण धारणाओं को प्रभावित करेगी।

---

[53] एस.सी.एस. (जमुना सिंचाई का सुधार (ई.आर.एम.), असम) से संबंधित 25 एम.एम.आई. परियोजनाओं में से केवल एक और पी.एम. के पैकेज के तहत गैर-एस.सी.एस. व विप्रदग्रस्त जिलों में एम.ए. में 40 परियोजनाओं में से सात को पूरा (आंध्राप्रदेश - एक, कर्नाटक - एक, महाराष्ट्र - पाँच) किया गया था।

4.2.2 एम.एम.आई. परियोजनाओं में समय का अतिक्रमण

केवल वे परियोजनाएं ए.आई.बी.पी. के तहत समावेशन के पात्र थें जिन्हे दो से चार वर्षों[54] के भीतर पूरा किए जाने की आशा थी। हालांकि, 118 चयनित परियोजनाओं की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 30 पूर्ण परियोजनाओं में से 23 परियोजनाओं को पूरा करने के निर्धारित समय से एक से 11 वर्षों के बीच तक की देरी के साथ पूरा किया गया था। चयनित एम.एम.आई. परियोजनाओं द्वारा सामना किए गए समय के अतिक्रमण का परियोजनावार विवरण *अनुबंध 4.1* में दिया गया है। 85 चालू परियोजनाओं में से 82 परियोजनाओं में दो से 18 वर्षों की देरी के साथ विलंब हुआ था। इस प्रकार, पूर्ण और चालू दोनों परियोजनाओं को मिलाकर 105 एम.एम.आई. परियोजनाएं समय के अतिक्रमण से प्रभावित थें। इसके अलावा, नमूनों मे न शामिल हुए 83 परियोजनाओं में से 70 परियोजनाओं मे दो से लेकर 18 वर्षों का समय अतिक्रमण हुआ। विलंबित एम.एम.आई. परियोजनाओं की स्थिति नीचे तालिका 4.1 में दी गई है:

तालिका 4.1: एम.एम.आई. परियोजनाओं में देरी

विलंब की अवधि	एम.एम.आई. परियोजनाएं	
	पूर्ण	चालू
< 2 वर्ष	5 (22%)	0
2-5 वर्षों के मध्य	11 (48%)	26 (32%)
5-10 वर्षों के मध्य	6 (26%)	27 (33%)
> 10 वर्ष	1 (4%)	29 (35%)
कुल	23	82

पी.एम.के.एस.वाई. के तहत, 23 परियोजनाओं को मार्च 2017 की समाप्ति की अंतिम तिथि के साथ प्राथमिकता । की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि, 23 परियोजनाओं में से 20 इस समय सीमा से चूक गए थें जिसके परिणामस्वरूप मंत्रालय ने मार्च 2018 तक 14 परियोजनाओं और मार्च 2019 तक छह परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अंतिम समय सीमा को आगे बढ़ाया था।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि देरी मुख्य रूप से भूमि की उपलब्धता से संबंधित मुद्दों; कार्य के संरेखण, डिजाइन, क्षेत्र और प्रकृति में संशोधन; धन की उपलब्धता से संबंधित मुद्दे; अपेक्षित मंजूरियों और साइट से संबंधित मुद्दों की कमी; पुनर्वास व पुनःस्थापन (आर. एंड आर.) उपायों

[54] दिशानिर्देश में दो वर्षों के समापन की निर्धारित अवधि अनुबंधित थी। अप्रैल 2004 दिशानिर्देशों में, समयसीमा को 6-8 सत्रों (3-4 वर्षों) में संशोधित किया गया था। 2006 के दिशानिर्देश के तहत समय सीमा चार वर्षों की है।

में विलंबित व्यवस्था तथा विधि और व्यवस्था के मुद्दों जैसे कारकों के कारण हुई थी। लगातार और लंबे समय तक समय के अतिक्रमण से न केवल लागतों में अतिक्रमण हुआ बल्कि परियोजना पूर्ण करने में तेजी लाने के ए.आई.बी.पी. के केंद्रीय उद्देश्य, जिससे परियोजनाओं से लाभ जल्द से जल्द किसानों के लिए उपलब्ध हो सके, भी धूमिल हुआ।

4.3 एम.आई. योजनाओं का कार्यान्वयन

4.3.1 पूरा होने की स्थिति

31 मार्च 2008 तक 2,808 एम.आई. स्कीमें जारी थीं और 2008-17 के दौरान 8,483 योजनाओं को शामिल किया गया था। 2008-17 (लेखापरीक्षा कवरेज की अवधि) के दौरान एम.आई. योजनाओं की कुल संख्या 11,291 थी। कुल मिलाकर 2008-09 से 2016-17 की अवधि के दौरान 8,014 एम.आई. योजनाओं को पूरा किया गया था। कुल गठित एम.आई. योजनाओं का 71 प्रतिशत था। मार्च 2017 तक, 3,277 एम.आई. योजना जारी थी। जो कुल गठित एम.आई. योजनाओं का 29 प्रतिशत थी।

335 चयनित एम.आई. योजनाओं जो कि 2008-09 से 2016-17 की अवधि से संबंधित कुल मामलों का तीन प्रतिशत थीं में से 213 (नमूना योजना का 63 प्रतिशत) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पूर्ण हो चुकी थीं तथा 122 योजनाएँ 31 मार्च 2017 तक चालू थीं। चयनित योजनाओं में से, 135 योजनाएँ जो कि चयनित मामलों का 40 प्रतिशत हैं सात उत्तर पूर्वी राज्यों चयनित नमूने में थीं तथा 200 जो कि 60 प्रतिशत है अन्य राज्यों[55] में थीं। उत्तर पूर्वी राज्यों में 135 एम.आई. योजनाओं में से 88 (65 प्रतिशत) पूर्ण हो चुकी थीं तथा शेष 47 (35 प्रतिशत) योजनाएँ चालू थीं। अन्य राज्यों में, 200 एम.आई. योजनाओं में से 125 योजनाएँ (63 प्रतिशत) पूर्ण हो चुकी थीं तथा शेष 75 (37 प्रतिशत) चालू थीं।

राज्यों में पूर्ण एम.आई. योजनाओं की परीक्षण से पता चला कि पाँच राज्यों से संबंधित 14 एम.आई. योजनाओं में कार्य निष्पादन अधूरा था; जबकि योजनाओं को पूर्ण घोषित किया गया था। इन मामलों पर चर्चा तालिका 4.2 में की गई है:

[55] चौदह राज्यों में नामतः आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल

तालिका 4.2: अपूर्ण एम.आई. योजनाएं

राज्य	लघु सिंचाई योजनाएं/उप-योजनाएं	अपूर्ण योजनाएं/उप-योजनाएं
अरूणाचल प्रदेश	कूटो हपलन्दर उलिलतानगर सब-डिविजन में उप एम.आई. स्कीम और लिंश गाँव के सरसंग धान के खेत में उप एम.आई. स्कीम	हेडवर्क के निर्माण जैसा कि स्वीकृति आकलनों में उपबंधित था, के बिना दो उप एम.आई. योजनाओं को पूरा कर लिया गया बताया गया था।
हिमाचल प्रदेश	एल.आई.एस. भरोल, एफ.आई.एस. पंडली, एल.आई.एस. पब्बर से थाना और गाँवों के समूह तथा एल.आई.एस. कोकू नल्लाह से हालालाह तक	17 चयनित एम.आई. योजनाओं में से 15 योजनाओं को पूर्ण कर लिए जाने की सूचना दी गई थी। हालांकि, रिकॉर्डो की जाँच से पता चला कि ₹ 14.23 करोड़ के कुल व्यय के बाद चार योजना वास्तव में अभी भी अधूरी थीं।
जम्मू एवं कश्मीर	कंस्ट्रक्शन ऑफ पट्टनगरखुल[56] एम.आई. योजना	इस योजना में मार्च 2014 तक 101 हेक्टेयर के परिकल्पित आई.पी. सहित 1,500 मीटर के खुल का निर्माण किया जाना शामिल था। यद्यपि इस योजना को ₹ 53 लाख की लागत पर पूरा कर लिया गया दिखाया गया था तथापि स्थल दौरे के दौरान पाया गया कि ₹ 22 लाख के व्यय के साथ केवल 500 मीटर लंबे खुल का निर्माण किया गया था। यह भी देखा गया कि खुल को जल-स्त्रोत से नही जोड़ा गया था। विभाग ने स्वीकार किया (सितंबर 2017) कि यह कार्य स्थानीय विवादों के कारण अपूर्ण था।
	सांबा में, 20 ट्यूब वेल की निर्माण योजना	इस योजना की शुरूआत 2007-08 में दो साल की अवधि के भीतर पूरा करने के लिए ₹ सात करोड़ की अनुमानित लागत पर 1,184 हेक्टेयर के आई.पी. का निर्माण करने के लिए की गई थी। हालांकि, केवल 18 ट्यूब वेल लगाए गए थें और शेष दो पानी के कम प्रतिफल/नहीं निकलने के कारण छोड़ दिए गए थें। इसके अलावा वितरण चैनल के निर्माण में कमी (15,000 मीटर के मुकाबले 5,075 मीटर) थी।

[56] खुल एक जल चैनल है।

राज्य	लघु सिंचाई योजनाएं/उप-योजनाएं	अपूर्ण योजनाएं/उप-योजनाएं
मध्य प्रदेश	छह योजनाएं	छह एम.आई. योजनाओं, जो पूर्ण दिखाए गए थे, के मामले में मुख्य नहरों, वितरिकाओं और माईनर्स/सब माईनर्स जैसे कार्य के भौतिक घटकों को या तो निष्पादित नहीं किए गए या आंशिक रूप से निर्मित किया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि इन योजनाओं के ₹ 21.80 करोड़ की स्वीकृत लागत के विरूद्ध व्यय ₹ 24.94 करोड़ था। इस प्रकार, ₹ 3.14 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के बावजूद उक्त छह एम.आई. योजनाओ के तहत भौतिक घटक अधूरे थें।
मिजोरम	मैट परियोजना	परियोजना को पूर्ण बताया गया था, लेकिन मई 2017 में इस परियोजना के संयुक्त निरीक्षण दौरे में ज्ञात हुआ कि परियोजना भूमि विवाद के कारण अब तक पूरी नहीं की गई थी; 35 मीटर का चैनल कार्य अधूरा था और सीमेंट प्लास्टर से चैनल को ढकने का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ था।

4.3.2 निष्क्रिय एम.आई. योजनाएं

नौ राज्यों के 41 मामलों में निष्क्रिय एम.आई. योजनाओं के उदाहरण पाए गए थें जिसमें नमूना एम.आई. योजनाओं का 12 प्रतिशत गठित दिया गया था, जिनमें 5,021 हेक्टेयर आई.पी. शामिल थें जैसा कि नीचे तालिका 4.3 में गणना की गई है:

तालिका 4.3: निष्क्रिय एम.आई. योजनाएं

क्र.सं.	राज्य	निष्क्रिय परियोजनाओं की संख्या	आई.पी. (हेक्टेयर)	व्यय (₹ करोड़ में)
उत्तर पूर्व राज्य				
1	अरूणाचल प्रदेश	29 उप एम.आई. योजनाओं के साथ शामिल है	259	2.80
2	नागालैंड	6	938	12.21
3	सिक्किम	6	174	1.94
4	त्रिपुरा	4	570	2.35
अन्य राज्य				
5	जम्मू एवं कश्मीर	2	336	2.28
6	झारखंड	4	500	4.6
7	मध्य प्रदेश	2	2,095	32.96

क्र.सं.	राज्य	निष्क्रिय परियोजनाओं की संख्या	आई.पी. (हेक्टेयर)	व्यय (₹ करोड़ में)
8	उत्तराखंड	4	21	9.11
9	पश्चिम बंगाल	1	128	0.25
	कुल	**41**	**5,021**	**68.50**

निष्क्रिय एम.आई. योजनाओं/उप-योजनाओं की राज्यवार सूची ***अनुबंध 4.2*** में दी गई है। ये परियोजनाएं अनुचित सर्वेक्षण, खराब कार्यान्वयन, हेडवर्क /जलमार्ग/वितरण नहरों के क्षतिग्रस्त/खराब होने, भूस्खलनों, जल रिसावों, चैनल के संरेखण के बीच बाधाओं, जल का संचय न करने, वितरण नहरों के गैर-निर्माण आदि विभिन्न कारणों से निष्क्रिय थें। योजनाओं के निष्क्रिय होने के परिणामस्वरूप, (आई.पी.) का उपयोग नहीं किया गया था।

4.3.3 एम.आई. योजनाओं में समय का अतिक्रमण

2008-17 के दौरान लागू 11,291 एम.आई. योजनाओं में से 335 (तीन प्रतिशत) एम.आई. योजनाओं का लेखा परीक्षा के लिए चयन किया गया था। इन 335 योजनाओं में से, 153 यानि नमूना एम.आई. योजनाओं का 46 प्रतिशत, में समय का अतिक्रमण पाया गया था।

छः पूर्वोत्तर राज्यों[57] में संचालित 113 टेस्ट चैक की गई एम.आई. योजनाओं में 73 (65 प्रतिशत) योजनाओं में एक महीने से 12 साल का समय अतिक्रमण था जैसा कि नीचे तालिका 4.4 में दिखाया गया हैः

तालिका 4.4: पूर्वोत्तर राज्यों में एम.आई. योजनाओं की समाप्ति में विलंब

क्र.सं.	राज्य	पूर्ण एम.आई. योजनाओं की संख्या	विलंब	चालू एम.आई. योजनाओं की संख्या	विलंब
1.	असम	12	एक वर्ष से पांच वर्ष	13	एक वर्ष से पांच वर्ष
2.	मेघालय	6	एक वर्ष से बारह वर्ष	2	एक वर्ष
3.	मिजोरम	7	एक वर्ष से दो वर्ष	1	तीन वर्ष
4.	नागालैंड	शून्य	एक वर्ष	8	एक वर्ष
5.	सिक्किम	7	दो महीने से 13 महीने	8	एक महीने से 16 महीने
6.	त्रिपुरा	8	एक वर्ष से आठ वर्ष	1	दो वर्ष
	कुल	**40**		**33**	

[57] अरूणाचल प्रदेश में एम.आई. योजनाओं की स्थिति पर जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

73 विलंबित वाले एम.आई. योजनाओं में से 40 एम.आई. योजनाओं को दो महीने से 12 सालों के विलंब के बाद पूरा किया गया था और 33 योजनाएं एक महिने से पाँच वर्षों तक के समय के अतिरिक्त के साथ चालू थें।

अन्य राज्यों में 12 राज्यों[58] से संबंधित 159 टेस्ट चेक की गई एम.आई. योजनाओं में से 80 (50 प्रतिशत) में समय का अतिक्रमण पाया गया था। समय का अतिक्रमण छः महीनों से लेकर आठ वर्षों तक का था जैसा कि तालिका 4.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.5: अन्य राज्यों में एम.आई. योजनाओं के समापन में विलंब

क्र. सं.	राज्य	पूरी की गई एम.आई. योजनाएं	विलंब	चालू एम.आई. योजनाएं	विलंब
1.	आंध्र प्रदेश	1	छह वर्ष	1	छह वर्ष
2.	छत्तीसगढ़	1	एक वर्ष	6	एक से छह वर्ष
3.	हिमाचल प्रदेश	10	एक वर्ष 10 महीना से छह वर्ष छह महीना	1	तीन वर्ष
4.	जम्मू एवं कश्मीर	6	एक से तीन वर्ष	15	एक से छह वर्ष
5.	झारखंड	शून्य	-	5	छह महीना से दो वर्ष तीन महीना
6.	कर्नाटक	6	पांच महीने से तीन वर्ष नौ महीने	3	चार वर्ष से चार वर्ष दस महीने
7.	मध्य प्रदेश	6	एक से दो वर्ष	8	एक से तीन वर्ष
8.	ओडिशा	शून्य	-	1	छह वर्ष
9.	राजस्थान	शून्य	-	1	आठ वर्ष
10.	तेलंगाना	1	तीन वर्ष	शून्य	
11.	उत्तराखंड	7	दो वर्ष	-	
12.	पश्चिम बंगाल	1	सात महीने	शून्य	
	कुल	**39**		**41**	

80 योजनाओं के टेस्ट चेक में यह देखा गया कि इनमें से 39 एम.आई. (49 प्रतिशत) योजनाओं को पूरा तो कर लिया गया था, लेकिन पाँच महीने से लेकर छह साल तक के विलंब के साथ, शेष 41 योजनाएं (51 प्रतिशत) जारी थे और उनमें छह महीने से आठ साल तक का समय का अतिक्रमण था।

[58] बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में आई.पी. योजनाओं की स्थिति पर जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

विलंब के व्यापक कारण भूमि अधिग्रहण की समस्याएं, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) में कमियां, साइट में बदलाव, निधियों की अनुपलब्धता, निधि जारी करने में देरी, निधि का गैर-उपयोग, स्थानीय विवाद, अपेक्षित मंजूरियों में देरी, और ठेकेदार द्वारा काम त्याग थे। विलंब के परिणामस्वरूप लागत वृद्धि, योजनाओं के पूर्ण संरचनाओं की क्षति/क्षय और सिंचाई क्षमता उपयोग (आई.पी.यू) में कमी हुई।

4.4 लागत का अतिक्रमण

एम.एम.आई. परियोजनाओं मे लम्बी गर्भधारण अवधि होती है और इसमे काफी व्यय शामिल होता है। जैसा की रिपोर्ट के अध्याय । में उल्लिखित है ए.आई.बी.पी. की शुरूआत करने का एक महत्वपूर्ण ध्येय वित्तीय रूप से उन राज्यों की सहायता करना था जो सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में संसाधन संबंधी अवरोधों का सामना कर रहे थें। इसलिए, यह महत्वपूर्ण था कि परियोजनाओं के लिए मुहैया किए गए संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जाना चाहिए था और लागतों को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित किया जाना चाहिए था। फिर भी एम.एम.आई. परियोजनाओं की लेखापरीक्षा में अधिकांश परियोजनाओं में काफी लागत अतिक्रमण देखे गए जैसा कि आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

115 चयनित एम.एम.आई. परियोजना में से, 84 परियोजनाओं (नमूना का 71 प्रतिशत) के लागत में संशोधन देखा गया था। इन परियोजनाओं में संयुक्त लागत में अतिक्रमण ₹ 1,20,772.05 करोड़ था जो ₹ 40,943.68 करोड़ के उनके समग्र मूल कुल लागत का 295 प्रतिशत था। व्यक्तिगत परियोजनाओं में लागत अतिक्रमण की सीमा ₹ 4.40 करोड़ से ₹ 48,366.88 करोड़ के बीच थी। इन परियोजनाओं की सूची व लागत लंघन का विवरण ***अनुबंध 4.3*** में दिया गया है। 31 शेष परियोजनाओं (14 पूर्ण तथा 17 चालू परियोजनाएँ) में से यद्यपि 20 परियोजनाओं में कोई लागत लंघन प्रतिवेदित नहीं किया गया था लेकिन 11 परियोजनाओं में व्यय उनकी स्वीकृत लागत से अधिक था जिसके लिए संशोधित अनुमोदन लिया जाना बाकी था।

इन ग्यारह परियोजनाओं का विवरण तालिका 4.6 में दिया गया है। इस प्रकार इन परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय देयता असीमित थी।

तालिका 4.6: स्वीकृत लागत की तुलना में अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

राज्य	परियोजना	ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत स्वीकृत लागत	मार्च 2017 को व्यय	अधिक व्यय
छत्तीसगढ़	कोसार्टेडा (पूर्ण)	154.65	166.19	11.54
गुजरात	अजी-IV (पूर्ण)	75.16	134.42	59.26
	भदर-II (पूर्ण)	73.09	138.61	65.52
केरल	चित्तूर पुझा (चालू)	34.57	41.69	7.12
मध्यप्रदेश	संजय सागर (चालू)	250.33	277.07	26.74
	सागद (पूर्ण)	239.99	280.21	40.22
	महुआर (पूर्ण)	191.27	229.09	37.82
कर्नाटक	श्री रामेश्वर (पूर्ण)	304.51	430.94	126.43
	वरही (चालू)	522.34	665.36	143.02
महाराष्ट्र	कृष्णा (पूर्ण)	648.05	676.21	28.16
	अर्जुन (चालू)	476.49	508.04	31.55

इनके अलावा, 20 परियोजनाओं जहां कोई लागत लंघन प्रतिवेदित नहीं हुआ था में 13 परियोजनाएँ थीं जिसमें यद्धपि कोई लागत लंघन प्रतिवेदित नहीं हुआ था परन्तु दो से 12 वर्षों का समय लंघन हुआ था। इन मामलों में विलंब व समय लंघन के कारण भविष्य में लागत वृद्धि का जोखिम समाविष्ट है।

84 परियोजनाओं में लागत लंघन हेतु कारणों में भूमि अधिग्रहण व आर. व आर. की लागत वृद्धि, दरों की सूची (एस.ओ.आर.) में परिवर्तन तथा समय लंघन का कारण कीमत में वृद्धि; मात्राओं में अंतर, अभिकल्पना में परिवर्तन आदि सम्मिलित हैं। तालिका 4.7 में उदाहरणात्मक मामलों पर चर्चा की गई है:

तालिका 4.7: अधिक लागत

राज्य	अधिक लागत
	एम.एम.आई. परियोजनाएं
गुजरात	**सरदार सरोवर परियोजना** परियोजना की लागत मार्च 2020 तक निर्धारित समापन के साथ मई 2010 में ₹ 39,240.45 करोड़ (पी.एल. 2008-09) से ₹ 54,772.94 करोड़ (पी.एल. 2014-15) में संशोधित की गई थी। इससे परियोजना लागत में ₹ 15,532.49 करोड़ (40 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसमें से ₹ 5,722.29 करोड़ की वृद्धि अकेले मूल्य वृद्धि के कारण और ₹ 6,384.70 करोड़ की वृद्धि डिजाइन में बदलाव तथा अतिरिक्त आवश्यकताओं को शामिल करने के कारण हुई थी। कंपनी (एस.एस.एन.एन.एल.) ने कहा (जनवरी 2018) कि सांविधिक मंजूरियों, अदालत के मामलों और आर. एंड आर. मुद्दों में देरी के कारण परियोजना कार्यों में देरी हुई थी। इसके अलावा, एस.एस.एन.एन.एल. ने 2014 में ₹ 2,339.65 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ के साथ डिजाइन में बदलाव को अनिवार्य करते हुए "यू डिस्ट्रीब्यूटरीज, माइनर्स एंड सब-माइनर्स" के तहत उप-माइनर नहरों में भूमिगत पाइप लाईन बनाने का निर्णय लिया।
महाराष्ट्र	**कृष्णा कोयना एल.आई.एस.** लागत को 2013-14 के मूल्य स्तर पर ₹ 2,224.76 करोड़ (पी.एल. 2005-06) से ₹ 4,959.91 करोड़ में संशोधित किया गया था। इससे परियोजना लागत में ₹ 2,735.15 करोड़ (122 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसमें से ₹ 244.64 करोड़ अकेले मूल्य दर वृद्धि के कारण थी, ₹ 282.77 करोड़ अन्य कारणों से थे और ₹ 41.51 करोड़ डिजाइन में बदलाव के कारण थे। इसके अलावा, जिला अनुसूची दर (डी.एस.आर.) के कारण ₹ 683.69 करोड़ की वृद्धि हुई, अपर्याप्त सर्वेक्षण के कारण ₹ 555.79 करोड़ की वृद्धि हुई, भूमि अधिग्रहण के दर में वृद्धि के कारण ₹ 764.61 करोड़ की वृद्धि हुई तथा भूमि अधिग्रहण के क्षेत्र में ₹ 134.02 करोड़ की वृद्धि हुई।
तेलंगाना	**जे. चोक्का राव परियोजना** 2017 में परियोजना लागत ₹ 6,016 करोड़ से ₹ 13,445.44 करोड़ में संशोधित की गई थी। इससे काम के दायरे में बदलाव के कारण परियोजना लागत में ₹ 7,429.44 करोड़ (123 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। सरकार ने जवाब दिया (जनवरी 2018) कि ₹ 6,016 करोड़ की मूल लागत में केवल चरण I और चरण II शामिल थे और इसमें जलाशय और चरण III कार्य शामिल नहीं थे। पहली संशोधित लागत ₹ 9,427.73 करोड़ में सभी चरणों को शामिल किया गया था। इसलिए पहली संशोधित लागत की तुलना में वृद्धि केवल 42 प्रतिशत थी, जिसमें सभी चरणों को शामिल किया गया था। सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अयाकुट में कोई वृद्धि नहीं हुई थी।

राज्य	अधिक लागत
	इंदिराम्मा बाढ़ प्रवाह नहर दरों में मानक अनुसूची में बदलाव, परियोजना निष्पादन में विचलन और काम के दायरे में बदलाव के कारण 2016 में लागत ₹ 1,331.30 करोड़ से ₹ 5,940.09 करोड़ में संशोधित की गई थी। इससे परियोजना लागत में ₹ 4,608.79 करोड़ (346 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।
उत्तर प्रदेश	**बाणसागर नहर परियोजना** परियोजना को 1997-98 में अनुमानित लागत ₹ 330.19 करोड़ में ए.आई.बी.पी. के तहत शामिल किया गया था। इस परियोजना को क्रमशः 2003, 2007 और 2010 में ₹ 955.06 करोड़, ₹ 2,053.60 करोड़ और ₹ 3,148.91 करोड़ में संशोधित किया गया था। परियोजना की नवीनतम अनुमोदित लागत ₹ 3,148.91 करोड़ थी। इससे मूल लागत की तुलना में परियोजना लागत में ₹ 2,818.72 करोड़ (854 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। लागत संशोधन मुख्य रूप से समय पर धन ना देना, भूमि की दर में वृद्धि, निर्माण-सामग्री और श्रम की लागत में वृद्धि, काम की मात्रा में वृद्धि, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य जैसे पुल, जल निकासी, क्रॉसिंग फॉल, ड्राइंग और डिजाइन में परिवर्तन तथा विविध कार्यों के दायरे मे वृद्धि के कारण किए गए।

4.4.1 स्कोप एवं डिजाइन में परिवर्तन के कारण लागत में वृद्धि

नमूना एम.एम.आई. परियोजनाओं और एम.आई. योजनाओं की जांच से पता चला की परियोजना को छह राज्यों से संबंधित 12 एम.एम.आई. परियोजना और तीन राज्यों से संबंधित तीन एम.आई. योजनाओं की स्वीकृति के बाद इनका दायरा और डिजाइन बदल दिया गया था जिससे लागत में वृद्धि हुई और इन परियोजनाओं में ₹ 3,082.36 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसका विवरण ***अनुबंध 4.4*** में दिया गया है। तालिका 4.8 में कुछ उदाहरणात्मक मामलों पर चर्चा की गई है:

तालिका 4.8: काम के दायरे एवं डिजाइन में परिवर्तन के कारण लागत वृद्धि

राज्य	लागत वृद्धि
आंध्र प्रदेश	**प्रकासम जिले में भावनासी टैंक का लघु जलाशय में रूपांतरण** ₹ 27 करोड़ की योजना की मूल लागत को ₹ 47.72 करोड़ में संशोधित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 20.73 करोड़ की अधिक लागत लगी। यह परियोजना मार्च 2017 तक चल रही थी।

राज्य	लागत वृद्धि
छत्तीसगढ़	**घरजिया बाथान टैंक एम.आई. योजना** तीन लंबवत फॉल्स और एम.एस. पाइप एक्वाडक्ट के निर्माण के लिए ₹ 86.21 लाख खर्च किए गए थे जो मूल रूप से काम के दायरे में शामिल नहीं था जिससे काम की लागत में वृद्धि हुई।
गुजरात	**सरदार सरोवर परियोजना** 2014 में एस.एस.एन.एन.एल. ने उप-माइनर नहरों के हेड "यू-वितरकों, माइनर्स और उप-माइनर्स" में भूमिगत पाइप लाइन बनाने का फैसला किया जिसके कारण ₹ 2,339.65 करोड़ के वित्तिय निहितार्थ के साथ डिजाइन में बदलाव की जरूरत हो गई थी।
झारखंड	**सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना** चित्रकारी, डिजाइन और दायरे में बदलाव के कारण जांचे गए 70 परीक्षण चेक किए गए कार्यों में से 13 का मूल्य ₹ 487.28 करोड़ से ₹ 603.35 करोड़ हो गया था।
मध्य प्रदेश	**बारखेदा छज्जू लघु टैंक** संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति में ₹ 7.67 करोड़ के ढलान गिरावट, पुल, बॉक्स पुलिया, परिवर्तित सड़क तथा स्पिल चैनल के कार्य शामिल करके कार्य के दायरे में वृद्धि की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 7.67 करोड़ की अतिरिक्त लागत निहितार्थ हुआ।
ओडिशा	**कानुपुर परियोजना** परियोजना को 2003-04 में ए.आई.बी.पी. के तहत ₹ 428.32 करोड़ की लागत से शामिल किया गया था। स्पिल्वे, हेडरेग्युलर, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, पुल और डिस्ट्रीब्यूरीज में घटकों के निर्माण डिजाइन को पानी का रिसाव और मिट्टी की स्थिति के कारण बदलना पडा जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत ₹ 111.50 करोड़ थी। लेखापरीक्षा में पाया गया की मिट्टी की स्थिति और पानी की सीपेज की समस्या ज्ञात थी, लेकिन डिजाइन चरण में इनका समाधान नहीं किया गया। इसके कारण बाद में डिजाइन में परिवर्तन और अतिरिक्त लागत की जरूरत हुई। **निचली सुकटेल सिंचाई परियोजना** दिसंबर 2014 तक पूरा होने के लिए ₹ 140.74 करोड़ की लागत से एक मद के शेष कार्यों का निर्माण सौंपा गया था। हालांकि, अगस्त 2016 में एक विकल्प वस्तु और चार अतिरिक्त वस्तुओं के साथ एक पूरक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें शेष राशि के निर्माण की लागत ₹ 232.60 करोड़ थी। मात्रा में बदलाव सामान्य समझौते के चित्रण में परिवर्तन के कारण था, क्योंकि वास्तविक अनुमान प्रयोगात्मक ड्रांइग और डिजाइन पर तैयार किया गया था। मंत्रालय ने (फरवरी 2018) कहा की सिंचाई परियोजनाओं की जटिल प्रकृति को देखते हुए डिजाइन में बदलाव अपरिहार्य हो सकता है।

डिजाइन और दायरे में बदलाव के कारण लागत में वृद्धि परियोजनाओं की प्रारंभिक योजना में सम्यक तत्परता और खामियों की कमी का संकेत है।

4.5 सिंचाई क्षमता

ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक परियोजना के लिए मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौते के ज्ञापन (एम.ओ.यू.) सिंचाई क्षमता (आई.पी.) के निर्माण और परियोजना/योजना के लिए बनाए गए आई.पी. के उपयोग के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। कृषि के लिए आश्वासन और पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ए.आई.बी.पी. के समग्र उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन लक्ष्यों की उपलब्धि महत्वपूर्ण है।

118 नमूने वाली एम.एम.आई. परियोजनाओं में से मार्च 2017 तक 115 परियोजनाओं के लिए (30 पूर्ण और 85 चल रही परियोजनाओं) आई.पी. लक्ष्य और निर्माण संबंधित डाटा और और आई.पी. उपयोग के लिए 114 परियोजनाओं (30 पूर्ण और 84 चल रही परियोजनाएँ) संबंधित राज्य स्तरीय एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराया गया था। आई.पी. लक्ष्यों से संबंधित विवरण, आई.पी. निर्मित और आई.पी. का उपयोग पूर्ण और चल रही परियोजनाओं क्रमशः ***अनुबंध 4.5*** और ***अनुबंध 4.6*** में दिए गए हैं।

335 चयनित एम.आई. योजनाओं में से 323 एम.आई. योजनाओं के संबंध में आई.पी. लक्ष्य और सृजित आई.पी. (आई.पी.सी) और 281 योजनाओं हेतु आई.पी. उपयोग (आई.पी.यू) से संबंधित सूचना प्रदान की गई थी। एम.आई. योजनाओं हेतु आई.पी. लक्ष्यों, आई.पी.सी और आई.पी.यू. के विवरण ***अनुबंध 4.7*** और ***अनुबंध 4.8*** में दिए गए है।

आई.पी.सी. और आई.पी.यू. के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

4.5.1 आई.पी. निर्माण (आई.पी.सी.)

एम.एम.आई. परियोजनाएं

115 परियोजनाओं से 85.41 लाख हेक्टेयर आई.पी. के कुल लक्ष्य के विरूद्ध, 58.38 लाख हेक्टेयर का आई.पी. बनाया गया, जिसमें 68 प्रतिशत की उपलब्धि और 27.03 लाख हेक्टेयर (32 प्रतिशत) की कमी देखी गई।

परिकल्पित आई.पी.सी. 115 नमूना एम.एम.आई. परियोजनाओं में से केवल 27 अर्थात परियोजनाओं का 23 प्रतिशत में ही प्राप्त की गई थी। लेखापरीक्षा में जाँची गईं प्राथमिकता-I

परियोजनाओं में से केवल दो परियोजनाऐ (श्री रामेश्वर एल.आई.एस. तथा नर्मदा नहर) ही मार्च 2017 तक लक्षित आई.पी. प्राप्त कर सकी।

30 पूर्ण परियोजनाओं में आई.पी.सी 14.47 लाख हेक्टेयर था, जो 15.58 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 1.11 लाख हेक्टेयर के अंतर को दर्शाता था जो इन 30 परियोजनाओं के लिए आई.पी. लक्ष्य का लगभग सात प्रतिशत था। 85 चल रही परियोजनाओं के मामले में कुल आई.पी.सी 43.91 लाख हेक्टेयर था, जो कि 69.83 लाख हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 63 प्रतिशत था। कमी 25.92 लाख हेक्टेयर थी जो लक्ष्य के लगभग 37 प्रतिशत का गठन करती है। पूर्ण और चल रही परियोजनाओं में आई.पी.सी और परियोजनाओं पर किए गए व्यय का एक संक्षिप्त विश्लेषण नीचे तालिका 4.9 दिया गया हैः

तालिका 4.9: आई.पी. लक्ष्य की तुलना में आई.पी. निर्माण

लक्षित आई.पी. पर आई.पी.सी का प्रतिशत	पूर्ण की गई एम.एम.आई. परियोजनाओं की संख्या	चालू एम.एम.आई. परियोजनाओं की संख्या	2008-2017 के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)
शून्य	--	12	8,938
25 तक	2	5	864
26 से 50	1	16	15,573
51 से 75	2	19	10,314
76-89	7	10	18,282
90 से 99	4	10	4,390
100	14	13	4,440
कुल	**30**	**85**	**62,801**

उपरोक्त तालिका ने दर्शाया कि केवल 14 पूर्ण परियोजनाओं ने पूर्ण आई.पी.सी. प्राप्त की तथा अन्य चार ने 90 प्रतिशत से अधिक की प्रारंभिक आई.पी.सी. प्राप्त का जो परियोजना को पूर्ण मामने हेतु मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। 12 पूर्ण परियोजनाओं ने 90 प्रतिशत की आरंभिक आई.पी.सी. को प्राप्त नहीं किया परन्तु फिर भी उन्हें पूर्ण दर्शाया गया था।

चालू परियोजनाओं के मामले में 23 परियोजनाओं ने 90 प्रतिशत की आई.पी.सी. की प्रारंभिक प्रतिशत से अधिक प्राप्त किया था तथा 52 परियोजनाओं में 75 प्रतिशत की आई.पी.सी. थी जिनमें से 12 परियोजनाओं में आई.पी.सी. 'शून्य' थी जबकि इन परियोजनाओं पर ₹ 35,689 करोड़ का व्यय किया गया था।

90 प्रतिशत से कम की आई.पी.सी. की प्राप्ति सहित पूर्ण एवं चालू परियोजनाओं दोनों की उदहारणात्मक सूची पर चर्चा तालिका 4.10 में की गई है।

तालिका 4.10: आई.पी.सी में अंतराल

राज्य	आई.पी.सी. की प्राप्ति (प्रतिशत में)	आई.पी.सी. में अंतराल
पूर्ण परियोजनाओं की आई.पी.सी. में अंतराल		
आंध्र प्रदेश	78	**स्वर्णमुखी परियोजना** 2008-09 में परियोजना को पूर्ण घोषित किया गया था लेकिन कमांड क्षेत्र/अयाकट में कमी के कारण मार्च 2017 तक 4,656 हेक्टेयर की परिकल्पित आई.पी. के विरूद्ध केवल 3,651 हेक्टेयर की आई.पी. का निर्माण हुआ था।
छत्तीसगढ़	79	**मनीयारी परियोजना** परियोजना को 2016-17 में पूर्ण घोषित किया गया था, लेकिन 14,515 हेक्टेयर की आई.पी. के विरूद्ध केवल 11,515 हेक्टेयर की आई.पी. का निर्माण हुआ था। परियोजना के अंतर्गत शेष नहर के कार्य हेतु स्वीकृति संशोधित डी.पी.आर. में सम्मिलित थी जो प्रतीक्षित था।
गुजरात	89	**एजी-IV परियोजना** 3,750 हेक्टेयर की कुल अनुमानित सी.सी.ए. सहित 2000-01 में ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत परियोजना को सम्मिलित किया गया था जिसकी पूर्ति दो मुख्य एवं सात लघु नहरों के माध्यम से की जानी थी। केवल 493 हेक्टेयर की आई.पी. निर्माण के साथ परियोजना को मार्च 2010 में पूर्ण घोषित किया गया था। यद्यपि परियोजना को पूर्ण घोषित किया गया था परन्तु मुख्य नहर मार्च 2016 में पूर्ण हुई थी तथा सात लघु में से एक पर कार्य 14 प्रतिशत की आई.पी.यू. के साथ मार्च 2017 को अभी भी प्रगति पर थी।
कर्नाटक	54	**घाटप्रभा परियोजना** 2010-11 में परियोजना को पूर्ण घोषित किया गया था, परन्तु मार्च 2017 तक 9,963 हेक्टेयर की परिकल्पित आई.पी. के विरूद्ध केवल 5,344 हेक्टेयर की आई.पी. ही निर्मित की गई थी।
महाराष्ट्र	58	**कार परियोजना** 2010-11 में परियोजना को पूर्ण घोषित किया गया था लेकिन ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत केवल 70 प्रतिशत ही पूर्ण किया गया था। शेष कार्य राज्य से निधिकरण सहित पूर्ण की जानी प्रस्तावित थी लेकिन यह भूमि अधिग्रहण मामलों व अपर्याप्त धन के कारण अपूर्ण रही।

राज्य	आई.पी.सी. की प्राप्ति (प्रतिशत में)	आई.पी.सी. में अंतराल
	18	**हेतवाने परियोजना** 2008-09 में परियोजना को पूर्ण घोषित किया गया था, लेकिन भूमि अधिग्रहण समस्याओं के कारण मार्च 2017 तक नहर व वितरण कार्य अपूर्ण रहा था। यह भी देखा गया कि परियोजना को पूर्ण दर्शाने के पश्चात ₹ 100 करोड़ से अधिक का व्यय किया गया।
	4	**वारना परियोजना** यद्यपि 2016-17 में पूर्ण घोषित किया गया था लेकिन 87,792 हेक्टेयर की परिकल्पित आई.पी. के विरूद्ध केवल 3,678 हेक्टेयर की आई.पी. ही निर्मित की गई थी। तीन एक्वेडक्ट अपूर्ण थे यद्यपि 1 कि.मी. से 29 कि.मी. तथा 35 कि.मी. से 47 कि.मी. के बीच अधिकांश नहर का कार्य भौतिक रूप से पूर्ण था।
	48	**लाल नाला** 2008-09 में परियोजना को पूर्ण घोषित किया गया था, हालांकि निर्मित आई.पी. 90 प्रतिशत से कम थी।
	87	**लोअर पनजारा** 6,785 हेक्टेयर की लक्षित आई.पी. निर्माण की परियोजना को 2016-17 में 5,881 हेक्टेयर की प्राप्ति के साथ पूर्ण किया गया था। नहर क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण आई.पी.सी. को प्राप्त नहीं किया जा सका था।
चालू परियोजनाओं में आई.पी.सी. में अंतराल		
आंध्र प्रदेश	शून्य	**तारकरमा तीर्थ सागरम परियोजना** संरेखण में परिवर्तन, नहर के संजाल का पूरा न होने के कारण परियोजना में आई.पी.सी. शून्य थी। भूमि का अधिग्रहण न होने के कारण परियोजना को पूरा नहीं किया जा सका।
बिहार	शून्य	**पुनपुन बैराज योजना** 13,680 हेक्टेयर की परिकल्पित सिंचाई क्षमता के विरूद्ध आई.पी.सी. शून्य थी। योजना का बैराज लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण था जबकि मुख्य नहर, शाखा नहर, डिस्ट्रीब्यूट्रीज व जलमार्ग को अभी तक आरंभ भी नहीं किया गया था। पुनपुन सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. की डी.पी.आर. अनुमोदित नहीं की गई थी।

राज्य	आई.पी.सी. की प्राप्ति (प्रतिशत में)	आई.पी.सी. में अंतराल
गुजरात	79	**सरदार सरोवर परियोजना** मार्च 2017 तक, एस.एस.एन.एन.एल. ने 17.92 लाख हेक्टेयर की अनुमानित आई.पी. के विरूद्ध 14.13 लाख हेक्टेयर की आई.पी. विकसित की। इस प्रकार आई.पी. निर्माण में प्रगति 79 प्रतिशत थी। निजी भूमि का अधिग्रहण न होने, संरक्षित/आरक्षित वन भूमि के विपथन हेतु वन विभाग से अनुमति प्राप्त न करने, किसानों द्वारा अपनी भूमि देने का विरोध, यू.जी.पी.एल. की माँग/संरेखण में परिवर्तन तथा समय पर यू.टी.ली.टी. को स्थानांतरित न करने, नहर का कार्य पूरा न होने अथवा आंशिक रूप से पूर्ण होने के कारण विचारित आई.पी. का निर्माण नहीं हुआ। अभिलेखों की जाँच परीक्षा ने दर्शाया कि डीस्ट्रीब्यूट्रीज व लघु नहरों में 585 कड़ियों के न होने के कारण, 1,90,354 हेक्टेयर के क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का निर्माण नहीं किया जा सका था। कच्छ शाखा नहर में डीस्ट्रीब्यूट्रीज व लघु तथा शाखा में 42 कड़ियों के न होने के कारण 1,12,778 हेक्टेयर की आई.पी. निर्मित नहीं की जा सकी थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि आई.पी. को वहाँ भी निर्मित बताया गया जहाँ नहर में कड़ियाँ नहीं थीं तथा जल बह नहीं सकता था।
जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	**कांडी नहर परियोजना** ठेकेदार द्वारा कार्य छोड़ने के कारण आई.पी. निर्माण शून्य था।
झारखंड	45	**सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना** 2.37 लाख हेक्टेयर की लक्षित सिंचाई क्षमता के विरूद्ध मार्च 2017 तक केवल 1.07 लाख हेक्टेयर ही प्राप्त हो सका था। यह इस कारण से कि 20,556 हेक्टेयर की सीमा तक के भूमि अधिग्रहण में कमी जो कि अपेक्षित भूमि का 38 प्रतिशत था, के कारण परियोजना से संबंधित कार्यों में विलंब हुआ। कमी का मुख्य भाग मुख्य कार्यों हेतु अपेक्षित भूमि से संबंधित था। इसके अतिरिक्त जनजातीय परामर्श परिषद से स्वीकृति तथा आर. एवं आर. गतिविधियों में विलंब होने के कारण एक बांध से संबंधित कार्य रोक दिया गया था।
कर्नाटक	9	**दुधगंगा सिंचाई परियोजना** 11,367 हेक्टेयर की विचारित सिंचाई क्षमता के साथ परियोजना को 2011-12 तक पूर्ण किया जाना था लेकिन भूमि अधिग्रहण हेतु किसानों

राज्य	आई.पी.सी. की प्राप्ति (प्रतिशत में)	आई.पी.सी. में अंतराल
		के विरोध के कारण परियोजना प्रगति नहीं कर रही थी। परिणामस्वरूप, ए.आई.बी.पी. में सम्मिलित होने के पश्चात आई.पी.सी. केवल 1,000 हेक्टेयर थी।
तेलंगाना	40	**जे चोका राव एल.आई.एस. परियोजना** भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण आई.पी. निर्माण में 1,48,191 हेक्टेयर की कमी थी। इस परियोजना में भूमि अधिग्रहण में कमी 2,483 हेक्टेयर थी जिसने डीस्ट्रीब्यूट्री संजाल व लघु नहरों को लेने के कार्य को प्रभावित किया था जो कि आई.पी. निर्माण में वृद्धि हेतु अपेक्षित था।
उत्तर प्रदेश	43	**लाचूरा बांध का आधुनिकीकरण, हरदोई शाखा की सिंचाई तीव्रता में सुधार, बाणसागर नहर, शारदा सहायक प्रणाली की मरम्मत तथा मध्य गंगा नहर-चरण-II** पाँच परियोजनाओं में, 12.29 लाख हेक्टेयर की कुल लक्षित आई.पी. के विरूद्ध केवल 5.34 लाख हेक्टेयर की आई.पी. निर्मित की गई थी। शारदा सहायक नहर परियोजना की मरम्मत के मामले में आई.पी.सी. में 5.4 लाख हेक्टेयर पर कमी उच्चतम थी तथा मध्य गंगा नहर परियोजना-II में कमी 1.05 लाख हेक्टेयर थी। ₹ 229 करोड़ के व्यय के पश्चात शारदा सहायक नहर परियोजना की मरम्मत का परित्याग कर दिया गया था। मध्य गंगा नहर परियोजना-II के मामले में आई.पी.सी. में कमी, अपेक्षित भूमि अधिग्रहण में कमी की वजह से नहर के निर्माण में अंतर के कारण थी।
पश्चिम बंगाल	शून्य	**सुबर्णरेखा बैराज परियोजना** 1,30,014 हेक्टेयर की लक्षित आई.पी. की तुलना में आई.पी.सी. शून्य थी क्योंकि अपेक्षित भूमि की केवल 1.32 प्रतिशत भूमि ही अधिग्रहित हुई, वन स्वीकृति का अभाव था तथा निधियों की कमी थी जिसकी वजह से मूल परियोजना आरंभ नही हुई थी तथा केवल कुछ प्रांरभिक कार्य ही किया गया था।

एम.आई. योजनाएं

323[59] एम.आई. एम.आई. योजनाओं में 1.50 लाख हेक्टेयर के समग्र लक्ष्य के विरूद्ध कुल आई.पी.सी. केवल 0.58 लाख हेक्टेयर (39 प्रतिशत) था।

आई.पी.सी में कमी हेतु मुख्य कारणों में कार्य का विलंबित निष्पादन, परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र व अभिकल्पना में निरंतर परिवर्तन, अनिवार्य पूर्व-अपेक्षाओं जैसे भूमि अधिग्रहण, स्वीकृतियों के मिलने में विलंब तथा आर. एवं आर. उपायों के प्रावधान में गैर/विलंब की पूर्ति को सुनिश्चित किये बिना कार्य आरंभ किया जाना सम्मिलित थे जैसा कि पैरा 4.2.1 में कहा गया है, लक्षित आई.पी.सी. को पूरा करने में असफलता सिंचाई परियोजनाओं से लाभों की गणना हेतु मुख्य अनुमानों तथा बी.सी.आर. के संबंध में उनकी व्यवहार्यता को प्रभावित करेगी।

4.5.2 आई.पी. उपयोगिता (आई.पी.यू.)

एम.एम.आई. परियोजनाएं

₹ 62,801 करोड़ के कुल व्यय के बाद 114 परियोजनाओं में 58.36 लाख हेक्टेयर के कुल आई.पी.सी में से आई.पी.यू 38.05 लाख हेक्टेयर 65 प्रतिशत था। इस प्रकार इन परियोजनाओं में आई.पी.सी और आई.पी.यू के बीच 20.31 लाख हेक्टेयर (35 प्रतिशत) का अंतर था। पूर्ण आई.पी.यू केवल 33 परियोजनाओं में हासिल किया गया था।

तालिका 4.11 में उल्लेखित पूर्ण और चल रही परियोजनाओं में आई.पी.यू. के सम्बंध में स्थिति नीचे दी गई है।

तालिका 4.11: आई.पी. निर्माण की तुलना में आई.पी. उपयोगिता

आई.पी. उपयोग की सीमा (प्रतिशत में)	पूर्ण एम.एम.आई. परियोजनाओं की संख्या	चालू एम.एम.आई. परियोजनाओं की संख्या	2008-2017 के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)
शून्य	शून्य	20#	11,790
25 तक	3	8	11,317
26 से 50	2	19	23,520
51 से 75	9	8	3,139
76-99	6	7	3,295

[59] कुल 335 एम.आई. योजनाओं में से 12 एम.आई. योजनाओं का आई.पी.सी प्रस्तुत नहीं किया गया था।

आई.पी. उपयोग की सीमा (प्रतिशत में)	पूर्ण एम.एम.आई. परियोजनाओं की संख्या	चालू एम.एम.आई. परियोजनाओं की संख्या	2008-2017 के दौरान व्यय (₹ करोड़ में)
100	10	23	9,740
कुल	30	85	62,801
# शून्य आई.पी. निर्माण के साथ 12 परियोजनाओं सहित			

पूर्ण परियोजनाओं के मामलें में, आई.पी. उपयोग 10.42 लाख था तथा निर्मित आई.पी. व उपयोग की गई आई.पी. में अंतर 4.05 लाख था जो कि निर्मित आई.पी. का 39 प्रतिशत था। केवल 10 पूर्ण परियोजनाओं मे आई.पी.सी. पूर्ण रूप से उपयोग की जा रही थी जबकि 14 परियोजनाओं में आई.पी.यू. 75 प्रतिशत अथवा उससे कम थी।

चालू परियोजनाओं में आई.पी. उपयोग 27.64 लाख हेक्टेयर या 63 प्रतिशत था तथा निर्मित आई.पी. व उपयोग की गई आई.पी. के बीच अंतर 16.26 लाख हेकटेयर जो कि निर्मित आई.पी. का 37 प्रतिशत था। 23 परियोजनाओं में आई.पी.यू. 100 प्रतिशत था जबकि 55 परियोजनाओं में यह 75 प्रतिशत था उससे कम था जिसमें 20 परियोजनाओं में आई.पी.यू. "शून्य" थी। कर्नाटक के दुधगंगा के मामले में 1,000 हेक्टेयर से लेकर तेलंगाना में एस.आर.एस.पी.-II की 1,31,319 हेक्टेयर तक की निर्मित आई.पी. के जैसे सात राज्यों[60] की आठ परियोजनाओं में आई.पी. उपयोग शून्य था।

परियोजनाओं के कुछ मामलों जिनमें आई.पी. निर्माण और आई.पी. उपयोग के बीच महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है, की नीचे तालिका 4.12 में चर्चा की गई हैः

तालिका 4.12: आई.पी. उपयोगिता में अंतराल

राज्य	आई.पी. उपयोगिता में अंतराल
आंध्र प्रदेश	**गुंडलाकाम्मा जलाशय परियोजना** भूमि अधिग्रहण में मुकदमेबाजी से नहर में अंतराल के कारण बनाया गया आई.पी. पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था। इससे पता चला कि आई.पी. को गलत तरीके से दिखाया गया था, भले ही नहर के काम मे अंतर था।
बिहार	**कोशी बैराज की मरम्मत और इसकी बहाली (पूर्ण)** इस परियोजना का काम और सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. कार्यक्रम मार्च 2010 और मार्च 2017 में क्रमशः पूरा हो गया था। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम.

[60] बिहार (एक), झारखंड (एक) कर्नाटक (दो), महाराष्ट्र (एक), तेलंगाना (एक), त्रिपुरा (एक) और उत्तर प्रदेश (एक)

राज्य	आई.पी. उपयोगिता में अंतराल
	के तहत विकसित कमांड एरिया के 4.40 लाख हेक्टेयर में से 3.45 लाख हेक्टेयर बिना अस्तर की (कच्ची) संरचनाओं से ढका हुआ था। संयुक्त साइट दौरों के दौरान यह देखा गया था कि कच्ची संरचना तीन जिलों में मौजूद नहीं थी और इन संरचनाओं के संबंध में विवरण या तो विभाजन के साथ या कोसी सी.ए.डी. एजेंसी के साथ उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. के तहत बनाई गयी सिंचाई क्षमता को बिना अस्तर के चैनलों में खो दिया गया था और वास्तविक आई.पी. का उपयोग 0.95 लाख हेक्टेयर था। **दुर्गावती जलाशय परियोजना** 39,610 हेक्टेयर के अनुमानित आई.पी. के तहत, आई.पी. निर्माण 23,000 हेक्टेयर था और उपयोग केवल 2,345 हेक्टेयर था जो निर्मित आई.पी. का 9.45 प्रतिशत था। मुख्य कार्य, मुख्य शाखा नहर और वितरकों/माईनरस क्रमशः 88,96 और 42 प्रतिशत पूर्ण थे। भूमि अधिग्रहण और दुर्गावती सी.ए.डी. और डब्ल्यू.एम. की प्रक्रिया अपूर्ण थी।
छत्तीसगढ़	**महानदी परियोजना (पूर्ण)** परियोजना के तहत भटापारा शाखा नहर (बी.बी.सी.) में 19 वितरक नहर के माध्यम से 17,882 हेक्टेयर का आई.पी.सी. था। हालांकि आई.पी.सी कमी 6,488 हेक्टेयर थी जो आई.पी.सी का 36 प्रतिशत हैं। जल की उपलब्धता के बावजूद इसकी क्षमता के मुकाबले पानी के कम निर्वहन से कमी आई थी, जिससे यह संकेत होता है कि बी.बी.सी. की नहर प्रणाली पर्याप्त नहीं थी और कुछ कामों के चलते मई 2017 तक कार्य अभी भी अधुरा है।
गुजरात	**सरदार सरोवर परियोजना** मार्च 2017 तक निर्मित आई.पी. 14.13 लाख हेक्टेयर था और आई.पी. उपयोग का 6.28 लाख हेक्टेयर था। इस प्रकार बनाए गए आई.पी. के खिलाफ आई.पी. उपयोग में हासिल की गई प्रगति केवल 44 प्रतिशत थी। लेखापरीक्षा में नोट किया गया कि चूँकि क्षेत्रीय स्तर तक जल वितरण प्रणली पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी, इसलिए बनाई गई सिंचाई क्षमता कमजोर रही। इसके अलावा, निजी भूमि के गैर-अधिग्रहण के कारण, संरक्षित/आरक्षित वन भूमि के विचलन के लिए वन विभाग से अनुमति की गैर-प्राप्ति किसानों का विरोध, संरक्षण में परिवर्तन और समय पर नहर में उपयोगिता के स्थानांतरण को पूरा नहीं किए जाने के कारण नहर का कार्य अधूरा या आंशिक रूप से पूर्ण था।
झारखंड	**सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना** मार्च 2017 तक 1.07 लाख हेक्टेयर के आई.पी. निर्माण के मुकाबले आई.पी.यू. 44,844 हेक्टेयर था, जिसमें 62,482 हेक्टेयर का अंतर था। यह इस तथ्य के कारण था कि माईनरस और उप-माईनरस से संबंधित कार्यों को पूरा नहीं किया था।

राज्य	आई.पी. उपयोगिता में अंतराल
कर्नाटक	**गुड्डदा मालापुरा एल.आई.एस. और दुधगंगा परियोजना** भूमि अधिग्रहण की समस्याओं के कारण 5,000 हेक्टेयर और 1,000 हेक्टेयर के आई.पी. निर्माण के मुकाबले आई.पी. उपयोग शून्य था।
तेलंगाना	**जे. चोक्का राव एल.आई.एस. परियोजना** आई.पी. निर्मित और आई.पी. उपयोग के बीच 82,007 हेक्टेयर का अंतर पानी की अनुपलब्धता के कारण अयाकुट के उपयोग में कमी के कारण था। **एस.आर.एस.पी. फेज II परियोजना** आई.पी. उपयोग जलाशयों के जल के अपर्याप्त प्रवाह और अयाकुट के गैर-उपयोग के कारण शून्य था।
उत्तर प्रदेश	**लाहचुरा डैम का आधुनिकीकरण, हरदोई शाखा की सिंचाई तीव्रता में सुधार, बनसागर नहर, शारदा सहायक नहर प्रणाली पूर्वी गंगा नहर (पूर्ण) और मध्य गंगा नहर फेज-II** छह परियोजनाओं में (एक पूर्ण और पाँच चल रही), 6.39 लाख हेक्टेयर के आई.पी. निर्माण के खिलाफ केवल 4.92 लाख हेक्टेयर यानि 77 प्रतिशत का उपयोग किया गया था। परियोजनाओं के बनाए गए आई.पी. का उपयोग मुख्य रूप से निरंतर फैलाव में नहरों का गैर-समापन, भूमि का गैर-अधिग्रहण तथा नहरों में अंतराल के कारण नहीं किया जा सका।

एम.आई. योजनाएं

281[61] योजनाओं हेतु आँकड़े आई.पी.यू. में उपलब्ध थे जिसमें इन योजनाओं में आई.पी.सी. 0.46 लाख हेक्टेयर रहा। जिसमें से 0.33 लाख (72 प्रतिशत) का उपयोग किया गया था।

नियोजित कमांड क्षेत्र में अंतर, परियोजना कार्यान्वयन की त्रुटिपूर्ण फेजिंग, मुख्य/शाखा नहर में अंतर, लघु व डीस्ट्रीब्यूट्रीज का पूर्ण न होना, नहर में कमी, अपर्याप्त जल उपलब्धता, खराब संचालन व रखरखाव (ओ. एवं एम.) तथा क्षेत्र में जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अंतिम डीस्ट्रीब्यूट्रीज़ के निर्माण के लिए कमांड क्षेत्र के विकास कार्य क धीमे कार्यान्वयन के कारण आई.पी. उपयोग में कमी आई थी। लक्षित आई.पी.सी. की पूर्ति करने में असफलता की तरह आई.पी.यू. में कमी भी सिंचाई परियोजनाओं से लाभों की गणना हेतु प्रमुख अनुमानों तथा बी.सी.आर. के संबंध में उनकी व्यवहार्यता को भी प्रभावित करेगी।

[61] कुल 335 एम.आई. योजनाओं में 84 योजनाओं का आई.पी.यू. प्रस्तुत नहीं किया गया था।

खंड बी: कार्यक्रम कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले कारक

4.6 भूमि अधिग्रहण

ए.आई.बी.पी. का मूल्यांकन करते समय, निति आयोग (नवंबर 2010) ने ए.आई.बी.पी. के कार्यान्वयन में भूमि अधिग्रहण को मुख्य बाधाओं में से एक बताया। 2013 ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों ने यह निर्धारित करके मान्यता दी कि ए.आई.बी.पी. के तहत केंद्रीय सहायता (सी.ए.) जारी करने की प्रक्रिया के समय उसे स्वामित्व के अंतर्गत जमीन से संबंधित कार्यों के अनुरूप बनाया जाना चाहिए।

चयनित एम.एम.आई. परियोजनाओं की लेखापरीक्षा से पता चला कि 16 राज्यों[62] से संबंधित 56 परियोजनाओं (11 प्राथमिकता -1 परियोजनाओं सहित) में, जिसमें ₹ 1,31,707.77 करोड़ (73 प्रतिशत) की कुल संस्वीकृत लागत शामिल है, भूमि अधिग्रहण पूरा नहीं हुआ था और 53,881.06 हेक्टेयर भूमि जो कुल अपेक्षित भूमि का 20 प्रतिशत की कमी थी। इन 56 परियोजनाओं में से आठ परियोजनाएं भूमि के परिकल्पित क्षेत्रों को प्राप्त किए बिना पूरे किए गए थे और भूमि अधिग्रहण में अत्यधिक देरी के साथ 48 परियोजनाएं चल रही थी। विवरण *अनुबंध 4.9* में दिए गए हैं। पूर्ण और चल रही परियोजनाओं मैं भूमि की उपलब्धता के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

पूर्ण परियोजनाएं

- दो राज्यों यथा महाराष्ट्र और कर्नाटक की आठ पूर्ण परियोजनाएँ[63], जिनकों कुल 10,916.91 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी, में भूमि की कमी पाई गई। इन आठ परियोजनाओं में 4.32 हेक्टेयर से 449.12 हेक्टेयर तक की कमी थी जो तालिका 4.13 में दिखाई गयी हैं। प्रतिशत के परिपेक्ष्य में कमी एक से 64 प्रतिशत तक रही।

---

62 आंध्र प्रदेश-दो, असम-दो, बिहार-दो, छत्तीसगढ़-एक, गोवा-एक, गुजरात-एक, जम्मू एवं कश्मीर-एक, झारखंड-पांच, कर्नाटक-चार, केरल-एक, महाराष्ट्र–17, ओडिशा-सात, तेलंगाना-छह, त्रिपुरा-दो, उत्तर प्रदेश-दो और पश्चिम बंगाल-दो

63 कर्नाटक में श्री रामेश्वर, महाराष्ट्र में बावनथड़ी, लोयर पंजारा, हेतवाने, सरंगखेरा, कर, पेंटाक्ली और ताजनापुर

तालिका 4.13: भूमि की कमी वाले पूर्ण परियोजनाओं में आई.पी.सी. और समय और लागत अतिक्रमण

भूमि की कमी (प्रतिशत में)	परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	समय अतिक्रमण		लागत अतिक्रमण (करोड़ में)		आई.पी. सृजन में अंतर (प्रतिशत में)	
			संख्या	वर्ष	संख्या	राशि	संख्या	प्रतिशत
10 तक	4	4 से 1,148	3	1 से 9	3	121 से 706	4	शून्य से 82
11-20	1	9	0	--	0	--	1	शून्य
21-40	2	175 एवं 449	1	5	1	209	2	13 एवं 42
>40	1	449	1	2	0	--	1	शून्य
कुल	**8**		**5**		**4**		**8**	

- भूमि की कमी के साथ पूरी की गई आठ परियोजनाओं में से, पांच परियोजनाओं में समय अतिक्रमण, चार परियोजनाओं में मूल्य अतिक्रमण और पाँच परियोजनाओ में आई.पी. सृजन में अंतर उपरोक्त तालिका 4.13 में दिखाया गया है।
- एक परियोजना अर्थात सरंगखेड़ा जहां जमीन की कमी 4.32 हेक्टेयर थी, वह फिर भी, समय और लागत में अतिक्रमण के बिना अपने लक्षित आई.पी. को हासिल करने में सक्षम थी। अन्य मामलों में, आई.पी. निर्माण में कमी शून्य और 82 प्रतिशत के बीच थी।

चालू परियोजनाएं

48 चालू परियोजनाओं (आठ प्राथमिकता-1 परियोजनाओं सहित) के मामले में 59,567.77 हेक्टयर का क्षेत्रफल जो 2,08,016.33 हेक्टेयर की कुल आवश्यकता का 29 प्रतिशत था, मार्च 2017 तक अधिग्रहित नहीं किया गया था। भूमि की कमी 1.33 हेक्टेयर से 20,556 हेक्टेयर तक थी। प्रतिशत के परिपेक्ष्य में कमी 0.40 से 90 प्रतिशत तक थी। भूमि की उपलब्धता में कमी ने इन परियोजनाओं में समय और लागत अतिक्रमण दोनों को बढ़ाया जो क्रमश: दो साल (कर्नाटक में ऊपरी तुंगा) से 18 साल (असम में धनसिरी) और ₹ 11.33 करोड़ से लेकर ₹ 48,366.90 करोड़ तक रहा। विवरण तालिका 4.14 में दिए गए हैं:

तालिका 4.14: अपूर्ण भूमि अधिग्रहण के साथ एम.एम.आई. परियोजनाओं में समय, लागत अतिक्रमण एवं आई.पी. में अंतराल

भूमि की कमी (प्रतिशत में)	परियोजनाओं की संख्या	समय अतिक्रमण		लागत अतिक्रमण		आई.पी.सी. में अंतराल	
		परियोजनाओं की संख्या	विलंब की सीमा (वर्ष)	परियोजनाओं की संख्या	लागत अतिक्रमण की सीमा (प्रतिशत)	परियोजनाओं की संख्या	अंतराल की सीमा (प्रतिशत)
10 तक	24	23	3 से 18	21	9 से 7,268#	20	13-100
11-20	9	9	2 से 14	7	110 से 854	9	20-100
21-30	1	1	9	1	792	1	100
31-40	6	6	2 से 18	4	32 से 1,896##	7	21-100
40-50	1	1	2 से 13	0	0	1	100
50-60	1	1	18	1	371	1	76
60-70	2	2	3 से 5	1	122	2	60-91
70-80	3	3	4 से 15	3	170 से 843	2	72-100
>80	1	1	5	-	-	-	-
कुल	**48**	**47**		**38**		**43**	

कारापुझा परियोजना (केरल); ## तात्को मीडियम सिंचाई परियोजना (पश्चिम बंगाल)

परियोजनाओं के मामले जहां भूमि अधिग्रहण में काफी कमी पाई गई थी, की चर्चा नीचे तालिका 4.15 में किया गया है:

तालिका 4.15: भूमि अधिग्रहण में कमी

राज्य	भूमि अधिग्रहण में कमी
असम	**बोरोलिया सिंचाई परियोजना** मार्च 2012 में स्थानीय राजस्व प्राधिकरण को ₹ 94.63 लाख के भुगतान के बावजूद जुलाई 2017 तक 224.30 हेक्टेयर जमीन की कमी हुई। परिणामस्वरूप, कुछ नहरों और वितरिकाओं के काम में देरी हुई, हालांकि बैराज और मुख्य नहर का निर्माण पूरा हो गया था। इस परियोजना में ए.आई.बी.पी. में शामिल होने के बाद से 18 वर्षों के समय अतिक्रमण और ₹ 123.67 करोड़ का मूल्य अतिक्रमण हुआ। इसके अलावा हासिल की गई आई.पी.सी. केवल 24 प्रतिशत और आई.पी.यू. आई.पी.सी. का

राज्य	भूमि अधिग्रहण में कमी
	27 प्रतिशत था। भूमि का कब्जा अभी तक डिवीजन को सौंपा जाना था। डिवीजन ने बताया (जुलाई 2017) कि यह मामला स्थानीय राजस्व अधिकारियों के पास था और 2007 से 2011 के दौरान, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जिला प्राधिकरण के साथ शुरू कर दी गई थी। **चंपामती सिंचाई परियोजना** अधिग्रहण मुआवजे के रूप में भूमि की अनुपलब्धता के कारण दो नहरों को पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि अधिग्रहण के लिए मुआवजे का निपटारा नहीं किया जा सका था। नतीजन, दो नहरों की लंबाई को कम किया जाना पड़ा जिससे 90 हेक्टेयर के आई.पी. की हानि हुई। इसके अलावा उस बिंदु, जहां भूमि अनुपलब्ध रही, से परे दो नहरों के निर्माण पर ₹ 3.02 करोड़ का व्यय व्यर्थ रहा। आवश्यक भूमि के गैर-अधिग्रहण का कारण जमीन मालिकों द्वारा भूमि के वर्तमान मूल्य के चार गुणा पर मुआवजे के मूल्य की मांग का निपटारा नहीं किया जाना बताया गया। **धनसिरी सिंचाई परियोजना** 'शाखा नहर बी -7 के जरीब दूरी 9,180 मीटर पर घोगरा नदी पर क्रॉस ड्रेनेज के निर्माण कार्य को ₹ 2.26 करोड़ के निविदा मूल्य पर ठेकेदार को तीन महीने के भीतर पूरा करने के शर्त के साथ से दिया (जून 2008) गया था। जुलाई 2017 तक, डिवीजन ने ₹ 1.60 करोड़ का व्यय किया लेकिन क्रॉस ड्रेनेज का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ था। कार्य स्थल (19 जुलाई 2017) के प्रत्यक्ष सत्यापन से पता चला कि एक सुव्यवस्थित गांव क्रॉस ड्रेनेज के दोनों सिरों पर प्रस्तावित नहर की लंबाई पर मौजूद था, जो दर्शाता है कि नहर प्रणाली के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। डिवीजन ने स्वीकार किया (जुलाई 2017) कि भूमि के गैर-अधिग्रहण के कारण, नहर प्रणाली के शेष हिस्से में काम नहीं किया जा सका था।
आंध्र प्रदेश	**गुंडलाकम्मा जलाशय परियोजना** कुल 4,644 हेक्टेयर में से 19.53 हेक्टेयर का भूमि अधिग्रहण अदालती मामले के कारण लंबित था। कार्य के निष्पादन के दौरान मुख्य अभियंता ने सरकार को बताया (अगस्त 2009) कि ठेकेदार परियोजना के कमांड एरिया के भीतर 8,905 एकड़ के लिए आई.पी. बनाने हेतु जमीन की पहचान नहीं कर पाया था। **भावनासी योजना** 188.47 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए, 2010 में एल.ए.ओ. के पास ₹ नौ करोड़ जमा किए गए थे। 2017 तक एल.ए.ओ. ने केवल 77 हेक्टेयर अधिग्रहण किया

राज्य	भूमि अधिग्रहण में कमी
	जिसके परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण के लिए सात साल की देरी हुई। भूमि की लागत में वृद्धि और किसानों से आपत्ति के कारण देरी हुई थी।
गुजरात	**सरदार सरोवर परियोजना** परियोजना के तहत आवश्यक 59,122.17 हेक्टेयर में से, मार्च 2017 तक 1,972.11 हेक्टेयर की कमी को छोड़कर केवल 57,150.07 हेक्टेयर अधिग्रहित की गई थी। भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के कारण प्रभावित हुए कार्यों के कुछ मामले देखे गए थे। इसकी व्याख्या नीचे की गई है: एस.एस.एन.एन.एल. के अनुदेशों के अनुसार, निविदा आमंत्रित करते समय आवश्यक भूमि का 20 प्रतिशत कंपनी के स्वामित्व में होना चाहिए और 60 प्रतिशत कार्य आदेश देने से पहले। कच्छ शाखा नहर के तहत, कंपनी द्वारा दिए गए 17 में से नौ काम आवश्यक भूमि की उपलब्धता के बिना दिए गये। आवश्यक भूमि की अनुपस्थिति में, कार्यों में प्राप्त प्रगति शून्य और 100 प्रतिशत के बीच थी। जनवरी 2014 तक पूरा किए जाने के लिए ₹ 26.09 करोड़ की लागत पर जुलाई 2012 में सौंपा गया मोरबी नहर के निर्माण का काम मई 2017 तक पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि अधिग्रहित भूमि का स्वामित्व अधिकार भूमि राजस्व आलेखों मे विसंगति के कारण परियोजना अधिकारियों को हस्तांतरित नहीं किए जा सके थे। जनवरी 2014 में ₹ 11.54 करोड़ के लिए दिए गए लिंबडी शाखा नहर के एक वितरक के निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि किसानों ने फरवरी 2012 में मुआवजे की घोषणा के बावजूद मुआवजे को स्वीकार नहीं किया था। हालांकि, काम को दिसंबर 2015 में ₹ 8.67 करोड़ के व्यय के बाद पूरा करा हुआ दिखाया गया था। 242 हेक्टेयर भूमि को गड़सीसर शाखा नहर के 10 लघु नहरों के निर्माण के लिए अधिग्रहित किया जाना था, लेकिन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जुलाई 2017 तक शुरू नहीं की गई थी। अतः शाखा एवं वितरक नहरों के निर्माण पर ₹ 106.16 करोड़ के व्यय के बाद भी 28,548 हेक्टेयर भूमि में सी.सी.ए. का सृजन नहीं किया जा सका जिससे खर्च व्यर्थ हुआ। परियोजना को ए.आई.बी.पी. के तहत इसके समावेशन से 16 वर्षों का समय अतिक्रमण और ₹ 48,367 करोड़ का लागत अतिक्रमण हुआ। इसके अलावा प्राप्त आई.पी.सी. केवल 79 प्रतिशत और आई.पी.यू. आई.पी.सी. का 44 प्रतिशत था।

राज्य	भूमि अधिग्रहण में कमी
	भूमि के गैर-अधिग्रहण के मुख्य कारण बढ़ी मुआवज़ें की मांग, संरेखण में परिवर्तन, स्वामित्व में परिवर्तन, अधिग्रहण के क्षेत्र में अंतर, सरकारी भूमि का निजी भूमि को हस्तांतरण, भूमि अधिग्रहण के मुद्दें आदि थे।
जम्मू एवं कश्मीर	**त्राल एल.आई.एस.** तथापि परियोजना कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान परियोजना के पहले और दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी की गई थी, उसे डिलीवरी टैंक के बाहर आरोही मुख्य और नहर के हिस्से के निर्माण के लिए तीसरे चरण और उससे आगे पूरा नहीं किया गया। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया 2013-14 की संशोधित समाप्ति तिथि से परे भी मार्च 2015 तक भी जारी रही थी । इससे योजना के पूरा होने में देरी हुई। मार्च 2017 तक ₹ 103.33 करोड़ का व्यय हुआ। **राजपोरा एल.आई.एस.** भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को मार्च 2012 तक परियोजना के किर्यान्वयन के दौरान ही शुरू किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि परियोजना की समाप्ति तिथि 2013-14 थी। ₹ 64.86 करोड़ का व्यय मार्च 2017 तक हुआ था। देरी का मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण में प्रतिरोध था।
झारखंड	**सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना** 54,558 हेक्टेयर की आवश्यकता के विपरीत, अधिग्रहित भूमि 34,002 हेक्टेयर थी। आई.पी. सृजन में कमी 1,29,520 हेक्टेयर थी और आई.पी. उपयोग केवल 62,482 हेक्टेयर था, जो परियोजना के तहत सृजित आई.पी. का केवल 58 प्रतिशत था। परियोजना प्राधिकारियों द्वारा भूमि अधिग्रहण में देरी इसका मुख्य कारण था।
महाराष्ट्र	**कृष्णा कोयना लिफ्ट सिंचाई योजना** के.के.एल.आई.एस. परियोजना की चौथी संशोधित परियोजना रिपोर्ट (आर.पी.आर.) में, भूमि अधिग्रहण के क्षेत्र में वृद्धि के कारण तीसरे आर.पी.आर. पर ₹ 134.02 करोड़ की वृद्धि को दर्शाया गया था। आवश्यक 6,305.87 हेक्टेयर में से 4,193.63 हेक्टेयर भूमि अभी भी अधिग्रहित करनी थी। यहां तक कि मार्च 2017 तक हेड कार्यों के लिए जमीन पूरी तरह से अधिग्रहित नहीं की गई थी। भूमि अधिग्रहण के मामलों को दायर नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप जमीन अधिग्रहण में देरी हुई और दरों में वृद्धि हुई।
	वाघुर वाघुर मेजर सिंचाई परियोजना में 38,570 हेक्टेयर का आई.पी. सृजन शामिल था। इसके अलावा, एल.बी.सी. में दो शाखा नहर और इसके वितरक यथा असोदा और भडली शामिल हैं। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि ठेकेदारों को असोदा शाखा नहर

राज्य	भूमि अधिग्रहण में कमी
	और असोदा वितरकों के निर्माण के लिए कार्य आदेश आवश्यक पूर्ण सतत लंबी भूमि के अधिग्रहण के बिना प्रदान किए गए थे। नतीजन, असोदा शाखा नहर में 2.854 कि.मी. की कुल लंबाई 5.886 कि.मी. और 11.00 कि.मी. के बीच लंबाई की निरंतरता के बिना निष्पादित की गई जिसके लिए ठेकेदार को ₹ 2.78 करोड़ का भुगतान किया गया था और जमा कार्य के लिए पी.डब्ल्यू.डी. को ₹ 1.05 करोड़ का भुगतान किया गया था। इसी प्रकार, असोदा के वितरकों में 9.16 कि.मी. की कुल लंबाई को 0.00 से 11.20 कि.मी. के बीच निरंतर लंबाई के बिना निष्पादित किया गया था जिसके लिए ठेकेदार को ₹ 4.83 करोड़ का भुगतान किया गया था। भूमि का हिस्सा बाद में परित्याग दिया गया था। यह भी देखा गया कि भूमि अधिग्रहण के लिए ₹ 1.63 करोड़ और विविध मदों के लिए ₹ 85.66 लाख का व्यय इस परिव्यक्त हिस्से में किया गया था। इसके बाद, महाराष्ट्र सरकार ने ₹ 75 करोड़ की लागत से प्रस्तावित आई.पी. की सिंचाई के लिए असोदा शाखा नहर और असोदा वितरकों परित्यक्त लंबे हिस्से में दाबानुकूलित पाइप वितरण नेटवर्क (पी.डी.एन.) कार्य को मंजूरी दे दी (जून 2017)। जुलाई 2017 तक अभी भी कार्य की शुरूआत की जानी थी।
ओडिशा	**आनंदपुर बैराज, कानुपुर, लोअर इंद्रा, लोअर सुकटेल, रेट सिंचाई, रूकुड़ा सिंचाई, तेलेनगिरी** भूमि अधिग्रहण में कमी आवश्यक भूमि के चार से 79 प्रतिशत तक थी। आकलित भूमि अधिग्रहण की लंबित संस्वीकृति के कारण देरी हुई थी। आनंदपुर बैराज परिजोजना में भूमि के गैर-अधिग्रहण का मुख्य कारण भूमि धारकों का प्रतिरोध था।
तेलंगाना	**जे. चोक्का राव एल.आई.एस. परियोजना** 2,483 हेक्टेयर भूमि की कमी किसानों द्वारा मांगे जाने वाले उच्च मुआवजे के कारण थी। परियोजना को ए.आई.बी.पी. के तहत इसके समावेशन से आठ साल के समय अतिक्रमण और ₹ 7,429.44 करोड़ के लागत अतिक्रमण का सामना करना पड़ा। इसके अलावा आई.पी. सृजन केवल 40 प्रतिशत और आई.पी. उपयोग सृजित आई.पी. का 18 प्रतिशत था। **इंदिराम्मा बाढ़ प्रवाह नहर परियोजना** 1,735 हेक्टेयर भूमि की कमी भूमि मालिकों द्वारा भूमि के लिए उच्चतर मुआवजे की मांग करने की बाधा के कारण हुई थी। परियोजना को ए.आई.बी.पी. के तहत इसके समावेशन से पांच साल के समय अतिक्रमण और, ₹ 4,609 करोड़ के लागत अतिक्रमण का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सृजित आई.पी. शून्य था। जमीन के गैर-अधिग्रहण के कारण किसानों द्वारा भूमि मुआवजे में बढोतरी की मांग तथा

राज्य	भूमि अधिग्रहण में कमी
	बाधाओं, अर्थात (i) सर्वेक्षण कार्य और भूमि अधिग्रहण के बाद की प्रक्रिया; और (ii) एजेंसियों को साईट पर मशीनरी लाने की अनुमति न देना, थे।
पश्चिम बंगाल	**सुवर्णरेखा बैराज परियोजना** 4,034 हेक्टेयर (73 प्रतिशत) भूमि के अधिग्रहण का मुख्य कारण धन की अनुपलब्धता थी क्योंकि राज्य सरकार तीस्ता बैराज परियोजना और सुवर्ण रेखा बैराज परियोजना दोनों को जारी रखने की स्थिति में नहीं थी। नतीजन, परियोजना के संबंध में कोई भौतिक प्रगति नहीं हुई थी। 862.30 हेक्टेयर के भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव, भूमि अधिग्रहण विभाग के पास पड़े हुए थे।

भूमि के गैर-अधिग्रहण के मुख्य कारण प्रशासनिक देरी, अधिक मुआवजे की मांग, निधि की कमी, सार्वजनिक आपत्ति, संरेखण में परिवर्तन, स्वामित्व में परिवर्तन, अधिग्रहण के क्षेत्र में अंतर और कानूनी विवाद थे। इस प्रकार, भूमि अधिग्रहण में कमी और देरी ने न केवल परियोजनाओं के ससमय कार्यान्वयन को प्रभावित किया है बल्कि आई.पी. सृजन और उपयोग के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सीमित कारकों में से एक थी।

मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2018) कि भूमि अधिग्रहण एक अनवरत प्रक्रिया है जो परियोजना की निष्पादन अवधि के साथ चलती है। हालांकि, ऊपर उल्लिखित निष्कर्षों से स्पष्ट है कि अधिकांश देरी वाली परियोजनाओं में समय अतिक्रमण होने का मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण में देरी था। इसके अलावा, भूमि की कमी ने परियोजनाओं के आई.पी. के समय पर सृजन और उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

4.7 पुनर्वास एवं पुर्नस्थापना

पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर. एवं आर.) उपायों को संघ के भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 तथा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम और संबंधित राज्य अधिनियमों द्वारा शासित किया जाता है। भूमि अधिग्रहण, परियोजनाओं के सार्वजनिक विरोध को रोकने और बाँधों और जलाशयों जैसे परियोजनाओं के प्रमुख घटकों को क्रियान्वित करने के लिए आर. एवं आर. उपायों का समय पर कार्यान्वयन आवश्यक है।

अभिलेखों के नमूना जाँच से आठ राज्यों के 20 परियोजनाओं में आर. एवं आर. उपायों की धीमी प्रगति का पता चला। सभी परियोजना प्रभावित लोगों (पी.ए.पी.) की अपूर्ण कवरेज, भूमि का गैर-वितरण, बुनियादि ढाँचें की कमी तथा प्रशासनिक देरी जैसी कमियाँ थीं। आर. एवं आर. की गुणवत्ता में पुनर्स्थापित गांवों में बुनियादी सुविधाओं की गैर-उपलब्धता और खराब रखरखाव जैसी कमियाँ थीं। निधियों को जारी करने में विलम्ब के कारण विरोध प्रदर्शन हुए और उच्च मुआवजे के भुगतान की माँग की गई। इन कमियों के कारण परियोजनाओं में विलम्ब और आई.पी. के सृजन और उपयोग में कमी आई। विवरण ***अनुबंध 4.10*** में दिए गए हैं।

तालिका 4.16 में कुछ उल्लिखित मामलों पर चर्चा की गई है:

तालिका 4.16: अपूर्ण आर. एंड आर. उपाय

राज्य	अपूर्ण आर. एंड आर. उपाय
आंध्र प्रदेश	**गुंडलाकाम्मा जलाशय परियोजना** आर. एंड आर. केंद्रों के अपूर्ण होने के कारण सात आंशिक जलमग्न गांवों के सभी परिवारों का पुनर्वास शुरू नहीं किया गया था। 'पूर्ण जलमग्न गांवों' के मामले में, सभी परिवारों के लिए पुनर्वास जून 2017 तक नहीं किया गया था। इसके अलावा, 48.27 एकड़ का भूमि अधिग्रहण रूका हुआ था। भूमि अधिग्रहण और आर. एंड आर. के पूरा नहीं होने के परिणामस्वरूप परिकल्पित नहरी कृष्य क्षेत्र (सी.सी.ए.)/आयक्कुट के सृजन में कमी आई थी और नहर का काम पूरा नहीं हुआ था जिससे आई.पी. सृजन में कमी आई थी।
महाराष्ट्र	**वांग परियोजना** परियोजना के तहत आर. एंड आर. योजना में नौ प्रभावित गांवों के निवासियों के पुनर्वास की परिकल्पना की गई थी। महाराष्ट्र पी.ए.पी. पुनर्वास अधिनियम, 1999 के अनुसार, प्रत्येक गांव में 18 सुविधाएं प्रदान की जानी थीं। हालांकि, आर. एंड आर. उपायों को लागू करने में सभी परियोजना प्रभावित परिवारों को पुनर्स्थापित नहीं किया जाना, भूमि का अधूरा वितरण और नागरिक सुविधाओं के त्रुटिपूर्ण होने जैसी कमियां थीं। त्रुटिपूर्ण आर. एंड आर. उपायों जिसने बांध के काम और गॉर्ज भरने को प्रभावित किया। नतीजन, परियोजना को समय अतिक्रमण झेलना पड़ा और आई.पी. सृजन केवल 14 प्रतिशत था।

राज्य	अपूर्ण आर. एंड आर. उपाय
	अरूणा परियोजना अधिकारियों ने आर. एंड आर. उपायों के समय पर निपटाने के लिए एस.एल.ए.ओ. को ₹ 54.57 करोड़ जारी नहीं किया। नतीजन, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के लागू होने के बाद किसानों ने उच्च मुआवजे की मांग की और अपने गांवों से स्थानांतरित होने से इंकार कर दिया। इससे बांध के गॉर्ज को भरने से संबंधित काम प्रभावित हुआ और परियोजना के तहत तीन साल के समय अतिक्रमण के बाद भी कोई आई.पी. सृजन हासिल नहीं किया गया था।
ओडिशा	**लोअर इंद्रा सिंचाई परियोजना** परिवारों के विस्थापन के लिए प्रारंभिक आकलन मार्च 2017 तक 1,460 से 9,441 तक बढ़ गया। परियोजना अधिकारियों ने पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर. एंड आर.) नीति 1994, के अनुसार जलमग्न क्षेत्र से 2,937 विस्थापित व्यक्तियों (डी.पी.) की बेदखली सुनिश्चित किए बिना ₹ 58.74 करोड़ मुआवजा प्रदान किया। नतीजन विस्थापित व्यक्तियों को बेदखल किए बिना आर. एंड आर. के अप्रभावी कार्यान्वयन और भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण परियोजना को 13 वर्ष का समय अतिक्रमण एवं ₹ 1,541 करोड़ का लागत अतिक्रमण का सामना करना पड़ा। राज्य सरकार ने कहा (मार्च 2018) कि बेदखली और आर. एंड आर. मुद्दे बहुत कठिन कार्य थे और सरकार को बहुत सावधानीपूर्वक और कुशलता से आगे बढ़ना पड़ा।
तेलंगाना	**इंदिरम्मा बाढ़ प्रवाह नहर परियोजना** राज्य सरकार ने सितंबर 2008 में नई भूमि अधिग्रहण (एल.ए.) अधिनियम के तहत आर. एंड आर. उपायों की देरी और बढ़ती लागत के कारण शुरू किए गए थोटापली बैलेंसिंग जलाशय (टी.बी.आर.) के काम को हटा (जनवरी 2016) दिया। मॉथ जलाशय का काम ग्रामीणों की बाधाओं और समझौते की अवधि के भीतर आर. एंड आर. मुद्दों के निपटान न होने के कारण शुरू नहीं हो सका। इसके अलावा, हालांकि परियोजना की समग्र भौतिक प्रगति 91.8 प्रतिशत थी, शाखा नहरों और वितरकों के संबंध में प्रगति केवल 14.9 प्रतिशत थी। जिसके परिणामस्वरूप अब तक आएकट नहीं बनाया जा सका। राज्य सरकार ने (जनवरी 2018) मे जबाब दिया कि नई भूमि अधिग्रहण (एल.ए.) अधिनियम लागू होने के बाद आर. एंड आर. की बढ़ी हुई लागत के कारण परियोजना गैर-आर्थिक हो जाएगी इस लिये थोटापली जलाशय को हटा दिया गया था।

आर. एंड आर. उपायों को पूरा करने में देरी और कमियों ने कार्य की प्रगति को प्रभावित किया जिससे इन परियोजनाओं में समय और लागत का अतिक्रमण हुआ।

4.8 विभिन्न प्राधिकरणों से मंजूरियां

परियोजनाओं के बाधा मुक्त और समय पर निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए यह कोडल प्रावधानों और ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों, दोनों के संदर्भ में आवश्यक था कि अन्य मंत्रालयों / विभागों से सभी आवश्यक सांविधिक मंजूरियां या तो परियोजना के अनुमोदन चरण पर और शीघ्रता से प्राप्त की जाएंगी। इन मंजूरियों में वन, वन्यजीवन और पर्यावरण मंजूरी और रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणों की मंजूरी भी शामिल थी। ये मंजूरियां यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि कार्यों का निष्पादन अबाधित और समय पर हो।

चयनित परियोजनाओं की लेखापरीक्षा से पता चला कि नौ राज्यों[64] में 22 एम.एम.आई. परियोजनाओं के लिए आवश्यक मंजूरीयां मिलने में देरी हुई थी। नौ परियोजनाओं[65] में वन मंजूरी और नौ अन्य परियोजनाओं[66] में पर्यावरण और वन मंजूरी दोनों प्राप्त नहीं किए गए थे या देरी हुई थी। एक परियोजना में रेलवे क्रॉसिंग के लिए मंजूरी देरी से प्राप्त की गई थी। सात अन्य परियोजनाओं में कई मंजूरियां जैसे पर्यावरण, वन, वन्यजीव, रेलवे और रोड क्रॉसिंग परियोजनाओं के अनुमोदन से पहले प्राप्त नहीं की गई थीं। सभी 22 प्रोजेक्ट्स का विवरण ***अनुबंध 4.11*** में दिया गया है। तालिका 4.17 में कुछ व्याख्यात्मक मामलों पर चर्चा की गई है।

तालिका 4.17: मंजूरी संबंधी मामले

राज्य	मंजूरियां
गुजरात	**सरदार सरोवर परियोजना** तीन ऐसे मामले थे जहां विशिष्ट मंजूरियां प्राप्त नहीं की गई थी जिसके कारण कार्य की प्रगति और लक्ष्यों की प्राप्ति प्रभावित हुई थी। उनका विवरण निम्न है: • अगस्त 2015 तक पूरा करने के लिए फरवरी 2014 में लिंबडी शाखा नहर के वितरक और लघु नहरों का निर्माण करने का काम दिया गया था। इस काम में

64 बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल

65 बिहार में दुर्गावती, गुजरात में सरदार सरोवर, अजी-IV और भदड़-II, झारखंड में सोनुआ, महाराष्ट्र में वर्ना एवं कृष्णा कोयना एल.आई.एस., पश्चिम बंगाल में सुवर्णरेखा बैराज और तात्को

66 ओडिशा में सुरंगी, सोनुआ, गुमानी, आनंदपुर बैराज, तेलेनगिरी, लोअर सुकटेल, कानुपुर, लोअर इंद्रा और तेलंगाना में आई.एफ.एफ.सी.

राज्य	मंजूरियां
	एक रेलवे क्रॉसिंग का निर्माण करने की आवश्यकता थी जिसके लिए रेलवे के साथ मार्च 2015 में समझौता संपन्न हुआ और कार्य (अगस्त 2017) प्रगति पर था। इस देरी के परिणामस्वरूप काम को पूरा नहीं किया गया और 2,000 हेक्टेयर के सी.सी.ए. का सृजन रुका रहा। • कच्छ मरु वन्य जीव अभयारण्य (के.डब्लू.एल.एस.) क्षेत्र को पार करने वाली कच्छ शाखा नहर (के.बी.सी.) के एक हिस्से पर काम वन्यजीव मंजूरी प्राप्त करने में देरी के कारण अपूर्ण रहा। इस देरी से लागत और समय दोनों का अतिक्रमण हुआ। इसके अलावा नहर में लापता जोड़ के कारण तीन पंपिंग स्टेशन जो नहर में पानी को उठाने के लिए ₹ 515.80 करोड़ की अनुमानित लागत पर पूरा किए गए थे, निष्क्रिय पड़े रहे। • 2,751.95 हेक्टेयर के प्रस्तावित सी.सी.ए. सहित सूरज वितरक और इसके माइनर्स पर कार्य मई 2014 में पूरा किया गया। हालांकि केवल 2,504.08 हेक्टेयर का सी.सी.ए. सृजित किया गया था और 279.80 हेक्टेयर (11 प्रतिशत) ही उपयोग में लाया गया क्योंकि रेलवे अधिकारियों से मंजूरी प्राप्ति मे देरी के कारण सूरज वितरक के रेलवे क्रॉसिंग पर संरचना पूर्ण नहीं थी।
झारखंड	**गुमानी परियोजना** नवंबर 2015 में रेलवे को ₹ 24.67 लाख के अनुमानित शुल्क के भुगतान के बावजूद, पूर्वी रेलवे डिवीजन, मालदा टाउन के तहत बरारवा स्टेशन में प्रस्तावित गुमानी नहर क्रॉसिंग की अंतिम रूपरेखा और आकलन अप्रैल 2017 तक प्राप्त नहीं किए गए थे।
ओडिशा	**कानुपुर परियोजना** राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक पुल के पूरा होने पर कई काम निर्भर थे। हालांकि, एन.एच.ए.आई. ने मई 2017 तक काम नहीं लिया, जबकि यह मामला उनके पास 2011 से ही था और पुल के लिए अनुमानित राशि ₹ 36.95 करोड़ की संस्वीकृति थी। इस परियोजना मै ₹ 2,010.00 करोड़ का लागत अतिक्रमण और नौ साल का समय अतिक्रमण हुआ। इसके अलावा परियोजना के लिए आई.पी.सी और आई.पी.यू दोनों शून्य हैं।
महाराष्ट्र	**ताराली परियोजना** पुणे मिराज रेलवे ट्रैक (नहर सी 27/240 कि.मी.) के के.एम. 181/3-4 पर कोपार्ड पहुंच नहर के लिए रेलवे और कोपार्ड पहुंच नहर के लिए क्रोसिंग के लिए

राज्य	मंजूरियां
	एन.एच.ए.आई. से मंजूरी की आवश्यकता थी। अपेक्षित मंजूरियां प्राप्त नहीं की गई थी। इस परियोजना को ए.आई.बी.पी. में इसके समावेशन से पांच साल का समय अतिक्रमण और ₹ 366 करोड़ का लागत अतिक्रमण हुआ। इसके अलावा प्राप्त आई.पी.सी केवल 48.35 प्रतिशत और आई.पी.यू आई.पी.सी का 33 प्रतिशत था।
कर्नाटक	**घटाप्रभा चरण-III परियोजना** विभिन्न पहुंच के लिए वन भूमि का घटाप्रभा राईट बैंक केनाल कि.मी. 150 से 180 के लिए संरेखण का सर्वेक्षण किया गया था और 2001-02 में अनुमोदित किया गया था। हालांकि नहर पर काम वन विभाग की मंजूरी के बिना शुरू किया गया था। इसके अलावा, ठेकेदारों को दिए गए तीन कार्यों को वन विभाग से अनुमोदन की अनुपस्थिति के कारण ₹ 1.03 करोड़ के व्यय के बाद रद्द करना पड़ा।
तेलंगाना	**इंदिराम्मा बाढ़ प्रवाह नहर परियोजना (आई.एफ.एफ.सी.)** मूल प्रस्ताव से विचलन के परिणामस्वरूप परियोजना के दायरे में बदलाव आया और इससे नयी मंजूरी की जरूरत पडी जो कि मार्च 2017 तक प्राप्त नहीं हुई। इस परियोजना को ए.आई.बी.पी. के तहत शामिल होने के बाद से पांच साल का समय अतिक्रमण और ₹ 4,609 करोड़ का लागत अतिक्रमण हुआ। इसके अलावा परियोजना में आई.पी. सृजन शून्य था। **श्री कोमाराभीम परियोजना** परियोजना के तहत, मुख्य नहर और वितरक संख्या 25 एक रेलवे लाइन पार कर रहा था। अप्रैल 2015 में पुलों के निर्माण के लिए रेलवे अधिकारियों के पास ₹ 12.80 करोड़ की राशि जमा की गई और काम शुरू किया गया था। ए.आई.बी.पी. के तहत परियोजना को शामिल करने के बाद से आठ साल का समय अतिक्रमण और ₹ 680 करोड़ की लागत बढ़ गई। इसके अलावा आई.पी. सृजन केवल 61.46 प्रतिशत था।

22 परियोजनाओं में अपेक्षित मंजूरी मिलने में देरी से, चार परियोजनाओ[67] को दो से 11 साल के बीच देरी से पूरी हुई। शेष 18 चल रही परियोजनाओं को ₹ 16.26 करोड़ से ₹ 48,366.88 करोड़ का लागत अतिक्रमण और दो से 18 वर्ष तक का समय अतिक्रमण हुआ। मंत्रालय ने (फरवरी 2018) स्वीकार किया कि रेलवे और एन.एच.ए.आई. जैसे विभागो से मंजूरी मे देरी के कारण परियोजनाओं में देरी हुई थी।

[67] गुजरात का अजी-IV एवं भदड़-II, मध्य प्रदेश में महुअर और महाराष्ट्र में वर्ना

4.9 कार्य प्रबंधन

कार्यों के निष्पादन और प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं, सामान्य वित्तीय नियमों, लागू राज्य वित्तीय नियमों, लोक निर्माण विभाग कार्य मैनुअलों और परिपत्रों और समय-समय पर सतर्कता प्राधिकरणों द्वारा जारी निर्देशों में निहित हैं। समग्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कार्य निर्धारित प्रक्रियाओं के मामले में किए जाऐं और परियोजना के उद्देश्यों और अनुमोदित समय रेखाओं और लागतों के अनुसार कुशलतापूर्वक निष्पादित किए जाऐं। चयनित ए.आई.बी.पी. परियोजनाओं के अभिलेखों की एक परीक्षण जांच में कार्य व्यवस्था में अनेक कमिंयों और अनियमितताओं का पता चला जिनका विवरण आगामी पैरों में किया गया है।

4.9.1 कार्यों का विभाजन

अनुमोदन और मंजूरी के उद्देश्य के लिए, कार्यों का एक समूह एक कार्य के रूप में माना जाता है यदि वे एक परियोजना का हिस्सा बनते हैं। उच्च प्राधिकरण की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता से इस बात से बचा नहीं जाना चाहिए कि इस परियोजना में प्रत्येक विशेष कार्य की लागत निचली प्राधिकरण (नियम 130, जी.एफ.आर.) की इस तरह की मंजूरी की शक्तियों के भीतर थी। राज्य सरकारों ने अनुमोदन और तकनीकी मंजूरी देने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन भी निर्धारित किया है और ठेकेदारों के विभिन्न वर्गों को दिए जा सकने वाले कार्यों की सीमा निर्धारित की है। परियोजना अभिलेखों की जांच से पता चला कि चार राज्यों में आठ एम.एम.आई. परियोजनाओं और दो राज्यों में छह एम.आई. योजनाओं के मामले में, जी.एफ.आर. और राज्य सरकारों के मौजूदा आदेशों का उल्लंघन करते हुऐ ₹ 47.41 करोड़ के 23 कार्यों को 271 कार्यों में विभाजित करने के बाद दिया गया था। इससे शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमों को छोड़ दिया गया, कार्यों पर हल्की तकनीकी जांच की गई और पारदर्शिता और जवाबदेही को कमजोर किया गया। विवरण तालिका 4.18 में दिए गए हैं।

तालिका 4.18: कार्यों का विभाजन

राज्य	कार्यों का विभाजन
	एम.एम.आई. परियोजनाएं
महाराष्ट्र	**तिल्लारी एवं धोम बालकवड़ी परियोजना** महाराष्ट्र पब्लिक वर्क्स मैनुअल के नियम 136 के अनुसार, कार्यों के एक समूह की कुल लागत की यदि एक अधिकारी की मंजूरी शक्ति से ज्यादा हो जाती है तो उसे इस अधिकारी की मंजूरी शक्ति के भीतर लाने के लिए विभाजित नहीं किया जाना

राज्य	कार्यों का विभाजन
	चाहिए। 1996 के सरकारी संकल्प ने ई.ई. को मंजूरी देने की शक्ति को ₹ 25 लाख तक सीमित कर दिया। ई.ई. की शक्तियों के भीतर कार्यों को रखने के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं में कार्यों को ₹ 25 लाख के घटकों में विभाजित किया गया था। ○ तिल्लारी परियोजना में ₹ 3.99 करोड़ लागत के तीन कार्यों को 10 कार्यों में विभाजित किया गया। ○ धोम बालकवाड़ी परियोजना में, सक्षम/उच्च अधिकारियों की मंजूरी से बचने के लिए ₹ 4.73 करोड़ के चार कार्यों को 24 कार्यों में विभाजित किया गया था।
उत्तर प्रदेश	**बनसागर, मध्य गंगा, हरदोई शाखा नहर परियोजना तथा पूर्वी गंगा परियोजना** 1995 के राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार ई.ई., एस.ई. और सी.ई. की वित्तीय शक्तियां क्रमश: ₹ 40 लाख, ₹ एक करोड़ और असीमित थीं। चार परियोजनाओं में, ₹ 28.54 करोड़ लागत कार्यो को ई.ई. की शक्तियों के भीतर कामों को रखने के लिए ₹ 40 लाख के 121 घटकों में विभाजित किया गया था। विवरण निम्नानुसार है: ○ बनसागर नहर परियोजना में, ₹ 6.63 करोड़ के धारण करने हेतु दीवार और जल निकासी के निर्माण को 22 घटकों में विभाजित किया गया था। ○ मध्य गंगा नहर परियोजना में ₹ 4.10 करोड़ के नहर निर्माण का काम 15 घटकों में विभाजित किया गया था। ○ हरदोई शाखा नहर परियोजना में ₹ 17.63 करोड़ की सिंचाई तीव्रता में सुधार का काम 74 घटकों में विभाजित किया गया था। ○ पूर्वी गंगा परियोजना में ₹ 17.50 लाख के भूमिकार्य को 10 घटकों में विभाजित किया गया था।
तेलंगाना	**एस.आर.एस.पी.-II परियोजना** आंध्र प्रदेश सरकार के (जुलाई 2003) आदेशानुसार एक तृतीए वर्ग का ठेकेदार केवल ₹ एक करोड़ तक काम निष्पादित कर सकता है। पैकेज 55 के तहत काम का एक हिस्सा पैकेज के मुख्य अनुबंध से हटा दिया गया था और नौ कार्यों में विभाजित किया गया था। नौ कार्यों में से पांच कार्यों पर कुल ₹ 5.81 करोड़ खर्च हुआ और प्रत्येक कार्य ₹ एक करोड़ से अधिक मूल्य का था जिसे नामांकन के आधार पर एक ठेकेदार को जून 2012 सौंपा गया था।
पश्चिम बंगाल	**सुवर्णरेखा बैराज परियोजना** राज्य सरकार के (नवंबर 2000) निर्देशों के अनुसार, मूल कार्यों को मंजूरी देने के लिए ई.ई. की शक्तियां प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख तक सीमित थीं। ₹ 66 लाख

राज्य	कार्यों का विभाजन
	की कुल लागत के साथ बैराज साइट के पास भूमि विकास कार्य 2002-03 के दौरान नौ अलग-अलग कार्यों में विभाजित किया गया ताकि कार्य विभागीय अधिकारी की वित्तीय शक्ति (₹ 10 लाख) तक रहे।
एम.आई. योजनाएं	
मिजोरम	**मटे, जिलंगई, बूहचंडिल, चांगते योजनाएं** ₹ 3.43 करोड़ लागत वाली चार योजनाओं में विभाग ने 11 उप-कार्यों को 49 घटकों में विभाजित किया ताकि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी न ली जाऐ। इनमें से 37 कार्यों को ठेकेदारों को दिया गया और शेष 12 कार्य विभाग ने किये।
ओडिशा	**डाबलाजोर एवं तुमारापाल्ली एम.आई. योजनाएं** ओ.पी.डब्ल्यू.डी. कोड के खंड-द्वितीय के परिशिष्ट VII के अनुसार, ₹ 50,000 से अधिक की लागत वाले सभी कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिए। अनपेक्षित परिस्थितियों के मामले में, जैसे राहत कार्य, बाढ़ से होने वाली क्षति के कारण मरम्मत, सड़क पर तटबंधों में कटाव को बंद करना, काम का विभाजन आसान और त्वरित निष्पादन के लिए सार्वजनिक हित में किया जा सकता है। ₹ 40.59 लाख लागत वाले कार्य को 2009-13 के दौरान 56 एफ-2 समझौतों[68] में विभाजित किया गया एवं प्रत्येक समझौते को ₹ 50,000 रुपये के मूल्य तक सीमित कर दिया जिससे उच्च प्राधिकरण की मंजूरी को नहीं लिया और निविदाओं का व्यापक प्रकाशन भी नहीं किया गया जिससे ओ.पी.डब्ल्यू.डी. कोड का उल्लंघन हुआ।

[68] एफ2 अनुबंध – ओ.पी.डब्ल्यू.डी. कोड के अनुसार मानक संविदा फॉर्म

4.9.2 परियोजना कार्यान्वयन की गलत चरणबद्धता

ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों (1998-1999) ने परियोजनाओं के चरणबद्ध समापन के लिए उनको सहायता की परिकल्पना की थी ताकि अपेक्षाकृत छोटे निवेश के साथ जल्दी लाभ मिलने लगे। निर्माण कार्यक्रम में इस प्रकार तालमेल होना चाहिए जिससे बाँध, मुख्य नहर तथा वितरकों को चरणबद्ध ढ़ंग से पूर्ण हो सके ताकि लाभों को चरणवार तरिके से प्राप्त किया जा सके। ए.आई.बी.पी. के 2013 के दिशानिर्देशों ने कार्य के कमांड क्षेत्र विकास (सी.ए.डी.) के साथ-साथ कार्यान्वयन पर जोर दिया ताकि सृजित आई.पी. के उपयोग को बढ़ाया जा सके। भूतपूर्व योजना आयोग ने नहर नेटवर्क के निर्माण में "लंबवत एकीकरण दृष्टिकोण[69]" पर भी जोर दिया था। परियोजना के विभिन्न घटकों के अनुचित चरणबद्धता से आई.पी. के सृजन तथा उपयोग दोनों में विलंब होता है तथा काफी व्यय से निर्मित परियोजना संपत्ति निष्क्रिय रहती है तथा परिणामस्वरूप किसानों को लाभ स्थगित करने के अलावा परियोजना के कुल उपयोगी जीवन को भी प्रभावित करती है।

नमूना परियोजनाओं की जांच परीक्षा, सात राज्यों से संबंधित 10 एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा चार एम.आई. योजनाओं में कार्य की गलत चरणबद्धता को प्रकट करती है जिसकी चर्चा नीचे तालिका 4.19 में की गई है:

तालिका 4.19: परियोजना कार्यान्वयन की गलत चरणबद्धता

राज्य	कार्यान्वयन की गलत चरणबद्धता
बिहार	**दुर्गावती जलाशय परियोजना** बाँध खंड, प्रमुख/शाखा नहरों का काम पूरा हो गया था लेकिन, शाखा नहरों एवं जलस्रोतों का काम अपूर्ण था। दुर्गावती सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. कार्यक्रम भी अपूर्ण था। **पुनपुन बैराज** बैराज लगभग पूर्ण था, लेकिन प्रमुख नहर एवं शाखा नहर/वितरिकाओं का काम अपूर्ण था। आगे विभाग ने सी.डी.ओ. पटना द्वारा डिजाइन की मंजूरी के बिना चेक बाँध संरचनाओं के निर्माण का काम शुरू किया। पुनपुन सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. कार्यक्रम अभी शुरू करना था।

[69] राज्य को नहर नेटवर्क को पूरा करने के लिए भागवार एक कार्यान्वयन सूची इस तरीके से तैयार करनी चाहिए कि शीर्ष से किया गया नहर नेटवर्क का भाग प्रत्येक संदर्भ में पूरा किया जाए ताकि उस भाग के डिजाइन किए गए क्षमता के लिए सिंचाई जल उस विशिष्ट भाग में आउटलेट तक उपलब्ध किया जा सके।

राज्य	कार्यान्वयन की गलत चरणबद्धता
गुजरात	**सरदार सरोवर परियोजना** • लिबंडी शाखा नहर (एल.बी.सी.) के तहत शाखा नहरों तथा वितरिकाओं को निर्माण की प्राथमिकता प्रदान की गई थी और शाखा नहरों के पूरा होने के पश्चात माइनरों का काम शुरू किया गया था। सब-माइनरों को भी विकसित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, वितरिकाओं एवं माइनर नहरों में लापता जोड़ थे और 84.21 हजार हेक्टेयर विकसित सी.सी.ए. का उपयोग नहीं किया जा सका था।
	• के.बी.सी. की कुल लंबाई 357.185 कि.मी. है जिसमें केवल 157.214 कि.मी. लंबाई में पानी बहता है जिसका कारण इस श्रृंखला के बाद के.बी.सी. का चरणों में पूरा होना है। के.बी.सी. के 271.224 और 357.185 कि.मी. श्रृंखला के बीच का क्षेत्राधिकार के.बी.सी. डिवीजन 2/7, गांधीधाम का है। निविदा खंड यह निर्धारित करता है कि पाँच वर्षों के लिए संचालन और मरम्मत (ओ. एंड एम.) का अनुबंध नहर प्रणाली की लेने के तारीख से शुरू होगा। दो वर्षों की दोष देयता अवधि पहले दो वर्षों के लिए ओ. एंड एम. के साथ मिलकर चलेगी। पाँच वर्षों के लिए ओ. एंड एम. के साथ 354.542 कि.मी. से 357.185 कि.मी. (2.643 कि.मी.) तक के.बी.सी. के निर्माण का काम (पैकेज-आई.आर.-22) मेसर्स मोंटेकार्लो लिमिटेड, अहमदाबाद को निविदा लागत ₹ 39.41 करोड़ (अनुमानित लागत ₹ 44.45 करोड़) पर दिया गया था। पूरा होने की निर्धारित तिथि अक्तूबर 2014 थी और काम को ₹ 36.09 करोड़ के अंतिम लागत के साथ मार्च 2015 में पूरा किया गया। हालांकि के.बी.सी. का यह अंतिम भाग पूरा है और काम करने के लिए तैयार है, लेकिन 157.214 से 354.542 कि.मी. तक की श्रृंखला का शुरूआती भाग अभी अपूर्ण है, इसलिए 354.542 कि.मी. से 357.185 कि.मी. तक का अंतिम हिस्सा अप्रैल 2015 से निष्क्रिय है क्योंकि पानी केवल 157.214 कि.मी. तक बह सकता है। डिवीजन निविदा समझौते के अनुसार अप्रैल 2015 से ओ. एंड एम. लागत का भुगतान कर रहा है। एजेंसी को ओ. एंड एम. लागत का कुल भुगतान ₹ 16 लाख है। बहते हुए पानी के बिना शाखा नहर के संचालन के अनुपस्थिति में, ओ. एंड एम. पर हुए खर्च ने किसी उद्देश्य को पूरा नहीं किया। ऊपर वर्णित खंड के अनुसार दो वर्षों की दोष देयता अवधि भी उद्देश्य पूरा किए बिना समाप्त हो गई है।

राज्य	कार्यान्वयन की गलत चरणबद्धता
	इसके अलावा, पानी के बहे बिना, अंतिम भाग पर खर्च हुआ ₹ 36.09 करोड़ का व्यय निष्क्रिय रहा, इसके अतिरिक्त ₹ 16 लाख के ओ. एंड एम. लागत और दोष देयता अवधि को निरर्थक कर दिया। ई.ई., के.बी.सी. डिवीजन 2/7, गांधीधाम ने कहा (जुलाई 2017) कि भूमि का अधिग्रहण आसानी और शीघ्रता से किया गया था इसलिए काम के लिए निविदा प्रदान की गई थी। एजेंसी ने नहर का रख-रखाव किया हालांकि पानी बह नहीं रहा था और इसके लिए एजेंसी ने सुरक्षा कर्मियों को लगाया तथा मरम्मत और मिट्टी के क्षरण के सुधार का काम किया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संपत्ति निर्माण के बाद इसका शीघ्र उपयोग सुनिश्चित करने के लिए खंडवार निर्माण अनुसूची होनी चाहिए ताकि खर्च हुआ व्यय निष्क्रिय ना रहे। इसके अतिरिक्त, संचालन की शुरूआत के बिना ओ. एंड एम. खर्च नहीं होना चाहिए। कंपनी ने कहा (जनवरी 2018) कि शाखा नहर, वितरिका और एल.बी.सी. कार्यों की माइनर नहरों का निर्माण चरणबद्ध तरीकों से पंपिंग स्टेशनों के निर्माण के साथ लिया गया था, मार्च 2017 के अंत तक लिंबडी शाखा नहर के कमांड क्षेत्र में 84,216 हेक्टेयर के सी.सी.ए. को माइनर स्तर तक विकसित किया गया था तथा लगभग 39,994 हेक्टेयर सी.सी.ए. सिंचित था। लापता जोड़ की अपूर्णता के कारण शेष विकसित 24,222 हेक्टेयर सी.सी.ए. का उपयोग नहीं किया गया।
झारखंड	**सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना** झारखंड की जनजातिय सलाहकार परिषद के लंबित निर्णय के कारण ईचा बाँध का काम शुरू नहीं हुआ था। हालांकि, मार्च 2017 तक वितरण प्रणाली के निर्माण पर ₹ 475.29 करोड़ का व्यय किया गया था।
कर्नाटक	**श्री रामेश्वर एल.आई.एस. परियोजना** जहां इंटेक नहर, जैक वेल, रेसिंग मेन का कार्य पूरा कर लिया गया था और नहरों में पानी मार्च 2013 से प्राप्त कर लिया गया था वहीं क्षेत्रे सिंचाई चैनल (एफ.आई.सी.एस.) का निर्माण केवल 2014-15 में शुरू किया। परिणामस्वरूप, 13,800 हेक्टेयर की परिकल्पित कमांड क्षेत्र में से मार्च 2017 तक केवल 10,182 हेक्टेयर पूरा किया जा सका।

राज्य	कार्यान्वयन की गलत चरणबद्धता
	घाटप्रभा परियोजना हालांकि मुख्य नहर का काम 2005-06 और 2007-08 के बीच पूरा कर लिया गया था, एफ.आई.सी.एस. कार्यों के लिये निविदा केवल अगस्त 2011 से मार्च 2012 के बीच शुरू की गई। दोनों मामलों में एफ.आई.सी.एस. के निर्माण की देरी से नहरों और वितरिका नेटवर्क पूरा होने के बावजूद किसानों को लाभ प्राप्त नहीं हुआ।
मध्य प्रदेश	**महुअर परियोजना** क्रेस्ट स्तर तक बाँध के कार्य निष्पादन के बाद बांधों के दरवाजों को स्थापित किया गया। हालांकि इस परियोजना में 24 महीने में पहले समापन के लिए मूल्य वृद्धि के प्रावधान के साथ रेडियल दरवाजों का कार्य 2008-09 में दिया गया जो कि 2011-12 में दिए गए सिविल कार्यों से पहले था। दरवाजों और सिविल कार्य के लिए दिए गए कार्य में विसंगति के परिणामस्वरूप विभाग को द्वार कार्य पर ₹ 1.14 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य भुगतान करना पड़ा।
महाराष्ट्र	**वर्ना** नहर के निचले हिस्सों से संबंधित कार्य को ऊपरी हिस्सों के कार्यों और कृत्रिम जल सेतु के निर्माण शुरू करने से पहले पूरा किया गया। परिणामस्वरूप नहर का निचला हिस्सा अप्रयुक्त रहा तथा आई.पी.सी. परिकल्पित स्तरों से काफी नीचे रह गया। **चंद्रभाग एम.आई. योजना** जहां बैराज कार्य को पूरा कर लिया गया था वहीं नहर कार्य प्रारंभ भी नहीं हुआ था। **कांग, सुर और तंदुलवाड़ी एम.आई. योजनाएं** इन योजनाओं में बांधों को पूरा कर लिया गया है लेकिन सहायक कार्यों को अभी भी पूरा किया जाना था। इसलिए व्यय के गलत चरणबद्धता के परिणामस्वरूप मार्च 2017 तक ₹ 351.70 करोड़ के निवेश के बावजूद योजनाएं निष्क्रिय रहीं।
ओडिशा	**आनंदपुर बैराज परियोजना** 2005-06 में परियोजना को ए.आई.बी.पी. में शामिल किया गया था। हालांकि बैराज का निर्माण 34 प्रतिशत पूरा हो चुका था तथा कार्य पर ₹ 941.62 करोड़ व्यय खर्च हुआ था। प्रमुख चैनल के अंतिम भाग को शूरू करना बाकी था। परिणामस्वरूप, परियोजना के आई.पी.सी. और आई.पी.यू. दोनों शून्य थें।

राज्य	कार्यान्वयन की गलत चरणबद्धता
	कानुपुर सिंचाई परियोजना स्पिल चैनल के काम के मामले में, 6.35 लाख घन मीटर मात्रा की खुदी मिट्टी का निपटारा किया गया था। काम के उचित चरण के साथ, दो कि.मी. की दूरी पर उसी परियोजना के दूसरे काम 'मिट्टी बाँध का निर्माण' में इसका उपयोग किया जा सकता था तथा जिससे ₹ छह करोड़ से अधिक की बचत होती।

4.9.3 उप-मानक कार्यों का निष्पादन

अक्तूबर 2013 के ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों ने परिकल्पना की थी कि कार्यों के निष्पादन में गुणवत्ता नियंत्रण को राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी, यानि सभी अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण जांच और अनिवार्य निरीक्षण फील्ड प्रयोगशालाओं के पर्यवेक्षी अधिकारियों के द्वारा की गया है। गुणवत्ता नियंत्रण की आवधिक रिपोर्ट सी.डब्ल्यू.सी. को भी सूचित की जाएगा। हालांकि नमूना परियोजनाओं के साइट सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने सात राज्यों से संबंधित 11 एम.एम.आई. परियोजना/एम.आई. योजनाएँ में उप-मानक कार्यों के निष्पादन को पाया। उप-मानक और दोषपूर्ण कार्यों के निष्पादन ने आई.पी. सृजन तथा उपयोग के संदर्भ में परियोजनाओं के कार्यक्षमता को प्रभावित किया तथा मरम्मत पर व्यय भी किया गया। ऊपर उल्लिखित मामलों की चर्चा नीचे तालिका 4.20 में की गई है:

तालिका 4.20: उप-मानक कार्य

राज्य	उप-मानक कार्य
आंध्र प्रदेश	**वेलीगल्लु परियोजना** परियोजना अगस्त 2007 में पूरी की गई और विभाग ने मई 2010 में पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया। हालांकि, साइट निरीक्षण के दौरान (नवम्बर 2010) कई दोषों को पाया गया तथा ठेकेदार को सुधार के लिये नोटिस जारी किये गए। चूंकि इन दोषों को सुधारा नहीं गया था, खेतों में पानी की आपूर्ति नहीं की गई थी। विभाग ने संशोधन का आकलन ₹ 16 करोड़ किया है। काम को अभी भी शुरू किया जाना था।
बिहार	**दुर्गावती परियोजना** परियोजना के लिये नहरों से संबंधित कार्य अपूर्ण और तकनीकी रूप से उप-मानक दोनों थे। कई स्थानों पर नहर का निर्माण नकारात्मक ढ़लान में किया गया था, जिसके कारण पानी नहर के अंत तक नहीं पहुंच सका। स्थानों पर एक वितरक की दोषपूर्ण संरचना से पानी का अति प्रवाह तथा नहर में एक दरार उत्पन्न हुईं। इसके अलावा कई जगहों पर नहर अस्तर में कार्य की आवश्यकता थी।

राज्य	उप-मानक कार्य
छत्तीसगढ़	**धोतीमारा एम.आई. योजना** धोतीमारा टैंक का निर्माण कार्य फरवरी 2009 में ₹ 3.31 करोड़ के लिए जनवरी 2010 की निर्धारित समापन तारीख के साथ दिया गया था। अगस्त 2017 तक भी, काम अधूरा था और दिसंबर 2012 तक ₹ 2.45 करोड़ का व्यय हो चुका था। लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित दोषों को पाया गया थाः स्पील मार्ग दीवार का ठोस कार्य पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। मिट्टी बाँध में वर्षा कटाव तथा पत्थर पिचिंग का काम फैल गया था।
मध्य प्रदेश	**सिंध परियोजना फेज-II** सिंध परियोजना फेज-II में, एल.बी.सी. फीडर नहर और आर.बी.सी. के ठोस किनारे क्षतिग्रस्त हो गए थे और मरम्मत पर ₹ 1.53 करोड़ खर्च किये गए थे।
महाराष्ट्र	**वर्ना परियोजना** पानी के रिसाव को रोकने के लिए नहर तटबंध को अभेद्य सामग्री का भरावट क्षेत्र प्रदान किया जाना था। यह काम 2007 से 2009 के दौरान ₹ 54.97 करोड़ की लागत से शुरू किया गया था। साइट दौरे के दौरान नहर में रिसाव पाए गए थे जो तटबंध में भरावट क्षेत्र के उप-मानक निर्माण को इंगित करता है। **कर परियोजना** ₹ 111.67 करोड़ की लागत से पूर्ण हुए परियोजना के 33.30 कि.मी. लंबे लेफ्ट बैंक नहर में भारी रिसाव के कारण, पानी 23 कि.मी. के बाद बह नहीं सकता था। परियोजना के तहत लोहारसावंगी वितरकों में भी भारी रिसाव दर्ज किया गया था। **मदन टैंक परियोजना** मुख्य नहर और माइनरों में 19 स्थानों पर रिसाव था, 29 माइनरों के दरवाजे क्रियाशील नहीं थे, 14 संरचनाएं क्षतिग्रस्त थी तथा नहरों में भारी गाद थी। **लाल नल्ला परियोजना** राष्ट्रसंत भूमि एल.आई.एस. के लिए उपयोग की गई पाइपों का निर्माण स्पाईरल वेल्डिंग के बजाए धातु शीट के छोटे टुकड़ों से किया गया था जो निविदा शर्तों के विरूद्ध था तथा उप-मानक कार्य को इंगित करता था।

राज्य	उप-मानक कार्य
	 लाल नल्ला प्रोजेक्ट में साधारण रूप से वेल्ड की गई पाइप **वांग तथा ताराली परियोजनाएं** स्टील सुदृढ़ीकरण सलाखों को अनावरण के कारण जंग लग गया था हालांकि निविदा विनिर्देशों के अनुसार सलाखों के जंग/क्षरण से सुरक्षा प्रदान करनी थी। जंग लगे हुए सुदृढ़ीकरण
कर्नाटक	**घाटप्रभा चरण III परियोजना** राईट बैंक नहर में, लोकायुक्त दल द्वारा दो कि.मी. के भाग को गाद से भरा हुआ तथा वनस्पति विकास के कारण जलग्रस्त पाया गया। दोषों के कारण, कार्य पर खर्च हुआ ₹ 1.09 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

4.9.4 कार्य प्रदान करने में अनियमितताएं तथा कमियां

सार्वजनिक कार्यों से संबंधित सामान्य वित्तीय नियम तथा कोडल प्रावधान, पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रियाओं को परिकल्पित करते है ताकि योग्य, कुशल तथा लागत प्रभावी बोलीदाताओं को अनुबंधित करना सुनिश्चित किया जा सके। कोडल प्रावधान चाहते हैं की निविदाओं को जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाऐ। कुशल कार्य प्रबंधन सुनिश्चित करने के अलावा यह महत्वपूर्ण है कि कार्य शुरू किया जाए तथा निविदाओं को बिना देरी किए अंतिम रूप दिया जाए। नमूना एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा एम.आई. योजनाओं की जांच परीक्षा से प्रकट हुआ कि आठ राज्यों के 14 एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा तीन राज्यों के 27 एम.आई. योजनाओं में, काम को देने में कमियां थी, जैसे वैध औचित्य के बिना गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर काम का दिया जाना, एन.आई.टी. में नोटिस की अवधि तथा मूल्यांकन में कमियां और मानदंडों व निविदा को अंतिम रूप दिए जाने में देरी विवरण ***अनुबंध 4.12*** में दिया गया है। इन विवरणों से पता चलता है कि 10 एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा 15 एम.आई. योजनाओं से संबंधित ₹ 1,260.58 करोड़ के कामों को गैर-प्रतिस्पर्धी आधार पर दिया गया। इसके आगे, ₹ 109.92 करोड़ के चार एम.एम.आई. परियोजनाओं से संबंधित कार्यों में, बोलियों को जमा करने अथवा समझौतें प्रवेश के लिए दिए जाने वाले समय के संदर्भ में अपनाई गई निविदा प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित/कमजोर करती है। इसके अलावा, ₹ 5,035.26 करोड़ के कुल अनुमानित लागत की दो परियोजनाओं में काम को दिए जाने में विलंब था।

4.9.5 कार्य व्यय में कमियां

विभिन्न कार्यों से संबंधित व्यय और भुगतान वित्तीय नियमों, कोडल प्रावधानों, निविदाओं/अनुबंधों के नियम तथा शर्तों, प्रशासनिक अनुमोदन तथा मंजूरी के अनुसार किया जाना चाहिए। इसके अलावा, व्यय परिकल्पित लाभ देना चाहिए, कार्यक्रम को लागू करने के लिए अनिवार्य होना चाहिए, कार्यक्रमों के लक्ष्यों को पूरा करे तथा प्रभावी रूप से उपयोग की जाने वाली संपत्ति का निर्माण करे। नमूना योजनाओं तथा परियोजनाओं पर कार्य व्यय की जाँच परीक्षा से कुल ₹ 1,337.81 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ के अनियमित व्यय; (₹ 274.01 करोड़) अनावश्यक, अनुत्पादक व निष्क्रिय व्यय (₹ 233.25 करोड़) तथा अतिरिक्त व परिहार्य व्यय (₹ 830.55 करोड़) के कई मामलों का पता चला। विवरण क्रमशः ***अनुबंध 4.13, 4.14 एवं 4.15*** में दिए गए हैं। ये वो उदाहरण हैं जो जाँच परीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया तथा अन्य समान तरह के मामलों के जोखिम को अलग नहीं करता है।

4.9.6 ठेकेदार को अनुचित लाभ

लोक निर्माण मैनुअल, सरकारी निर्देशों, मौजूदा आदेशों और अनुबंध समझौतों के पालन द्वारा अनुबंध पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को नियंत्रित करने और सार्वजनिक कार्य प्रबंधन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ढांचा प्रदान किया जाता है। निर्धारित नियम और शर्तें ठेकेदारों को अग्रिम और भुगतान की रिहाई को नियंत्रित करती है। दंड प्रावधानों के रूप में पर्याप्त सुरक्षा उपाय कार्यों में मितव्ययिता और दक्षता प्रदान करने में सहायता करते हैं। 16 राज्यों के 29 एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा तीन राज्यों के 22 एम.आई. योजनाओं में, लेखापरीक्षा में समझौते के नियम व शर्तों का उल्लंघन करते हुए ठेकेदारों को ₹ 303.36 करोड़ का अनुचित लाभ देने के मामले को पाया गया है। ठेकेदारों को अनुचित लाभ का मुख्य कारण, अनुबंध के तहत जोखिम तथा लागत खंड लागू किए बिना अनुबंध समाप्त करना (₹ 137.12 करोड़), परिनिर्धारित नुकसान की गैर-वसूली (₹ 90.07 करोड़), अग्रिम की गैर-वसूली (₹ 42.86 करोड़) तथा ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान (₹ 33.31 करोड़) था। विवरण ***अनुबंध 4.16*** में दिया गया है। कुछ व्याख्यात्मक मामलों की चर्चा तालिका 4.21 में की गई है:

तालिका 4.21: ठेकेदारों को अनुचित लाभ

राज्य	मामले
जोखिम तथा लागत खंड को लागू किए बिना अनुबंध का समापन	
छत्तीसगढ़	**महानदी जलाशय** महानदी मुख्य नहर के 102.10 कि.मी. से 113.33 कि.मी. के चयनित हिस्सों पर पेवर मशीन द्वारा शेष सीमेंट कंक्रीट अस्तर के निर्माण का कार्य ₹ 14.01 करोड़ के कुल लागत में दो अनुबंधों के तहत ठेकेदार को (सितम्बर 2007) दिया गया था। अनुबंध के नियम और शर्तों के अनुसार, काम पूरा होने तक ठेकेदार के जोखिम तथा लागत पर रहेगा। ठेकेदार ने अनुबंध में निर्धारित काम पूरा नहीं किया। जुर्माना लगाते हुए तथा जमा धन जब्त करने के साथ अनुबंध समाप्त करने के लिए कार्यकारी अभियंता के प्रस्ताव (फरवरी 2009) के आधार पर, मुख्य अभियंता ने जोखिम और लागत खंड का लागू करते हुए अनुबंध समाप्त करने की सिफारिश की। हालाँकि कार्यकारी अभियंता ने जोखिम तथा लागत खंड को लागू किए बिना ₹ 1.10 करोड़ का भुगतान कर दिया। ₹ 10.96 करोड़ के बचे हुए काम को पूरा करने के लिए कोई तत्काल प्रयास नहीं किया गया था। शेष कार्य के लिए फरवरी 2015 में विभाग नें ₹ 28.66 करोड़ का नया अनुबंध किया, जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 17.70 करोड़ की अतिरिक्त लागत पड़ी।

राज्य	मामले
झारखंड	**सुवर्णरेखा परियोजना** अनुबंध के नियम और शर्तों के अनुसार, ठेकेदार द्वारा अनुबंध के मौलिक उल्लंघन के कारण अनुबंध समाप्त होने के मामले में, अभियंता प्राप्त किए गए अग्रिम भुगतान, अन्य वसूली देय, कर और अधूरे कार्य के मूल्य का 20 प्रतिशत जो काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त लागत को दर्शाता है को घटाने के बाद किए गए काम के लिए प्रमाण-पत्र जारी करेगा। अनुमानित राशि, यदि ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान देय होगा तो विभाग बकाया देगा। भूमि कार्य के निर्माण तथा 0.00 से 4.56 कि.मी. और 6.03 से 6.39 कि.मी. तक ईचा के दायीं मुख्य नहर के अस्तर के काम के लिए ₹ 26.75 करोड़ की कुल लागत पर एक समझौते का निष्पादन (अप्रैल 2014) किया गया। बाद में ₹ 2.50 करोड़ के काम के निष्पादन के बाद ठेकेदार द्वारा अनुबंध का उल्लंघन करने के कारण समझौते को समाप्त (अगस्त 2015) कर दिया गया। हालाँकि, अभियंता ने अनूबंध शर्तों के अनुसार कार्य के निष्पादन का आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया था। परिणामस्वरूप ठेकेदार से ₹ 1.88 करोड़[70] की बकाया राशि की वसूली नहीं की जा सकी।
मध्य प्रदेश	**बारखेड़ा छज्जू टैंक, चंदवाही टैंक, परसाटोला टैंक तथा मीरहसन टैंक एम.आई. योजनाएं** ठेकेदार द्वारा काम में देरी या गैर निष्पादन के कारण मूल समझौते को रद्द कर दिया गया था तथा शेष कार्य का निष्पादन अन्य समझौतों से उच्चतर दरों पर किया गया था जो अनुबंध की शर्तों के अनुसार मूल ठेकेदार से डेबिट योग्य तथा वसूली योग्य थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अनुबंध में नियम तथा शर्तों को परिवर्तित कर दिया गया था परिणामस्वरूप ठेकेदार से ₹ 2.79 करोड़ के डेबिट योग्य लागत का अल्प वसूली हुई।
परिनिर्धारित क्षति की गैर-वसूली	
गुजरात	**सरदार सरोवर परियोजना** लिंबडी तथा वल्लभीपुर शाखा नहर पर सड़क सेवा प्रदान करने तथा निर्माण के लिए ₹ 95.68 करोड़ की कुल लागत पर जुलाई 2017 तक निर्धारित समापन के साथ दिया (जनवरी 2017) गया। अनुबंध के नियम और शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि

[70] किए गए कार्यों का कुल मूल्य: ₹ 2.50 करोड़ (ए); कम अग्रिम भुगतान शून्य (बी); कम अनुबंध के अनुसार अन्य वसूलियां: ₹ 3.85 लाख (सी); कम अन्य करें/स्रोत से कटौती की जाने वाली वसूलियां: ₹ तीन लाख (डी); कम 20 प्रतिशत नहीं किए गए कार्य के कटौती का मूल्य: ₹ 4.85 करोड़ (ई); कुल (ए से ई): (-) ₹ 2.41 करोड़; कम समायोजन (प्रदर्शन सुरक्षा का निरसन): ₹ 53.50 लाख; निवल मांग (-) ₹ 1.88 करोड़

राज्य	मामले
	के अंदर कार्य की अपूर्णता की स्थिति में, अनुबंध मूल्य की अधिकतम 10 प्रतिशत के अधीन, विलंब की अवधि के लिए प्रतिदिन अनुबंध मूल्य के 0.10 प्रतिशत परिनिर्धारित क्षति (एल.डी.) की वसूली की जाएगी। हालाँकि सितंबर 2017 तक, ठेकेदार केवल ₹ 37.47 करोड़ (39 प्रतिशत) मूल्य के कार्यों को पूरा कर सका था। परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पी.एम.सी.) ने विभाग को सूचित (जुलाई 2017) किया कि ठेकेदार व्यापक आउटसोर्सिंग में लगा हुआ था, वहाँ प्रमुख कर्मचारियों की कमी थी, पर्यवेक्षी कर्मचारियों की अनुपलब्धता आदि थी जिसने परियोजना में देरी की थी। चूँकि देरी के कारणों के लिए पूरी तरह से ठेकेदार जिम्मेदार था, ठेकेदार से एल.डी. की वसूली करना आवश्यक था। हालाँकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदारों से एलडी की वसूली नहीं की गई थी। इससे ठेकेदारों को कार्य के अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत होने से ₹ 11.89 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ। कंपनी ने कहा (जनवरी 2018) कि मानसून का पूर्व आगमन, स्थानीय हस्तक्षेप तथा साइट निरीक्षण के परिणामस्वरूप अतिरिक्त/अधिक कार्यों के कारण काम को पूरा नहीं किया जा सका था, जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी.एम.सी. ने विशेष रूप से कंपनी को यह बताया था कि कार्य के निष्पादन में देरी के लिए ठेकेदार जिम्मेदार था।
झारखंड	**सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय, गुमानी, सोनुआ, सुरंगी एवं पंचखेरो परियोजना** परियोजना के निष्पादन के लिए अनुबंधो के नियम और शर्तों के अनुसार, विलंब के लिए प्रतिदिन प्रारम्भिक अनुबंध मूल्य के 1/2000 की दर से, प्रारम्भिक अनुबंध के अधिकतम 10 प्रतिशत तक एल.डी. के भुगतान तथा इसके साथ प्रतिदिन कार्य के अनुमानित लागत के आधे प्रतिशत के बराबर राशि कार्य के अनुमानित लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत तक के भुगतान के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। ठेकेदार को कार्य के आरम्भ तिथि के पहले किसी हानि अथवा क्षति या व्यक्तिगत चोट या मृत्यु के लिए चार घटनाओं तक सीमित, प्रति घटना के लिए न्यूनतम ₹ पांच लाख का बीमा सुरक्षा प्रदान करना था। ठेकेदार द्वारा आवश्यक बीमा सुरक्षा न प्रदान करने के स्थिति में, ठेकेदार को देय किसी भी भुगतान से प्रीमीयम की वसूली करनी थी। हमने पाया कि परियोजना के तहत 66 कार्य[71] 23 से 1,467 दिनों तक विलंबित थे, जिसके कारण ठेकेदार ₹ 78.55 करोड़[72] की एल.डी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। हालाँकि, इसके विरूद्ध में केवल ₹ 20.17 करोड़ की कटौती की गई, परिणामस्वरूप ₹ 58.38 करोड़ एल.डी. कम कटौती की गई। हमने यह भी पाया कि

[71] सुवर्णरेखा बहुद्देशीय: 46; गुमानी: नौ; सोनुआ: नौ; सुरंगी: एक; पंचखेरो: एक

[72] सुवर्णरेखा बहुद्देशीय: ₹ 73.96 करोड़ गुमानी: ₹ 3.75 करोड़; सोनुआ: ₹ 72 लाख; सुरंगी: ₹ 10 लाख; पंचखेरो: ₹ दो लाख

राज्य	मामले
	43 समझौतों में, न तो ठेकेदार ने ₹ 8.60 करोड़ की बीमा सुरक्षा को जमा किया और न ही नियोक्ता ने अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार बीमा सुरक्षा के लिए प्रीमीयम की वसूली की।
कर्नाटक	**ऊपरी तुंगा परियोजना** अनुबंध के शर्तों के अनुसार, कार्य के अनुमानित लागत के अधिकतम 7.5 प्रतिशत के अधीन कार्य पूरा करने में विलंब के लिए कार्य के अनुमानित लागत पर प्रति सप्ताह आधा प्रतिशत का जुर्माना लगाया जाना था। 16 कार्यों में, हालाँकि ठेकेदार द्वारा कार्यों को पूरा करने में विलंब हुआ था, कंपनी ने अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन में ₹ 6.47 करोड़ के विरूद्ध में केवल ₹ 0.59 लाख का नाममात्र जुर्माना लगाया था।
असम	**बक्सा एम.आई. योजना** योजना के तहत हैतीगुडी एफ.आई.एस. परियोजना के लिए कार्य को एक ठेकेदार को ₹ 1.27 करोड़ में, 12 महीनों में काम पूरा करने के लिए दिया गया (जून 2010)। अनुबंध के शर्तों के अनुसार, निविदा में दर्ज किए गए कार्यों को पूरा करने के लिए दिए गए समय का सख्ती से अनुसरण करना था जिसमें असफल होने पर ठेकेदार को विलंब के प्रतिदिन एक प्रतिशत की दर से कार्य के अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत तक मुआवजे का भुगतान करना था। कार्य जनवरी 2014 (32 महीने विलंबित) में पूरा हुआ था लेकिन ठेकेदार को ₹ 12.75 लाख (निविदा मूल्य का 10 प्रतिशत) के एल.डी. की वसूली किए बिना पूर्ण भुगतान कर दिया गया।
मध्य प्रदेश	**कचनारी मोड़ योजना तथा सावली टैंक एम.आई. योजनाएँ** मानक निविदा दस्तावेजों के अनुसार, ठेकेदार काम में निष्पादन में विलंब के लिए कुल अनुबंध मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत के अधीन प्रति सप्ताह 0.5 प्रतिशत की दर से जुर्माना का भुगतान करेगा। ठेकेदार ने निर्धारित काम पूरा करने की अवधि में कार्य को निष्पादित या पूरा नहीं किया, लेकिन विभाग ने उसके लिए जुर्माना नहीं वसूला और समय का विस्तार प्रदान किया। विलंब के लिए जुर्माना नहीं वसूलने के कारण ठेकेदार को ₹ 50.92 लाख का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।
अग्रिमों की गैर-वसूली	
गुजरात	**सरदार सरोवर परियोजना** दो विभागों द्वारा विभिन्न एजेंसियों को उपयोगिताओं के स्थानांतरण तथा अन्य विशेष प्रकार के कार्य जैसे रेलवे क्रॉसिंग के लिए विविध लोक निर्माण (एम.पी.डब्ल.यू.) अग्रिम दिए गए थे। 2011 और 2014 को बीच एम.पी.डब्ल्यू. अग्रिम में भुगतान किए गए ₹ 11.16 करोड़ की राशि इन एजेंसियों पर बकाया (मार्च 2017) थी।

राज्य	मामले
	एस.एस.एन.एन.एल. ने कहा (जनवरी 2018) कि कार्य खाते की प्राप्ति पर एम.पी.डब्ल्यू. अग्रिम का समायोजन किया जाएगा।
तेलंगाना	**इंदिरम्मा बाढ़ प्रवाह नहर (आई.एफ.एफ.सी.) परियोजना** ठेकेदार को संचालन अग्रिम के ₹ 16.97 करोड़ (अनुबंध मूल्य का पांच प्रतिशत) का भुगतान (मार्च 2006) किया गया था। कुछ हिस्सों को दूसरे एजेंसियों कों सौपने के कारण काम के दायरे को (₹ 255.95 करोड़) से कम (नवम्बर 2010) कर दिया गया था। ₹ 16.97 करोड़ के संचालन अग्रिम में से ₹ 12.55 करोड़ की राशि की वसूली (अप्रैल 2010) की गई थी। हालाँकि सात वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी शेष ₹ 4.42 करोड़ की वसूली नहीं की गई थी। तेलंगाना सरकार ने कहा (जनवरी 2018) कि एजेंसी ने उसके बाद कोई बिल जमा नहीं किया है इसलिये अग्रिम की वसूली नहीं हुई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एजेंसी की जमा राशि से शेष संचालन अग्रिम की वसूली न करने का सरकार ने कोई कारण नहीं दिया था, जो कि विभाग के अधिकार में था।
अधिक भुगतान	
महाराष्ट्र	**निचली वर्धा परियोजना** ठेकेदार ने मुख्य नहर, गिरोली और देवली शाखा नहर के सी.सी. अस्तर के निर्माण कार्य के निष्पादन के दौरान ₹ 468.55 प्रति घन मीटर (₹ 362.50 प्रति घन मीटर की दर से 30 कि.मी. के लिए सामग्री के परिवहन लागत सहित) की दर से 17 लाख घन मीटर संचयी गैर-सूजन (सी.एन.एस.) सामग्री का उपभोग किया। परियोजना अधिकारी उस खादान जिससे सामग्री निकाली गई थी का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में असफल थे। वर्धा जिले के जिला खनन कार्यालय ने पुष्टि की कि ठेकेदार को सामग्री निष्कर्षण के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी। इस प्रकार, खादान के वास्तविक स्थान को सुनिश्चित किए बिना 30 कि.मी. की दूरी के लिए ठेकेदार को ₹ 67.40 करोड़ के अनुमान की तैयारी के आधार को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2018) कि मुख्य और शाखा नहर के पास कोई सरकारी खादान उपलब्ध नहीं था, इसलिए मुख्य नहर व दोनों शाखा नहरों की लंबाई तथा औसत लीड यानि 30 कि.मी. पर विचार करते हुए मुख्य नहर से 15 कि.मी. दूर सारंगपुरी खादान को अनुमान में माना गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार द्वारा उत्पादित सामग्री के स्रोत तथा सामग्री के निष्कर्षण के लिए किसी अनुमति के बारे में जिला खनन कार्यालय, वर्धा द्वारा पूर्ति का कोई सबूत नहीं था।

राज्य	मामले
ओडिशा	**कानुपुर सिंचाई परियोजना** स्पीलवे के निर्माण का काम ₹ 135.67 करोड़ के लिए दिया गया था। दरों के राज्य विश्लेषण 2006 के अनुसार, सिमेंट की सभी वस्तुओं जैसे कि महीन मिश्रण तथा मोटा मिश्रण की लागत अनुमान तैयार करने में केवल मजदूरी, सामग्री तथा मशीनरी की लागत की अनुमति थी। विभागीय अनुमान से, हालांकि यह पता चला कि दर के राज्य विश्लेषण का उल्लंघन करते हुए अनुमान में री-हैंडलिंग शुल्क के साथ एक कि.मी. परिवहन शुल्क भी जोड़ा गया था। परिणामस्वरूप, 3.76 लाख घनमीटर सिमेंट कार्य के निष्पादन में री-हैंडलिंग शुल्क के लिए ठेकेदार को ₹ 6.41 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया था।
उत्तर प्रदेश	**बनसागर नहर परियोजना** कार्य की धीमी प्रगति के कारण, परियोजना अधिकारियों ने पिछले समझौते के शेष कार्य के निष्पादन के लिए चल रहे 88 अनुबंध बांड को बंद करने और एक एकल उच्च मूल्य अनुबंध बांड निष्पादित करने का निर्णय (मार्च 2012) लिया। पिछले जारी अनुबंध बांडों के शेष कार्यों को ₹ 402.52 करोड़ लागत पर जनवरी 2015 तक पूरा करने के लिए एक ठेकेदार (जनवरी 2013) को दिया गया। ठेकेदार को दिए गए मात्रा के 14 परीक्षण किए गए बिलों में से नौ में, ₹ 99.56 करोड़ की अतिरिक्त वस्तुओं की राशि अनुबंध को अंतिम रूप दिए जाने के बाद जोड़ा गया था। इसके अलावा, मूल्य समायोजन के कारण दो जांच परीक्षण किए गए विभागों द्वारा ₹ 21.85 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुबंध में मूल्य समायोजन का कोई प्रावधान नहीं था तथा इसके लिए खंड को बोलियां (सितंबर 2012) जमा करने के बाद जोड़ा (अक्टूबर 2012) गया था। इस प्रकार, ठेकेदार को ₹ 121.41 करोड़ का अनुचित लाभ दिया गया था।
मध्य प्रदेश	**बारखेड़ा छज्जू टैंक एम.आई. योजना** तटबंध के निर्माण के लिए, तटबंध के निर्माण में इस्तेमाल किए गए विभिन्न वस्तुओं (फिल्टर बालू, पत्थर पिचिंग, इत्यादि) की 7,446.52 घनमीटर की मात्रा का भी भुगतान किया गया था, लेकिन कुल देय मात्रा निकालने के लिए कुल तटबंध मात्रा से कटौती नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 59.48 घनमीटर की दर से ₹ 4.43 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया। हालांकि काम में उपयोग के लिए साइट पर 3,790.63 घनमीटर धातु उपलब्ध थी, लेकिन ₹ 95.22 प्रति कि.मी. की दर से न्यूनतम दो कि.मी. के धातु के एक लीड

राज्य	मामले
	को अनुमानित दरों में जोड़ा गया था तथा ठेकेदार को भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 4.29 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ। ठेकेदार ने कंक्रीट में करेरा बालू (करेरा में सिंध नदी से बालू) के स्थान पर पत्थर की धूल का उपयोग किया लेकिन 110 कि.मी. की लीड के साथ भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 36.10 लाख का भी अतिरिक्त भुगतान हुआ।

ठेकेदारों को अनुचित लाभ अनुबंध की शर्तों के अनुपालन में कमी के संकेत थे, जिससे सरकारी निधियों के उपयोग में पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा उत्तरदायित्व को प्रभावित किया गया।

4.10 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सरकार द्वारा प्राथमिकता तथा प्रोत्साहन देने के बावजूद, ए.आई.बी.पी. के तहत परियोजनाओं, प्राथमिकता I श्रेणी, विशेष राज्यों श्रेणी, गैर-विशेष श्रेणी राज्यों में विशेष क्षेत्रों तथा कृषि संकट जिलों के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के तहत शामिल परियोजनाओं का क्रियान्वयन बहुत धीमा था। एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा एम.आई. योजनाओं दोनों के तहत भूमि में कमी, लंबित मंजूरी, प्रशासनिक तथा प्रबंधकीय असफलता, निधि के कमी के कारण परियोजनाओं के समापन में एक से 18 वर्ष की देरी थी। समय के अतिक्रमण से दरों की अनुसूची में बदलाव, मूल्य वृद्धि, मात्रा में बदलाव, साइटों पर अतिरिक्त आवश्यकता, भूमि अधिग्रहण की बढ़ी हुई लागत, निविदा अतिरिक्तता ईत्यादि में बदलाव के कारण अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ से उत्पन्न लागत अतिक्रमण हुआ। परियोजनाओं में समय तथा लागत बढ़ने के परिणामस्वरूप सिंचाई क्षमता (आई.पी.) निर्माण के संदर्भ में एम.एम.आई. परियोजनाओं में केवल 68 प्रतिशत तथा एम.आई. योजनाओं में 39 प्रतिशत तक परिकल्पित लाभों की प्राप्ति हुई। एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा एम.आई. योजनाओं में निर्मित आई.पी. के उपयोग में क्रमशः 65 प्रतिशत तथा 72 प्रतिशत थी। राज्य में एक सिंक्रनाइज दृष्टिकोण की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप परिक्लपित आई.पी., निर्मित आई.पी. और प्रयुक्त आई.पी. के बीच अंतर पाए गए परियोजना कार्यान्वयन कई सीमित कारकों जैसे अपूर्ण भूमि, आवश्यक मंजूरी तथा कार्य प्रबंधन की कमी से प्रभावित था। नमूना परियोजनाओं तथा योजनाओं में लेखापरीक्षा में देखी गई कार्य प्रबंधन में कमियों से उत्पन्न कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 1,641.17 करोड़ था। उपरोक्त निष्कर्ष केवल नमूना एम.एम.आई. परियोजनाओं (अवधि के दौरान उठाए गए कुल एम.एम.आई. परियोजनाओं का 58 प्रतिशत) तथा एम.आई. योजनाओं (अवधि के दौरान उठाई गई कुल एम.आई. योजना

का तीन प्रतिशत) की लेखापरीक्षा से उत्पन्न हुए हैं। सरकार द्वारा नमूना परियोजनों/योजनाओं की परीक्षा से प्रकट होने वाली संभावित देरी और अन्य समस्याओं के लिए नमूना में शामिल न किए गए शेष परियोजनाओं/योजनाओं की समीक्षा की जानी चाहिए।

अध्याय V: परियोजनाओं की निगरानी, संचालन व रखरखाव

5.1 प्रस्तावना

परियोजना की कार्यान्वयन एवं निरंतरता हेतु निगरानी, संचालन तथा रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण है। कुशल निगरानी, कोर्स सुधार में सहायता के अतिरिक्त उचित कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करती है। यह उन परियोजना के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिनमें कार्य-प्रगति को और तीव्र करने तथा निर्धारित समय में कार्य-समाप्ति सुनिश्चित करने को प्रमुखता दी जा रही हो। ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देश परियोजनाओं व योजनाओं के निगरानी व मूल्याकन हेतु विस्तृत रूपरेखा प्रदान करते हैं। संचालन व रखरखाव, कार्यक्रम के प्रचालन-तत्रं व अवसंरचना के निर्माणोपरांत निरंतर लाभ उठाने हेतु महत्वपूर्ण है। यह परियोजना की दक्षता तथा प्रभावशीलता में वृद्धि करता है। लेखापरीक्षा जाँच के दौरान परियोजनाओं की निगरानी, संचालन तथा रखरखाव में कई कमियां पाई गईं जिनको निम्नलिखित अनुच्छेदों में उल्लिखित किया गया हैः

5.2 परियोजनाओं/योजानाओं की निगरानी

5.2.1 केन्द्रीय जल आयोग (सी.डब्ल्यू.सी.) द्वारा निगरानी

ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देश 2006 के अनुसार, सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा निगरानी दौरो को कार्यान्वित करना तथा एक साल में कम से कम दो बार मार्च व सितम्बर को समाप्त वर्ष अवधि की स्थिति-रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित किया जाता है। केन्द्रीय सहायता की किश्तों को सी.डब्ल्यू.सी. के परियोजनाओं के भौतिक तथा वित्तीय सत्यापन के आधार पर ही जारी किया जाना था। बाद में इस रिपोर्ट प्रस्तुति की निर्धारित आवृति को उन एम.एम.आई. परियोजनाओं में, जहां धनराशि गत वर्ष में जारी हो चुकी थी, 2013 दिशानिर्देशों में घटा कर दो से एक कर दिया गया है।

5.2.1.1 सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा निगरानी में कमियाँ

एम.एम.आई. परियोजनाएं

यद्यपि, सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा 2008-09 से 2016-17 की अवधि में की गई निगरानी संबंधित जानकारी माँगी गई थी, सी.डब्ल्यू.सी. ने केवल 2010-11 से 2016-17 की अवधि से संबंधित जानकारी ही प्रदान की (सितम्बर 2017)। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा निगरानी का विवरण नीचे तालिका 5.1 में दिया गया है।

तलिका 5.1: 2010-17 के दौरान सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा की गई निगरानी का विवरण

ब्यौरा	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
निगरानी की जाने वाली कुल चयनित नमूना परियोजनाएं (दौरो की संख्या)	88 (176)	88 (176)	88 (176)	22	21	19	27
बिल्कुल भी निगरानी नहीं की गई परियोजनाएं	22 (25%)	38 (43%)	26 (29%)	4 (18%)	14 (67%)	6 (31%)	2 (7%)
वर्ष में केवल एक बार निगरानी की गई परियोजनाएं	66 (75%)	50 (57%)	41 (46%)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
परियोजनाओं की निगरानी की गई परन्तु रिपोर्ट जारी नहीं गई	9 (10.23%)	10 (11.36%)	24 (27.27%)	6 (27.27%)	5 (23.81%)	4 (21.05%)	शून्य

(स्रोतः मंत्रालय)

[एन.बीः तीन स्थागित परियोजनाओं नामतः कानपुर (ओडिशा) रोंगे घाटी (मेघालय) लखवाड़ व्यासी (उत्तराखण्ड) को छोड़कर]

लेखापरीक्षा ने पायाः-

- तीन एम.एम.आई परियोजनाओं[73] की 2010-11 से 2016-17 तक किसी भी वर्ष में निगरानी नहीं की गई।
- दो से 38 एम.एम.आई. परियोजनाओं की वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक सालाना निगरानी नहीं की गई। 41 से 67 एम.एम.आई. परियोजनाओं की वर्ष 2010-11 से

[73] कोसरटेड़ा परियोजना (छत्तीसगढ़), कंडी नहर का आधुनिकीकरण तथा न्यू प्रताप का आधुनिकीकरण (जम्मू व कश्मीर)

2012-13 के दौरान दो (जैसा कि दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित है) की बजाय केवल एक बार ही निगरानी की गई।

- 2013-14 से 2016-17 के दौरान, 22 एम.एम.आई. परियोजना के मामले में 26 यात्राओं की कमी हुई जहां पिछले वर्षों में सी.ए. जारी किया गया था।
- 58 मामलों में, वर्ष 2010-11 से 2015-16 के दौरान निगरानी रिपोर्ट जारी नहीं किए गए।

लघु सिंचाई योजनाएं

2006 दिशानिर्देश, लघु सिंचाई परियोजनाओं की नमूना-आधार पर, मंत्रालय द्वारा तय लक्ष्यों के अनुसार नियमित निगरानी निर्धारित करते है। 2013 दिशानिर्देश अनुबंधित करते है कि कम से कम पांच प्रतिशत लघु सिंचाई योजनाओं की निगरानी केन्द्रीय जल आयोग के संबधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जानी चाहिए।

लघु सिंचाई योजनाओं की क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निगरानी के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के संदर्भ में लेखापरीक्षा को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई जिससे यह पता लगाया जा सके कि केन्द्रीय जल विभाग लघु सिंचाई योजनाओं की पर्याप्त निगरानी कर रहा है या नही। सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं की निगरानी संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई हैः-

उत्तर पूर्वीय राज्य

- अरूणाचल प्रदेश में, 2008-17 के दौरान राज्य के कुल 625 लघु सिंचाई योजनाओं में से केवल 12 की निगरानी सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा संचालित की गई।
- लेखापरीक्षा को, असम की लघु सिंचाई योजनाओं के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
- मिजोरम में 2008-09 के दौरान पाँच चयनित एम.आई. योजनाओं की निगरानी की गई। इसके बाद की निगरानी से संबंधित कोई सूचना नहीं मिली।

अन्य राज्य

- बिहार व हिमाचल प्रेदेश में, सी.डब्ल्यू.सी. ने, 2008-17 की अवधि के दौरान 17 चयनित लघु सिंचाई योजनाओं में से दो तथा 14 में से छः की निगरानी की।
- जम्मू कश्मीर, झारखण्ड़, मध्यप्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में वर्ष 2008-17 के लिए लेखापरीक्षा द्वारा चयनित किसी भी योजना की केन्द्रीय जल आयोग ने

निगरानी नहीं की थी। उत्तराखण्ड़ में, मई 2012 के बाद सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा नमूना लघु सिंचाई योजनाओं की निगरानी नहीं की गई।

- कर्नाटक में, सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा नमूना लघु सिंचाई योजनाओं की निगरानी से संबंधित कोई भी जानकारी रिकार्ड में उपलब्ध नहीं थी।

सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा निगरानी में कमी ने, समय तथा लागत अतिक्रमण के सबंध में न केवल परियोजनाओं के क्रियान्वयन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया अपितु आई.पी. की उपयोगिता तथा कार्य की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला, जैसा कि इस रिपोर्ट के अध्याय ।V में पहले ही बताया जा चुका है।

5.2.1.2 लंबित अनुवर्ती कार्रवाई

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना परीक्षण किए गए चार राज्यों की पाँच[74] लघु सिंचाई परियोजनाओं में से चार भूमि अधिग्रहण की समस्याओं की वजह से सी.डब्ल्यू.सी. निगरानी रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई अपूर्ण थी। इन मामलों की चर्चा नीचे की गई हैः

- गोवा के तिल्लारी परियोजना की वर्ष 2008-13 से संबंधित निगरानी रिपोर्ट से यह उद्घटित हुआ कि कुछ कार्य भूमि अधिग्रहण समस्याओं के कारण लंबित थे जिनका समाधान जुलाई 2017 तक भी नहीं हुआ था। इसके अलावा, सी.ए.डी. में कृषि अनुभाग के गठन में विलंब के मुद्दे पर विचार न करने की वजह से जल उपभोक्ता संघ का अक्टूबर 2014 से पंजीकरण लंबित रहा।
- त्रिपुरा के खोवाई तथा मनु परियोजनाओं में केन्द्रीय जल आयोग (सितम्बर 2013) शाखा नहरों को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण पर शीघ्र कार्रवाही की संस्तुति दे चुका था। हालांकि, खोवाई परियोजना निमार्ण, भूमि के गैर-अधिग्रहण की वजह से लक्ष्य के नीचे ही रहा (जुलाई 2017 को)। यह पाया गया कि सरकार ने नहर के पूरा हुए बिना ही उसे पूर्ण घोषित कर दिया गया था (मार्च 2015)। मनु परियोजना में कार्य पांच वर्ष से भी ज्यादा समय के लिए विलंबित हुआ तथा भूमि अधिग्रहण की समस्या की वजह से 2,439 हेक्टेयर के आई.पी. निर्माण में कमी हई।
- कारापुजा सिंचाई परियोजना, केरल में, जून 2013 में सी.डब्ल्यू.सी. निगरानी के दौरान चिन्हित किए गए रिसाव के समाधान का कार्य मार्च 2016 तक लंबित था तथा वर्ष 2016-17 निगरानी प्रतिवेदन में बताए गए कुछ परिवारों का राहत और बचाव का कार्य भी लंबित था।

---

[74] तिल्लारी (गोवा), कारापुजा तथा चित्तुरपुजा (केरल) तथा खोवाई व मनु (त्रिपुरा)

निगरानी प्रतिवेदनों में बताए गए मामलों में लंबित उपचारात्मक कार्रवाई, निगरानी तंत्र की अप्रभावशीलता को दर्शाती है।

5.3 प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.)

5.3.1 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हेतु वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संचालन दिशानिर्देशों के पैरा 18 के अनुसार, प्रत्येक परियोजना हेतु आवश्यक जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास किया जाएगा। हालांकि, मंत्रालय द्वारा विकसित पी.एम.के.एस.वाई-एम.आई.एस. वेबसाइट में यह देखा गया कि ए.आई.बी.पी. परियोजनाओं की आई.पी. उपयोगिता तथा जिला-वार आंकडे उपलब्ध नहीं थे।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया तथा उत्तर दिया (फरवरी 2018) कि आई.पी.यू. का विवरण पी.एम.के.एस.वाई.-ए.आई.बी.पी. डैशबोर्ड में जोड़ा जाएगा।

5.3.2 एम.एम.आई. परियोजनाओं के आई.पी. के आकडों में विसंगति

14 वीं लोकसभा की स्थायी समिति (2016-17) ने आई.पी. के संबंधित आँकड़ों में मेल मिलाप तथा सभी आंकड़ों को एक जगह रखने की सिफारिश की थी, जिससे प्रगति की समग्र तस्वीर आई.पी. निर्माण तथा उपयोग के संदर्भ में उपलब्ध हो सके।

हमने राज्य एजेंसियों की ओर से प्राप्त आई.पी. लक्ष्य पर आंकडे, आई.पी.यू. व आई.पी.सी. आँकडे (अप्रैल-सितम्बर 2017) तथा मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आँकडों (फरवरी 2018) के बीच विसंगतियां पाई। आंकडों में पाए गए अंतर को नीचे संक्षिप्त किया गया है:-

- 110 परियोजनाओं में, 5.30 लाख हेक्टेयर[75] तक राज्य व सी.डब्ल्यू.सी. के बीच लक्षित आई.पी. के आँकडों में अंतर था, जो राज्यों के आंकड़ों में आई.पी. के उच्चतर लक्ष्य का सूचक था।
- 110 परियोजनाओं की आई.पी.सी. में राज्यों तथा केन्द्रीय जल आयोग के आंकड़ों में 5.55 लाख हेक्टेयर[76] का अंतर था जो कि राज्यों के उच्चतर लक्ष्य का सूचक था।

[75] 110 परियोजनाओं मे: 61 मामलों में कोई अंतर नहीं, 25 मामलों में सीडब्ल्यूसी डेटा 9.28 लाख हेक्टेयर से अधिक है, तथा 24 मामलों में राज्य डेटा 14.58 लाख हेक्टेयर से अधिक।

[76] 110 परियोजनाओं मे: 34 मामलों में कोई अंतर नहीं, 33 मामलों में 12.83 लाख हेक्टेयर से राज्य डेटा उच्च, तथा 43 मामलों में 7.28 लाख हेक्टेयर से सी.डब्ल्यू.सी. डेटा उच्च है।

- 60 परियोजनाओं में राज्यों तथा केन्द्रीय जल आयोग के आई.पी.यू. आंकड़ों में 8.42 लाख हेक्टेयर[77] तक का अंतर था जो कि राज्यों के आंकड़ों में उच्चतर आई.पी.यू. का सूचक था।

5.4 सुदूर संवेदन का उपयोग

2006 ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा सुदूर संवेदन तकनीक का प्रयोग कार्य की प्रगति विशिष्ट रूप से निर्मित आई.पी. के संबंध में निगरानी के लिए किया जा सकता है। केन्द्रीय जल आयोग ने मौजूदा निगरानी तंत्र को विश्वसनीय तथा निष्पक्ष आंकड़ों की मदद से पूरा करने के लिए उपग्रह पर आधारित निगरानी की परिकल्पना की। इसके द्वारा आई.पी.सी., आई.पी.यू. तथा कार्य के लक्ष्यों और भौतिक प्रगति की तुलना के लिए परियोजनाओं के आकार तथा विस्तार-क्षेत्र के प्रत्योक्षकरण हेतु पूर्ण हो चुके तत्वों को डिजिटाइज करने की अपेक्षा थी।

सी.डब्ल्यू.सी. ने राष्ट्रीय सुदूर सवेदन केन्द्र, हैदराबाद (एन.आर.एस.सी.) को चरणों में कार्य सौंपा। प्रथम चरण में (2007-08 से 2009-10), एन.आर.एस.सी. ने 53 परियोजनाओं में से 50 का अध्ययन पूरा किया जिसके लिए सी.डब्ल्यू.सी. ने इसे आँकडे उपलब्ध कराए, जिसमें आई.पी. की क्षेत्र द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों तथा एन.आर.एस.सी. द्वारा किए गए आधारित अध्ययन में 25 प्रतिशत (6.54 लाख हेक्टेयर[78]) का अंतर उद्घटित हुआ। 35 परियोजनाओं में 10 प्रतिशत से भी अधिक तथा आठ परियोजनाओं में 100 प्रतिशत से भी अधिक का अंतर था। दूसरे चरण में, एन.आर.एस.सी. ने अप्रैल 2013 में 50 एम.एम.आई. परियोजनाओं में से 43 का मूल्यांकन पूरा किया तथा 38 एम.एम.आई. परियोजनाओं के मामले में सेटेलाइट के माध्यम से एन.आर.एस.सी. द्वारा तैयार किए गए आँकडो तथा क्षेत्र आँकडो के बीच 38,202 हेक्टेयर के अंतर की सूचना दी। तीसरे चरण में, सी.डब्ल्यू.सी. के इन हाउस वेब सक्षम ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के माध्यम से 13 चिन्हित परियोजनाओं में से केवल तीन की ही निगरानी की गई थी।

मंत्रालय ने (फरवरी 2018) एन.आर.एस.सी. द्वारा हाइड्रोलिक संयोजकता के टूट जाने के आधार पर किए गए मूल्यांकन तथा आई.पी. निर्माण को अनुपात में घटाने को विवादास्पद

---

77 40 मामलों में कोई अंतर था, चार मामलों में सी.डब्ल्यू.सी. के आंकड़ें 3.80 लाख हेक्टेयर से ज्यादा थे तथा 16 मामलों में राज्यों के आंकड़ें 1.32 लाख हेक्टेयर से ज्यादा थे।

78 50 परियोजनाओं में, क्षेत्र से प्रतिवेदित बनाई गई 32.72 लाख हेक्टेयर आई.पी. में से, एन.आर.एस.सी. के उपग्रह द्वारा जांच में पाया गया कि वास्तव में केवल 26.11 लाख हेक्टेयर वास्तव में बनाया गया था।

बताया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि माइनर्स व सब माइनर्स में प्रयुक्त इमेजरी के डिजिटाइजेश तथा आंकलन में सुदूर संवेदन की अपनी सीमाएं है।

अतः सुदूर संवेदन प्रणाली का प्रयोग उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसार विकसित नहीं किया गया तथा आई.पी. की गणना किसी एकरूप या मानकीकृत प्रणाली पर आधारित नहीं थी जिससे आई.पी. द्वारा सूचित तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा सूचित आंकड़ों में अंतर आ गया। एक जगह पर मेल मिलाप किए हुए तथा पूरे आंकड़ों के अभाव ने ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत आई.पी. के सम्पूर्ण चित्रण में बाधा उत्पन्न की।

5.5 राज्य स्तर पर निगरानी

5.5.1 एम.एम.आई. परियोजनाएं

2013 के दिशार्देशों के अनुसार, पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन हेतु ए.आई.बी.पी. के अंर्तगत एम.एम.आई. परियोजनाओं के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समितियां (एस.एल.एम.सी.) तत्काल ही सक्रिय की जानी थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समापन पर निधिकरण की अवधि के दौरान परियोजना का समवर्ती मूल्यांकन अनिवार्य था।

19 राज्यों में से 13 के मामलों में एस.एल.एम.सी. के गठन के संबंध में जानकारी उपलब्ध थी। यह भी पाया गया कि एस.एल.एम.सी. का गठन केवल चार राज्यों[79] में ही किया गया।

19 राज्यों की 115 एम.एम.आई. परियोजनाओं में से, केवल 17 राज्यों[80] द्वारा चल रही 86 एम.एम.आई. परियोजनाओं के समवर्ती मूल्यांकन सबंधित जानकारी उपलब्ध कराई गई। इन 86 एम.एम.आई. परियोजनाओं में केवल 43 में समवर्ती मूल्यांकन 2013-17 के दौरान नहीं किया गया।

5.5.2 लघु सिंचाई योजनाएं

2006 के दिशानिर्देशों के अनुसार, लघु सिंचाई योजनाओं की निगरानी स्वयं राज्य सरकारों द्वारा निर्माण एजेंसियों से स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से की जानी थी। एम.आई.एस. योजनाओं की निगरानी पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा आगे की गई हैः-

---

79 छत्तीगढ़, गोवा, गुजरात तथा ओडिशा

80 असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल।

उत्तर पूर्वीय राज्य

- केवल नागालैण्ड में ही स्वतन्त्र एजेंसी द्वारा निगरानी की गई।
- अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम तथा त्रिपुरा की चयनित एम.आई. योजनाओं की निगरानी राज्य सरकारों द्वारा स्वतन्त्र एजेंसियों के माध्यम सें नहीं की गई।
- मिजोरम में, स्वतन्त्र एजेंसियों के माध्यम से चयनित एम.आई. योनजाओं के मूल्यांकन व निगरानी के समर्थन में कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

अन्य राज्य

- जम्मू कश्मीर, झारखण्ड़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तराखण्ड़ में, दो एम.आई. योजनाओं के अलावा (झारखण्ड व उत्तराखण्ड में एक-एक), सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा स्वतन्त्र एजेंसियों के माध्यम से चयनित एम.आई. योजनाओं का मूल्यांकन नहीं किया गया।
- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना तथा पश्चिम बंगाल में राज्य स्तर की एजेंसियों द्वारा एम.आई. योजनाओं की निगरानी से सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं थे।

5.5.3 तिमाही प्रतिवेदनों में सेटेलाइट इमेजरी का प्रयोग

2013 ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार, परियोजना घटकों को साफ तौर पर दर्शाती हुई सेटेलाइट इमेजरी का पेपर प्रिंट परियोजना के पूरा होने पर तथा प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर संबंधित राज्यों की ओर से मुख्य अभियंता (पी.एम.ओ.), सी.डब्ल्यू.सी. तथा संबंधित क्षेत्रीय सी.डब्ल्यू.सी. मुख्य अभियंता के कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए। कार्य संबंधी नेटवर्क वितरण की निगरानी हेतु, सभी मुख्य संरचनाओं की सूची, सबंधित वर्ष में कवर किए जाने वाले आउटलेट तथा रेल/रोड़ क्रांसिग/उपयोगिता क्रांसिग लक्ष्यों के रूप में परिभाषित की जानी चाहिए तथा उनकी उपलब्धि के लिए निगरानी की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा ए.आई.बी.पी. के अंर्तगत सभी एम.एम.आई. परियोजनाओं हेतु प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर परियोजना घटकों को स्पष्ट तौर पर दर्शाती हुई सेटेलाइट इमेजरी का पेपर प्रिंट, मुख्य अभियंता (पी.एम.ओ.), सी.डब्ल्यू.सी. को भौतिक व वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया।

मंत्रालय ने स्वीकार किया कि (फरवरी 2018) तकनीकी विशेषज्ञता की उपलब्धता की कमी, अच्छी गुणवत्ता की इमेजरी इत्यादि की खरीद में असमर्थता के कारण राज्य इन इमेजरी को प्रस्तुत करने के योग्य नहीं था।

5.6 परियोजनाओं/योजनाओं का संचालन व रखरखाव

5.6.1 जल उपयोगकर्ताओं का संघ

लोक लेखा समिति (15वीं लोकसभा के दौरान ए.आई.बी.पी. पर 68वी. रिपोर्ट) ने मंत्रालय को ए.आई.बी.पी. परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यू.यू.ए.एस.) के सविधान तथा सहभागिता सिंचाई प्रबंधन पर सभी राज्य सरकारों के लागू कानून को सुनिश्चित करने व पर्यवेक्षण करने की सिफारिश की थी। ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार, एम.आई. योजनाओं के तहत बनाई गई संपत्तियों के निर्माण के बाद रखरखाव के लिए जल उपयोगकर्ता संघों का गठन किया जाना था।

सहभागिता सिंचांई प्रबंधन पर कानूनों के अधिनियमन संबंधी जानकारी 21 राज्यों हेतु उपलब्ध थी, जिसमें से 13 राज्य, सहभागिता सिंचाई प्रबंधन पर कानून लागू कर चुके थे।

जल उपयोगकर्ता संघ (डब्ल्यू.यू.ए.एस.) के गठन संबंधी जानकारी 20 राज्यों द्वारा प्रदान की गई, जिसमे से 12 राज्य डब्ल्यू.यू.ए.एस. का गठन कर चुके थे, परंतु ये सभी परियोजनाओं में लागू नहीं किए गए थे।

सहभागिता सिंचाई प्रबंधन को सुनिश्चित करने का लक्ष्य पर्याप्त नहीं था जिसने जलउपयोग शुल्कों के संग्रह तथा निगरानी, जल वितरण पर नियंत्रण व चोरी तथा जल के विपयन को प्रभावित किया।

नहरों से सिंचाई जल के अवैध उत्थापन के मामले का अध्ययन

नर्मदा नहर परियोजना में, स्प्रिंकलर या ड्रिप के उपयोग के द्वारा अनिवार्य दबाव सिंचाई को अपनाया गया था। यह पाया गया कि नर्मदा मुख्य नहर तथा उसकी डिस्ट्रीब्यूट्रीज व माइनर को निकट के किसानों जिन्होंने मोटर पम्प का उपयोग करते हुए अपने क्षेत्र की सिंचाई करने के लिए नहर से अवैध रूप से जल को उठा लेने के कारण हानि हुई थी। इसलिए, नर्मदा मुख्य नहर से अवैध मोटर पम्प व अन्य अतिक्रमणों को हटाने के लिए एक अभियान (28 अप्रैल 2016 से 30 अप्रैल 2016) चलाया गया था तथा अनेक मोटर पम्प/इंजिन व पाइप को जब्त कर लिया गया था। यह पाया गया था कि डिस्ट्रीब्यूट्रीज व माइनर से जल के आहरण को जांचने हेतु ऐसा कोई अभियान नहीं चलाया गया था, यद्यपि यह भी जल चोरी की समस्या का सामना कर रही थीं।

नर्मदा नहर की डिस्ट्रीब्यूटरी

बाँम्बर्डे, ताराले, पाल तथा इन्दोली पर एल.आई.एस. मामले का अध्ययन

परियोजना प्राधिकारी ने बाँम्बर्डे, ताराले, पाल तथा इन्दोली पर एल.आई.एस. निर्माण पर क्रमशः ₹ 28.32 करोड़ तथा ₹ 42.38 करोड़ का व्यय किया। यद्यपि मई 2013 में कार्य पूर्ण हुआ, कथित एल.आई.एस. का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि जल उपयोगकर्ता संघो का गठन नहीं किया गया था। जल उपभोगकर्ता संघ के गठन का कार्य सितम्बर 2014 में 30 महीनों की समय सीमा के साथ ₹ 40.64 लाख की लागत पर लिया गया अर्थात् मार्च 2017 तक, हालांकि यह अपूर्ण था तथा केवल ₹ 4.75 लाख का भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप, एल.आई.एस. के निर्माण पर किया गया ₹ 70.70 करोड़ की राशि का व्यय अवरूद्ध रहा। आगे, एल.आई.एस. के गैर-कार्यात्मकतता की वजह से जल की उपलब्धता के बावजूद अनुमानित आई.पी. का उपयोग नहीं किया जा सका।

5.6.2 परियोजनाओं/योजनाओं के संचालन तथा रखरखाव में कमियां

ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत निर्मित परियोजना परिसम्पत्तियों का उचित व सामयिक रखरखाव किसानों के निरंतर लाभ प्रोद्भवन व निर्मित सुविधाओं की अविरल कार्यपद्धति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। उपरोक्त पैरा 5.6.1 में उल्लिखित सहभागिता सिंचाई प्रबंधन एवं बुनियादी ढांचे के संचालन और रखरखाव के लिए एक स्थापित तंत्र के अभाव में, लेखापरीक्षा में खराब रखरखाव के कई मामले सामने आए जिसके परिणामस्वरूप आई.पी का गैर-उपयोग तथा ढांचों का नुकसान हुआ, जिन पर नीचे तालिका 5.3 में चर्चा की गई हैः

तालिका 5.3 संचालन व रखरखाव में कमियां

राज्य	ओ.&एम. में मुद्दे
आंध्र प्रदेश	लेखापरीक्षा में अवलोकन किया गया कि अगस्त 2007 में पूरे हुए वेलीगालू परियोजना में,संबंधित विभाग द्वारा उचित रखरखाव नहीं किया गया क्योंकि ठेकेदार द्वारा पूरे किए जाने वाले वास्तविक कार्य में कुछ कमियों को ठीक नहीं किया गया था।
गोआ	तिल्लारी परियोजना में, नहरों के कुछ अनुभागों में कार्य के रखरखाव के गैर–क्रियान्वयन की वजह से वनस्पति की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।
झारखण्ड	लेखापरीक्षा में पाया गया कि सोनुआ जलाशय स्कीम में, परिसम्पत्तियों के रखरखाव पर 31 मार्च 2017 तक ₹ 7.18 करोड़ खर्च करने के बावजूद सिविल संरचनाओं जैसे स्पिलवे के कंक्रीट स्लैब, बाईं मुख्य नहर का एक्वा-डक्ट तथा बाईं मुख्य नहर के 12 कि.मी. पर क्रॉस ड्रेनेज क्षतिग्रस्त थे तथा पानी के बहाव में बाधा डाल रहे थे।

राज्य	ओ.&एम. में मुद्दे
कर्नाटक	गैन्डोरीनला परियोजना के अंर्तगत लेखापरीक्षा में पूर्ण हो चुके भाग में नहर नेटवर्क का कमजोर रखरखाव पाया गया जो पानी के बहाव को प्रभावित कर रहा था।
केरल	कारापुजा परियोजना में, पानी के वितरण की कटौती तथा कई स्थानों पर रिसाव की वजह से 2011-12 से 2015-16 के दौरान 938 हेक्टेयर से 530 हेक्टेयर तक आई.पी. उपयोगिता में गिरावट हुई। नहर के मरम्मत कार्य में विलंब के कारण आई.पी. का पांच वर्षों के लिए उपयोग नहीं किया जा सका।
मध्य प्रदेश	यद्यपि खो चुके आई.पी. की मरम्मत हेतु बरखेड़ी वेयर स्कीम के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत के लिए ₹ 12.88 लाख की राशि खर्च की गई, एक भाग पानी की बहाव के साथ बह गया तथा वेयर का रखरखाव नहीं किया जा सका। लेखापरीक्षा में, रहमानपुरा टैंक तथा बेखलड़ा टैक एम.आई. योजनाओं में भी जलद्वार आउटलेट में अवरोधों तथा नहर में क्षति पाई गई जो विभाग द्वारा अपर्याप्त रखरखाव को दर्शाते है।
महाराष्ट्र	पांच परियोजनाओं के मामलों में, लेखापरीक्षा में नहर में बहुत अधिक मात्रा में वनस्पति की वृद्धि की वजह से जल में अवरोध को नोटिस किया गया। दो परियोजनाओं में, कचरे की वजह से पानी का बहाव अवरूद्ध था। दो परियोजनाओं में, किसान नहर के निरीक्षण रास्तों तथा सेवा सड़क पर अतिक्रमण कर चुके थे तथा अतिक्रमण भूमि पर कृषि गतिविधियाँ कर रहे थे।
त्रिपुरा	मनु व खोवाई परियोजनाओं में लेखापरीक्षा में नोटिस किया गया कि पेड़ों के गिरने, भूस्खलन तथा झाडियों के उगने की वजह से अवरोध के समशोधन के लिए नहर के कई हिस्सों में मरम्मत व रखरखाव की जरूरत थी।
पश्चिम बंगाल	मई 2017 में टैटकों सिंचाई परियोजना के स्थल दौरों के दौरान ए.आई.बी.पी. (2000-01) के अंतर्गत शामिल करने से पहले पूरे हुए मुख्य कार्य भाग के अंतर्गत स्पिलवे के सेतुबंध तथा मिलन स्थान बुरी स्थिति में थे। परियोजना प्राधिकारी ने कहा (जून 2017) कि रखरखाव कार्य शुरू किया जा चुका है।

5.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राज्य स्तर पर परियोजनाओं के मूल्यांकन तथा सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा की गई निगरानी दौरों में कमियां थी। राज्य स्तरीय निगरानी समितियां केवल चार राज्यों में बनाई गईं थी। अधिकारियों द्वारा दौरा की गई सभी परियोजनाओं में सी.डब्ल्यू.सी. रिपोर्ट तैयार नहीं की गई तथा सी.डब्ल्यू.सी. प्रतिवेदनों में उजागर मुद्दे अनुपालन हेतु लंबित थे। मंत्रालय द्वारा जिम्मेदार ठहराई गई अन्य सीमाओं व इमेजरी के कम रिजोल्यूशन की वजह से एन.आर.एस.सी. द्वारा

सुदूर संवेदन तकनीक के माध्यम से निगरानी नहीं की गई। हालांकि, एन.आर.एस.सी. द्वारा उजागर आई.पी. में अंतर तथा एन.आर.एस.सी. तथा मंत्रालय के आई.पी. आंकडों में भिन्नता आई.पी. गणना में प्रणालीगत सीमाओं को दर्शाती है। जल प्रयोक्ता संघों के माध्यम से सहभागिता सिंचाई प्रबंधन सीमित संख्या, स्थिति और उनके पास उपलब्ध संसाधनों के कारण गंभीर बाधाओं से ग्रस्त था, जिससे परियोजना के संचालन और रखरखाव पर प्रभाव पड़ा। इसके अलावा, निगरानी में कमियों तथा विचलन व कमियों का पता लगाने में सामयिक अनुवर्तन की कमी ने कार्यक्रम के पूर्ण व उचित मूल्यांकन को प्रभावित किया।

निष्कर्ष

जल की पर्याप्त व आश्वस्त आपूर्ति का अभाव भारतीय कृषि के लिए अभिशाप है जो कि कृषि के उत्पादन एवं विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है। ए.आई.बी.पी. की एक ऐसे कार्यक्रम के रूप में कल्पना की गई थी जो एक यथेष्ट लागत पर ली गई कई सिंचाई परियोजनाओं में तीव्रता लाता ताकि कृषि हेतु जल की पर्याप्त एवं आश्वस्त आपूर्ति के उद्देश्य को पूरा किया जा सके तथा जिससे कृषि को अपेक्षित प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। कार्यक्रम का आरंभ 1996-97 में किया गया था तथा बाद में धीरे-धीरे सभी प्रकार की सिंचाई योजनाओं व परियोजनाओं में विस्तारित किया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत निधिकरण के स्वरूप का विकास भी जारी रहा जिसका केन्द्र विशेष वर्ग, पहाड़ी राज्यों तथा विशेष क्षेत्रों पर रहा। कार्यक्रम को अब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सम्मिलित कर लिया गया है जो मिशन प्रणाली में पूर्ण की जाने वाली 99 अपूर्ण एम.एम.आई. परियोजनाओं पर केन्द्रित है। इस निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मिलित अवधि अर्थात् 2008-17 के दौरान ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत 17,201 एम.एम.आई. परियोजनाएं व 11,291 एम.आई. योजनाएं कार्यान्वित की जा रही थीं तथा इन परियोजनाओं/योजनाओं को दी गई कुल केन्द्रीय सहायता ₹ 41,143 करोड़ थी। कार्यक्रम के महत्व, 1996-97 से उसकी निरंतर अस्तित्व तथा परियोजनाओं पर पर्याप्त केन्द्रीय परिव्यय के बावजूद, ए.आई.बी.पी. की लेखापरीक्षा में कार्यक्रम की योजना, कार्यान्वयन व निगरानी में कई कमियां पाई गई।

ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सम्मिलित परियोजनाएं एवं योजनाएं दिशानिर्देशों से भिन्न थीं तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों (डी.पी.आर.) की तैयारी एवं प्रसंस्करण में कमियां व परियोजनाओं की लाभ लागत अनुपात की त्रुटिपूर्ण गणना को पाया गया था। इस कारण से कार्य की अभिकल्पना व कार्यक्षेत्र में परिवर्तन तथा लागत आकलन में संशोधन हुआ जिसने परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कार्य को प्रभावित किया। जिस प्रकार कार्यक्रम के वित्त का प्रबंधन किया जा रहा था उसमें भी कमियां पाई गई थीं, जिसमें निधियों को पूर्ण रूप से जारी नहीं किया जा रहा था या विलम्ब के साथ जारी किया जा रहा था। ₹ 2,187.40 करोड़ की राशि की निधियों हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्र जिसमें राज्य की एजेंसियों द्वारा प्राप्त कुल केन्द्रीय सहायता का 37 प्रतिशत समाविष्ट था, को समय पर मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं किया गया। निधियों का विपथन व रोके रखना तथा कल्पित व छलपूर्ण व्यय जैसी वित्तीय अनियमितताएं पाई गई थी।

ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत परियोजनाओं का कार्यान्वयन धीमा था जिसमें पूर्ण परियोजनाओं का प्रतिशत कम रहा तथा परियोजनाओं में एक से 18 वर्षों का विलम्ब हो रहा था।

अधूरी योजना व अकुशल कार्य प्रबंधन के साथ-साथ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अधिकांश परियोजनाओं में अत्यधिक लागत वृद्धि हुई। सिंचाई क्षमता (आई.पी.) सृजन के संबंध में, परिकल्पित लाभ की प्राप्ति एम.एम.आई. परियोजनाओं में केवल 68 प्रतिशत तथा एम.आई. योजनाओं में 39 प्रतिशत थी। एम.एम.आई. परियोजनाओं व एम.आई. योजना हेतु निर्मित आई.पी. का उपयोग क्रमशः 65 प्रतिशत तथा 73 प्रतिशत था। भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, विलम्बित स्वीकृतियां तथा पुनर्वास एवं पुनः स्थापन उपाय तथा कार्य प्रबंधन में कमियों के कारण विलम्ब तथा लागत वृद्धि हुई। अनियमित/अपव्ययी/परिहार्य/ अतिरिक्त व्यय तथा ठेकेदारों को अनुचित लाभ के अनेक उदाहरण भी पाए गए थे।

लेखापरीक्षा में यह भी उद्घाटित हुआ कि केन्द्रीय व राज्य एजेंसियों द्वारा निगरानी शिथिल थी तथा सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रभावशाली रूप से प्रसारित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, जल उपयोगकर्ता संघों के माध्यम से भागीदारी सिंचाई प्रबंधन उनकी कम संख्या, स्थिति तथा उनकी कमांड में संसाधनों के कारण गंभीर बाधाओं से जूझ रही थी, जो परियोजनाओं के संचालन और अनुरक्षण को प्रभावित कर रही थी।

इस प्रकार, यद्यपि ए.आई.बी.पी. कृषि व कृषि क्षेत्र के विकास हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण था व उसमें समाविष्ट परियोजनाओं पर अत्यधिक केन्द्रीय व्यय किया गया था, लेकिन कार्यक्रम का पिछड़ना जारी रहा व लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, अधिकांश परियोजानाओं ने अपनी लक्षित आई.पी. को प्राप्त नहीं किया। प्रतिवेदन में दर्शाए गए विभिन्न कारणों, लागत वृद्धि तथा आई.पी. निर्माण व उपयोग में कमी के कारण परियोजनाओं की मूल परिकलित लाभ लागत अनुपात की तुलना में वास्तविक लाभ लागत अनुपात कम रहा। इस प्रकार, परियोजना की पूर्णता में विलम्ब, उनकी लागत में वृद्धि तथा आई.पी. निर्माण व उपयोग में कमी ने कार्यक्रम के समग्र उद्देश्य जो सिंचाई परियोजनाओं की शीघ्र पूर्णता को सुनिश्चित करना था ताकि कृषि हेतु जल की पर्याप्त व आश्वस्त आपूर्ति उपलब्ध हो सके, को निष्फल बना दिया।

अनुशंसाएं

लेखापरीक्षा जांच परिणामों के आधार पर निम्न अनुशंसाएं की जाती हैः-

1. परियोजनाओं की लाभ लागत अनुपात की गणना करते समय सम्यक परिश्रम का उपयोग करना चाहिए जिसे वास्तविक अनुमानों पर आधारित होना चाहिए व निरंतर समीक्षा की जानी चाहिए।
2. मंत्रालय विशेष देखरेख हेतु विशिष्ट क्षेत्रों को पहचानने के लिए कार्यक्रम व पृथक् परियोजनाओं के निष्पादन का मूल्यांकन करें तथा कार्यक्रम की शीघ्र पूर्णता हेतु प्रयासों को भी तेज करें।
3. आई.पी.यू. को सुधारने हेतु परियोजनाओं में कमांड क्षेत्र विकास कार्य के समकालिक कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा संबंधित राज्यों को अतिशीघ्र कमांड क्षेत्र विकास प्रस्तावों को प्रस्तुत करने का सुझाव दिया जाना चाहिए।
4. कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य के प्रबंधन में उचित जांच सुनिश्चित करने तथा कार्य के दोषयुक्त निष्पादन हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु राज्य सरकार को सुझाव देना चाहिए।
5. मंत्रालय को विभिन्न एजेंसियों के साथ-साथ केन्द्रीय स्तर पर नियमित निगरानी व मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहिए तथा समय से अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए।
6. मंत्रालय निर्मित सिंचाई क्षमता की गणना हेतु एकसमान व विश्वसनीय प्रणाली का विकास करे तथा उसे सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के साथ मिलाए ताकि परियोजनाओं/योजनाओं के निष्पादन का सटीक आकलन प्राप्त हो सके।

(मनीष कुमार)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग

नई दिल्ली
दिनांकः 20 सितम्बर 2018

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः 24 सितम्बर 2018

अनुबंध

अनुबंध 1.1

(पैरा 1.4 तथा 1.6 का संदर्भ लें)

ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत एम.एम.आई. परियोजनाओं व एम.आई. योजनाओं की राज्य-वार संख्या

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	एम.एम.आई.परियोजनाएं		एम.आई. योजनाएं	
		2008-17 के दौरान परियोजनाओं की कुल संख्या	कुल स्वीकृत लागत	2008-17 के दौरान एम.आई. योजनाओं की कुल संख्या	कुल स्वीकृत लागत
1.	गुजरात	5	55,049.28	-	-
2.	महाराष्ट्र	48	35,803.69	169	723.19
3.	तेलंगाना	13	24,614.09	-	-
4.	कर्नाटक	17	23,980.51	750	966.74
5.	मध्य प्रदेश	19	15,902.27	593	1,748.13
6.	ओडिशा	11	15,840.36	58	92.52
7.	राजस्थान	3	10,024.23	7	73.49
8.	उत्तर प्रदेश	9	9,994.90	-	-
9.	झारखंड	8	7,255.13	537	544.31
10.	बिहार	6	3,893.43	268	198.02
11.	आंध्र प्रदेश	12	4,564.50	100	373.41
12.	छत्तीसगढ़	7	3,413.06	409	1,700.30
13.	मणिपुर*	3	2,286.26	505	-
14.	पश्चिम बंगाल	4	2,078.80	57	23.88
15.	पंजाब*	3	1,599.47	-	-
16.	उत्तराखंड	1	1,446.00	2,295	1,351.87
17.	असम	6	1,184.06	1,554	6,211.36
18.	केरल	4	1,058.17	-	-
19.	गोवा	1	1,051.69	-	-
20.	जम्मू एवं कश्मीर	13	796.09	878	1,075.54
21.	हिमाचल प्रदेश	4	674.33	359	52.11
22.	त्रिपुरा	3	273.36	181	104.48
23.	मेघालय	1	16.30	348	450.29
24.	मिजोरम	-	-	207	182.35

क्रम सं.	राज्य	एम.एम.आई.परियोजनाएं		एम.आई. योजनाएं	
		2008-17 के दौरान परियोजनाओं की कुल संख्या	कुल स्वीकृत लागत	2008-17 के दौरान एम.आई. योजनाओं की कुल संख्या	कुल स्वीकृत लागत
25.	सिक्किम	-	-	444	121.91
26.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	625	313.77
27.	नागालैंड	-	-	947	493.11
कुल		**201**	**2,22,799.98**	**11,291**	**16,800.78**

***मणिपुर और पंजाब नमूने में नहीं चुने गए थे।**

अनुबंध 1.2

(पैरा 1.5 का संदर्भ लें)

2008-17 के दौरान ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा एम.आई. योजनाओं के राज्य-वार जारी निधि तथा प्रतिवेदित व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	जारी किया गया सी.ए.	राज्य का जारी किया हिस्सा	प्रतिवेदित व्यय
1.	आंध्र प्रदेश	444.00	1,463.06	1,619.85
2.	अरूणाचल प्रदेश	336.00	प्रस्तुत नहीं किया गया	394.76
3.	असम	3,682.00	454.19	3,992.90
4.	बिहार	416.00	3,314.64	2,345.46
5.	छत्तीसगढ़	1,040.00	1,348.51	2,373.86
6.	गोवा	107.00	प्रस्तुत नहीं किया गया	544.99
7.	गुजरात	4,644.00	10,770.83	14,498.80
8.	हिमाचल प्रदेश	466.00	41.85	488.51
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1,377.00	117.38	1,416.29
10.	झारखंड	1,839.00	1,866.24	3,676.09
11.	कर्नाटक	3,512.00	4,205.16	8,876.44
12.	केरल	15.00	553.27	745.59
13.	मध्य प्रदेश	4,864.00	11,508.57	16,153.73
14.	महाराष्ट्र	5,953.00	9,371.39	14,442.98
15.	मणिपुर	1,388.00	उपलब्ध नही*	उपलब्ध नही*
16.	मेघालय	451.00	105.44	555.73
17.	मिजोरम	182.00	20.49	306.67
18.	नांगालैंड	512.00	52.86	578.99
19.	ओडिशा	3,469.00	प्रस्तुत नहीं किया गया	9,294.45
20.	पंजाब	243.00	उपलब्ध नही*	उपलब्ध नही*
21.	राजस्थान	483.00	प्रस्तुत नहीं किया गया	1,619.19
22.	तेलंगाना	2,301.00	8,877.64	15,279.16
23.	त्रिपुरा	181.00	17.08	193.80
24.	सिक्किम	60.00	12.72	72.83
25.	उत्तर प्रदेश	1,784.00	2,491.82	3,341.71
26.	उत्तराखंड	1,352.00	212.70	1,563.00
27.	पश्चिम बंगाल	42.00	प्रस्तुत नहीं किया गया	116.84
	कुल	**41,143.00**	**56,805.84***	**1,04,492.62**

***मणिपुर और पंजाब नमूने में नहीं चुने गए थे।**

अनुबंध 1.3

(पैरा 1.5 का संदर्भ लें)

2008-17 के दौरान एम.एम.आई. परियोजनाओं व एम.आई. योजनाओं हेतु जारी की गई केन्द्रीय सहायता/ अनुदान का विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य	एम.एम.आई. परियोजनाएं	एम.आई. योजनाएं	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	70	374	444
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	336	336
3.	असम	389	3,293	3,682
4.	बिहार	218	198	416
5.	छत्तीसगढ़	219	821	1,040
6.	गोवा	107	-	107
7.	गुजरात	4,644	-	4,644
8.	हिमाचल प्रदेश	229	237	466
9.	जम्मू एवं कश्मीर	302	1,075	1,377
10.	झारखंड	1,295	544	1,839
11.	कर्नाटक	3,103	409	3,512
12.	केरल	15	-	15
13.	मध्यप्रदेश	3,115	1,749	4,864
14.	महाराष्ट्र	5,230	723	5,953
15.	मणिपुर	1,119	269	1,388
16.	मेघालय	-	451	451
17.	मिजोरम	-	182	182
18.	नागालैंड	-	512	512
19.	ओडिशा	3,376	93	3,469
20.	पंजाब	243	-	243
21.	राजस्थान	469	14	483
22.	सिक्किम	-	60	60
23.	तेलंगाना	2,301	-	2,301
24.	त्रिपुरा	76	105	181
25.	उत्तर प्रदेश	1,784	-	1,784
26.	उत्तराखंड	-	1,352	1,352
27.	पश्चिम बंगाल	30	12	42
कुल		**28,334**	**12,809**	**41,143**

स्रोतः मंत्रालय

अनुबंध 1.4

(पैरा 1.9 का संदर्भ लें)

नमूना क, ख एवं ग के अंतर्गत चयनित एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा एम.आई. योजनाओं का राज्य-वार विवरण

क्रम सं.	राज्य	प्रमुख एवं मध्यम परियोजनाएं						लघु योजनाएं	
		नमूना क			नमूना ख			नमूना ग	
		पूर्ण	चालू	स्थगित	पूर्ण	चालू	स्थगित	पूर्ण	चालू
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	2	3	1	1	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	15	7
3.	असम	0	0	0	1	3	0	15	15
4.	बिहार	1	0	0	0	2	0	11	3
5.	छत्तीसगढ़	1	1	0	2	0	0	12	9
6.	गोवा	0	0	0	0	1	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	2	1	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	1	0	0	2	0	15	2
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0	2	0	0	7	0	15	15
10.	झारखंड	0	1	0	0	4	0	15	5
11.	केरल	0	1	0	0	1	0	0	0
12.	कर्नाटक	1	5	0	2	2	0	15	10
13.	मध्य प्रदेश	3	4	0	0	4	0	15	8
14.	महाराष्ट्र	1	5	0	13	10	0	4	4
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	1	11	6
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	10	2
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	15	8
18.	ओडिशा	0	1	0	0	6	0	1	2
19.	राजस्थान	0	0	0	0	3	0	1	1
20.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	14	8
21.	तेलंगाना	0	0	0	0	6	0	2	0
22.	त्रिपुरा	0	0	0	0	2	0	8	1
23.	उत्तर प्रदेश	0	2	0	1	3	0	0	0
24.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	1	15	15

क्रम सं.	राज्य	प्रमुख एवं मध्यम परियोजनाएं						लघु योजनाएं	
		नमूना क			नमूना ख			नमूना ग	
		पूर्ण	चालू	स्थगित	पूर्ण	चालू	स्थगित	पूर्ण	चालू
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	2	0	3	0
	कुल	7	23	0	23	62	3	213	122
	कुल योग	30			88			335	

अनुबंध 1.5

(पैरा 1.9 का संदर्भ लें)

चयनित नमूना एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा एम.आई. योजनाओं के विमोचन एवं व्यय का राज्य वार विवरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रं. सं	राज्य का नाम	एम.एम.आई. परियोजनाएं				एम.आई. योजनाएं		
		परियोजना की संख्या	स्वीकृत लागत	2008-17 के दौरान जारी सी.ए.	2008-17 के दौरान व्यय	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत लागत	2008-17 के दौरान व्यय
1.	आंध्र प्रदेश	6	1,998.63	0	612	2	29.80	17.30
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	-	-	-	22	17.45	15.60
3.	असम	4	1,093.58	388	455	30	240.93	133.07
4.	बिहार	3	1,726.87	143	842	14	54.63	55.13
5.	छत्तीसगढ़	4	1,758.51	144	703	21	141.14	155.53
6.	गोवा	1	1,051.69	107	545	-	-	-
7.	गुजरात	3	54,921.19	4,643	14,499	-	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	3	586.24	198	329	17	52.11	54.62
9.	जम्मू एवं कश्मीर	9	679.60	261	290	30	220.08	128.25
10.	झारखंड	5	6,999.00	1,280	2,982	20	34.39	30.40
11.	कर्नाटक	10	16,179.74	1,197	4,046	25	75.59	75.48
12.	केरल	2	594.57	6	51	-	-	-
13.	मध्य प्रदेश	11	10,483.03	1,790	5,599	23	165.25	188.66
14.	महाराष्ट्र	29	26,695.15	3,579	9,668	8	365.30	528.82
15.	मेघालय	1	16.30	0	0	17	94.45	41.52
16.	मिजोरम	-	-	-	-	12	19.09	16.34
17.	नागालैंड	-	-	-	-	23	29.38	28.56
18.	ओडिशा	7	10,282,08	1,744	6,044	3	4.38	6.76
19.	राजस्थान	3	10,024.23	469	1,550	2	59.32	47.85
20.	सिक्किम	-	-	-	-	22	6.86	4.32
21.	तेलंगाना	6	23,678.78	2,243	11,016	2	3.72	5.01
22.	त्रिपुरा	2	190.35	50	50	9	12.34	9.70
23.	उत्तराखंड	1	1,446	0	0	30	53.03	47.52
24.	उत्तर प्रदेश	6	7,687.70	938	3,517	-	-	-
25.	पश्चिम बंगाल	2	2,052.55	4	3	3	1.31	1.27
	कुल	**118**	**1,80,145.79**	**19,184**	**62,801**	**335**	**1,680.55**	**1,591.71**

स्रोतः मंत्रालय एवं राज्य प्राधिकरण

अनुबंध 1.6

(पैरा संख्या 1.11 का संदर्भ लें)

पी.ए.सी. की अनुशंसा पर मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई का सत्यापन

पन्द्रहवीं लोकसभा के दौरान पी.ए.सी. की 68वें प्रतिवेदन की अनुशंसाएं तथा उस पर कार्रवाई			
	पी.ए.सी. (2012-13)	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1.	• सभी प्राथमिक प्रतिवेदनों के संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण व जांच तत्काल आरंभ की जानी चाहिए। • सभी परियोजनाओं हेतु डी.पी.आर. पर जोर दिया जाना चाहिए। • लागत, राजस्व एवं फसल पद्धति, आदि से संबंधित अनुमानों की वैध व सत्यापित तिथी पर आधारित, मंत्रालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी परियोजनाओं हेतु बी.सी.आर. उचित रूप से निकाला गया हो।	• प्राथमिक प्रतिवेदन के आधार पर किसी भी परियोजना को मंजूर नहीं किया गया। • राज्य सरकार को मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार डी.पी.आर. तैयार करने के निर्देश दिये गए। • मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि बी.सी.आर. की गणना हेतु फसल पद्धति, उत्पादकता, उत्पादन की दर, आदि संबंधित आँकडों की राज्य कृषि विभाग द्वारा विधिवत रूप से जाँच की जाएगी।	• एक परियोजना के मामले में डी.पी.आर. तैयार नहीं किया गया था। मंत्रालय के दिशानिर्देशों में दी गई शर्तों की तुलना में 35 एम.एम.आई. परियोजनाओं के डी.पी.आर. में कमियाँ थीं। *(पैरा 2.4)* • नौ राज्यों की 28 एम.एम.आई. परियोजनाओं एवं 82 एम.आई. योजनाओं में बी.सी.आर. की गणना हेतु समान मापदंडों को अपनाया नहीं गया था। *(पैरा 2.5)*
2	मंत्रालय को उन परियोजनाओं को चालू नहीं किया गया समझना चाहिए जहाँ संरचना पूर्ण हो चुकी है परन्तु लक्षित सिंचाई क्षमता के वास्तविक उपयोग की पुष्टि नहीं की गई।	एम.ओ.डब्ल्यू.आर. ने निर्मित सिंचाई क्षमता के शीघ्र उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ए.आई.बी.पी. के साथ-साथ सी.ए.डी.एवं.डब्ल्यू.एम. परिपस्सु के अंतर्गत परियोजनाओं को लेने हेतु कार्रवाई आरंभ कर दी थी।	नौ एम.एम.आई. परियोजनाओं एवं 14 एम.आई. योजनाओं के मामले में अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण समझने के मामले पाए गए। *(पैरा 4.2.1 एवं 4.3.1)*
3.	मंत्रालय द्वारा किये गए क्षेत्र के दौरों को परियोजना के कार्यान्वयन में हुए विलम्ब का अनिवार्य रूप से संज्ञान लेना चाहिए तथा उसके निवारण हेतु सभी समेकित उपायों का सुझाव देना चाहिए।	• बाधाओं को पहचानने तथा विलंब को कम करने हेतु उपायों की अनुशंसा पर ज़ोर देते हुए निगरानी की संशोधित प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए	• सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा निगरानी में लगातार कमी थी। *(पैरा 5.2.1)*

पन्द्रहवीं लोकसभा के दौरान पी.ए.सी. की 68वें प्रतिवेदन की अनुशंसाएं तथा उस पर कार्रवाई			
	पी.ए.सी. (2012-13)	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई	लेखापरीक्षा टिप्पणी
		सी.डब्ल्यू.सी. एवं उसके क्षेत्रिय कार्यालयों द्वारा निगरानी की प्रक्रिया की गंभीर रूप से समीक्षा की जा रही है। • इसके अतिरिक्त, निगरानी की निर्धारित आवृत्ति के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वंतत्र विशेषज्ञओं/संगठन को सम्मिलित करने का प्रस्ताव दिया गया है।	
4.	मंत्रालय को ऐसे सभी मामलों में विस्तृत जाँच करनी चाहिए जहाँ राज्य सरकार प्राधिकारियों द्वारा अपूर्ण/चालू न की गई परियोजनाओं को पूर्ण हो चुकी परियोजना प्रमाणित कर दिया गया था।	अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया।	• पूर्ण प्रमाणित की गई 30 एम.एम.आई. परियोजनाओं में से नौ अपूर्ण पाई गई थीं। एम.आई. योजनाओं के मामले में, 14 एम.आई. योजनाऐं निष्क्रिय पायी गई थीं। *पैरा 4.2.1, 4.3.1 एवं 4.3.2)*
5.	भूमि अधिग्रहण के मुद्दों का हल निकालने के लिए मंत्रालय को राज्य सरकार को सहमत करना चाहिए। निधियों के विमोचन को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में हुई संतोषजनक प्रगति के साथ निरपवाद रूप से जोड़ा जाना चाहिए। विभिन्न संबंधित प्राधिकारियों के साथ समन्वय हेतु एक प्रभावी संस्थागत तंत्र को स्थापित करना चाहिए।	एक विशेष वर्ष हेतु निधियाँ तभी विमोचित की जाएँगी जब उस वर्ष के कार्य हेतु अपेक्षित भूमि राज्य सरकार के कब्जे में हो। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे परियोजनाओं की निगरानी हेतु परियोजना/राज्य स्तरीय कमेटियाँ बनाऐं जो समन्वय संबंधी मुद्दों की देखरेख करेगी। इसके अतिरिक्त, निगरानी की प्रक्रिया के दौरान इन मुद्दों पर जोर देना भी प्रस्तावित किया गया।	• 56 एम.एम.आई. परियोजनाओं के मामले में, भूमि अधिग्रहण पूरा नहीं हुआ था। *(पैरा 4.6)* • 22 एम.एम.आई. परियोजनाओं में स्वीकृति संबंधी मुद्दे थे। *(पैरा 4.8)* • यद्धपि सी.डब्ल्यू.सी. की निगरानी रिपोर्टों ने चार मामलों में लंबित भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को

पन्द्रहवीं लोकसभा के दौरान पी.ए.सी. की 68वें प्रतिवेदन की अनुशंसाएं तथा उस पर कार्रवाई			
	पी.ए.सी. (2012-13)	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई	लेखापरीक्षा टिप्पणी
			दर्शाया, राज्यों/परियोजना अधिकरियों द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। *(पैरा 5.2.1.2)*
6.	सिंचाई क्षमता की कमी का समाधान उच्चतम स्तर पर करना चाहिए ताकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई क्षमता का सर्वोत्तम/अनुकूलतम उपयोग शीघ्रताशीघ्र किया जा सके।	मंत्रालय ने ए.आई.बी.पी. के साथ ही सी.ए.डी.एवं.डब्ल्यू.एम. परिपस्सु के अंतर्गत परियोजना को लेने हेतु कार्रवाई आरंभ की है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार से यह भी अनुरोध/सुझाव दिया जाएगा कि वह सिंचित कृषि भूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों में न बदले।	115 एम.एम.आई. परियोजनाओं में निर्मित आई.पी. एवं उपयोग की गई आई.पी. में 35 प्रतिशत का समग्र अंतर था। *(पैरा 4.5.2)*
7.	मंत्रालय को तुरंत कदम उठाने चाहिए राज्य कि सरकार समक्रमिक रीति से चरणों में सिंचाई परियोजनाओं को निष्पादित करे, सुनिश्चित करने हेतु ताकि एक चरण के पूर्ण हो जाने पर किसान को सिंचाई के जल का लाभ प्राप्त हो सके।	राज्य सरकार को निर्माण योजना पर जोर देने तथा अनुमोदित योजना का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है।	जाँच परीक्षा ने सात राज्यों की 10 एम.एम.आई. परियोजनाओं तथा चार एम.आई. योजनाओं में कार्य की त्रुटिपूर्ण प्रावस्था को प्रकट किया। *(पैरा 4.9.2)*
8.	मंत्रालय यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करे कि निर्मित क्षमता का लाभपूर्वक उपयोग हो।	एम.ओ.डब्ल्यू.आर. ने परियोजना को सी.ए.डी. एवं. डब्ल्यू.एम. परिपस्सु के साथ-साथ ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत लेने हेतु कार्यवाही आरंभ की गई थी, इस दृष्टि से कि निर्मित सिंचाई क्षमता का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित हो।	निर्मित आई.पी. की तुलना में उपयोग की गई आई.पी. में 35 प्रतिशत की कमी थी। *(पैरा 4.5.2)*
9.	प्रधान मंत्रालय समय से परियोजनाओं को पूरा न कर पाने के मामलों में अनुदान घटक को ऋण में परिवर्तित करने हेतु ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों के	कठोर अनुपालन हेतु अनुशंसाओं को नोट कर लिया गया है।	मंत्रालय ने समय लंघन के 105 मामलों में से किसी भी मामले में अनुदान को ऋण में परिवर्तित नहीं किया। *(पैरा 3.10)*

पन्द्रहवीं लोकसभा के दौरान पी.ए.सी. की 68वें प्रतिवेदन की अनुशंसाएं तथा उस पर कार्रवाई			
	पी.ए.सी. (2012-13)	मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई	लेखापरीक्षा टिप्पणी
	प्रावधनों को लागू करने में विफल रहा।		
10.	समिति ने पाया कि जल संसाधन मंत्रालय ने निधियों के विपथन, अप्राधिकृत व्यय एवं अन्य वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए एक तंत्र बनाया है।	कठोर अनुपालन हेतु अनुशंसाओं को नोट कर लिया गया है।	₹ 1,578.55 करोड़ की निधि के विपथन के दृष्टांत थे। *(पैरा 3.6)*
11.	समिति ने अनुशंसा की कि मंत्रालय को पूर्वनिर्धारित मानदंड अर्थात कृषि पर निर्भर जनसंख्या, अभी पूरी न की गई आधारभूत सिंचाई क्षमता (यू.आई.पी.), राज्यों के पिछले प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को केन्द्रीय निधियों का सामान वितरण सुनिश्चित करना चाहिए। मंत्रालय एवं सी.डब्ल्यू.सी., ए.आई.बी.पी. निधियों को समय से जारी करें।	राज्य सरकार से प्रस्तावों को माँगने एवं प्राप्त करने तथा समय से निधियों को जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय को उसे अग्रेषित करने हेतु एम.ओ.डब्ल्यू.आर. द्वारा प्रयास किये जाते हैं।	मंत्रालय ने वर्षों के अंत पर एम.एम.आई. परियोजनाओं हेतु ₹ 6,747.46 (35 प्रतिशत) की राशि तथा एम.आई. योजनाओं हेतु ₹ 2,725.55 की राशि जारी (2008-17) की, जिसमें वित्त वर्ष के अंत के पश्चात निधि जारी करने के 11 दृष्टांत हैं। *(पैरा 3.2)*
12.	समिति ने यह भी पाया कि 21 राज्यों में जाँची गई परियोजनाओं में जल उपोयोगकर्ता संघ नहीं था या व्यवहारिक रूप से गैर-कार्यात्मक था। अनेक परियोजनाओं के संबंध में किसानों/जल उपयोगकर्ता संघ को पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं को सौंपने हेतु व्यवस्था संचालित नहीं की गई थी।	मंत्रालय ने सहभागिता सिंचाई प्रबंधन और जल प्रयोक्ता संघ के संविधान पर कानून के अधिनियमन के लिए सभी राज्यों को एक मॉडल बिल (1976) प्रसारित किया है।	आठ राज्यों ने डब्ल्यू.यू.ए. गठित नहीं किया था। *(पैरा 5.6.1)*
13.	मंत्रालय सुनिश्चित करे कि राज्य सरकार जल संसाधन नियामक प्राधिकरणों/आयोगों की स्थापना में शीघ्र कार्रवाई करे तथा परियोजनाओं के आधारभूत आस्तियों के रखरखाव हेतु अपने संबंधित राज्य बजट में उपयुक्त प्रावधान बनाऐं।	मंत्रालय ने सहभागिता सिंचाई प्रबंधन और जल प्रयोक्ता संघ के संविधान पर कानून के अधिनियमन के लिए सभी राज्यों को एक मॉडल बिल (1976) प्रसारित किया है।	आठ राज्यों ने सहभागिता सिंचाई प्रबंधन पर कानून नहीं बनाए थे। *(पैरा 5.6.1)*

पन्द्रहवीं लोकसभा के दौरान पी.ए.सी. की 68वें प्रतिवेदन की अनुशंसाएं तथा उस पर कार्रवाई			
	पी.ए.सी. (2012-13)	**मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई**	**लेखापरीक्षा टिप्पणी**
14.	तत्काल दिशानिर्देशों के साथ उपयुक्त रूप से निगरानी दौरों को बढ़ाना चाहिए तथा विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदनों को संघ के साथ-साथ राज्य सरकार को भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, 22 राज्यों में सूदूर संवेदन प्रौद्योगिकी का प्रभावशाली रूप से उपयोग आवश्यक है।	सी.डब्ल्यू.सी. एवं उसके क्षेत्रिय कार्यालयों द्वारा की गई निगरानी की प्रक्रिया की गंभीर रूप से समीक्षा की जा रही है। निगरानी एवं मूल्यांकन में सहयोग हेतु राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेन्टर व अन्य ऐजन्सियों जैसी स्वंतत्र ऐजन्सियों से संपर्क किया गया है।	सी.डब्ल्यू.सी एवं राज्य सरकार द्वारा निगरानी में लगातार कमी एवं अभाव था। *(पैरा 5.2.1.1 एवं 5.5)* ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत निगरानी हेतु सूदूर संवेदन का बहुत सीमित उपयोग था। *(पैरा 5.4)*
15.	समिति ने चिंता के साथ पाया कि राज्य सरकार, योजना आयोग, सी.डब्ल्यू.सी. आदि के बीच समन्वय की कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं थी। मंत्रालय ने आश्वस्त किया कि निगरानी प्रतिवेदनों में दिए गए सुझावों का दृढ़ता से अनुपालन किया जाएगा।	सी.डब्ल्यू.सी. एवं उसके क्षेत्रिय कार्यालयों द्वारा निगरानी प्रक्रिया की गंभीर रूप से समीक्षा की जा रही है। निगरानी एवं मूल्यांकन में सहयोग हेतु स्वतंत्र एजेंसियों जैसे नैशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एन.आर.एस.सी.) व अन्य एजेंसियों से संपर्क किया जा रहा है।	2013 की ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों के पश्चात किये जाने वाले दौरों की संख्या में कमी होने के बावजूद सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा निगरानी में लगातार कमी थी। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र एजेंसियों जैसे एन.आर.एस.सी. व अन्य एजेंसियों की भूमिका अति सीमित थी क्योंकि उनकी कवरेज बहुत व्यापक नहीं थीं। *पैरा 5.2.1.1 और 5.4)*
16.	मंत्रालय को दृढ़ता से राज्य सरकार के साथ नैशनल रिमोट सेंसिंग केंद्र द्वारा पाई गई कमियों व अंतर के समाधान को सुनिश्चित करना चाहिए।	जैसा कि पूर्व में प्रस्तुत किया गया था कि 17 परियोजनाओं के प्रतिवेदनों से संबंधित राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया था।	राज्यों एवं मंत्रालय द्वारा दी गई आई.पी. के डाटा में अंतर था। *(पैरा 5.3.2)* एन.आर.एस.सी. ने भी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में अंतर बताया था। *(पैरा 5.4)*
17.	समिति ने अस्पष्ट शर्तों पर अनुशंसा की कि परियोजना के सभी प्रकार जैसे मुख्य/मध्य/लघु सिंचाई परियोजनाओं में समाप्ति तक जल	मात्रात्मक व गुणात्मक पहलुओं का प्रभावी रूप से समाधान करने के लिए निगरानी प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है।	जल उपलब्धता के त्रुटिपूर्ण आकलन व परियोजनाओं हेतु उपलब्ध जल की मात्रा में अंतर के चार मामले थे।

पन्द्रहवीं लोकसभा के दौरान पी.ए.सी. की 68वें प्रतिवेदन की अनुशंसाएं तथा उस पर कार्रवाई			
	पी.ए.सी. (2012-13)	**मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई**	**लेखापरीक्षा टिप्पणी**
	की उपलब्धता निरपवाद रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए।		*(पैरा 2.4)*
18.	समय बद्ध रीति से सूखा प्रवण क्षेत्रों व मरूस्थल प्रवण क्षेत्रों हेतु सिंचाई क्षमता को निर्मित करने के लिए कठोर प्रयास किये जाने चाहिए। इससे खाद्ध सुरक्षा न केवल इन क्षेत्रों में होगी बल्कि पूरे देश में भी होगी।	मंत्रालय ने ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत चालू एवं नई परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु एक नोट चलाया जिससे डी.पी.ए.पी. क्षेत्रों के समान कार्य की पात्र लागत हेतु 90 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता का लाभ देना था।	2013 के ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) क्षेत्र/सूखा उद्यत/प्रवृत्त क्षेत्र को लाभान्वित कर रही परियोजना को लाभान्वित डी.पी.ए.पी. क्षेत्रों के समान माना गया इसलिए नई परियोजनाऐं अनुदान के 90 प्रतिशत पर केन्द्रीय सहायता के पात्र थीं। पी.एम.के.एस.वाई. के अंतर्गत, गैर-एस.सी.एस. के विशेष क्षेत्रों के मामले में अक्तूबर 2015 से ए.आई.बी.पी. हेतु कन्द्रीय हिस्से को 60 प्रतिशत कर दिया गया था। *(पैरा 1.5)* डी.पी.ए.पी. के अंतर्गत छः परियोजनाऐं अपूर्ण थीं जिसमें दो से छः वर्षों तक का समय लगा था। *(पैरा 4.2.1)*

अनुबंध 2.1
(पैरा 2.3 का संदर्भ ले)
ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत एम.एम.आई. परियोजना का अनियमित समावेश

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का वर्ग	ए.आई.बी.पी. में समावेश का वर्ष	स्वीकृत लागत (नवीनतम)	सी.एल.ए./ सी.ए. जारी	टिप्पणी
उन राज्यों में स्वीकृत ई.आर.एम. जहां की ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत पहले से ही परियोजनाएं हैं							
1.	जम्मू व कश्मीर	कांडी नहर का आधुनिकीकरण	ई.आर.एम.	2007-08	53.70	16.20	यद्यपि राज्य के पास एम.एम.आई. परियोजना थी तथा वह ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे थे, फिर भी ई.आर.एम. को ए.आई.बी.पी. के अधीन सम्मिलित किया गया था।
2.		ददी नहर का आधुनिकीकरण	ई.आर.एम.	2006-07	49.95	34.50	
3.		मुख्य रावी नहर की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण	प्राथमिकता	2011-12	66.67	36.28	
4.		अहजी नहर का आधुनिकीकरण	ई.आर.एम.	2008-09	20.51	12.09	
5.	कर्नाटक	भीमसमुद्र टैंक की मरम्मत	ई.आर.एम.	2009-10	9.38	3.48	
6.	केरल	चतुर्पुझा	ई.आर.एम.	2010-11	34.57	5.85	
7.	उत्तर प्रदेश	लाहचुरा बांध का आधुनिकीकरण	ई.आर.एम.	2005-06	328.82	66.90	
8.		हरदोई शाखा की सिंचाई तीव्रता में सुधार करना	ई.आर.एम.	2006-07	135.17	24.79	
9.		शारदा सहायक नहर प्रणाली की मरम्मत	ई.आर.एम.	2009-10	317.25	39.37	
	कुल				**1,016.02**	**239.46**	
योजना आयोग से स्वीकृती न प्राप्त हुई परियोजनाएं							
10.	कर्नाटक	वरही	मुख्य	2007-08	569.53	99.63	योजना आयोग की अनुमति के बिना
11.	महाराष्ट्र	हेतेवाने	मध्यम	2002-03	329.90	50.50	
12.		अरूणा	मध्यम	2009-10	669.08	70.54	
13.		अर्जुन	मध्यम	2009-10	436.49	80.51	
	कुल				**2,045.00**	**301.18**	

क्रम सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का वर्ग	ए.आई.बी.पी. में समावेश का वर्ष	स्वीकृत लागत (नवीनतम)	सी.एल.ए./ सी.ए. जारी	टिप्पणी
परियोजनाएं जो उन्नत चरण में नहीं है							
14.	आंध्र प्रदेश	स्वर्णमुखी	मध्यम	2005-06	52.04	11.86	₹ 52.04 करोड़ के विरूद्ध व्यय (₹ 12.50 करोड़) केवल 24 प्रतिशत था।
15.		तादीपुडी एल.आई.एस.	मुख्य	2006-07	467.70	48.22	मार्च 2006 को व्यय केवल ₹ 91.22 (24.20 प्रतिशत था।)
16.		तारकारमा तीर्थ सागरम	मध्यम	2005-06	471.32	33.00	मार्च 2005 तक व्यय शून्य था।
17.	हिमाचल प्रदेश	बलह घाटी लेफ्ट बैंक	मध्यम	2009-10	103.78	55.22	मार्च 2009 को व्यय केवल ₹ 10.52 (16.90 प्रतिशत था तथा मुख्य कार्य घटक की मद-1 (10 मदों मं से) की 60 प्रतिशत व घटक-8 अर्थात नलकूपों से लिफ्ट प्रणाली की 5 प्रतिशत से कम वास्तविक प्रगति हुई।
18.	जम्मू व कश्मीर	प्रकाचिक खोस नहर	प्राथमिकता	2007-08	53.32	31.65	₹ 35.43 करोड़ की स्वीकृत लागत के विरूद्ध व्यय केवल ₹ पांच लाख (14 प्रतिशत) था तथा वास्तविक प्रगति शून्य थी।
19.	कर्नाटक	गुड्डादा मल्लापुरा एल.आई.एस.	मध्यम	2009-10	115.40	79.36	मार्च 2009 को व्यय केवल ₹ 16.36 करोड़ (14 प्रतिशत) था।
20.	महाराष्ट्र	लोअर पेधी	मुख्य	2008-09	594.75	223.60	मार्च 2008 तक ₹ 283.10 करोड़ की अनुमानित लागत के विरूद्ध व्यय ₹ 3.40 करोड़ (1.20 प्रतिशत) था।
21.		वार्ना	मुख्य	2005-06	1,256.77	48.37	मार्च 2005 तक ₹ 1,256.77 करोड़ की

क्रम सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का वर्ग	ए.आई.बी.पी. में समावेश का वर्ष	स्वीकृत लागत (नवीनतम)	सी.एल.ए./ सी.ए. जारी	टिप्पणी
							अनुमानित लागत के विरूद्ध व्यय केवल ₹ 357.52 करोड़ (28.44 प्रतिशत) था।
22.		संगोला शाखा नहर	मुख्य	2007-08	937.92	140.37	मार्च 2007 तक ₹ 287.77 करोड़ की अनुमानित लागत के विरूद्ध व्यय केवल ₹ 76.41 करोड़ (26.55 प्रतिशत) था।
23.	ओडिशा	रूकुरा ट्राइबल	मध्यम	2009-10	296.98	70.92	मार्च 2009 तक व्यय ₹ 42.84 करोड़ (22.75 प्रतिशत) था तथा मार्च 2010 तक वास्तविक प्रगति शून्य थी सिवाए भूमि अधिग्रहण के (बांद हेतु 97 प्रतिशत, मुख्य नहर 47 प्रतिशत हेतु)
24.	तेलंगाना	एस.आर.एस.पी. की बाढ़ प्रवाह नहर	ई.आर.एम.	2005-06	5,940.09	382.40	समावेश के समय ₹ 1,331.30 करोड़ की अनुमानित लागत का व्यय ₹ 451.45 करोड़ (33.91 प्रतिशत) था। 08.12.05 को मुख्य कार्य की वास्तविक प्रगति शून्य थी तथा भूमि अधिग्रहण व मुख्य नहर का भूमि कार्य क्रमशः 37 प्रतिशत व 27 प्रतिशत था।
25.		पलेमवागु	मध्यम	2005-06	221.48	9.54	₹ 29.13 करोड़ की अनुमानित लागत का व्यय ₹ 7.42 करोड़ (25.47 प्रतिशत) था।

क्रम सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना का वर्ग	ए.आई.बी.पी. में समावेश का वर्ष	स्वीकृत लागत (नवीनतम)	सी.एल.ए./ सी.ए. जारी	टिप्पणी
26.		जे. चोक्का राव, एल.आई.एस.	प्राथमिकता	2006-07	13,445.44	1,787.69	31.03.06 तक व्यय ₹ 972.18 करोड़ (16.16 प्रतिशत) था तथा मार्च 2006 तक वास्तविक प्रगति 0.5 प्रतिशत से 16 प्रतिशत के बीच थी।
27.	उत्तर प्रदेश	मध्य गंगा नहर चरण-II	मुख्य	2008-09	2,865.11	191.95	व्यय केवल ₹ 26.175 करोड़ था जो कि ₹ 1,060.76 करोड़ की परियोजना लागत (2008-15) की तुलना में महत्वहीन (2.5 प्रतिशत) था।
कुल					**26,822.10**	**3,114.15**	
एक लाख हेक्टेयर को आश्वस्त जल आपूर्ति न होना							
28.	झारखण्ड	गुमानी	मध्यम	1997-98	185.76	31.40	तीन परियोजनाओं का अनुमानित कुल कमांड क्षेत्र ए.आई.बी.पी. दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित एक लाख हेक्टेयर से कम था।
29.		सोनुआ	मध्यम	1997-98	82.65	19.24	
30.		सुरांगी	मध्यम	1997-98	41.17	13.28	
कुल					**309.58**	**63.92**	

अनुबंध 2.2
(पैरा 2.4 का संदर्भ लें)
डी.पी.आर. में कमियां

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मुद्दे
		एम.एम.आई. परियोजनाएं	
1.	आंध्र प्रदेश	तारकरमा तीर्थ सागरम	विभागीय सर्वेक्षण व जांच के पश्चात डी.पी.आर. (नवम्बर 2003) में एक विपथन नहर सम्मिलित की गई थी। कार्य के निष्पादन के दौरान, विभाग ने पाया (मार्च 2015) कि नहर की मार्गरेखा में एक पुरातात्विक स्मारक था जिससे विभाग को मार्गरेखा में परिवर्तन करना पड़ा जो डी.पी.आर. में नहर के अनुचित संरेखण को दर्शाता है।
2.		गंडलाकाम्मा जलाशय परियोजना	परियोजनाओं का विचारित, आई.पी. निर्माण 32,399 हेक्टेयर था। परियोजना के कमांड क्षेत्र के भीतर 3,604 हेक्टेयर की आई.पी. के निर्माण हेतु भूमि (अगस्त 2009) की पहचान न होने के कारण, सी.ई. ने राज्य सरकार (अगस्त 2009) को एक अन्य परियोजना (कृष्णा पश्चिम डेल्टा) को जल की आपूर्ति का प्रस्ताव दिया जहां आई.पी. पहले से ही निर्मित एवं स्थानबद्ध थी। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की गई आंतरिक मानदंड समिति ने प्रस्ताव स्वीकार (जुलाई 2010) किया तथा तदानुसार कृष्णा पश्चिम डेल्टा के अंतिम बाग क्षेत्र में कार्य निष्पादित किया जो डी.पी.आर. में पहचाना नहीं गया था व जिसकी लागत ₹ 7.63 करोड़ थी।
3.		वेलीगल्लू	डी.पी.आर. के अनुमोदन में पांच वर्षों का विलम्ब हुआ था।
4.		स्वर्णमुखी	ई.पी.सी. की संविदा एजेंसी ने विस्तृत जांच की तथा 4,648 हेक्टेयर की आई.पी. की पहचान की। हालांकि, केवल 3,644 हेक्टेयर पर ही सिंचाई की जा सकी तथा अयाकट के आवासीय/वाणिज्यिक प्लाट में परिवर्तित होने तथा प्रस्तावित अयाकत में अयाकतदारों द्वारा मत्स्य तलाबों को बनाने के कारण अयाकत उपलब्ध नहीं थे।
5.	बिहार	दुर्गावती	डी.पी.आर. निर्माण योजना (परियोजना की गतिविधि वार तकनीकी ब्यौरा) से रहित था जो परियोजना के चरण एवं पूर्ण होने में लगने वाले अपेक्षित समय का निरूपण करता है।
6.		पुनपुन	
7.	गोवा	तिल्लारी	लघु सिंचाई योजना (असोनोरा बांद्रा) में 18.24 हेक्टेयर के कमांड क्षेत्र की अतिव्याप्ति सम्मिलित है।
8.	हिमाचल प्रदेश	सिद्धता	निविदा से पूर्व अनुमानित सुरंग में भू-वैज्ञानिक स्तर के परिवर्तन तथा श्रमिक दरों में वृद्धि के कारण परियोजना संशोधित (2011) करनी पड़ी थी। हालांकि, प्रभाग के ई.ई. ने उत्तर दिया कि परियोजना के निष्पादन के आरंभिक व अंतिम चरण के बीच भू-वैज्ञानिक स्तर में कोई परिवर्तन

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मुद्दे
			नहीं हुआ था। प्रभाग, प्रारंभिक रूप से और/निष्पादन के दौरान सर्वेक्षण और परियोजना जांच के एक हिस्से के रूप मे मनाए गए भू-वैज्ञानिक स्तर के परिणामों को उपलब्ध कराने में भी असफल रहा। अतः परियोजना के भू-वैज्ञानिक स्तर में कोई परिवर्तन न होने की दृष्टि में परियोजना की लागत में वृद्धि अनुचित थी।
9.		शाह नहर	कार्यों के वितरण हेतु पार जलनिकासी कार्यों (एक्वेडक्ट) के लिए परियोजना की प्रारंभिक डी.पी.आर. में अपर्याप्त प्रावधान था। परियोजना को पूर्ण करने हेतु डिस्ट्रीब्यूट्री डी-1 व डी-2 में अतिरिक्त एक्वेडक्ट के निर्माण हेतु ₹ छह करोड़ के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता पड़ी।
10.	जम्मू व कश्मीर	रणबीर नहर का आधुनिकीकरण	जलग्रहण क्षेत्र, वर्षा, अपवाह बाढ़ आदि जैसे जल वैज्ञानिक पहलू नहीं थे।
11.		कांडी नहर	मृदा सर्वेक्षण, जल ठहराव, लवणता, निकासी जैसे मौसम संबंधी आंकड़े, नहीं थे।
12.		मुख्य रावी नहर का आधुनिकीकरण	जल वैज्ञानिक एवं मौसम संबंधी पहलू नहीं थे।
13.	कर्नाटक	घाटप्रभा स्तर-III	परियोजना हेतु सिंचन क्षेत्र (यानी 1,77,822 हेक्टेयर) का आकलन 20,556 हेक्टेयर के अचकट क्षेत्र को सम्मिलित करके किया था, जो संगम शाखा नहर के अंतर्गत सम्मिलित था। बाद में, इस क्षेत्र को घाटप्रभा स्तर-III से कम कर दिया गया था तथा इस कारण से अंतिम सिंचाई क्षमता क्षेत्र कम हो गया।
14.		अपर तुंगा	मूल स्वीकृति के अनुसार, मुख्य नहर का निर्माण 270 किमी तक किया जाना था। हालांकि, कम्पनी द्वारा मुख्य नहर की लंबाई को 258 किमी तक सीमित करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि शेष भूमि शहरी विकास क्षेत्र के अंतर्गत आ रही थी। मुख्य नहर की लंबाई को सीमित करने हेतु जी.ओ.के. एवं सी.डब्ल्यू.सी. का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। कार्य की आरंभिक स्वीकृति हेतु किया गया सर्वेक्षण दोषपूर्ण था क्योंकि शहर से गुजरने वाली नहर स्पष्ट रूप से ज्ञात थी। मुख्य नहर की लंबाई को 258 किमी तक कम करते समय कम्पनी ने सिंचाई क्षमता पर निर्णय के प्रभाव पर चर्चा नहीं की थी।
			आरम्भ में प्रस्तावित की गई अपर तुंगा परियोजना की मुख्य नहर के 212 से 217 कि.मी. तक संरेखण हेतु नियंत्रित

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मुद्दे
			विस्फोट अपेक्षित था। नहर को गहरे कटाव व सोमनकट्टे-बसवनकट्टे गांव की सीमा में जाने से बचाने के लिए इसे बाद (मार्च 2012) में अमुमान की स्वीकृति के समय संशोधित किया गया था। कार्य के निष्पादन के दौरान 212 कि.मी. से लेकर 213.220 कि.मी. के हिस्से को सुलझाया नहीं जा सका क्योंकि इस विस्तार में किसानों ने संरेखण को बदलने की मांग की। संविदा को रद्द कर दिया गया तथा शेष कार्य हेतु एक नई निविदा अधिसूचना जारी (22.02.2017) की गई थी। हालांकि, भूमि अभी तक अभिग्रहित की जानी थी। मूल मार्गरेखा को संशोधित करने से ₹ 1.42 करोड़ (संशोधित अनुमान के अनुसार) का अतिरिक्त व्यय हुआ।
15.	मध्यप्रदेश	सिंध फेज-II	आंकड़े के संबंध में सिंचन क्षेत्र के आकलन को किसी परियोजना के डी.पी.आर. में अलग से दर्शाया नहीं गया था।
16.		बाणसागर इकाई-II	
17.	महाराष्ट्र	अर्जुन	मूल डी.पी.आर. में आंकलित मात्रा की तुलना में जलग्रहण क्षेत्र में जल की अधिक उपलब्धता होने के कारण मिट्टी के बांध की ऊंचाई को 61.20 मी. से 70.35 मी. तक बढ़ा दिया गया था ताकि अधिक भंडारण से अधिक जल उपलब्धता का लाभ प्राप्त किया जा सके जिसमें अर्जुन परियोजना में ₹ 29.99 करोड़ का लागत अनुमान सम्मिलित था।
18.		अरूणा	जलग्रहण क्षेत्र में अपर्याप्त जल उपलब्धता के कारण अधिक भंडारण हेतु मिट्टी के बांध की ऊंचाई 70.41 मी. से 80.41 मी. तक बढ़ा दी गई थी जिसमें ₹ 170.82 करोड़ का लागत अनुमान सम्मिलित था।
19.		कृष्णा कोयना एल.आई.एस.	अपर्याप्त सर्वेक्षण व जांच के कारण अभिकल्पना में बदलाव हुआ।
			डी.पी.आर. के अनुमोदन में चार वर्षों का विलम्ब हुआ।
20.		वर्ना	राज्यस्तरीय सलाहकार तकनीकी समिति (एस.एल.टी.ए.सी.), नासिक की अनुशंसाओं (जून 2016) के अनुसार राईट बैंक नहर की लंबाई को 117 किमी से 60 किमी तक कम करना नहर की लंबाई के त्रुटिपूर्ण आकलन को दर्शाता है।
21.		हेतवने	अपर्याप्त सर्वेक्षण व जांच के कारण संरचनात्मक अभियांत्रिकी में बदलाव हुआ।
22.		संगोला शाखा	अपर्याप्त सर्वेक्षण व जांच के कारण अभिकल्पना में बदलाव हुआ।
23.		धोम बलकवड़ी	अपर्याप्त सर्वेक्षण व जांच के कारण अभिकल्पना में बदलाव हुआ।
24.		लोअर वर्धा	डी.पी.आर. के अनुमोदन में 25 वर्षों का विलम्ब हुआ।
25.		वांग	डी.पी.आर. के अनुमोदन में छः वर्षों का विलम्ब हुआ।
26.		तिलारी	सर्वेक्षणों में कमियां थी।

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मुद्दे
27.	तेलंगाना	जे.चोखा राव (प्राथमिकता-I	जल ग्रहण बिन्दु से 13 कि.मी. की दूरी पर जल उपलब्धता के आकलन के कारण ग्रहण बिंदु पर जल योजनाबद्ध किए गए 170 दिनों की अपेक्षा केवल 130 दिनों तक के लिए ही जल उठाया गया था।
			इन्द्राम्मा बाढ़ प्रवाह नहर (आई.एफ.एफ.सी.) फेज-II अयाकट के साथ क्षेत्र के ओवरलैप होने के कारण कमांड क्षेत्र से 8,485.61 हेक्टेयर की निवल सी.सी.ए. को हटाया जाना कमांड क्षेत्र के अनुचित आकलन को दर्शाता है।
28.		पालम वागु	पालम वागु परियोजना के नदी तल में एक गेटेड स्पिलवे आरंभ में प्रस्तावित किया गया था। केन्द्रीय अभिकल्पना संगठन, हैदराबाद की तकनीकी समिति ने (मई 2005) गेटेड स्पिलवे की जगह अनगेटेड स्पिलवे का सुझाव दिया यह जानते हुए कि परियोजना स्थल खम्मम जिले के सुदूर एवं अशांत क्षेत्र में स्थित है। तदानुसार, बांध की दाहिनी तरफ अनगेटेड स्पिलवे का निर्माण किया गया था। प्रस्ताव की जांच के समय (नवंबर 1993) सी.डब्ल्यू.सी. का सुझाव कि बाढ़ के अधिकतम निर्वहन (एम.एफ.डी.) की पुनः समीक्षा की जाने की आवश्यकता है, का आई. एवं सी.ए.डी. विभाग द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था। बांध (अगस्त 2006 एवं अगस्त 2008) में केवल दो दरारों के बाद ही जल विज्ञान के मुक्य अभियंता ने एम.एफ.डी. की पुनः जांच की तथा उसे मूल रूप से विचारित 50,000 क्यू.सेक. की अपेक्षा 86,000 क्यू.सेक. आंका। दो दरारों के पश्चात एक विशेषज्ञ समिति का गठन (दिसंबर 2008) किया गया था जिसने बढ़ी हुई एम.एफ.डी. को समायोजित करने हेतु नदी तल में एक उपयुक्त स्थान पर एक गेटेड स्पिलवे के निर्माण की अनुशंसा की। राज्य सरकार ने संकुचित मार्ग में गेटेड स्पिलवे के निर्माण हेतु ₹ 81.16 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन दिया (अक्टूबर 2010)। तदानुसार, ₹ 125.44 करोड़ की लागत पर एक गेटेड स्पिलवे का निर्माण (मार्च 2017) किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि गेटेड स्पिलवे संरचना हेतु वास्तविक अनुमान में प्रावधान केवल ₹ 15.54 करोड़ का था। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि बांध की तटबंध पहले ही ₹ 10.10 करोड़[1] की लागत से की गई थी, स्पिलवे के निर्माण हेतु उसकी पुनः खुदाई करनी पड़ी जिससे व्यय की बर्बादी हुई। इसके अलावा, बाढ़ के दौरान पहले से निष्पादित

[1] (8,27,748.20 X 147-17.99% की निविदा प्रतिशत = ₹ 10,10,05,725.78)

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मुद्दे
			बांध के बहने के कारण और एम.एफ.डी. की अनुचित प्रतिष्ठापन के कारण ₹ 11.13 करोड़ का व्यय भी बर्बाद हो गया था। कम एम.एफ.डी. हेतु अनगेटेड स्पिलवे संरचना के परिणामी निर्माण के कारण ₹ 109.90 करोड़ (₹ 125.44 करोड़ - ₹ 15.54 करोड़) का अपरिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।
29.	तेलंगाना	श्री राम सागर स्तर फेज-II	स्तर-I एवं स्तर-II हेतु जल की आवश्यकता 163.69 हजार मिलियन घनफीट (टी.एम.सी.) थी। एस.आर.एस.पी.-I एवं एस.आर.एस.पी.-II दोनों के लिए तीन जलाशयों अर्थात् एस.आर.एस.पी.-146.35 टी.एम.सी., कदम-23.41 टी.एम.सी., लोअर मैनेर बांध (एल.एम.डी.)-10.43 टी.एम.सी. से अनुमानित जल उपलब्धता 180.19 टी.एम.सी. थी। हालांकि, 1990 से एल.एम.डी. जलाशय का अपना कोई जलग्रहण क्षेत्र नहीं था, इसलिए वह परियोजना हेतु विचारित 10.43 टी.एम.सी. का जल उपलब्ध नहीं करा सकता था। साथ ही, विभाग ने वन भूमि के अभिग्रहण में आ रही समस्याओं के कारण कदम जलाशय द्वारा क्षेत्र को (सिंचित करने) का कार्य त्याग (2002) दिया था। इस कारण से कदम जलाशय से 23.41 टी.एम.सी. का प्रस्तावित जल परियोजना हेतु उपलब्ध नहीं था। यह परियोजना हेतु जल उपलब्धता के आकलन, में त्रुटियों को दर्शाता है, जिसके कारण आई.पी. में अंतर आया।
			17,018 हेक्टेयर की सी.सी.ए. को कम कर दिया गया था चूंकि क्षेत्र अन्य परियोजना (नागार्जुन सागर लेफ्ट नहर परियोजना, मुसी व अन्य शाखाओं) में भी समाविष्ट था।
			डी.पी.आर. में दो बैलेंसिंग जलाशयों के निर्माण/पुनर्निर्माण को दर्शाया गया था। परिणामस्वरूप, माइलर्म बैलेंसिंग जलाशय के पुनर्निर्माण के कारण परियोजना विस्थापित परिवारों के मुद्दे को पुनर्वास व पुनः स्थापन (आर. एवं आर.) स्वीकृति तथा पर्यावरणीय स्वीकृतियों में उठाया नहीं गया था।
30.		श्री कोमारम भीम	परियोजना को 9,915 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के साथ मध्यम सिंचाई परियोजना के रूप में 2006-07 में बाईं मुख्य नहर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। सरकार ने 5.04 टी.एम.सी. से 8.68 टी.एम.सी. तक जल आवश्यकता को बढ़ाने के लिए 8,688.45 हेक्टेयर को अतिरिक्त आई.पी. के निर्माण की अनुमति (सितम्बर 2005) में दी। इस प्रकार, परियोजना जिसे 9,915 हेक्टेयर की आई.पी. के साथ एक मध्यम सिंचाई योजना के रूप में आरंभ किया गया था को अब 18,618 हेक्टेयर में संशोधित कर दिया गया जो मुख्य

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मुद्दे
			परियोजना वर्ग (आरंभ में यह मध्यम परियोजना वर्ग थी) में आती है।
31.		इंदिराम्मा बाढ़ प्रवाह नहर	ग्रामवासियों से आपत्तियों के कारण संयुक्त जलाशय को हटा देने से 8,094 हेक्टेयर की सी.सी.ए. को कम कर दिया गया था।
32.		राजीव भीमा एल.आई.एस. (मुख्य)	पैकेज 27 में अयाकट का 4,217 हेक्टेयर की सीमा तक का अतिव्यापन जो कि महात्मा गांधी कलवाकुरति लिफ्ट सिंचाई योजना के पैकेज 28 के अंतर्गत पहले से ही समाविष्ट था।
33.	उत्तर प्रदेश	लाहचुरा बांध का आधुनिकीकरण व मध्य गंगा फेज-II परियोजना	कार्य की मदों की मात्रा में काफी अंतर पाया गया था जो इन परियोजनाओं के डी.पी.आर. तैयार करने से पहले विस्तृत सर्वेक्षण व जांच के न होने को दर्शाता है। कार्यों की मद में वृद्धि 62 गुना तक थी जबकि कार्यों की मद में कमी 99 प्रतिशत थी।
34.		मध्य गंगा फेज-II	66.20 कि.मी. की लंबाई में कंक्रीट की लाइनिंग हेतु 117.87 करोड़ जुलाई 2007 में स्वीकृत किए गए थे। नहर की आंतरिक ढाल व तल में लाइनिंग का कार्य केवल 31.55 कि.मी. तक ही किया गया था तथा इस के पश्चात वर्ष 2016 में तल की लाइनिंग के कार्य को रोक दिया गया इस बहाने से कि नहर के तल में लाइनिंग भूजल के पुनर्भरण को सीमित कर देगी। इस कारण से, डी.पी.आर. को तैयार करने के दौरान इसकी जांच नहीं की गई थी कि क्या नहर के तल में लाइनिंग अपेक्षित थी या नहीं। भूजल के पुनर्भरण की दृष्टि से यदि तल की लाइनिंग अपेक्षित नहीं थी तो तल की लाइनिंग पर हुए व्यय को टाला जा सकता था। यह कार्यों के निष्पादन व डी.पी.आर. को तैयार करने से पहले उचित अध्ययन के अभाव को दर्शाता है।
35.		बाणसागर नहर	71.494 कि.मी. लंबे 46.46 क्यू.मेक. क्षमता के फीडर चैनल के माध्यम से अदवा बैराज को बाणसागर जलाशय से जल की आपूर्ति की जानी थी। फीडर चैनल को 35.90 कि.मी. लंबे विद्यमान आद नाला से होकर निकलना था। चूंकि फीडर चैनल की क्षमता 46.46 क्यू.मेक. थी इसलिए आद नाला के जल विज्ञान का आकलन किया जाना चाहिए था यह जानने के लिए कि क्या फीडर चैनल अपनी पूरी क्षमता के साथ इस नाले से निकल पाने में समर्थ है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आद नाला की क्षमता का आकलन डी.पी.आर. में नहीं किया गया था। इसलिए, कोई आश्वासन नहीं था कि बाणसागर फीडर चैनल की अपनी पूर्ण क्षमता के साथ चलने

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मुद्दे
			पर आदनाला में जल की निकासी की पर्याप्त वहन क्षमता थी।
		एम.आई. योजनाएं	
1.	अरूणाचल प्रदेश	बाना ब्लॉक के अंतर्गत एम.आई. योजनाओं का समूह	₹ 98.00 लाख की अनुमानित लागत के साथ परियोजना प्रस्ताव में केवल सर्वेक्षण एवं उप एम.आई.पी. का अनुमान सम्मिलित था। परियोजना प्रस्ताव में बी.सी. अनुपात, परियोजना की मुख्य विशेषताएं, परियोजना फेजिंग/शेड्यूल, इंडेक्स मैप आदि जैसी महत्वपूर्ण सूचना को सम्मिलित नहीं किया गया था।
2.		ईटानगर सब-डिविजन के अंतर्गत कुकुर्जन, ओल्ड गंगा एम.आई. योजना आदि एम.आई. योजनाओं का समूह	79 हेक्टेयर के वास्तविक लक्ष्य के साथ इसे ₹ 1.43 करोड़ की लागत पर अनुमोदित किया गया था। डी.पी.आर. की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि परियोजना में सात उप एम.आई. योजनाएं समाविष्ट थीं जिसका कुल लक्षित क्षेत्र सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार 270 हेक्टेयर था। इस प्रकार, हेक्टेयर के आवृत्त क्षेत्र के संदर्भ में डी.पी.आर. में दी गई सूचना सर्वेक्षण के अनुरूप नहीं थी।
3.	मध्यप्रदेश	कचनारी विपथन योजना	निष्पादन के दौरान स्थल पर वास्तविक सिंचन क्षेत्र (220 हेक्टेयर की सी.सी.ए.) उपलब्धता न होने के कारण 3,420 मी नहर की लंबाई का निर्माण नहीं किया जा सका। इसने दर्शाया कि डी.पी.आर. ने सिंचन क्षेत्र की उपलब्धता का सही रूप से आकलन नहीं किया था। नहर का निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण परियोजना पर ₹ 3.21 करोड़ के व्यय की बर्बादी हुई।
4.	महाराष्ट्र	चन्द्रभागा बैराज	₹ 188.96 करोड़ की लागत पर जून 2015 में बैराज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था परंतु जलमग्न क्षेत्र से सिंचन क्षेत्र का स्थल ऊंचे स्तर पर होने के कारण नहर का निर्माण नहीं हो सका था, जो अनुचित सर्वेक्षण व योजना को दर्शाता है, जिससे ₹ 188.96 करोड़ का विशाल व्यय अवरूद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त, जलमग्न क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो गांवों का पुनर्वास न होने के कारण बैराज में जल का भंडारण न किया जा सका था।
5.	नागालैंड	अलाचिला एम.आई. योजना (मोकोकचंग), बलिजान एम.आई. योजना (दीमापुर), बलुघोकी एम.आई. योजना (दीमापुर), स्मूह-II एम.आई. योजना (दीमापुर),	12 चयनित नमूना एम.आई. योजनाओं में मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़े, मृदा सर्वेक्षण, जलविज्ञानी पहलू जैसे मानसूनी वर्षा, जलग्रहण क्षेत्र की प्रकृति, जलग्रहण क्षेत्र की विद्यमान जल उपलब्धता, भूजल क्षमता आदि नहीं थे। यद्यपि स्वतंत्र निगरानी दल (नैबकॉन्स प्रा. लि.) ने इन कमियों को दिसम्बर 2016 में बताया था, फिर भी एस.टी.ए.सी. ने उपरोक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण आंकड़ों के बिना ही डी.पी.आर. अनुमोदित कर दिया था।

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	मुद्दे
		खेकिहो आर.डब्ल्यू.एच. (दीमापुर), अपर अमलुमा एम.आई. योजना (दीमापुर), रालन एम.आई. योजना (वोखा), क्राजोल एम.आई. योजना (कोहिमा), कियोकी एम.आई. योजना (कोहिमा), चेन्याक एम.आई. योजना (तुन्सैंग), चोकलोत्सो (तुन्सैंग) तथा शोपोंग एम.आई. योजना (तुन्सैंग)	
6.	त्रिपुरा	प्रत्याकोयचेरा विपथन योजना, दुरायचेरा विपथन योजना, चंतुकचेरा विपथन योजना, पूर्बा नदियापुर एल.आई. योजना तलताला एल.आई. योजना, रबिया ड्राफिदा पैरा एल.आई. योजना, शनखोला एल.आई. योजना तथा कलशती पैरा एल.आई. योजना	चयनित नौ एम.आई. योजनाओं में से आठ मामलों में डी.पी.आर. तैयार नहीं किए गए थे। डी.पी.आर. के बजाय, राज्य सरकार ने निधिकरण हेतु जी.ओ.आई. को अनुमानित लागत व लक्षित सी.सी.ए. दर्शाते हुए परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत किया था। विभाग ने कहा कि प्राथमिक सर्वेक्षण व जांच की गई थी परंतु इन प्रतिवेदनों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

अनुबंध 3.1

(पैरा 3.1 का संदर्भ लें)

दीर्घकालिक सिंचाई निधि (एल.टी.आई.एफ.) के तहत नई वित्तपोषण व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं

विशाल निधि आवश्यकता को पूरा करने और बड़ी संख्या में प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने नाबार्ड में समर्पित दीर्घकालिक सिंचाई निधि (एल.टी.आई.एफ.) के निर्माण हेतु घोषणा (2016-17) की। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं-

- 99 पहचाने गए, प्राथमिकता में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, ₹ 77,595 करोड़ (1 अप्रैल 2012 के अनुसार) की कुल आवश्यकता का मूल्यांकन किया।
- पी.एम.के.एस.वाई. के तहत निर्धारित परियोजनाओं के लिए केंद्रीय और राज्य के शेयर के वित्तपोषण के लिए ₹ 20,000 करोड़ के शुरूआती राशि के साथ नाबार्ड में समर्पित एल.टी.आई.एफ. का निर्माण।
- प्रारंभिक राशि के लिए निर्धारित स्रोत थें:
    - नाबार्ड को विशेष रूप से एल.टी.आई.एफ. के संबंध में वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.), भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त शेयर पूंजीगत योगदान सहित, भारत सरकार से बजट का आवंटन,
    - नाबार्ड द्वारा प्रत्यक्ष बाजार उधार; और
    - नाबार्ड द्वारा जारी किये बांड जिसका एम.ओ.एफ., भारत सरकार द्वारा पूरे बॉन्ड अवधि के लिए, संबंधित वर्षों के लिए बजट में उचित प्रावधान करके, पूर्णतः खर्च उठाया गया।
- बजट के समय, वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए, नाबार्ड द्वारा लागत रहित निधियों को जुटाने के बारे में एम.ओ.एफ., भारत सरकार और एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. का निर्णय लेना।
- छः प्रतिशत प्रति वर्ष की उधार दर सुनिश्चित करने के लिए नियमित बाजार उधार के साथ आवश्यक अनुपात में मिश्रित जी.ओ.आई. सेवित बॉडों के माध्यम से अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ई.बी.आर.)।
- पी.एम.के.एस.वाई. के तहत प्राथमिकता परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 2016-17 के दौरान 'जी.ओ.आई. पूर्णतः सर्विस्ड बॉड' के रूप में ₹ 6,300 करोड़ के ई.बी.आर. को बढ़ाने के लिए एम.ओ.एफ. (अक्टूबर 2016) की मंजूरी।
- राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.ए.), जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है और केंद्रीय शेयर के लिए एल.टी.आई.एफ. के अंतर्गत संसाधन उधार लेने के लिए एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. के तहत कार्य कर रहा है।
- मंत्रालय ने 2016-17 में ₹ 3,246 करोड़ जारी किए जिनमें सी.ए. के रूप में ₹ 825 करोड़ और नाबार्ड के माध्यम से ₹ 2,413 करोड़ शामिल थें। नाबार्ड ने राज्य सरकारों को ₹ 3,334 करोड़ की राशि जारी की थी।

- केन्द्रीय हिस्से के उधार के लिए सितंबर 2016 में एन.डब्ल्यू.डी.ए., एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर. और नाबार्ड के बीच समझौते के ज्ञापन (एम.ओ.ए.) पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य हिस्सेदारी के लिए ऋण के संबंध में, संबंधित राज्य सरकार, एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. और जी.आर., आर.बी.आई./मुख्य बैंकर, नाबार्ड और एन.डब्ल्यू.डी.ए. (यथा प्रयोज्य) द्वारा एक अलग एम.ओ.ए. पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- एन.डब्ल्यू.डी.ए. द्वारा मूल ऋण राशि का पुनर्भुगतान 15 वर्षों में त्रैमासिक किस्तों और ब्याज के त्रैमासिक भुगतान करना। अधिस्थगन अवधि के दौरान भी, एन.डब्ल्यू.डी.ए. द्वारा ब्याज देना। वर्ष 2016-17 के लिए ब्याज दर 6 प्रतिशत (नाबार्ड के 0.60 प्रतिशत मार्जिन सहित) होना।
- नाबार्ड के भीतर एल.टी.आई.एफ. ब्याज उतार-चढ़ाव रिजर्व फंड (एल.आई.एफ.आर.एफ.) को 0.60 प्रतिशत के मार्क-अप सहित निधियों के संचालन के वास्तविक भारित औसत लागत (भारत सरकार से शून्य लागत निधियों सहित) और वास्तविक ऋण दर के बीच अंतर को समायोजित करना। नाबार्ड द्वारा भारत सरकार को एल.आई.एफ.आर.एफ. का एक वार्षिक लेखापरीक्षित विवरण दिया जाना था और एल.आई.एफ.आर.एफ. में शेष राशि को एल.टी.आई.एफ. के तहत ऋण और ब्याज के सभी पुनर्भुगतानों के बाद नाबार्ड द्वारा जी.ओ.आई. को हस्तांतरीत किया जाता है।
- सार्वजनिक डोमेन में परियोजनाओं के बुनियादी विवरण उपलब्ध करा कर और अंतिम लाभार्थियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करके सामाजिक निगरानी करना।

अनुबंध 3.2
(पैरा 3.2.1 का संदर्भ लें)
केंद्रीय सहायता कम जारी करना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की सं.	बजट प्रावधान	जारी की जानेवाली सी.ए.	जारी की गई सी.ए.	सी.ए. कम जारी करना	अभियुक्ति
			एम.एम.आई. परियोजनाएं				
1.	आंध्र प्रदेश	3	677.38	232.51	143.55	88.96	भारत सरकार ने परियोजनाओं के लिए 2006 और 2007 के दौरान केंद्रीय सहायता की पहली किस्त जारी की। राज्य सरकार ने व्यय का विवरण देर से जमा किया जिसके परिणामस्वरूप केंद्रीय शेयर की दूसरी किश्त जारी नहीं की गई।
2.	असम	4	891.00	802.00	389.00	413.00	बजटीय आवंटन की तुलना में, जारी निधियां पर्याप्त नहीं थी।
3.	बिहार	3	294.83	193.45	143	50.45	-
4.	छत्तीसगढ़	4	-	349.14	144.00	205.14	विभाग ने बकाया सीए प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया
5.	गुजरात	3		7,052.78	4,655	2,397.78	-
6.	झारखंड	1	-	4,624.00	1,279.00	3,345.00	राज्य सरकार ने क्रमश: 310 दिनों और 832 दिनों की देरी के साथ (मार्च 2013 और अगस्त 2015) 2011-12 के दौरान जारी किए गए ₹ 335.54 करोड़ के अनुदान और 2012-13 के दौरान ₹ 515.72 करोड़ के उपयोग का विवरण मंत्रालय को प्रस्तुत किया जिसके कारण उक्त अवधि के दौरान सी.ए. कम जारी किया गया होगा।

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की सं.	बजट प्रावधान	जारी की जानेवाली सी.ए.	जारी की गई सी.ए.	सी.ए. कम जारी करना	अभियुक्ति
7.	कर्नाटक	2	-	1,187.00	78.00	1,109.00	वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 270 करोड़ की एन.एल.बी.सी. परियोजना हेतु सी.ए. के प्रस्ताव को सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा मंजूर कर लिया गया था, लेकिन केवल 70 करोड़ रूपये जारी किए गए थें। इसके बाद, 2015-16 में, व्यय के लेखापरीक्षित विवरण के अभाव और ₹ 310 करोड़ के भौतिक और वित्तीय प्रगति के संबंध में सी.डब्ल्यू.सी. को जमा व्यय विवरण (2014-15) में विसंगतियों के कारण सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा ₹ 603.60 करोड़ तक के सी.ए. प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। दूधगंगा परियोजना ने 31.03.2012 को ₹ 51.13 करोड़ की वित्तीय प्रगति हासिल की, जबकि कंपनी 2011-12 के बाद भी लागत के लिए सी.ए. के लिए प्रस्ताव भेजती रही। हालांकि, इसे जारी रखने के लिए सी.डब्ल्यू.सी./जी.ओ.आई. से अभी तक कोई आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है।
8.	केरल	1	-	13.49	2.70	10.79	चूंकि विभाग ने पहली किश्त (राज्य के समान शेयर सहित) का भी पूर्ण उपयोग नहीं किया था,

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की सं.	बजट प्रावधान	जारी की जानेवाली सी.ए.	जारी की गई सी.ए.	सी.ए. कम जारी करना	अभियुक्ति
							इसलिए भारत सरकार ने सी.ए. की शेष राशि जारी नहीं की थी।
9.	ओडिशा	7	5,681.00	2,298.00	1,744.00	554.00	2009-17 के दौरान वार्षिक बजट में किए गए प्रावधान व्यय की तुलना में पर्याप्त थें।
10.	राजस्थान	1	349.00	87.00	17.00	70.00	-
11.	तेलंगाना	6	-	4,337.00	3,702.00	635.00	भूमि अधिग्रहण में देरी, अंतर विभागीय मुद्दों और भूमिगत खुदाई के लिए अप्रत्याशित भूमि-स्थिति।
12.	त्रिपुरा	1	-	4.76	0	4.76	भारत सरकार ने पहले से जारी किए गए केंद्रीय शेयर के लिए यू.सी. के गैर-प्रस्तुतीकरण, समय पर परियोजनाओं को पूरा करने और कमांड एरिया विकास कार्यों के निष्पादन के लिए विभाग की विफलता के कारण केंद्रीय शेयर जारी नहीं किया।
13.	उत्तर प्रदेश	6	5,267.00	1,720.00	938.00	782.00	जी.ओ.आई. के निर्देशों के गैर-अनुपालन, उपयोगिता प्रमाणपत्रों के गैर-प्रस्तुतिकरण, आदि कारणों से भारत सरकार द्वारा कम जारी किया गया।
			कुल	**22,901.13**	**13,235.25**	**9,665.88**	
एम.आई. योजना							
1.	असम	30 एम.आई. योजना	246.96	222.26	118.93	103.33	-
2.	छत्तीसगढ़	421 एम.आई. योजना	-	1427.62	882.92	544.70	-

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की सं.	बजट प्रावधान	जारी की जानेवाली सी.ए.	जारी की गई सी.ए.	सी.ए. कम जारी करना	अभियुक्ति
3.	जम्मू एवं कश्मीर	पाँच एम.आई. योजना	74.86	67.38	26.68	40.70	-
4.	राजस्थान	भीमनी	44.00	15.00	8.00	7.00	-
	कुल	457 एम.आई. योजनाएँ		**1,732.26**	**1,036.53**	**695.73**	

अनुबंध 3.3 ए
(पैरा 3.3 का संदर्भ लें)
एम.एम.आई. परियोजना में राज्य का शेयर नहीं/अल्प जारी करना

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	वर्ष	राज्य समतुल्य शेयर	जारी किया	अल्प जारी
1.	बिहार	दुर्गावती	2015-16	60.23	13.13	47.10
2.		पुनपुन	2009-10	33.75	12.15	21.60
3.		कोशी बैराज का मरम्मत	2009-10	7.40	5.86	1.54
4.	गुजरात	अहजी IV	2008-09	6.75	3.45	3.30
5.		भदर II	2008-09	8.91	3.95	4.96
			2009-10	14.19	7.03	7.16
6.	जम्मू एवं कश्मीर	त्राल एल.आई.एस.	2008-09	0.54	0.15	0.39
			2011-12	0.80	0	0.80
			2014-15	1.12	0.05	1.07
			2016-17	1.18	0.05	1.13
7.		प्रकाचिक खवास	2009-10	0.51	0.30	0.21
			2011-12	0.90	0.40	0.50
			2013-14	0.72	0.24	0.48
8.		अहजी नहर का आधुनिकीकरण	2012-13	0.56	0	0.56
9.		दादी नहर का आधुनिकीकरण	2008-13	1.00	0.48	0.52
10.	झारखंड	सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना	2011-17	1,990.06	1,750.40	239.66
11.	उत्तर प्रदेश	बाणसागर	2008-17	1,710.37	1,145.51	564.86
12.		शारदा सहायक नहर का मरम्मत	2009-14	427.09	229.12	197.97
13.		मध्य गंगा फेज II	2008-16	1,156.95	788.35	368.60
14.		हरदोई शाखा की सिंचाई तीव्रता में सुधार	2008-13	86.90	69.76	17.14
15.		लाचुर डैम का आधुनिकीकरण	2008-13	197.02	162.23	34.79
	कुल			**5,706.95**	**4,192.61**	**1,514.34**

अनुबंध 3.3 बी
(पैरा 3.3 का संदर्भ लें)
राज्य सरकारों द्वारा सी.ए. के जारी करने में विलंब

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	जारी की गई राशि (₹ करोड़ में)	(दिनों में विलंब)
एम.एम.आई. परियोजनाएं			
1.	असम	338.95	68 से 530
2.	जम्मू एवं कश्मीर	458.23	तीन से 206
3.	महाराष्ट्र	504.69	तीन से 63
4.	पश्चिम बंगाल	1.42	33 से 114 दिन
एम.आई. योजनाएं			
5.	अरूणाचल प्रदेश	232.40	46 से 439
6.	उत्तराखंड	584.06	सात से 184 दिन
7.	मेघालय	194.74	18 से 300 दिन
	कुल	**2,314.49**	

अनुबंध 3.4
(पैरा 3.4 का संदर्भ लें)
उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का गैर-प्रस्तुतीकरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	राशि जारी किया गया सी.ए.	प्रस्तुत किए गए यू.सी.	प्रस्तुत किए जाने वाले यू.सी.
एम.एम.आई. परियोजनाएं					
1.	आंध्र प्रदेश	ताराकरम तीर्थ सगरम	33.00	6.19	26.81
2.	असम	धनसिरी	383.97	179.22	204.75
3.		चंपामती			
4.		बोरोलिया			
5.		जमुना नहर का आधुनिकीकरण			
6.	गोवा	तिल्लारी	59.23	24.12	35.11
7.	हिमाचल प्रदेश	सिधाता	163.45	96.50	66.95
8.		बाल्ह घाटी			
9.	जम्मू एवं कश्मीर	अहजी नहर का आधुनिकीकरण	12.09	6.48	5.61
10.	झारखंड	सुवर्णरेखा परियोजना	1,278.63	1,132.88	145.75
11.	कर्नाटक	घाटप्रभा	120.33	72.64	47.69
12.		श्री रामेश्वर	62.74	10.82	51.92
13.		भीमासमुंद्र टैंक	3.48	0	3.48
14.		ऊपरी कृष्णा स्तर-I फेज III	422.13	134.50	287.63
15.		गुड्डादा मालापुरा	79.36	57.24	22.12
16.		वरही	77.59	58.08	19.51
17.	केरल	कारापुज्हा	8.57	0	8.57
18.		चित्तुरापुज्हा			
19.	मध्य प्रदेश	महुआर	8.55	0	8.55
20.		सिंहपुर	30.54	14.79	15.75
21.		सागद	26.55	11.84	14.71
22.	ओडिशा	निचली इंद्रा सिंचाई	645	626.86	18.14
23.	तेलंगाना	जे. चोखा राव	1,084.56	613.96	470.60
24.	पश्चिम बंगाल	तात्को	3.73	1.67	2.06
		कुल	**4,503.50**	**3,047.79**	**1,455.71**
एम.आई. स्कीमें					
1.	छत्तीसगढ़	421 एम.आई. स्कीमें	688.37	0	688.37
2.	झारखंड	537 एम.आई. स्कीमें	538.64	526.54	12.10
3.	महाराष्ट्र	2 एम.आई. स्कीमें	19.25	0	19.25
4.	ओडिशा	81 एम.आई. स्कीमें	150.55	138.58	11.97
	कुल	**1,041** एम.आई. स्कीमें	**1,396.81**	**665.12**	**731.69**
		कुल योग	**5,900.31**	**3,712.91**	**2,187.40**

अनुबंध 3.5
(पैरा 3.7 का संदर्भ लें)
एम.एम.आई. परियोजनओं में अव्ययित सी.ए.

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	जारी करने का वर्ष	सी.ए. की राशि	अव्ययित सी.ए. (₹ करोड़ में)	अव्ययित सी.ए. की अवधि	अभ्युक्तियां
1.	असम	चंपामती	2015-16	58.07	25.23	31.3.2017 को	2016-17 में सी.ए. जारी नहीं की गई
2.	बिहार	दुर्गावती	2015-16	38.75	30.30	-	2016-17 में सी.ए. जारी नहीं की गई
3.		पुनपुन	2009-10	11.25	8.10	-	2015-16 में केवल ₹ 2.76 करोड़ जारी किया गया
4.		कोशी की मरम्मत	2009-10	66.66	13.94	-	2009-10 से सी.ए. जारी नहीं किया गया
5.	गोवा	तिल्लारी	2012-13	8.00	3.95	01.10.2014 से	2012-13 से सी.ए. जारी नहीं किया गया था
6.	जम्मू एवं कश्मीर	त्राल एल.आई.एस.	2015-16	19.28	10.16	मार्च 2017 को	-
7.		कांदी नहर का आधुनिकीकरण	2007-08	10.39		मार्च 2010 से	2008-09 से सी.ए. जारी नहीं किया गया था
			2008-09	5.81	14.17		
8.	झारखंड	सुवर्णरेखा	2016-17	145.75	145.75	31.03.2017 को	-
9.	कर्नाटक	भीम समुंद्र टैंक	2009-10	3.48	2.70	31.03.2010 को	2008-09 से सी.ए. जारी नहीं किया गया था
			2010-11	-	2.70	31.03.2011 को	-
			2011-12	-	0.85	31.03.2012 को	-
			2012-13	-	0.40	31.03.2013 को	-

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	जारी करने का वर्ष	सी.ए. की राशि	अव्ययित सी.ए. (₹ करोड़ में)	अव्ययित सी.ए. की अवधि	अभ्युक्तियां
10.		गुड्डदा मलापुरा	2009-10	32.40	25.73	31.03.2010 को	-
			2010-11	24.84	18.98	31.03.2011 को	
			2013-14	22.11	8.90	31.03.2014 को	
			2014-15	-	2.66	31.03.2015 को	
11.		घाटप्रभा	2008-09	52.04	7.48	31.03.2009 को	2009-10 के दौरान ₹ 56.16 करोड़ की सी.ए. प्राप्ति के विरूद्ध ₹ 69.46 का व्यय किया गया
12.		ऊपरी कृष्णा स्तर-I	2009-10	152.98	95.47	31.03.2010 को	-
			2011-12	134.50	97.77	31.03.2012 को	
13.	तेलंगाना	जे. चोखा राव	2006-07	298.13	130.72	31.03.2010 को	-
			2007-08	405.00	293.13	31.03.2008 को	-
			2008-09	-	209.29	31.03.2009 को	2008-09 में सी.ए. जारी नहीं किया गया
			2009-10	180.00	138.16	31.03.2010 को	2009-10 में ₹ 180 करोड़ जारी किए गए थे, हालांकि ₹ 209.29 करोड़ की अव्ययित शेष राशि है
			2010-11	-	176.48	31.03.2011 को	-
			2011-12	256.13	29.70	31.3.2012 को	2012-13 के दौरान सी.ए. जारी नहीं किया गया था

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	जारी करने का वर्ष	सी.ए. की राशि	अव्ययित सी.ए. (₹ करोड़ में)	अव्ययित सी.ए. की अवधि	अभ्युक्तियां
14.		राजीव भीम एल.आई.एस.	2009-10	662.66	500.34	31.03.2010 को	अव्ययित सी.ए. के समायोजन तक 2009-10 के बाद सी.ए. जारी नहीं किया गया। 2016-17 में ₹ 54.48 करोड़ जारी किया गया।
			2010-11	-	422.87	31.03.2011 को	-
			2011-12		300.94	31.03.2012 को	-
			2012-13		157.07	31.03.2013 को	-
			2013-14		53.30	31.3.2014 को	-
			2014-15		22.06	31.03.2015 को	-
15.		एस.आर.एस. पी.-II	2009-10	65.19	50.05	31.03.2010 को	-
			2010-11	-	42.37	31.03.2011 को	-
			2011-12	-	36.26	31.03.2012 को	-
			2012-13	-	21.71	31.03.2013 को	-
			2013-14	-	9.06	31.03.2014 को	-
			2014-15	-	6.19	31.03.2015 को	-
			2015-16	-	4.31	31.03.2016 को	-
16.	त्रिपुरा	मानु	2010-11	26.09	25.34	31.03.2011 को	-
			2011-12	-	19.94	31.03.2012 को	-
			2012-13	-	16.72	31.03.2013 को	-

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	जारी करने का वर्ष	सी.ए. की राशि	अव्ययित सी.ए. (₹ करोड़ में)	अव्ययित सी.ए. की अवधि	अभ्युक्तियां
			2013-14	-	12.76	31.03.2014 को	-
			2014-15	-	7.64	31.03.2015 को	-
			2015-16	-	3.12	31.03.2016 को	-
			2016-17	-	2.55	31.03.2017 को	-
17.	पश्चिम बंगाल	तात्को	2011-12	3.72	2.76	31.03.2012 को	-
			2012-13	-	2.05	31.03.2013 को	-

अनुबंध 3.6
(पैरा 3.9 का संदर्भ लें)
एम.एम.आई. परियोजनओं में व्यय का आधिक्य

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	वर्ष	बजट प्राक्कलन	मार्च में किया गया व्यय	मार्च में किया गया व्यय का प्रतिशत
1.	ओडिशा	निचली सुकटेल	2008-09	78.06	65.07	83.36
			2009-10	22.59	14.79	65.47
			2010-11	28.10	9.61	34.20
			2011-12	20.40	3.78	18.53
			2014-15	34.17	10.00	29.27
			2016-17	243.94	99.13	40.64
2.		कानूपुर	2008-09	125.20	59.75	47.72
			2009-10	125.05	75.43	60.32
			2010-11	165.05	36.59	22.17
			2011-12	150.10	27.46	18.29
			2012-13	150.00	24.00	16.00
			2014-15	141.00	30.45	21.69
			2016-17	165.00	26.76	16.22
3.		रूकुड़ा	2009-10	9.48	8.32	87.76
			2010-11	19.53	10.71	54.84
			2011-12	9.00	1.56	17.33
			2013-14	28.64	8.41	29.36
			2014-15	56.51	21.43	37.92
4.		निचली इंदिरा	2011-12	144.00	34.02	23.62
5.	राजस्थान	नर्मदा नहर	2009-10	144.27	29.00	20.10
			2011-12	125.54	46.13	36.74
			2012-13	175.96	48.31	27.45
			2013-14	154.06	75.25	48.84
			2014-15	158.99	42.61	26.80
			2015-16	92.70	25.66	27.68
			2016-17	125.43	39.82	31.75
6.	उत्तर प्रदेश	बाणसागर	2008-09	368.36	75.49	20.49
			2009-10	240.06	105.96	44.14
			2013-14	137.42	74.50	54.21
			2014-15	165.19	37.90	22.94
			2015-16	110.00	33.95	30.87
			2016-17	197.00	61.03	30.98
			कुल	**3,910.80**	**1,262.88**	

अनुबंध 3.7

(पैरा 3.10 का संदर्भ लें)

एम.एम.आई. परियोजनाओं में अनुदान का ऋण के रूप गैर-रूपांतरण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रं.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	मार्च 2017 तक जारी की गई कुल सी.एल.ए./सी.ए.
1.	आंध्र प्रदेश	4	192.43
2.	असम	4	472.98
3.	बिहार	2	150.49
4.	छत्तीसगढ़	4	179.22
5.	गोवा	1	255.42
6.	गुजरात	3	9,777.38
7.	हिमाचल प्रदेश	3	321.66
8.	जम्मू एवं कश्मीर	9	403.44
9.	झारखंड	5	1,350.79
10.	कर्नाटक	9	1,677.69
11.	केरला	2	8.57
12.	मध्य प्रदेश	9	2,152.41
13.	महाराष्ट्र	24	4,518.61
14.	ओडिशा	7	2,472.52
15.	राजस्थान	3	1,930.39
16.	तेलंगाना	6	3,701.80
17.	त्रिपुरा	2	85.64
18.	उत्तर प्रदेश	6	1,449.89
19.	पश्चिम बंगाल	2	19.26
	कुल	**105**	**31,120.59**

अनुबंध 4.1

(पैरा संख्या 4.2.2 का संदर्भ लें)

एम.एम.आई. परियोजनाओं में समय का अतिक्रमण

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	पूरा होने की अनुसूचीत तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि/वर्तमान स्थिति	पूरा होने में विलंब (वर्ष)
1.	आंध्र प्रदेश	तादीपुडी एल.आई.एस.	अक्टूबर 2006	चालू	11
2.		तारकरामा तीर्थ सगरम	मई 2008	चालू	9
3.		के.ओ.आर. गुंडलाकम्मा जलाशय परियोजना	मई 2007	चालू	10
4.		स्वर्णमुखी	मार्च 2007	मई 2008	1
5.	असम	धनसिरी	मार्च 1999	चालू	18
6.		चंपामती	मार्च 1999	चालू	18
7.		जमुना सिंचाई में सुधार	मार्च 2005	मार्च 2009	4
8.		बोरोलिया	मार्च 1999	चालू	18
9.	बिहार	दुर्गावती	मार्च 1999	चालू	18
10.		पुनपुन	मार्च 2010	चालू	7
11.	छत्तीसगढ़	मनियारी	मार्च 2013	मार्च 2017	4
12.		केलो परियोजना	मार्च 2012	चालू	5
13.		कोसारटेडा परियोजना	मार्च 2005	जून 2013	8
14.		महानदी	मार्च 2010	2010-11	1
15.	गोवा	तिल्लारी सिंचाई परियोजना	मार्च 2003	चालू	14
16.	गुजरात	सरदार सरोवर	मार्च 2001	चालू	16
17.		अहजी-IV	मार्च 2003	2009-10	7
18.		भदर-II	मार्च 2005	2010-11	6
19.	हिमाचल प्रदेश	शाहनहर	मार्च 2000	चालू	17
20.		सिधाता	मार्च 2003	चालू	14
21.		बाल्ह घाटी बाँया किनारा	मार्च 2010	चालू	7
22.	जम्मू एवं कश्मीर	त्राल एल.आई.एस.	मार्च 2004	चालू	13
23.		प्रकाचिक खवास नहर	मार्च 2011	चालू	6
24.		राजपोरा एल.आई.एस.	मार्च 2004	चालू	13
25.		कांदी नहर का आधुनिकीकरण	मार्च 2012	चालू	5
26.		दादी नहर का आधुनिकीकरण	मार्च 2011	चालू	6
27.		रणवीर नहर का आधुनिकीकरण	मार्च 2003	चालू	14
28.		न्यू प्रताप का आधुनिकीकरण	मार्च 2003	चालू	12
29.		मुख्य रावि नहर का मरम्मत एवं आधुनिकीकरण	मार्च 2015	चालू	2

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	पूरा होने की अनुसूचीत तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि/वर्तमान स्थिति	पूरा होने में विलंब (वर्ष)
30.		अहजी नहर (ई.आर.एम.) का आधुनिकीकरण	मार्च 2010	चालू	7
31.	झारखंड	सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना (एस.एम.पी.)	मार्च 2015	चालू	2
32.		गुमानी बैराज योजना	मार्च 2000	चालू	17
33.		सोनुआ जलाशय योजना	मार्च 2000	चालू	17
34.		सुरंगी जलाशय योजना	मार्च 2000	चालू	17
35.		पंचखेरो जलाशय योजना	मार्च 2009	चालू	8
36.	कर्नाटक	ऊपरी तुंगा सिंचाई परियोजना	मार्च 2015	चालू	2
37.		श्री रामेश्वर सिंचाई	मार्च 2015	मार्च 2017	2
38.		मरम्मत-भीमसमुंद्र टैंक	मार्च 2012	चालू	5
39.		दूघगंगा	मार्च 2012	चालू	5
40.		गुड्डदा मलापुरा एल.आई.एस.	मार्च 2012	चालू	5
41.		घाटप्रभा स्तर-III	मार्च 2000	2010-11	11
42.		वराही	मार्च 2012	चालू	5
43.		यूकेपी स्तर-I	मार्च 2005	चालू	12
44.		गंदोरीनाला	मार्च 2005	मार्च 2010	5
45.	केरल	कारापुज्हा	मार्च 2009	चालू	8
46.		चित्तूरपुज्हा	मार्च 2012	चालू	5
47.	मध्य प्रदेश	सिंध परियोजना फेज-II	मार्च 2001	चालू	16
48.		इंदिरा सागर परियोजना नहर फेज-III	मार्च 2012	चालू	5
49.		इंदिरा सागर परियोजना नहर फेज -I एवं II	मार्च 1999	चालू	18
50.		बाणसागर यूनिट-II	मार्च 2008	चालू	9
51.		सिंहपुर परियोजना	मार्च 2013	मार्च 2017	4
52.		संजय सागर (बाह) परियोजना	मार्च 2014	चालू	3
53.		माहौर परियोजना	मार्च 2015	मार्च 2017	2
54.		सागर (Sagads) परियोजना	मार्च 2014	मार्च 2017	3
55.		पुनासा लिफ्ट	मार्च 2012	चालू	5
56.	महाराष्ट्र	कृष्णा कोयना लिफ्ट सिंचाई परियोजना	मार्च 2014	चालू	3
57.		वांग प्रमुख परियोजना	मार्च 2011	चालू	6
58.		अरूणा मध्यम परियोजना	मार्च 2012	चालू	5
59.		निचली पेढ़ी	मार्च 2011	चालू	6
60.		निचली पंजारा	मार्च 2012	मार्च 2017	5
61.		नांदुर मधमेश्वर फेज-2	मार्च 2013	चालू	4
62.		तिल्लारी प्रमुख परियोजना	मार्च 2008	चालू	9

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	पूरा होने की अनुसूचीत तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि/वर्तमान स्थिति	पूरा होने में विलंब (वर्ष)
63.		कृष्णा प्रमुख परियोजना	अप्रैल 2012	2008-09	4
64.		तारली	मार्च 2012	चालू	5
65.		वर्ना	मार्च 2009	मार्च 2017	8
66.		हेतवाने मध्यम	मार्च 2005	2008-09	3
67.		धोम बालकवड़ी	मार्च 2012	चालू	5
68.		संगोला शाखा नहर	मार्च 2012	चालू	5
69.		अर्जुना	मार्च 2010	चालू	7
70.		बावनथड़ी	मार्च 2008	मार्च 2017	9
71.		निचली दुधना	मार्च 2009	चालू	8
72.		निचली वर्धा	मार्च 2009	चालू	8
73.		वाघुर	मार्च 1999	चालू	18
74.		गुल मध्यम	मार्च 2008	चालू	9
75.		ऊपरी वर्धा	मार्च 2000	मार्च 2009	9
76.		मदन टैंक	मार्च 2008	2008-09	1
77.		पेंटाक्ली	मार्च 2009	2009-10	1
78.		खड़कपुर्णा	मार्च 2010	चालू	7
79.		चंदभागा	मार्च 2009	2009-10	1
80.	ओडिशा	आनंदपुर बैराज/एकीकृच (ई.आर.एम.)	मार्च 2010	चालू	7
81.		तेलेनगिरी (के.बी.के.)	मार्च 2008	चालू	9
82.		रेत सिंचाई (के.बी.के.)	मार्च 2008	चालू	9
83.		कानुपूर	मार्च 2008	चालू	9
84.		निचली सुकटेल (के.बी.के.)	मार्च 2004	चालू	13
85.		निचली इंद्रा (के.बी.के.)	मार्च 2004	चालू	13
86.		रूकुड़ा ट्राईबल	मार्च 2014	चालू	3
87.	राजस्थान	नर्मदा नहर परियोजना	मार्च 2003	चालू	14
88.		गंग नहर का आधुनिकीकरण	मार्च 2008	चालू	9
89.		इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, स्तर-II	मार्च 2006	चालू	11
90.	तेलंगाना	राजीव भीमा एल.आई.एस.-प्रमुख सिंचाई परियोजना	मार्च 2012	चालू	5
91.		एस.आर.एस.पी. की इंदिराम्मा बाढ़ प्रवाह नहर	मार्च 2012	चालू	5
92.		एस.आर.एस.पी. स्तर-II प्रमुख/ई.आर.एम.	मार्च 2011	चालू	6
93.		पालेमवागु	मार्च 2010	चालू	7
94.		जे. चोक्का राव, एल.आई.एस.	मार्च 2009	चालू	8
95.		श्री कोमाराम भीम	मार्च 2009	चालू	8

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	पूरा होने की अनुसूचीत तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि/वर्तमान स्थिति	पूरा होने में विलंब (वर्ष)
96.	त्रिपुरा	मनु मध्यम सिंचाई परियोजना	मार्च 1999	चालू	18
97.		खोवई मध्यम सिंचाई परियोजना	मार्च 1999	चालू	18
98.	उत्तर प्रदेश	लाहचुरा बॉध का आधुनिकीकरण	मार्च 2009	चालू	8
99.		हरदोई शाखा के सिंचाई तिव्रता में सुधार	मार्च 2009	चालू	8
100.		बाणसागर नहर	मार्च 2004	चालू	13
101.		पूर्वी गंगा नहर	मार्च 2008	2010-11	3
102.		शारदा सहायक नहर प्रणाली का मरम्मत	मार्च 2014	चालू	3
103.		मध्य गंगा नहर फेज-II	मार्च 2013	चालू	4
104.	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर जिले में सुवर्णरेखा बैराज प्रमुख सिंचाई परियोजना	मार्च 2002	चालू	15
105.		पुरूलिया जिले में तात्को मध्यम सिंचाई परियोजना	मार्च 2003	चालू	14

अनुबंध 4.2
(पैरा 4.3.2 का संदर्भ लें)
निष्क्रिय एम.आई. योजनाओं/उप-योजनाओं की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	योजनाएं
	उत्तर पूर्वी राज्य	
1.	अरूणाचल प्रदेश	सिंग्रीहापा, कुकुरजन, चिंपु, पुरानी गंगा, दारिसो, पापे, पीच पर ऊपरी नल्लाह, बुदागाँव, वांघूनाला, गिपाजंग, थोकोंग नाला, गुरूंगथांका, खोव-सिराक, सारशंग, डोनलोक, लालचुंग नाला, आतोरंगोक, ताहोनला, तारीपानी, कलिंग, मेका, दोईमुख, सेप्पा पूर्व, रूपुंग हिस्सांग, सा कोरोंग, गोबुक, राग्या कोरोंग से पिल्लाकलारूक, गोमपाक कोरोंग से मोदम और नींगमो
2.	नागालैंड	कारज्होल (फेज-II), चेनयाक, शोपोंग, फांगतियांग, अलाचिला, बालुघोकी और रालन
3.	सिक्किम	पाबोंगखोला से मिडील डेयरिंग, तुमिनखोला से राल्सी, सिमुनाखोला से दोचुमखेत, लोवर झोईसुईंग पर तारी पैडी फिल्ड, काली खोला से लिंसेय खेत और काली खोला से मध्य रातेयपानी
	अन्य राज्य	
1.	जम्मू एवं कश्मीर	दाथांग सिंचाई नहर और पोंडाखुल
2.	झारखंड	आमगाछी नाला पर चेक डैम, राई नाला पर चेक डैम, बिलामकेल नाला पर चेक डैम और खोरहा नाला पर चेक डैम
3.	मध्य प्रदेश	बेरखेदी वेयर और भित्रीमुटमुरू टैंक
4.	त्रिपुरा	प्रतेक्रोचेरा डाइवर्जन योजना, रविंद्र पारा एल.आई. योजना, शंखोला एल.आई. योजना, कालाशती पारा एल.आई. योजना
5.	उत्तराखंड	डियूला-खैरा काटाल, डियूला-डियूला, सराई अक्कर और जमारू कुला
6.	पश्चिम बंगाल	पानिहा प्रमुख आर.एल.आई.

अनुबंध 4.3
(पैरा 4.4 का संदर्भ लें)
एम.एम.आई. परियोजनाओं में लागत का अतिक्रमण

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. स.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	मूल लागत	पुनरीक्षित लागत	लागत अतिक्रमण (पुनरीक्षित - असल लागत)	लागत अतिक्रमण का प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	तादीपुडी एल.आई.एस.	376.96	568.00	191.04	51
2.		तारकरामा तीर्थ सागरम	220.11	471.31	251.20	114
3.		के.ओ.आर. गुंडलाकाम्मा जलाशय परियोजना	165.22	753.83	588.61	356
4.	असम	धनसिरी	158.32	567.05	408.73	258
5.		बोरोलिया	33.37	157.04	123.67	371
6.		चंपामती	47.49	309.22	261.73	551
7.	बिहार	पुनपुन	69.01	658.12	589.11	854
8.		दुर्गावती	124.99	983.10	858.11	687
9.	गोवा	तिल्लारी सिंचाई परियोजना	147.54	1,051.69	904.15	613
10.	गुजरात	सरदार सरोवर	6,406.06	54,772.94	48,366.88	755
11.	हिमाचल प्रदेश	शाहनहर	143.32	387.17	243.85	170
12.		सिधाता	33.62	95.29	61.67	183
13.		बाल्ह घाटी बाँया किनारा	41.64	103.78	62.14	149
14.	जम्मू एवं कश्मीर	त्राल एल.आई.एस.	129.43	140.76	11.33	9
15.		प्रकाचिक खोवस नहर	35.43	53.32	17.89	50
16.		राजपोरा एल.आई.एस.	29.13	70.20	41.07	141
17.		रणबीर नहर का आधुनिकीकरण	84.4	176.89	92.49	110
18.		मुख्य रावी नहर की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण	62.27	66.67	4.40	7
19.	झारखंड	गुमानी बैराज योजना	83.72	185.76	102.04	122
20.		सोनुआ जलाशय योजना	48.98	82.65	33.67	69
21.		सुरंगी जलाशय योजना	24.91	41.17	16.26	65
22.		पंचखेरो जलाशय योजना	54.73	75.68	20.95	38
23.	कर्नाटक	एन.एल.बी.सी. प्रणाली टैंक	3,752.18	4,233.98	481.80	13
24.		घाटप्रभा स्तर-III (पूर्ण)	90.54	1,210.51	1,119.97	1237
25.		यू.के.पी. स्तर-I, फेज III	1,214.91	6,891.59	5,676.68	467
26.		गंदोरीनाला (पूर्ण)	7.71	240.00	232.29	3013
27.	केरल	कारापुज्हा	7.60	560.00	552.40	7268
28.	मध्य प्रदेश	सिंध परियोजना फेज-II	607.67	2,045.74	1,438.07	237

क्र. स.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	मूल लागत	पुनरीक्षित लागत	लागत अतिक्रमण (पुनरीक्षित - असल लागत)	लागत अतिक्रमण का प्रतिशत
29.		इंदिरा सागर नहर परियोजना फेज-III	704.13	943.18	239.05	34
30.		इंदिरा सागर नहर परियोजना फेज -I एवं II	1,154.00	2,019.82	865.82	75
31.		बाणसागर यूनिट-II	610.33	2,143.65	1,533.32	251
32.		ओंकारेश्वर नहर परियोजना फेज IV (ओ.एस.पी. लिफ्ट)	999.86	1,175.51	175.65	18
33.		पुनासा लिफ्ट	464.62	488.06	23.44	5
34.		सिंहपुर (पूर्ण)	200.52	242.97	42.45	21
35.		इंदिरा सागर यूनिट-V	628.12	742.51	114.39	18
36.	महाराष्ट्र	कृष्णा कोयना लिफ्ट सिंचाई परियोजना	2,224.76	4,959.91	2,735.15	123
37.		निचली पेढ़ी	283.1	594.75	311.65	110
38.		निचली पंजारा (पूर्ण)	132.44	556.29	423.85	320
39.		नांदुर मधमेश्वर फेज-II	195.41	2,210.59	2,015.18	1031
40.		बावनथड़ी (पूर्ण)	121.39	867.2	745.81	614
41.		निचली दुधना	517.41	2,341.67	1,824.26	353
42.		निचली वर्धा	542.25	2,356.58	1,814.33	335
43.		वाघुर	161.05	1,183.55	1,022.5	635
44.		गुल	63.25	96.61	33.36	53
45.		ऊपरी वर्धा (पूर्ण)	26.95	951.33	924.38	3430
46.		पेंटाक्ली (पूर्ण)	25.8	172.45	146.65	568
47.		खड़कपूर्णा	497.32	1,095.92	598.6	120
48.		तिल्लारी सिंचाई परियोजना	830.58	1,390.04	559.46	67
49.		ताराली सिंचाई परियोजना	795.67	1,057.63	261.96	33
50.		हेतवाने परियोजना (पूर्ण)	208.54	329.9	121.36	58
51.		धोम बालकवड़ी परियोजना	475.29	684.64	209.35	44
52.		संगोला शाखा नहर परियोजना	287.77	937.92	650.15	226
53.		चन्द्रभागा	28.86	200.29	171.43	594
54.		कर	78.80	170.04	91.24	116
55.		लाल नल्ला	39.08	202.51	163.43	418
56.		मदन टैंक	10.07	88.09	78.02	775
57.		प्रकाशा	41.53	245.03	203.50	490
58.		सांरगखेड़ा	57.70	276.49	218.79	379
59.		ताजनापौर	6.17	438.70	432.53	7010
60.	ओडिशा	आनंदपुर बैराज/एकीकृत	581.40	2,990.05	2,408.65	414

क्र. स.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	मूल लागत	पुनरीक्षित लागत	लागत अतिक्रमण (पुनरीक्षित - असल लागत)	लागत अतिक्रमण का प्रतिशत
61.		तेलेनगिरी	106.18	992.85	886.67	835
62.		रेत सिंचाई	86.14	768.46	682.32	792
63.		कानुपुर	428.32	2,438.29	2,009.97	469
64.		निचली सुकटेल	217.13	1,041.81	824.68	380
65.		निचली इंद्रा	211.70	1,753.64	1541.94	728
66.		रूकुड़ा जनजाति	155.48	296.98	141.50	91
67.	राजस्थान	नर्मदा नहर	467.53	2,481.49	2,013.96	431
68.		गंग नहर का आधुनिकीकरण	445.79	621.42	175.63	39
69.		इंदिरा गाँधी नहर परियोजना, स्तर-II	89.12	6,921.32	6,832.20	7,666
70.	तेलंगाना	श्री कोमारामभीम	202.60	882.36	679.76	336
71.		राजीव भीमा एल.आई.एस.-प्रमुख सिंचाई परियोजना	744.00	1,969.00	1225.00	165
72.		एस.आर.एस.पी. की इंदिराम्मा बाढ़ प्रवाह नहर	1,331.00	5,940.09	4,609.09	346
73.		एस.आर.एस.पी. स्तर-II	1,043.14	1,220.41	177.27	17
74.		पालेमवागु	29.13	221.48	192.35	660
75.		जे. चोक्का राव, एल.आई.एस.	6,016	13,445.44	7429.44	123
76.	त्रिपुरा	मनु मध्यम सिंचाई परियोजना	44.25	98.71	54.46	123
77.		खोवई मध्यम सिंचाई परियोजना	59.75	91.64	31.89	53
78.	उत्तर प्रदेश	लाहचुरा बाँध का आधुनिकीकरण	99.66	328.82	229.16	230
79.		हरदोई शाखा की सिंचाई तिव्रता में सुधार	105.30	135.17	29.87	28
80.		बाणसागर नहर	330.19	3,148.91	2,818.72	854
81.		पूर्वी गंगा नहर (संपन्न)	258.48	892.44	633.96	245
82.		मध्य गंगा नहर फेज-II	1,060.76	2,865.11	1,804.35	170
83.	पश्चिम बंगाल	मिदनापुर जिले में सुवर्णरेखा बैराज प्रमुख सिंचाई परियोजना	215.61	2,032.79	1,817.18	843
84.		पुरूलिया जिले में तात्को मध्यम सिंचाई परियोजना	0.99	19.76	18.77	1,896
		कुल	**40,943.68**	**1,61715.73**	**1,20,772.05**	**295**

अनुबंध 4.4

(पैरा संख्या 4.4.1 का संदर्भ लें)

डिजाइन एवं कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के कारण परियोजनाओं/योजनाओं में लागत का अतिक्रमण

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	डिजाइन एवं स्कोप में परिवर्तन के कारण परियोजनाओं के लागत में वृद्धि (₹ करोड़ में)
		एम.एम.आई. परियोजनाएं	
1.	बिहार	दुर्गावती	31.83
2.	गुजरात	सरदार सरोवर परियोजना	2,339.65
3.	गोवा	तिल्लारी	2.60
4.	झारखंड	सुवर्णरेखा	116.07
5.	महाराष्ट्र	कृष्णा कोयना एल.आई.एस.	41.51
6.		निचली वर्धा	6.43
7.		संगोला शाखा नहर	203.00
8.		धोम बालकवड़ी	24.11
9.		अर्जूना	44.01
10.		ताराली एवं संगोला शाखा नहर	40.53
11.	**ओडिशा**	**कानुपुर**	111.50
12.		**निचली सुकटेल**	91.86
		कुल एम.एम.आई. परियोजनाएं	**3,053.10**
		एम.आई. योजनाएं	
1.	आंध्र प्रदेश	भावनासी टैंक का लघु जलाशय में रूपांतरण	20.73
2.	छत्तीसगढ़	घरजिया बाथान टैंक	0.86
3.	मध्य प्रदेश	बारखेड़ा छाज्जू माइनर टैंक	7.67
		कुल एम.आई. योजनाएं	**29.26**
		कुल	**3,082.36**

(स्रोत: राज्य प्राधिकरणों से प्राप्त सूचना)

अनुबंध 4.5

(पैरा 4.5 का संदर्भ लें)

संपन्न एम.एम.आई. परियोजनाओं का आई.पी. सृजन एवं उपयोगिता

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	आई.पी. लक्ष्य (हे.)	सृजित आई.पी. (हे.)	सृजित आई.पी. (प्रतिशत में)	आई.पी. सृजन में अंतर (हे.)	उपयोग की गई आई.पी. (हे.)	आई.पी. उपयोगिता में अंतर (हे.)	आई.पी. सृजन की तुलना में उपयोग की गई आई.पी. का प्रतिशत	व्यय 2008-17
1.	आंध्र प्रदेश	वेलीगाल्लु	9,713	9,713	100	0	9,713	0	100	15
2.		स्वर्णमुखी	4,656	3,651	78	1,005	3,651	0	100	0
3.	असम	जमुना सिंचाई का आधुनिकीकरण	42,014	41,014	98	1,000	24,284	16,730	59	32
4.	बिहार	कोशी बैराज की मरम्मत	8,14,510	8,14,510	100	0	4,99,540	3,14,970	61	85
5.	छत्तीसगढ़	मनियारी	14,515	11,515	79	3,000	11,515	0	100	93
6.		महानदी परियोजना	2,64,311	2,64,311	100	0	2,55,067	9,244	97	32
7.		कोसारटेडा परियोजना	11,120	11,120	100	0	3,580	7,540	32	57
8.	गुजरात	अजी-IV	3,750	3,338	89	412	466	2,872	14	19
9.		भदर-II	9,965	9,202	92	763	1,190	8,012	13	19
10.	कर्नाटक	श्री रामेश्वर एल.आई.एस.	1,240	1,240	100	0	1,240	0	100	155
11.		घाटप्रभा स्तर-III	9,963	5,344	54	4,619	5,344	0	100	189
12.		गंदोरीनाला	1,115	964	86	151	964	0	100	42
13.	मध्य प्रदेश	सिंहपुर परियोजना	10,200	10,100	99	100	9,035	1,065	89	107
14.		माहौर परियोजना	9,500	9,500	100	0	9,500	0	100	83
15.		सागर (सगड) परियोजना	17,061	17,061	100	0	17,061	0	100	158
16.	महाराष्ट्र	निचली पंजारा	6,785	5,881	87	904	1,228	4,653	21	215
17.		कृष्णा	19,588	18,816	96	772	17,601	1,215	94	38

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	आई.पी. लक्ष्य (हे.)	सृजित आई.पी. (हे.)	सृजित आई.पी. (प्रतिशत में)	आई.पी. सृजन में अंतर (हे.)	उपयोग की गई आई.पी. (हे.)	आई.पी. उपयोगिता में अंतर (हे.)	आई.पी. सृजन की तुलना में उपयोग की गई आई.पी. का प्रतिशत	व्यय 2008-17
18.		वरना	87,792	3,678	4	84,114	3,678	0	100	245
19.		हेतवाने	6,168	1,101	18	5,067	1,042	59	95	10
20.		बावनथड़ी	27,708	24,170	87	3,538	14,822	9,348	61	394
21.		सारंगखेदा	11,519	11,519	100	0	7,832	3,687	68	29
22.		प्रकाशा बैराज	10,307	10,307	100	0	6,872	3,435	67	30
23.		ऊपरी वर्धा	37,258	37,258	100	0	37,184	74	100	93
24.		कर	3,244	1,880	58	1,364	1675	205	89	39
25.		मदन टैंक	3,270	3,270	100	0	2,241	1,029	69	3
26.		पेंटाक्ली	3,220	2,700	84	520	985	1,715	36	13
27.		लाल नल्ला	7,144	3,421	48	3,723	1,934	1,487	57	19
28.		ताजनापौर एल.आई.एस.	3,622	3,622	100	0	2,515	1,107	69	6
29.		चंद्रभागा	1,924	1,924	100	0	1,374	550	71	18
30.	उत्तर प्रदेश	पूर्वी गंगा नहर	1,05,000	1,04,756	100	244	88,662	16,094	85	115
		कुल	**15,58,182**	**14,46,886**		**1,11,296**	**10,41,795**	**4,05,091**		**2,353**

अनुबंध 4.6
(पैरा 4.5 का संदर्भ लें)
चालू एम.एम.आई. परियोजनाओं का आई.पी. सृजन एवं उपयोगिता

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	आई.पी. लक्ष्य (एच.ए.)	सृजित आई.पी. (एच.ए.)	सृजित आई.पी. (प्रतिशत में)	आई.पी. सृजन में अंतर (एच.ए.)	उपयोग की गई आई.पी. (एच.ए.)	आई.पी. उपयोगिता में अंतर (एच.ए.)	आई.पी. सृजन की तुलना में उपयोग की गई आई.पी. का प्रतिशत	व्यय 2008-17
1.	आंध्र प्रदेश	तादीपुडी एल.आई.एस.	83,609	62,138	74	21,471	62,138	0	100	182
2.		तारकरामा तीर्थ सागरम	10,000	0	0	10,000	0	0	0	118
3.		के.ओ.आर. गुंडलाकाम्मा जलाशय परियोजना	32,400	27,914	86	4,486	22,624	5,290	81	297
4.	असम	धनसिरी	77,230	53,258	69	23,972	21,800	31,458	41	236
5.		चंपामती	24,994	22,142	89	2,852	7,527	14,615	34	167
6.		बोरोलिया	13,562	3,300	24	10,262	900	2,400	27	20
7.	बिहार	दुर्गावती	39,610	26,000	66	13,610	2,458	23,542	9	470
8.		पुनपुन	13,680	0	0	13,680	0	0	0	287
9.	छत्तीसगढ़	केलो परियोजना	22,810	16,815	74	5,995	0	16,815	0	521
10.	गोवा	तिल्लारी सिंचाई परियोजना	14,521	11,651	80	2,870	3,246	8,405	28	545
11.	गुजरात	सरदार सरोवर परियोजना	17,92,000	14,13,299	79	3,78,701	6,28,011	7,85,288	44	14,461
12.	हिमाचल प्रदेश	शाहनहर	15,287	15,287	100	0	2,905	12,382	19	184
13.		सिधाता	3,150	3,150	100	0	225	2,925	7	48
14.		बाल्ह वैली बाया किनारा	2,780	2,780	100	0	1,291	1,489	46	97
15.	जम्मू एवं कश्मीर	त्राल एल.आई.एस.	5,122	4,440	87	682	1,200	3,240	27	41
16.		प्रकाचिक खोवस नहर	2,262	1,250	55	1,012	NF	0	81	34
17.		राजपोरा एल.आई.एस. मध्यम	2,429	2,114	87	315	1,035	1,079	49	22
18.		कांदी नहर का आधुनिकीकरण	2,200	0	0	2,200	0	0	0	6
19.		दादी नहर का आधुनिकीकरण	3,889	3,889	100	0	3,889	0	100	25
20.		रणबीर नहर का आधुनिकीकरण	55,418	54,713	99	705	54,675	38	100	80
21.		न्यू प्रताप का आधुनिकीकरण	13,309	12,325	93	984	9,206	3,119	75	24
22.		मुख्य रावी नहर का मरम्मत एवं आधुनिकीकरण	15,016	12,540	84	2,476	11,480	1,060	92	45

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	आई.पी. लक्ष्य (एच.ए.)	सृजित आई.पी. (एच.ए.)	सृजित आई.पी. (प्रतिशत में)	आई.पी. सृजन में अंतर (एच.ए.)	उपयोग की गई आई.पी. (एच.ए.)	आई.पी. उपयोगिता में अंतर (एच.ए.)	आई.पी. सृजन की तुलना में उपयोग की गई आई.पी. का प्रतिशत	व्यय 2008-17
23.		अहजी नहर का आधुनिकीकरण	8,316	8,166	98	150	8,166	0	100	13
24.	**झारखंड**	सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना (एस.एम.पी.)	2,36,846	1,07,326	45	1,29,520	44,844	62,482	42	2,875
25.		गुमानी बैराज योजना	16,194	11,314	70	4,880	0	11,314	0	50
26.		सोनुआ जलाशय योजना	8008	3,000	37	5008	1,000	2,000	33	16
27.		सुरंगी जलाशय योजना	2,105	1,230	58	875	1,230	0	100	8
28.		पंचखेरो जलाशय योजना	3,085	1,000	32	2,085	1,000	0	100	33
29.	**कर्नाटक**	ऊपरी तुंगा सिंचाई परियोजना	25,449	16,618	65	8,831	16,618	0	100	740
30.		एन.एल.बी.सी. प्रणाली परियोजना	1,42,580	98,381	69	44,199	98,381	0	100	1,685
31.		भीमासमुंद्र टैंक मरम्मत	800	800	100	0	800	0	100	5
32.		दुधगंगा	11,367	1,000	9	10,367	0	1,000	0	82
33.		गुड्डदा मल्लापुरा एल.आई.एस.	5,261	5,000	95	261	0	5,000	0	96
34.		वराही	15,560	4,443	29	11,117	3,372	1,071	76	469
35.		यू.के.पी. स्तर-I, फेज III	1,505	1,505	100	0	1,505	0	100	583
36.	**केरल**	कारापुज्हा	7,355	1,624	22	5,731	922	702	57	9
37.		चित्तूरपुज्हा	4,964	4,820	97	144	4,820	0	100	42
38.	**मध्य प्रदेश**	सिंध परियोजना फेज-II	98,250	95,970	98	2,280	73,604	22,366	77	1,145
39.		इंदिरा सागर नहर परियोजना फेज-III	20,700	6,000	29	14,700	5,608	392	93	743
40.		इंदिरा सागर नहर परियोजना फेज -I एवं II	62,200	59,450	96	2,750	59,450	0	100	630
41.		बनसागर यूनिट-II	1,23,634	1,17,634	95	6,000	1,17,634	0	100	1,768
42.		ओमकारेश्वर नहर परियोजना फेज IV (ओ.एस.पी. लिफ्ट)	57,200	54,630	96	2,570	17,000	37,630	31	313
43.		संजय सागर (बाह) परियोजना	17,807	17,807	100	0	17,807	0	100	103
44.		पुनासा लिफ्ट	35,008	35,008	100	0	35,008	0	100	466
45.		इंदिरा सागर यूनिट-V	33,140	32,000	97	1,140	20,500	11,500	64	83
46.	**महाराष्ट्र**	कृष्णा कोयना लिफ्ट सिंचाई परियोजना	111988	44,770	40	67,218	9,492	35,278	21	764

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	आई.पी. लक्ष्य (एच.ए.)	सृजित आई.पी. (एच.ए.)	सृजित आई.पी. (प्रतिशत में)	आई.पी. सृजन में अंतर (एच.ए.)	उपयोग की गई आई.पी. (एच.ए.)	आई.पी. उपयोगिता में अंतर (एच.ए.)	आई.पी. सृजन की तुलना में उपयोग की गई आई.पी. का प्रतिशत	व्यय 2008-17
47.		वांग	7,068	1,023	14	6,045	295	728	29	100
48.		अरूणा	9,027	0	0	9,027	0	0	0	519
49.		निचली पेढ़ी	17,023	0	0	17,023	0	0	0	748
50.		नांदुर मघमेश्वर फेज-II	20,500	6,047	29	14,453	0	6,047	0	559
51.		तिल्लारी प्रमुख परियोजना	9,754	5,073	52	4,681	2,618	2,455	52	269
52.		ताराली	14,276	6,902	48	7,374	2,260	4,642	33	477
53.		धोम बालकवड़ी	18,100	10,153	56	7,947	4,942	5,211	49	460
54.		संगोला नहर शाखा	11,288	5,815	52	5,473	2,800	3,015	48	207
55.		अर्जूना	9,411	526	6	8,885	210	316	40	398
56.		निचली दुधना	44,482	35,983	81	8,499	4868	31,115	14	1,125
57.		निचली वर्धा	63,333	24,674	39	38,659	6,572	18,102	27	1,453
58.		वाघुर	38,570	15,992	41	22,578	9,122	6,870	57	593
59.		गुल	3,025	3,025	100	0	1125	1,900	37	44
60.		खड़कपुर्ना	24,864	20,818	84	4,046	4,373	16,445	21	800
61.	**ओडिशा**	आनंदपुर बैराज/एकीकृत	60,000	0	0	60,000	0	0	0	942
62.		तेलेनगिरी	9,950	0	0	9,950	0	0	0	687
63.		रेट सिंचाई	8,500	0	0	8,500	0	0	0	382
64.		कानुपुर	29,580	0	0	29,580	0	0	0	1,390
65.		निचली सुकटेल	23,500	0	0	23,500	0	0	0	869
66.		निचली इंद्रा	29,900	18,550	62	11,350	7,000	11,550	38	1,518
67.		रूकुड़ा	5,750	2,000	35	3,750	1,500	500	75	256
68.	**राजस्थान**	नर्मदा नहर परियोजना	2,46,000	2,46,000	100	0	1,80,000	66,000	73	1,271
69.		गंग नहर का आधुनिकीकरण	96,510	96,510	100	0	96,510	0	100	279
70.		इंदिरा गाँधी नहर परियोजना	9,01,397	5,89,308	65	3,12,089	5,89,308	0	100	0
71.	**तेलंगाना**	श्री कोमाराम भीमा	9,915	6,094	61	3,821	5,544	550	91	221
72.		राजीव भीमा एल.आई.एस.	82,153	44,446	54	37,707	44,446	0	100	1,198
73.		एस.आर.एस.पी.-II की इंदिराम्मा बाढ़ प्रवाह नहर	93,587	0	0	93,587	0	0	0	2,990
74.		एस.आर.एस.पी. स्तर-II	1,78,066	1,31,319	74	46,747	0	1,31,319	0	532

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजना का नाम	आई.पी. लक्ष्य (एच.ए.)	सृजित आई.पी. (एच.ए.)	सृजित आई.पी. (प्रतिशत में)	आई.पी. सृजन में अंतर (एच.ए.)	उपयोग की गई आई.पी. (एच.ए.)	आई.पी. उपयोगिता में अंतर (एच.ए.)	आई.पी. सृजन की तुलना में उपयोग की गई आई.पी. का प्रतिशत	व्यय 2008-17
75.		पालेमवागु	4,100	2,023	49	2,077	2,023	0	100	139
76.		जे. चोक्का राव, एल.आई.एस.	2,48,685	1,00,494	40	1,48,191	18,487	82,007	18	5,936
77.	**त्रिपुरा**	मनु सिंचाई परियोजना	4,198	1,220	29	2,978	0	1,220	0	32
78.		खोवई सिंचाई परियोजना	4,515	2,630	58	1,885	1,560	1,070	59	18
79.	**उत्तर प्रदेश**	लाहचुरा बाँध का आधुनिकीकरण	46,485	46,485	100	0	46,485	0	100	329
80.		हरदोई शाखा की सिंचाई तिव्रता में सुधार	95,961	95,961	100	0	95,961	0	100	127
81.		बनसागर नहर	1,50,132	1,00,000	67	50,132	11,101	88,899	11	1,737
82.		सारदा सहायक नहर प्रणाली की मरम्मत	7,90,000	2,50,000	32	5,40,000	2,50,000	0	100	229
83.		मध्य गंगा नहर फेज-II	1,46,132	41,319	28	1,04,813	0	41,319	0	980
84.	**पश्चिम बंगाल**	सुबर्णरेखा बैराज सिंचाई परियाजना	1,30,014	0	0	130,014	0	0	0	0
85.		तात्को सिंचाई परियोजना	2,494	1,970	79	524	1,970	0	100	3
		कुल	**69,82,845**	**43,90,861**		**25,91,984**	**27,64,451**	**16,26,172**		**60,448**

अनुबंध 4.7

(पैरा संख्या 4.5 का संदर्भ लें)

चयनित एम.आई. योजनाओं की आई.पी. स्थिति (एन.ई. राज्यों)

राज्य	एम.आई.एस. की संख्या			लागत/व्यय (₹ करोड़ में)		सिंचाई क्षमता (आई.पी.)				
	चयनित एम.आई. योजनाओं की संख्या	पूर्ण की गई चयनित एम.आई. योजनाओं की संख्या	चालू चयनित एम.आई. योजनाओं की संख्या	संस्वीकृत लागत	वास्तविक व्यय (03/2017 तक)	आई.पी. अनुमानित (हजार हेक्टेयर में)	03/2017 तक आई.पी. सृजन (हजार हेक्टेयर में)	अनुमानित आई.पी.की तुलना में आई.पी. सृजन में कमी (हजार हेक्टेयर में	03/2017 तक उपयोग की गई आई.पी. (हजार हेक्टेयर में)	आई.पी .सृजन की तुलना में उपयोग की गई आई.पी. में कमी
अरूणाचल प्रदेश	22	15	7	17.45	15.60	1.360	1.20	0.16	राज्य एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया	-
असम	30	17	13	240.93	133.07	15.55	5.30	10.25	3.33	1.97
मेघालय	17	11	6	94.45	41.52	6.61	3.96	2.65	3.71	0.26
मिज़ोरम	12	10	2	19.09	16.34	1.42	राज्य एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया			
नागलैंड	23	15	8	29.38	28.55	2.096	1.605	0.49	1.139	0.47
सिक्किम	22	14	8	6.86	4.32	0.691	0.476	0.22	0.414	0.06
त्रिपुरा	9	8	1	12.34	9.70	1.05	0.46	0.59	0.46	0
कुल	**135**	**90**	**45**	**420.50**	**249.10**	**28.78**	**13.00**	**4.36**	**9.05**	**2.76**

स्रोत: राज्य स्तर एजेंसी/संस्था

अनुबंध 4.8
(पैरा संख्या 4.5 का संदर्भ लें)
चयनित एम.आई. योजनाओं की आई.पी. स्थिति (अन्य राज्यों)

क्र. सं.	राज्य का नाम	चयनित एमआईएस			व्यय (₹ करोड़ में)		सिंचाई क्षमता (आई.पी.)				
		चयनित एम.आई. योजनाओं की संख्या	पूर्ण की गई चयनित एम.आई. योजनाओं की सं.	चालू/त्यागी गई चयनित एम.आई. योजनाओं की संख्या	संस्वीकृत लागत	वास्तविक व्यय (03/2017 तक)	आई.पी. अनुमानित (हजार हेक्टेयर में)	03/2017 तक आई.पी. सृजन (हजार हेक्टेयर में)	आई.पी. अनुमानित की तुलना में आई.पी. सृजन में कमी	03/2017 उपयोग की गई आई.पी. (हजार हेक्टेयर में)	आई.पी. सृजन की तुलना में उपयोग की गई आई.पी. में कमी
1.	आंध्र प्रदेश	2	1	1	29.80	17.30	3.323	0.240	3.08	0.240	शून्य
2.	बिहार	14	11	3	57.56	55.13	10.25	10.25	0	प्रस्तुत नहीं किया गया	-
3.	छत्तीसगढ़	21	12	9	141.14	155.53	12.543	3.086	9.46	0.140	2.95
4.	हिमाचल प्रदेश	17	15	2	52.11	54.62	37.75	0.872	36.88	0.114	0.76
5.	जम्मू एवं कश्मीर	30	15	15	220.08	128.25	21.318	8.110	13.2	7.045	1.06
6.	झारखंड	20	15	5	34.39	30.40	3.915	3.029	0.88	2.342	0.69
7.	कर्नाटक	25	15	10	75.59	75.48	4.975	3.463	1.51	3.463	शून्य
8.	महाराष्ट्र	8	4	4	365.30	528.82	8.171	4.326	3.84	0.684	3.65
9.	मध्य प्रदेश	23	15	8	165.25	188.66	11.16	5.95	5.21	4.59	1.36
10.	ओडिशा	3	2	1	4.38	6.76	0.24[2]	0.09	0.15	प्रस्तुत नहीं किया गया	-
11.	राजस्थान	2	1	1	26.96	47.85	2.396	1.303	1.10	1.303	शून्य
12.	तेलंगाना	2	2	0	3.72	5.01	0.43	0.33	0.10	0.33	0
13.	उत्तराखंड	30	17	13	53.03	47.52	4.219	3.884	0.34	3.83	0.05
14.	पश्चिम बंगाल	3	3	0	1.31	1.27	0.311	0.3111	0	प्रस्तुत नहीं किया गया	-
	कुल	**200**	**128**	**72**	**1,230.62**	**1,342.6**	**120.99**	**45.24**	**75.75**	**24.07**	**10.52**

स्रोत: राज्य स्तर एजेंसी/संस्था

[2] 'एम.आई.एस. डीबिलिजोर' के संबंध में अनुमानित, निर्मित और उपयोग किए गए आई.पी. से संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई

अनुबंध 4.9
(पैरा संख्या 4.6 का संदर्भ लें)
एम.एम.आई. परियोजनाओं में भूमि का अपूर्ण अधिग्रहण

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अपेक्षित भूमि (एच.ए.)	अधिकार में भूमि क्षेत्र (एच.ए.)	अभी भी अधिग्रहित की जाने वाले भूमि (एच.ए.)	कमी का प्रतिशत	अधिग्रहण में देरी के कारण
1.	आंध्रप्रदेश	ताराकारामा तीर्थसागरम	1,334.71	1,227.18	107.53	8	-
2.		गुंडलाकम्मा	3,805.49	3,784.43	21.06	1	-
3.	असम	धनसिरी	1,306.02	1,258.90	47.12	4	
4.		बोरोलिया	396.80	172.49	224.31	57	-
5.	बिहार	दुर्गावती	2,675.11	2,574.00	101.11	4	भूमि का आंकलन उचित तरीके से नहीं किया गया तथा 101.11 एकड़ भूमि का नया अधिग्रहण किया जाना था। भूमि स्वामियों द्वारा उच्च मुआवजे की मांग की वजह से विरोध था।
6.		पुनपुन	1,516.90	1,301.63	215.27	14	भूमि स्वामियों द्वारा उच्च मुआवजे की मांग की वजह से विरोध था।
7.	छत्तीसगढ़	केलो परियोजना	1,734.95	1,450.21	284.74	16	-
8.	गोआ	तिल्लारी	821.91	695.99	125.92	15	-
9.	गुजरात	सरदार सरोवर	59,122.00	57,150.00	1,972.00	3	बढ़े हुए मुआवजे की मांग, मार्ग रेखा में बदलाव, स्वामित्व में बदलाव, अधिग्रहित किए जाने वाले क्षेत्र में अंतर, सरकारी भूमि का निजी भूमि को

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अपेक्षित भूमि (एच.ए.)	अधिकार में भूमि क्षेत्र (एच.ए.)	अभी भी अधिग्रहित की जाने वाले भूमि (एच.ए.)	कमी का प्रतिशत	अधिग्रहण में देरी के कारण
							स्थानांतरण, भूमि अधिकार-क्षेत्र मुद्दे इत्यादि।
10.	जम्मू व कश्मीर	ट्राल एल.आई.एस.	41.50	38.30	3.20	8	-
11.	झारखण्ड	सुबर्णरेखा	54,558.00	34,002.00	20,556.00	38	-
12.		गुमानी बैराज	1,001.56	936.67	64.89	6	-
13.		सोनुआ	830.46	759.14	71.32	9	-
14.		सुरंगी	264.80	241.10	23.70	9	-
15.		पंचखेड़ो	557.60	521.82	35.78	6	-
16.	कर्नाटक	उच्च तुंगा	4,761.29	4,053.78	707.51	15	एस.एल.ए.ओ. को प्रस्ताव भेजने में देरी, एस.एल.ए.ओ. द्वारा प्रस्तावित भूमि को सूचित करने में देरी, भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों की ओर से विरोध तथा किसानों को मुआवजे के भुगतान में देरी।
17.		श्री रामेश्वर	698.90	250.07	448.83	64	
18.		भीमसमुदरा टैंक	33.50	3.50	30.00	90	
19.		दूधगंगा	428.00	143.95	284.05	66	
20.	केरल	कारपुझा	1,481.00	1,379.00	102.00	7	-
21.	महाराष्ट्र	अरूणा मध्यम	714.26	490.06	224.20	31	-
22.		निम्न पेढ़ी	3,446.00	3,066.00	380.00	11	-
23.		हेटवाने (2008-09 में पूर्ण)	1,147.97	1,074.05	73.92	6	-
24.		निम्न पंझारा	2,027.45	1,578.33	449.12	22	-
25.		नांदूर मद्यमेश्वर चरण-II	1,611.17	1,543.13	68.04	4	-
26.		ताराली	1,215.55	797.00	418.55	34	-
27.		अर्जुन	697.95	645.04	52.91	8	-

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अपेक्षित भूमि (एच.ए.)	अधिकार में भूमि क्षेत्र (एच.ए.)	अभी भी अधिग्रहित की जाने वाले भूमि (एच.ए.)	कमी का प्रतिशत	अधिग्रहण में देरी के कारण
28.		बावनथाडी	4,481.78	4,416.15	65.63	1	-
29.		निम्न दूधना	5,180.00	4,996.00	184.00	4	-
30.		निम्न वर्धा	9,348.00	8,774.63	573.37	6	-
31.		सारंगखेड़ा (2010-11 में पूर्ण)	108.25	103.93	4.32	4	-
32.		कर मध्यम (2008-09 में पूर्ण)	645.36	469.66	175.70	27	-
33.		पेंटाकली (2009-10 में पूर्ण)	1,732.47	1,651.88	80.59	5	-
34.		ताजनापौर एल.आई.एस. (2008-09 में पूर्ण)	74.73	65.02	9.71	13	-
35.		खड़कपूर्णा	4,669.13	4,508.09	161.04	3	-
36.		वांग	1,222.00	1,122.00	100.00	8	-
37.		कृष्णा कोयना	6,305.87	2,112.24	4,193.63	67	-
38.	ओडिशा	आनंदपुर बैराज	4,218.75	916.06	3,302.69	78	भूमि धारकों का कड़ा प्रतिरोध
39.		तेलंगिरी	1,037.17	956.31	80.86	8	-
40.		रेट इरिगेशन (के.बी.के.)	1,303.41	940.86	362.55	28	-
41.		कानुपुर	3,022.31	2,484.84	537.47	18	-
42.		निम्न सूक्तेल (के.बी.के.)	6,382.38	3,609.46	2,772.92	43	-
43.		निम्न इंदिरा (के.बी.के.)	4,755.39	4,135.46	619.93	13	-
44.		रूकूरा ट्राइबल	412.93	395.73	17.20	4	-
45.	तेलंगाना	राजीव भीम एल.आई.एस.	11,886.80	11,444.82	441.98	4	-
46.		एस.आर.एस.पी. की इंदिराम्मा बाढ़ बहाव नहर	13,725.31	11,990.06	1,735.25	13	-
47.		एस.आर.एस.पी. चरण-II	7,579.00	7,319.00	260.00	3	-
48.		पालेमवगु	331.00	329.67	1.33	0	-

क्र. सं.	राज्य	परियोजना का नाम	अपेक्षित भूमि (एच.ए.)	अधिकार में भूमि क्षेत्र (एच.ए.)	अभी भी अधिग्रहित की जाने वाले भूमि (एच.ए.)	कमी का प्रतिशत	अधिग्रहण में देरी के कारण
49.		जे. चोक्का राव, एल.आई.एस.	14,695.00	12,212.00	2,483.00	17	-
50.		श्री कोमाराम भीम	3,737.77	3,554.43	183.34	5	-
51.	त्रिपुरा	मनु	184.00	116.00	68.00	37	-
52.		खोवई	303.46	276.58	26.88	9	-
53.	उत्तर प्रदेश	बनसागर नहर	1,347.68	883.511	464.17	34	-
54.		मध्य गंगा नहर चरण-II	5,053.02	1,243.23	3,809.79	75	-
55.	पश्चिम बंगाल	सुबरनरेखा बैराज	5,500.00	1,465.83	4,034.17	73	862.30 हेक्टेयर के भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव भूमि अधिग्रहण विभाग के पास पड़े था।
56.		टाटको	442.16	403.70	38.46	9	-
		कुल	**2,67,915.98**	**2,14,034.92**	**53,881.06**		

अनुबंध 4.10

(पैरा संख्या 4.7 का संदर्भ लें)

एम.एम.आई. परियोजनाओं में पुनर्वास तथा पुनःव्यवस्थापन के मुद्दे

राज्य	परियोजना	आर. एंड आर. मुद्दे
आंध्र प्रदेश	गुंडलाकम्मा जलाशय	अपूर्ण आर. एंड आर. उपायों की वजह से, अयाकट पूर्ण नहीं किया गया, जो आई.पी. निर्माण में कमी की ओर ले गया।
	तारकारामा तीर्थ सागरम	मार्च 2017 तक आर एंड आर उपाय शुरू नहीं किए गए।
बिहार	दुर्गावती जलाशय	डी.पी.आर. में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु प्रावधान नहीं बनाए गए थे। बांध क्षेत्र के जलप्लावन की वजह से तीन गांवों में 32 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया जिससे 276 परिवार प्रभावित हुए। तथापि आर. एंड आर. उपायों की गुणवत्ता त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि आधारभूत सुविधायें जैसे कि स्कूल, सामुदायिक केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र पाखाना, पी.सी.सी. सड़कें, उपलब्ध नहीं थे या जीर्ण अवस्था में थें।
गोवा	तिल्लारी परियोजना	कैनाल नेटवर्क और आवासीय बिल्डिंग के निर्माण हेतु 695.99 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया लेकिन कैनाल नेटवर्क हेतु टी.आई.पी. के अंतर्गत 125.916 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण लंबित है। 947 परियोजना प्रभावित लोगों (पी.ए.पी.) में से, एक बार भुगतान (ओ.टी.एस.) राशि 432 पी.ए.पी. को चुकाई गई तथा शेष 515 पी.ए.पी. को ओ.टी.एस. राशि का भुगतान किया जाना शेष है।
झारखण्ड	सुबर्नरेखा, सोनुआ, सुरंगी तथा पंचखेड़ो परियोजना	चार परियोजनाओं में, 15,878 परिवारों को विस्थापित किया गया था। सुबर्नरेखा बहुउद्देशीय परियोजना में कुल 15,539 विस्थापित परिवारों में से 2,472 परिवारों को अभी भी आवासीय प्लॉट या समतुल्य राशि आबंटित की जानी थी।
केरल	कारापुझा	पी.ए.पी. का पुनर्वास पूर्ण नहीं किया गया क्यों कि 161 निष्कासित परिवारों में से केवल 84 को 42 घर दिए गए; 68 प्रत्येक परिवारों को 75 शत भूमि बिना किसी घर के निर्माण के दी गयी; नौ परिवारों को न तो घर और न ही भूमि दी गई क्योंकि उनका घर-ठिकाना पता नहीं था।
महाराष्ट्र	वांग	परियोजना के प्रारम्भ के 22 वर्षों के पश्चात भी 1922 परिवारों में से केवल 913 का पुनर्वास ही किया जा सका। आगे, 882 परिवारों के मामलों में भूमि वितरण नहीं किया गया तथा 208 परिवारों के मामले में आंशिक रूप से किया गया।
	अरूणा	आर. एंड आर. उपायों के सामयिक निपटान हेतु निधि जारी करने में देरी, के कारण भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 के अंतर्गत

राज्य	परियोजना	आर. एंड आर. मुद्दे
		निर्धारित नई दरों के अनुसार क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु मांग तथा विरोध प्रदर्शन हुआ जिससे बांध की भरावट को प्रभावित किया।
ओडिशा	आनंदपुर बैराज, तेलंगिरी, रेट सिंचाई कानुपुर, लोअर सुक्तल, लोअर इंदिरा तथा रूकुरा जनजातीय परियोजना	सात परियोजनाओं में, पी.ए.पी. के आंदोलन, स्टाफ की कमी व भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुनस्थपिन अधिनियम, 2013 के अंर्तगत क्षति पूर्ति की माँग, के कारण 19,945 विस्थापित परिवारों में से केवल 10,336 का पुनर्वास किया जा सका। प्रतिशत में, आर. एंड आर. उपाय लोअर इंदिरा परियोजना के मामले में तीन तथा लोअर सुक्तल परियोजना के मामले में 98 प्रतिशत थे। लोअर सुक्तल तथा कानुपुर सिंचाई परियोजना के मामलों में, विस्थापित लोगों के क्षोभ की वजह से कार्यों का प्रभावित होना सूचित किया गया।
तेलंगाना	इंदिराम्मा बाढ़ बहाव नहर परियोजना	थोटापल्ली बैलेंसिग रिज़रवॉयर (टी.बी.आर.) के कार्य तथा आर. एंड आर. संबंधी मुद्दों, ने शाखा नहर व वितरिकाओं के कार्यों को प्रभावित किया जिससे परियोजना के अंतर्गत आई.पी. को गैर-निर्माण हुआ।
	राजीव भीमा एल.आई.एस.	आर. एंड आर. उपायों की गैर-पूर्णता तथा कनईपल्ली गांव के परित्याग/निष्क्रमण में देरी की वजह से शंकरा समुदरम बैलेंसिंग रिज़रवॉयर बंड का एक भाग अपूर्ण रहा तथा पानी इसकी 1.82 टी.एम.सी. की पूर्ण क्षमता के साथ परिबद्ध नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, आई.पी. निर्माण 54 प्रतिशत था।

अनुबंध 4.11

(पैरा संख्या 4.8 का संदर्भ लें)

एम.एम.आई. परियोजनाओं में मंजूरी प्राप्त करने में कमियाँ

क्र.सं.	राज्य	परियोजना	मुद्दे
1.	बिहार	दुर्गावती	ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सम्मिलन के दौरान वन मंजूरी प्राप्त नहीं।
2.	गुजरात	अजी-IV	ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सम्मिलन के दौरान वन मंजूरी प्राप्त नहीं।
3.		भादर-II	
4.		सरदार सरोवर	कच्छ मरू वन्यजीव अभ्यारण से वन मंजूरी तथा रेल मंत्रालय की ओर से मंजूरी प्राप्त नहीं किया गया।
5.	झारखण्ड	सुरंगी	पर्यावरण मंजूरी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से मंजूरी प्राप्त नहीं।
6.		सोनुआ	पर्यावरण तथा वन मंजूरी प्राप्त नहीं।
7.		गुमानी	पर्यावरण तथा रेल मंत्रालय की मंजूरी प्राप्त नहीं।
8.		पंचखेड़ो	पर्यावरण मंजूरी प्राप्त नहीं।
9.	कर्नाटक	घाटप्रभा चरण-II	ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सम्मिलन के दौरान वन मंजूरी प्राप्त नहीं।
10.	मध्य प्रदेश	सिंध चरण-II	पर्यावरण मंजूरी फरवरी 2000 में प्राप्त की गई थी, यद्यपि 1998-99 में यह ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत शामिल किया गया था।
11.		महुअर	पर्यावरण मंजूरी मई 2014 में प्राप्त की गई, जबकि 2013-14 में परियोजना को ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत शामिल किया गया था।
12.	महाराष्ट्र	वर्ना	ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत समावेश के दौरान वन मंजूरी प्राप्त नहीं।
13.		तराली	रेल मंत्रालय तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से मंजूरी प्राप्त नहीं।
14.	ओडिशा	आनंदपुर बैराज	पर्यावरण तथा वन मंजूरी प्राप्त नहीं।
15.		निम्न इन्दिरा	पर्यावरण तथा वन मंजूरी प्राप्त नहीं।
16.		निम्न सुक्तल	पर्यावरण तथा वन मंजूरी प्राप्त नहीं।
17.		रेट सिंचाई	वन मंजूरी प्राप्त नहीं।
18.		तेलिंगिरी	पर्यावरण तथा वन मंजूरी प्राप्त नहीं।
19.		कानुपुर	पर्यावरण तथा वन मंजूरी तथा एन.एच.ए.आई. की ओर से मंजूरी प्राप्त नहीं।
20.	तेलंगाना	इंदिराम्मा बाढ़ बहाव नहर	पर्यावरण तथा वन मंजूरी प्राप्त नहीं।
21.		श्री कोमरमभीम	रेल मंत्रालय की ओर से मंजूरी प्राप्त नहीं।
22.	पश्चिम बंगाल	टाटको	वन मंजूरी प्राप्त नहीं।

अनुबंध 4.12

(पैरा संख्या 4.9.4 का संदर्भ लें)

कार्य को सौंपने में कमियां तथा अनियमितताएं

राज्य	परियोजना	अवलोकन
		एम.एम.आई. परियोजनाएं
असम	धनसिरी सिंचाई परियोजना	₹ 77.41 लाख की कीमत वाले तीन कार्यों को एक अकेले बोलीदाता को, कार्य आदेश जारी होने के 30 दिन के अंदर कार्य पूरा किए जाने की शर्त के साथ ₹ 76.63 लाख की अनुबंध लागत पर समय की कमी का हवाला देते पुनः निविदा जारी करने के विकल्प का उपयोग किए बिना सौंपा। जबकि ठेकेदार को मार्च 2017 तक ₹ 54.26 लाख की कुल राशि का भुगतान किया गया, लेकिन जुलाई 2017 तक कार्य अपूर्ण था, जो यह दर्शाता है कि तत्परता के आधार पर पुनः निविदा के बिना कार्य आबंटन का निर्णय न्यायसंगत नहीं था।
गुजरात	सरदार सरोवर परियोजना	• निविदा दस्तावेजों में प्रावधान था कि यदि सफल बोलीदाताओं द्वारा उदधृत दर अनुमानित कार्य की लागत से काफी कम हो, तब परफोरमेन्स गारंटी/सुरक्षा राशि में वृद्धि की जायेगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2016 तथा मार्च 2017 के बीच सौंपे गए 53 कार्यों में से, 12 कार्यों में निविदा दर अनुमानित लागत से 30 से 40 प्रतिशत नीचे थे। तथापि, परियोजना प्राधिकारियों ने कोई भी अतिरिक्त गारंटी या सुरक्षा नहीं ली जैसा कि निविदा दस्तावेजों में प्रावधान था। • भूमि अधिग्रहण, रूपांकन तथा नहर की मार्ग रेखा संबंधी मुद्दों की वजह से नर्मदा मुख्य नहर का कार्य पूर्ण होने के बाद ₹ 4,053.81 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ कच्छ शाखा नहर का कार्य सौंपने में चार से नौ वर्ष तक की देरी थी।
झारखण्ड	सुबर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना	• झारखण्ड लोक निर्माण विभाग कोड के अनुसार, अकेले बोलीदाता के मामले में, निविदा प्रक्रिया निरस्त की जानी चाहिए तथा पुनः निविदा प्रस्तुत करनी चाहिए। यदि पुनः निविदा में फिर से एक बोली प्राप्त होती है तो इसे स्वीकार करने के अनुमोदन हेतु अगले उच्च प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। "द्वार इत्यादि के साथ खरकई बैराज के निर्माण" के कार्य के लिए पूर्व-योग्यता में, चार बोलीदाता योग्य पाए गए। हालांकि तकनीकी मूल्यांकन के दौरान केवल एक बोलीदाता ही तकनीकी रूप से योग्य पाया गया। कोडल प्रावधानों के उल्लंघन में, पुनः निविदा प्रक्रिया में गए बिना ₹ 257.98 करोड़ के लिए विभागीय

राज्य	परियोजना	अवलोकन
		निविदा समिति द्वारा अकेले बोलीदाता को कार्य सौंपा गया (जुलाई 2013)। • 'झारखण्ड पी.डब्ल्यू.डी. कोड, निविदा को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए तीन से 15 दिन के भीतर का समय प्रदान करती है। हालांकि, 70 जांच-परीक्षण किए गए कार्यों में से ₹ 981.45 करोड़ की राशि के 62 में कार्य को सौंपने में तीन से 241 दिनों की देरी थी।
मध्य प्रदेश	सिंध, बाणसागर तथा महुअर परियोजना	एम.पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, ₹ दो लाख से अधिक की कीमत के कार्यों को व्यापक रूप से प्रचारित खुली निविदा के माध्यम से सौंपा जाना अपेक्षित है। एम.पी. भंडार खरीद नियम, में भी ₹ 25,000.00 से अधिक की कीमत के कार्यों के लिए निविदाओं के आमंत्रण के लिए प्रावधान है। आगे, इन खरीद नियमों के अनुसार, आरक्षित वस्तुओं की खरीद मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम (एम.पी.एल.यू.एन.) के माध्यम से की जानी चाहिए तथापि, इस संदर्भ में, उपरोक्त परियोजनाओं के साथ, संबंधित विभाग ने, कोडल प्रावधानों के उल्लंघन में दो एजेंसियों को सीधे पूर्ति आदेश के माध्यम से ₹ 129.58 करोड़ की राशि पर कार्यों जैसे द्वारों का प्रतिष्ठापन तथा पूर्ति, एम.एस. स्टील कृत्रिम जलसेतु, फुट ब्रिज, पाइपलाईन, ह्यूम पाइप, नहर रेलिंग तथा साइन बोर्ड इत्यादि को सौंपा। सिंध तथा बाणसागर परियोजनाओं संबंधी खरीद राज्य के आर्थिक अपराध विंग की जांच-पड़ताल के अंतर्गत है।
मध्य प्रदेश	महुअर	अनुबंध की नियम व शर्तों के अनुसार, ठेकेदार को बिना प्रभागीय अधिकारी के लिखित अनुमोदन के कार्य को सौंपना या उप-भाड़े पर नहीं देना होगा, जो भुगतान केवल अनुबंधित ठेकेदार को कर सकता है तथा सीधा उप-किराएदार को नहीं। आगे, एम.पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली के एम.पी. भंडार खरीद नियमों के अनुसार, ₹ 25000 से अधिक कीमत वाले सभी कार्यों को एक पारदर्शी तरीके से अखबार में विज्ञापन देने के द्वारा केवल खुली निविदा के माध्यम से सौंपना चाहिए। सभी मापने योग्य कार्य अभिलिखित किए जाएंगे तथा जांच माप रजिस्टर व माप पुस्तक में ई.ई. तथा एस.डी.ओ. द्वारा जांच व इसके उचित अभिलेखन के बाद भुगतान किया जाएगा। हालांकि, यह अवलोकन किया गया कि मुख्य कार्य में ₹ 21.39 करोड़ तथा नहर में ₹ 2.10 करोड़ की कीमत के कार्यों को, कार्यों के वास्तविक अनुबंध के दौरान बिना निविदा आमंत्रण के अनियमित रूप से उप-किरायेदारों द्वारा लघु वाउचर के माध्यम से निष्पादित

राज्य	परियोजना	अवलोकन
		किया गया। सभी भुगतान, कार्य के माप के अभिलेखन के बिना तथा एस.डी.ओ./ई.ई. द्वारा जांच के बिना अर्थात् कार्य की मात्रा व गुणवत्ता को सुनिश्चित किए बिना किए गए। आगे, भुगतान सीधे उप-किरायेदारों/छोटे ठेकेदारों को किए गए, जो अनियमित था।
महाराष्ट्र	तराली, अर्जुन तथा कृष्णा कोयना एल.आई.एस.	• महाराष्ट्र लोक निर्माण नियमावली (एम.पी.डब्ल्यू.) उपबंधित करता है कि अतिरिक्त मद जो योजना के भाग के रूप में निष्पादित की जानी है तथा वास्तविक अनुबंध से अविभाज्य है तथा एक अलग एजंसी दवारा निष्पादित नहीं की जा सकती है, के अलावा, अनुबंध में दिए गए सभी कार्यों हेतु निविदाएं सदैव सार्वजनिक रूप से आमंत्रित की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि तराली तथा अर्जुन परियोजनाओं में इन प्रावधानों के उल्लंघन में, ₹ 171.63 करोड़ की राशि के कार्य, जो वास्तविक कार्य (₹ 220.64 करोड़ राशि के) से पूरी तरह भिन्न तथा अलग थे, को बिना निविदा प्रक्रिया व प्रतियोगी बोली के ठेकेदारों को आबंटित किया गया। इसी प्रकार, कृष्णा कोयना एल.आई.एस. में ₹ 19.46 करोड़ की राशि के अतिरिक्त कार्य जो वास्तविक कार्य (₹ 22.02 करोड़) से अलग थे, को बिना निविदा प्रक्रिया के ठेकेदार को आवंटित किया गया। • इसके अतिरिक्त, 2006-07 में कृष्ण कोयना एल.आई.एस. के मामले में, महाराष्ट्र सरकार (जी.ओ.एम.) नें, तत्परता की वजह से सहकारी चीनी मिलों को कार्य को सौंपने हेतु अनुमोदन दिया। हालांकि, ₹ 43.34 करोड़ की लागत के 29 कार्यों को महाराष्ट्र सरकार के अनुमोदन पश्चात दो से पांच वर्षों के बाद बिना किसी निविदा प्रक्रिया के सहकारी समितियों को सौंप दिया। चीनी सहकारी समितियों के कार्य को सौंपना, कोडल प्रावधानों का उल्लंघन था तथा तत्परता के आधार पर उनके नामांकन में औचित्य की कमी को दर्शाता है क्योंकि कार्य दो से पाच वर्ष की देरी के बाद सौंपे गए।
ओडिशा	लोअर सुक्तल तथा तेलंगिरी सिंचाई परियोजनाएं	• लोअर सुकतेल सिंचाई परियोजना के तहत, जनवरी 2011 में ई-निविदा के माध्यम से ₹ 44.00 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 490 मीटर से 1,410 मीटर के मिट्टी के बांध के निर्माण के लिए बोली आमंत्रित की गई। क्योंकि निविदा को 90 दिनों के अंदर अंतिम रूप नहीं दिया गया था, बोलीदाताओं को उनकी बोली की वैद्यता दो बार बढ़ाने को कहा गया। निविदा समिति (टी.सी.) ने इस शर्त के साथ फर्म एक्स को कार्य सौंपने की सिफारिश की (सितम्बर 2011) कि अनुबंध के प्रत्याहरण किये

राज्य	परियोजना	अवलोकन
		जाने से पहले बोलीदाता ₹ 5.28 करोड़ की अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा राशि जमा कराएगा। निविदा समिति के अनुमोदन के दो माह के पश्चात, फर्म एक्स को 30 नवम्बर 2011 तक अनुबंध का निष्पादन करने को कहा गया। फर्म ने अनुबंध के निष्पादन तथा अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा राशि को प्रस्तुत किए जाने के लिए 30 दिन का अनुरोध किया अनुरोध किया, जिसे स्वीकार नहीं किया गया तथा इसकी ई.एम.डी. जब्त कर ली गई। तत्पश्चात् 16 महीने बाद कार्य को मेसर्स ओ.सी.सी. लिमिटेड, एक राज्य पी.एस.यू. को, अप्रैल 2013 में ₹ 59.90 करोड़ के प्रस्तुत दर पर सौंपा गया। अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा राशि को जमा करने पर जोर देना तथा योग्य बोलीदाता को समय बढ़ाने की अनुमति के लिए मना करना जबकि बोली वैद्यता, परियोजना अधिकारियों के अनुरोध पर दो बार बढ़ाई गई तथा पी.एस.यू. को कार्य सौंपने विवेक की कमी को दर्शाता है क्योंकि इसके परिणाम से ₹ 26.12 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुई। • कन्द्रीय सतर्कता आयोग के अनुसार, कार्यों को खुली निविदा के आधार पर सौंपा जाना चाहिए तथा नामांकन के आधार पर सौंपे जा रहे कार्य कोडल प्रावधानों का उल्लंघन है। लोअर सुक्तल सिंचाई परियोजना में 'स्पिलवे के निर्माण' का शेष कार्य तथा 'अर्थ डैम' का कार्य ₹ 164.74 करोड़ की कुल संस्वीकृत लागत के साथ 10 प्रतिशत उपरी प्रभार को शामिल करते हुए ₹ 200.64 करोड़ की कीमत पर ओ.सी.सी. लिमिटेड एक पी.एस.यू. को बिना निविदा प्रक्रिया के सौंपा गया। • तेलंगिरी मुख्य नहर के उत्खनन हेतु, मुख्य निर्माण अभियंता (सी.सी.ई.), उच्च कोलाब परियोजना (यू.के.पी.) ने ₹ 26.62 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक सामान्य निविदा बुलावा सूचना-पत्र के माध्यम से चार कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित की (मार्च 2012)। निविदा समिति ने निविदा रद्ध कर दी क्योंकि संयुक्त मूल्यांकन मानदंडों को निविदा दस्तावेज में समेकित नहीं किया गया था। तत्पश्चात्, सी.सी.ई. ने एस.ओ.आर. के संशोधन की वजह से ₹ 26.34 करोड़ की अनुमानित लागत (पूर्व निविदा में तीन कार्यों की लागत ₹ 23.51 करोड़ थी) के साथ प्रासंगिक मापदंडों को समेकित करने के पश्चात तीन कार्यों हेतु नई बोली आमंत्रित की (अक्टूबर 2012)। इस प्रकार, प्रारंभिक निविदा दस्तावेज में संयुक्त मूल्यांकन मापदंड का समावेश करने में प्राधिकारी की असफलता का परिणाम, निविदा चरण पर ही ₹ 2.83 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुआ।

राज्य	परियोजना	अवलोकन
राजस्थान	गंग नहर का आधुनिकीकरण	गंग नहर के आधुनिकीकरण पर पी.सी.सी. ब्लाक लाइनिंग का कार्य (पी.सी.सी. ब्लाक के निर्माण की लागत को शामिल करके) निविदा लागत के 4.74 प्रतिशत से 5.80 प्रतिशत नीचे पर आबंटित किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया कि विभाग ने निविदा प्रीमियम के 5 प्रतिशत ऊपर पर पी.सी.सी. ब्लॉक के उत्पादन व पूर्ति कार्य हेतु अन्य ठेकेदार को पृथक कार्य आदेश जारी किया जबकि यह कार्य पी.सी.सी. ब्लॉक लाइनिंग कार्य में शामिल था। परिणामस्वरूप, पी.सी.सी. ब्लॉक लाइनिंग हेतु निविदा दरों तथा पी.सी.सी. ब्लॉक निर्माण हेतु अनुमति दी गई दरों में 9.74 प्रतिशत से 10.80 प्रतिशत की रेंज में अंतर की वजह से ₹ 30 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।
उत्तर प्रदेश	बाणसागर नहर परियोजना तथा मध्य गंगा नहर परियोजना	• वित्तीय हैंडबुक भाग VI में निर्धारित एन.आई.टी. हेतु 30 दिन के प्रावधान के विरूद्ध बाणसागर नहर परियोजना में, विभाग ने ₹ 403.46 करोड़ की अनुमानित लागत पर शेष कार्य के निर्माण हेतु 15 दिन के नोटिस के साथ निविदा आमंत्रित की (सितम्बर 2012)। चार बोलीदाताओं ने उनकी बोली प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा जो नहीं दिया गया तथा परिणामस्वरूप निविदा में भाग नहीं ले सके। अंत में, बोली, जनवरी 2013 में एक अन्य फर्म को सौंप दी गई अर्थात् चार महीने की देरी के बाद। इस प्रकार, एक बड़े अनुबंद में 15 दिन का सीमित निविदा नोटिस न केवल कोडल प्रावधानों का उल्लंघन था बल्कि औचित्य में भी कमी थी क्योंकि इसने प्रतियोगिता को घटा दिया। • ₹ 23.68 करोड़ की कीमत वाले बाण सागर नहर परियोजना के एक अनुबंध तथा मध्य गंगा नहर परियोजना चरण II के पांच अनुबंधों में, बोली प्रस्तुत करने के लिए दिया गया समय पर्याप्त नहीं था तथा कोडल प्रावधानों के उल्लंघन में 15 से 23 दिनों की रेंज में था। • बाणसागर तथा मध्य गंगा परियोजनाओं में आठ अनुबंधों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि ₹ सात करोड़ के दो अनुबंध, एकल निविदा के आधार पर सौंपे गए। किसी भी मामले में पुनः निविदा प्रक्रिया नहीं की गई तथा अनुबंध, बिना प्रतियोगी बोली के हस्ताक्षरित किए गए।
एम.आई. योजनाएं		
महाराष्ट्र	उन्केश्वर के.टी.	योजना को 2007-08 में, ₹ 2.07 करोड़ के मूल अनुमोदन लागत के साथ ए.आई.बी.पी. में शामिल किया गया। भारत सरकार ने

राज्य	परियोजना	अवलोकन
		2008-09 में परियोजना को ₹ 1.12 करोड़ जारी किए। उनकेश्वर केटी बंधिका के निर्माण हेतु कार्य को, सितम्बर 2010 को पूर्ण करने की नियत तिथि के साथ ₹ दो करोड़ में ठेकेदार को सौंपा गया (मार्च 2008)। कार्य की शुरूआत से पहले, परियोजना प्राधिकारी द्वारा उनकेश्वर के.टी. बंधिका को उच्च स्तर बैराज में बदलने (अगस्त 2009) का फैसला लिया गया जिससे कार्य लागत ₹ 89.76 करोड़ बढ़ गई। लागत व कार्यक्षेत्र दोनो में व्यापक बदलाव के बावजूद, परियोजना प्राधिकारी ने कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित करने की बजाय उसी ठेकेदार से कार्य कराया। अगस्त 2009 में, इस कार्य को ए.आई.बी.पी. से अलग करने के लिए एक प्रस्ताव बनाया गया जिसका निर्णय अभी भी प्रतीक्षारत था। यह देखा गया कि इसी बीच ₹ 59.86 करोड़ का भुगतान ठेकेदार को दिया गया तथा ₹ 2.07 करोड़ की राशि ए.आई.बी.पी. निधियों से सितम्बर 2014 तक उपयोग की गई जिसके बाद कार्य को रोक दिया गया।
मिजोरम	ज़िलंगदई बुहचंगदिल, तुईकुअल, मट तथा त्लाबुंग	₹ 5.56 करोड़ की पांच एम.आई. योजनाओं के मामले में, निविदाओं हेतु व्यापक प्रचार नहीं किया गया तथा निम्नतम बोलीदाताओं का चयन नहीं किया गया।
	अवमपुइफई, बुहचंगदिल, चानगटे, फुयानलुई, लोअर टुइमुक, मट, मिडुमफई, थांगपुइलुई, तुइकुअल तथा ज्लिगंई	दस अन्य योजनाओं को विभागीय दायित्व में शुरू किया गया परंतु जी.एफ.आर. प्रावधानों के विचलन में तथा ₹ 4.57 करोड़ की कीमत की निर्माण सामग्रियों को बिना निविदाओं के बुलावे के खरीदा गया।
मेघालय	रिंगदी एफ.आई.पी., लैपडकोह एफ.आई.पी., कोलाइगोन एफ.आई.पी., सारीखुशी एफ.आई.पी., बाकंडा एफ.आई.पी., जाजिल एफ.आई.पी.,	11 योजनाओं के मामलों में, प्रशासनिक अनुमोदन तथा वित्तीय स्वीकृति की प्राप्ति की तिथि से एक महीने से लगभग दो वर्षो की रेंज की अवधि तक कार्य आदेश जारी करने में देरी हुई। देरी, निधि के प्रावधानों में देरी की वजह से थी।

राज्य	परियोजना	अवलोकन
	अमसोहखरी एफ.आई.पी., नेनगजा बोलचूगरे एफ.आई.पी., थेपडेइनगंगन एफ.आई.पी., उमसोहफरिया एफ.आई.पी. तथा मारमेनखुशवई एफ.आई.पी.	

अनुबंध 4.13

(पैरा संख्या 4.9.5.1 का संदर्भ लें)

अनियमित व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
एम.एम.आई. परियोनजाएं			
आंध्र प्रदेश	3.27	गुंडलाकम्मा परियोजना	• परियोजना प्राधिकारियों ने डाईवर्जन चैनल तथा सड़क की मरम्मत के कार्य को अतिरिक्त मद के रूप में मानते हुए इनके लिए ठेकेदार को अलग से ₹ 1.78 करोड़ का भुगतान किया यद्यपि यह कार्य हेतु अनुबंध में शामिल था। • राज्य सरकार ने अप्रैल 2013 से प्रभावी चालू अनुबंधों में निविदा छूट या प्रीमियम[3] लगाये बिना जून 2015 में वितरिकाओं नेटवर्क हेतु भुगतान योग्य दरों में ₹ 9,000 प्रति एकड़ से ₹ 10,500 प्रति एकड़ की वृद्धि की। विभाग ने पुरानी दरों पर 5.13 प्रतिशत की निविदा छूट के गलत तरीके से आवेदन के द्वारा 32,333 एकड़ के शेष अयाकट के निर्माण हेतु ₹ 3.21 करोड़ के लिए जून 2016 में पूरक अनुबंध में प्रविष्टि की तथा ₹ 1,500 प्रति एकड़ की बजाय, ₹ 1,962 प्रति एकड़[4] की अलग दर पर पहुँचा। इसका परिणाम ₹ 1.49 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिबद्धता हुआ। विभाग ने बताया कि पूरक अनुबंध को, निविदा छूट के आवेदन के बिना अलग दर पर गणना करने के पश्चात संशोधित किया जाएगा।
असम	9.80	चम्पामति परियोजना	भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना, अनुमोदित डी.पी.आर. के कार्य क्षेत्र के परे कार्य की मदों के समक्ष ₹ 9.80 करोड़ का व्यय किया गया।
	2.06	धनसिरी सिंचाई परियोजना	सी.डब्ल्यू.सी. दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुमानित लागत का संशोधन केवल कार्य के कार्यक्षेत्र में बदलाव के मामले में ही किया जा सकता है। खाउरांग नदी के चै. 45,250 फीट पर कृत्रिम जलसेतु बनाने के कार्य को, अप्रैल 2002 तक कार्य

[3] 'निविदा छूट' बोली की अनुमानित लागत से नीचे बोलीदाता द्वारा उद्घृत मुल्य का प्रतिशत है। 'निविदा' प्रीमियम' अनुमानित लागत से अधिक उद्घृत प्रतिशत है।

[4] ₹ 10,500-(9,000-9,000 का 5.13 प्रतिशत)

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			पूरा करने की शर्त के साथ ठेकेदार को सौंपा गया (अप्रैल 2000)। ठेकेदार नियत अवधि में कार्य पूरा नहीं कर सका तथा विभाग ने बिना कोई जुर्माना लगाये जून 2009 तक, कई बार समय को बढ़ाया। इसके बजाय, प्रभाग ने निविदा कीमत को ₹ 4.30 करोड़ तक बढ़ाया (फरवरी 2009) जिसमें कीमत वृद्धि की वजह से ₹ 2.08 करोड़ शामिल थे। प्रभाग ने ₹ 5.10 करोड़ का भुगतान किया, जिसमें इस ₹ 2.06 करोड़ की राशि को शामिल किया गया। अनुबंध में कीमत वृद्धि के लिए किसी भी प्रावधान के बिना इसकी अनुमति देने तथा ऐसे मामले में, जहां देरी ठेकेदार के कारण थी, का परिणाम अनियमित व्यय में हुआ।
बिहार	1.45	दुर्गावती तथा पुनपुन बैराज परियोजनाएं	बिहार खनिज छूट नियम अनुबंधित करता है कि कार्य प्रभागों को फार्म एम.व.एन. तथा चालान, ठेकेदार से प्राप्त करना चाहिए तथा इसे जिला खनन अधिकारी से, मामूली खनिजों की कीमत व उनके वहन के लिए भुगतान करने से पहले सत्यापित कराना चाहिए। • दुर्गावती राइट मेन कैनाल प्रभाग तथा दुर्गावती लेफ्ट मेन कैनाल प्रभाग के अंतर्गत निष्पादित पांच अनुबंधों के अभिलेखों से उजागर हुआ कि संबंधित विभाग ने, एम.व.एन. फॉर्म के सत्यापन के बिना, 2,037.39 क्यूमी. रेत, 2,378.24 क्यूमी. पत्थर चिप, 2,643.90 क्यूमी. धातु तथा 34.20 क्यूमी. के बाउल्डर्स के उपभोग हेतु ठेकेदार को ₹ 91.88 लाख का अनियमित भुगतान किया। • इसी प्रकार, पुनपुन बैराज भुगतान के मामले में जिला खनन अधिकारी से चालान तथा एम.व.एन फार्म के सत्यापन के बिना 10,092.82 क्यूमी. के पत्थर धातु के लिए ₹ 53 लाख का भुगतान अनियमित था।
छत्तीसगढ़	0.36	केलो	केलो परियोजना की धनगाँव वितरिका की मुख्य रेगुलेटर संरचनाओं के निर्माण के कार्य को ₹ 95.18 लाख के लिए ठेकेदार को सौंपा गया। ठेकेदार ने कार्य का निष्पादन नहीं किया तथा ई.ई. ने, जोखिम तथा कीमत धारा के अंतर्गत अनुबंध को समाप्त कर दिया। हालांकि, ठेकेदार के प्रस्तुतीकरण के आधार पर तत्पश्चात, ठेकेदार की ओर से ₹ 35.57 लाख की अतिरिक्त लागत की वसूली को प्रतिबंधित

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			कर, ठेकेदार के पक्ष में फैसला लिया गया। निर्णय एल.ए. मामलों में देरी के आधार पर था। हालांकि, ई.ई. द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के अनुसार, 11 स्थलों में से सात पर एल.ए. मामलों को, ठेकेदार को कार्य आदेश जारी करने से पूर्व अंतिम रूप दिया गया। इस प्रकार, ठेकेदार से भुगतान की वसूली को प्रतिबंधित करना अनियमित था।
झारखण्ड	42.20	सुबर्नरेखा	झारखण्ड माइनर मिनरल कन्सेशन (जे.एम.एम.सी.) नियमों, 2004 के नियम 55 के अनुसार, मामूली खनिजों की खरीद केवल पट्टेदार/परमिट धारकों तथा प्राधिकृत वितरकों से की जा सकती है, जिसके लिए फार्म 'ओ' में शपथ पत्र के साथ परिवहन चालान का प्रस्तुतीकरण तथा फार्म 'पी' में विवरण (स्त्रोत जहां से सामग्री खरीदी गई, मात्रा तथा सामग्री की कीमत) अपेक्षित है। ठेकेदार को भुगतान करने से पहले फार्म ओ. व पी. में दिए गए विवरण की यथार्थता की जाँच संबंधित जिला खनन अधिकारी द्वारा की जानी थी। आगे, शेडयूल ऑफ रेट्स (एस.ओ.आर.) में दी गयी अनुदेशों के अनुसार निर्माण कार्यों में केवल 'टाटा टिसकॉन' तथा स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस.ए.आई.एल.), बोकारो का स्टील उपयोग किया जाना था। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 70 जांच-परीक्षा किए गए अनुबंधों में से 49 में, निर्माण सामग्री के ढुलाई के लिए ₹ 42.20 करोड़ का भुगतान ठेकेदार को विभागीय अधिकारी द्वारा ठेकेदार से अपेक्षित फार्म ओ व पी प्राप्त किए बिना किया गया। अपेक्षित फार्म/चालान के अभाव में, खनन विभाग के साथ सत्यापन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, स्टील की खरीद के समर्थन में बिक्री चालान भी ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। इस तरह, वाहन के भुगतान, निश्चित स्थानों जहां से सामग्री खरीदी गई थी, की जांच किए बिना किए गए। इस प्रकार, ₹ 42.20 करोड़ का भुगतान अनियमित था।
कर्नाटक	1.40	एन.एल.बी.सी.	नहर के 0.00 से 50.87 कि.मी. के कार्य में, सामग्री, श्रम तथा सभी बढ़त तथा उठाव (मद सं. 13) के साथ बिछाव, जोड़ इत्यादि की कीमत को शामिल करते हुए नहर के तल व बगल हेतु एल.डी.पी.ई. शीट प्रतिष्ठापन व प्रदान करने के लिए अनुमानित लागत हेतु एक प्रावधान बनाया गया।

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			प्रभाग, डब्ल्यू.आर.डी.एस.आर 2012-13 के अनुसार 750 माइक्रान की मोटाई वाली एल.डी.पी.ई. शीट प्रतिष्ठापन व प्रदान करने हेतु ₹ 223.60 प्रति वर्गमीटर पर विचार कर चुका था। तत्पश्चात, डब्ल्यू.आर.डी.एस.आर. 2013-14 के आधार पर अनुमानित लागत का संशोधन किया गया तथा 1,000 माइक्रान मोटाई वाली एल.डी.पी.ई. शीट पर विचार करते हुए ₹ 299 प्रति वर्गमीटर की दर निकाली गई। मोटाई की विशिष्टता को गलत रूप से अपनाने (750 माइक्रान एल.डी.पी.ई. शीट की बजाय 1,000 माइक्रान) की वजह से, ₹ 1.40 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।
महाराष्ट्र	67.40	लोअर वर्धा	मुख्य नहर, गिरोली व देओली शाखा नहर पर सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के निर्माण का कार्य मेसर्स श्रीनिवास कन्स्ट्रक्शन को सौंपा गया। कार्य के निष्पादन के दौरान, ठेकेदार ने ₹ 468.55 प्रति क्यूमी. की दर पर कोहेसिव नॉन-स्वैलिंग (सी.एन.एस.) सामग्री के 17 लाख क्यूमी. का उपयोग किया जिसमे ₹ 365.20 प्रति क्यूमी. की दर पर 30 किमी से सामग्री परिवहन की दर शामिल थी। परियोजना प्राधिकारी, स्त्रोत जहां से सामग्री ली गई थी, का कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल थे। वर्धा जिला के जिला खनन कार्यालय ने पुष्टि की कि ठेकेदार को सामग्री निकालने हेतु कोई अनुमति नहीं दी गई थी। इस प्रकार, स्त्रोत की वास्तविक स्थिति को सुनिश्चित किए बिना 30 किमी की बढ़त के साथ अनुमान को बढ़ाने का परिणाम ठेकेदार को ₹ 67.40 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।
	0.55	तराली	रूपांकन, आरेखण का कार्य तथा सी.डी.ओ. की ओर से इसकी जांच जो विभाग की जिम्मेदारी थी, निविदा में शामिल थी। चूँकि यह ठेकेदार के लिए अतिरिक्त कार्य होगा, ठेकेदार उसकी बोली में ऐसे कार्य की लागत जोड़ेगा। इस तरह से कार्य व्यय पर प्रशासनिक व प्रतिस्थापन व्यय का भार हुआ। आगे, कोपर्डे अप्रोच कैनाल, खातब एल.बी.सी., बामबावडे तथा तराली एल.आई.एस.व पाल तथा इन्दोली एल.आई.एस. में ठेकेदार ने बिना किसी अनुमोदित रूपांकन के कार्य शुरू किया। यहां डिजाइन तैयार करने तथा इनको सी.डी.ओ. नासिक से अनुमोदित कराने में लिए गए समय की वजह से

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			न केवल कार्य में देरी हुई, बल्कि इसका परिणाम, सी.डी.ओ. द्वारा संशोधित रूपांकन के अनुमोदन के पश्चात कार्य के रूपांकन में बदलाव की वजह से ई.आई.आर.एल तथा अतिरिक्त परिमाणों में हुआ।
	8.79	हेतवाने	महाराष्ट्र सरकार ने, खाड़ी युद्ध की वजह से निर्माण सामग्री की कीमत में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की वजह से अक्टूबर 1990 को चालू सभी कार्यों हेतु कीमत बढ़ोतरी में विशेष राहत को स्वीकृति देते हुए जनवरी 1992 में सरकारी संकल्प जारी किया। सरकारी संकल्प ने विशेष राहत की गणना हेतु सूत्र भी निर्धारित किया। सरकारी संकल्प (जी.आर.) (1992) के अंतर्गत दिशानिर्देश का पैरा 2 (vii) अनुबंधित करता है कि विशेष राहत की अनुमति अनुबंध के अंतर्गत सभी कार्य पूरे होने तक थी। कार्य का आबंटन 1985 में किया गया, इस प्रकार यह विशेष राहत हेतु योग्य था तथा ठेकेदार की कीमत वृद्धि के अतिरिक्त अक्टूबर 1990 से जून 2008 की अवधि हेतु ₹ 8.95 करोड़ का भुगतान विशेष राहत के रूप में किया गया (₹ 15.68 लाख अक्टूबर 1990 तथा सितम्बर 1994 के बीच तथा अक्टूबर 1994 व जून 2008 के बीच ₹ 8.79 करोड़)। खाड़ी युद्ध की वजह से सामग्री की कीमत में अभूतपूर्व वृद्धि का प्रभाव 1994 तक खत्म हो चुका था, हालांकि कथित जी.आर. के गैर-संशोधन की वजह से, ठेकेदार 2008 तक इसका लाभ उठा रहा था। ठेकेदार को ₹ 8.79 करोड़ का अदेय लाभ हुआ (अक्टूबर 1994 तथा जून 2008 के बीच)।
तेलंगाना	4.79	पालेमवागु परियोजना	अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 46 के अनुसार, सीमेंट, स्टील तथा ईंधन की कीमतों पर वृद्धि की अनुमति है, यदि कीमतें, मौजूदा बाजार दरों के ऊपर पांच प्रतिशत से ज्यादा बढ़ती हैं। मूल दरों पर पांच प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि का क्षतिपूरण किया जाना था। हालांकि, विभाग ने प्रारंभिक पांच प्रतिशत वृद्धि को शामिल करते हुए सीमेंट, स्टील तथा ईंधन के लिए कीमत वृद्धि की अनुमति दी। कीमत वृद्धि के गलत भुगतान का परिणाम ₹ 4.79 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
ओडिशा	2.53	लोअर सुक्तल परियोजना	दिसम्बर 2003 में, राज्य सरकार ने परियोजना के जलप्लावन क्षेत्र गांव चूड़ापाली में 476.90 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना जारी की तथा ₹ 12.88 करोड़ की राशि स्वीकार की। तत्पश्चात, जनवरी 2010 में विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एस.एल.ए.ओ.) ने प्राधिकृत रूप से भूमि के वर्गीकरण तथा ₹ 15.41 करोड़ की अनुमानित लागत का पुनरीक्षण किया। यह भूमि की लागत के ₹ 2.53 करोड़ के अनियमित अनुमति की ओर ले गया।
उत्तर प्रदेश	21.85	बाणसागर नहर परियोजना	सिंचाई विभाग में, अनुबंध तय मद दरों पर सौंपे जाते है तथा यहां कीमत समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है। बाणसागर नहर परियोजना में, एक फर्म के साथ ₹ 402.52 करोड़ हेतु अनुबंध बांड हस्ताक्षरित किया गया तथा कीमत समायोजन हेतु दो जाँच-परीक्षित विभागों द्वारा ₹ 21.85 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा में अवलोकन किया गया कि ठेकेदार ने, कीमत सूचियों में बदलाव संबंधी किसी भी न्यायसंगतता को शामिल किए बिना कीमत समायोजन का दावा किया। विभागीय अधिकारी ने ठेकेदार के दावे को सत्यापित नहीं किया तथा राशि का भुगतान किया। इस प्रकार, ₹ 21.85 करोड़ का अनियमित व्यय किया गया।
	99.56	बाणसागर नहर परियोजना	परियोजना की अनुमानित लागत को विस्तृत सर्वेक्षण के बाद तैयार किया जाना चाहिए ताकि अनुमोदित विशिष्टताओं के अनुसार कार्य का निष्पादन किया जा सके तथा तकनीकी संस्वीकृति से विचलन व विभिन्नता को कम से कम किया जा सके। फर्म को सौंपी गई बाणसागर नहर परियोजना के परिमाणों के 14 जांच-परीक्षण किए गए बिलों में से नौ में ₹ 99.56 करोड़ की राशि के अतिरिक्त मद शामिल किए गए थे। इस प्रकार, ₹ 99.56 करोड़ की राशि के कार्य को बोली प्रक्रिया से बाहर रखे गए थे तथा बाद में फर्म द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य के कार्यक्षेत्र में जोड़े गए। इस प्रकार, ये कार्य अनियमित दरों पर निष्पादित किए गए। यह अनियमित था तथा इससे ठेकेदार को अदेय लाभ दिए गए।
उप कुल	**266.01**		

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
		एम.आई. योजनाएं	
मध्य प्रदेश	0.32	झारा माइनर	सी.सी. लाइनिंग के नीचे सी.एन.एस. सतह बिछाने तथा प्रदान करने हेतु कोई प्रावधान नहीं था जबकि यह, पाठाखई माइनर परियोजना में नहर में चयनित पहुंच में शामिल था। विभाग ने दोनों योजनाओं में सी.सी. लाइनिंग के नीचे सी.एन.एस. का निष्पादन, सी.एन.एस. की आवश्यकता जानने हेतु परीक्षण के बिना किया। इसका परिणाम ₹ 32.04 लाख की अनियमित लागत में हुआ।
मिजोरम	0.86	खावनुई, ज़िल्गंई छांगते, फुआनलुई मट, बुःछांगदिल, टुईकुआल, मिडुम फाई, लोअर टुईमुक, औमपुई फाई	₹ 86 लाख का व्यय, आवश्यकता से अतिरिक्त खोदक मशीन को भाड़े पर लेना, प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी के बिना डी.पी.आर. में निर्माण के दौरान मरम्मत और निष्पादन हेतु सामाग्री जो डी.पी.आर. में शामिल नहीं थे और किसी भी संरचनात्मक घटकों के निर्माण से पहले मार्च 2017 में जी.आई. पाइप लगाने और फिटिंग के लिए मजदूरी का भूगतान पर अनुमानित लागत से उपर और अधिक किया गया।
नागालैंड	4.07	पंगबा, ओयुंग, टिपफेको - पफिलिकालु, तथा बालीजन खेकिहो	चार एम.आई. योजनाओं के भौतिक सत्यापन के दौरान, यह नोटिस किया गया कि ₹ 4.07 करोड़ की राशि वाले कार्यों को डी.पी.आर. में अनुमोदित कार्य के कार्यक्षेत्र अनुसार निष्पादित नहीं किया गया था। कार्य के अनुमोदित कार्यक्षेत्र से विचलन का परिणाम ₹ 4.07 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।
	0.32	डिफूपानी एम.आई परियोजना	एक स्टैंडअलोन एम.आई. परियोजना शुरू की गई (2014-15) जिनके लिए ₹ 31.50 लाख जारी किए गए क्योंकि विशेष विवरणों के अनुसार कार्य को पूरा किया जाना सूचित हुआ था। लेकिन संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान (जुलाई 2017) यह नोटिस किया गया कि कार्य को निष्पादित नहीं किया गया था। इस प्रकार, ठेकेदार को ₹ 31.50 लाख का अदेय भुगतान किया गया।
	0.15	पंगतीयांग एम.आई. परियोजना	पंगतीयांग एम.आई. परियोजना (2014-15) के अंतर्गत ₹ 17.13 लाख का भुगतान जारी किया गया क्योंकि संबंधित कार्य का पूरा होना सूचित किया गया था। लेकिन संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान (जुलाई 2017), यह नोटिस किया गया कि कार्य का निष्पादन नहीं किया गया था। इस प्रकार, ठेकेदार को ₹ 17.13 लाख का अदेय भुगतान किया गया।

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
ओडिशा	0.83	तिलजोडी	₹ 83 लाख का व्यय बिना प्रशासनिक अनुमोदन के किया गया।
	1.45	दाबलोजोर योजना	₹ 1.45 करोड़ का व्यय बिना प्रशासनिक अनुमोदन के किया गया।
उप कुल	**8.00**		
कुल	**274.01**		

अनुबंध 4.14

(पैरा संख्या 4.9.5.2 का संदर्भ लें)

अपव्ययी तथा निष्फल/बेकार व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
एम.एम.आई. परियोनाएं			
असम	17.79	धनसिरी सिंचाई परियोजना	परियोजना के मुख्य नहर के 80 मीटर की जरीब दूरी पर गाद निष्कासक के निर्माण का कार्य ठेकेदार को (नवम्बर 2003) सौंपा गया। ₹ 17.79 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी, जुलाई 2017 तक कार्य पूरा नहीं किया गया था क्योंकि पावर स्टेशन का निर्माण ए.पी.डी.सी.एल. के रूझान हटने की वजह से छोड़ दिया गया था। इसी बीच, भौतिक सत्यापन के दौरान, मुख्य नहर में भारी मात्रा में गाद को संज्ञान में लाया गया। विभाग ने कहा (जुलाई 2017) कि ए.पी.पी.सी.एल., अन्य पावर क्षेत्र कम्पनी के साथ कार्य को पूर्ण करने का नया प्रस्ताव प्रक्रिया में था। तथ्य रहा कि परियोजना पर पहले ही खर्च किया गया ₹ 17.79 करोड़ निष्फल रहा।
	0.10	धनसिरी सिंचाई परियोजना	बी3एम शाखा नहर में, 15,606 मी. तथा 17,374 मी. की जरीब दूरी के बीच ₹ 9.91 लाख की लागत के मरम्मत कार्यों को निष्पादित दर्शाया गया, जो या तो परित्यक्त (जरीब दूरी 15,606 मी. से 16,760 मी.) अन्यथा बेकार (जरीब दूरी 16,760 मी. से 17,374 मी.) था।
	2.25	धनसिरी सिंचाई परियोजना	बी3एम शाखा नहर में 15,606 मी. से 16,760 मी. की क्षतिग्रस्त जरीब दूरी को ध्यान में रखते हुए, नहर के माध्यम से पानी की पूर्ति के लिए नहर की 16,760 मी. जरीब दूरी पर 'गेटेड स्पिलवे' के निर्माण का कार्य, ₹ 1.91 करोड़ की निविदा लागत पर ठेकेदार को (फरवरी 2014) आबंटित किया गया। तत्पश्चात, कार्य के क्षेत्र में बढ़ोतरी की वजह से क्षतिपूर्ति निविदा के माध्यम से ₹ 5.70 करोड़ तक इसे संशोधित किया गया (जनवरी 2015)। ₹ 2.25 करोड़ की कीमत वाले कार्य के निष्पादन के बाद, ठेकेदार ने अप्रैल 2015 से

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			कार्य बंद कर दिया जिसके कारण अभिलेख में नहीं है। जुलाई 2017 तक कार्य अपूर्ण था। ठेकेदार को ₹ 1.93 करोड़ का भुगतान ₹ 32 लाख की शेष देयता के साथ किया गया, जो निष्फल रहा क्योंकि न तो ठेकेदार ने कार्य पुनः शुरू किया न ही विभाग ने शेष कार्य को पूरा करने की पहल की।
	1.75	धनसिरी सिंचाई परियोजना	सोनाई नदिका के पार शाखा नहर सं. डी2बी1एम के 17,932 मी. जरीब दूरी पर अन्य मिश्रित कार्यों के साथ 'गेटेड स्पिलवे' के निर्माण का कार्य ठेकेदार को ₹ 2.80 करोड़ के लिए अगस्त 2010 के अंदर पूरा करने हेतु सौंपा गया (मार्च 2010)। ठेकेदार ने ₹ 2.33 करोड़ की कीमत का कार्य निष्पादित किया परंतु कार्य को पूरा करने में असफल रहा तथा इसे नवम्बर 2013 से बंद कर दिया, जिसके कारण अभिलेख में नहीं है। कार्य को दिसंबर 2015 में समाप्त कर दिया गया तथा ठेकेदार को ₹ 1.75 करोड़ का भुगतान किया गया। शेष कार्य तथा ₹ 57 लाख के अतिरिक्त कार्य के निष्पादन के लिए एक नया कार्य आदेश अन्य ठेकेदार को ₹ 1.04 करोड़ की निविदा लागत पर मई 2016 के अंदर पूरा करने हेतु जारी किया गया (मार्च 2016)। यह ठेकेदार भी कार्य पूरा करने में (जुलाई 2017) असफल रहा। इस प्रकार, वास्तविक कार्य आदेश जारी करने की तिथि से सात से भी ज्यादा वर्षों तक कार्य की गैर-पूर्णता का परिणाम ₹ 1.75 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।
	0.16	जमुना सिंचाई परियोजना	₹ 16.45 लाख की कुल लागत के साथ जमुना सिंचाई परियोजना के आधुनिकीकरण के अंतर्गत मुख्य नियामको के बहाव बिंदु पर द्वार ऑपरेटरो हेतु पांच झोपड़ो का निर्माण किया गया। कासीमरी तथा बोकोलिया (डी1 तथा डी3 नहर) पर दो झोपड़ों के भौतिक सत्यापन से उजागर हुआ कि झोपड़े वीरान तथा क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़े थे। ₹ 16.45 लाख का व्यय निष्फल रहा।
बिहार	12.23	कोसी बैराज परियोजना	परियोजना का एक मुख्य घटक कोसी बैराज के अनुप्रवाह तथा प्रतिप्रवाह में पायलट चैनल का निर्माण

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			था। पायलट चैनल के निर्माण का कार्य ₹ 13.98 करोड़ में जून 2009 तक पूरा किए जाने के लिए मार्च 2009 में सौंपा गया। तत्पश्चात, ₹ 12.23 करोड़ खर्च करने के बाद कार्य बंद कर दिया गया क्योंकि इसे उपयोगी नहीं पाया गया। ₹12.23 करोड़ का व्यय अपव्ययी रहा क्योंकि बाढ़ के दौरान चैनल गाद से भर गया था। इसके स्थान पर, बैराज के अनुप्रवाह में, 2010-11 के दौरान इसी बढ़ाव पर, ₹ 7.38 करोड़ की लागत पर अन्य चैनल का निर्माण करना पड़ा, जो परिहार्य था।
	1.02	दुर्गावती परियोजना	दुर्गावती बायीं मुख्य नहर परियोजना के अंतर्गत बेलोन वितरिका में निर्माण कार्य हेतु दो समझौते अक्टूबर 2014 में ₹ 4.57 करोड़ की लागत पर छः महीने के अंदर पूर्ण किए जाने हेतु निष्पादित किए गए। जनवरी 2016 तक कार्य अपूर्ण रहा जिसकी वजह से नहर के संरेखण में बदलाव की वजह से आगे अन्य किसी कार्य को बंद करने का निर्णय लिया गया तथा कार्य को छोड़ दिया गया था। परिणामस्वरूप, ₹ 1.02 करोड़ का व्यय निष्फल था।
गोवा	10.25	तिल्लारी परियोजना	दायां किनारा मुख्य नहर की बी6 वितरिका के तीन कार्यों पर ₹ 10.25 करोड़ की सीमा तक कार्य के निष्पादन के बाद, कार्य को बंद कर दिया गया तथा लिफ्ट सिंचाई योजना का विकल्प अपनाने का प्रस्ताव दिया गया। क्षेत्र, जहां लिफ्ट सिंचाई योजना प्रस्तावित की गई, में कार्यों पर किया गया ₹ 10.25 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो सकता है।
गुजरात	40.09	सरदार सरोवर परियोजना	यद्यपि, नर्मदा मुख्य नहर तथा शाखा नहरें (कच्छ शाखा नहर को छोड़कर) पूरी हो गई थीं, नहर स्वचालित प्रणाली को ₹ 40.09 करोड़ खर्च किए जाने के बावजूद भी कार्यान्वित नहीं किया गया। इस राशि में, 1993 से 2014 के बीच ₹ 29.77 करोड़ की राशि से निर्मित 428 नियंत्रण केबिन (सी.सी.एस.) की लागत शामिल है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि नहर स्वचालितकरण हेतु योजना को अंतिम रूप देना बाकी था तथा अनुमानित लागत अभी तक तैयार नहीं थी।

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			इस प्रकार, सी.सी.एस. के निर्माण में ₹ 29.77 करोड़ का व्यय, वह भी जब तब नहर स्वचालितकरण प्रणाली हेतु योजना तैयार नहीं थी, के परिणाम स्वरूप बेकार निवेश हुआ। कम्प्यूटर सहायक सुदूर निगरानी तथा नियंत्रण प्रणाली (आर.एम.सी.एस.) प्रतिष्ठापन करने हेतु सलाहकार सेवाओं का लाभ उठाने पर ₹ 9.92 करोड़ का व्यय किया गया जो परियोजना के कार्यान्वयन के स्थगन की वजह से निष्फल रहा। एस.एस.एन.एन.एल. को स्वचालितकरण पायलट परियोजना हेतु बोली दस्तावेजों तथा विस्तृत रूपांकन के पुनरीक्षण हेतु सलाहकार कार्य (जुलाई 2012) ₹ 18 लाख के लिए सौंपा जिसके लिए कम्पनी ने ₹ 40 लाख का भुगतान किया।
	1.14	सरदार सरोवर परियोजना	वल्लभीपुर शाखा नहर (वी.बी.सी.) के 63.072 किमी जरीब दूरी पर नहर अतिप्रवाह के लिए निकास पहले से ही मौजूद था तथा रेलवे लाइव व पीने योग्य जल आउटलेट हेतु सेफ्टी वाल्व के तौर पर माना गया। भूमि के गैर-अधिग्रहण की वजह से जल निर्वहन हेतु टेल चैनल (जल निकास मार्ग) की अनुपस्थिति में शुरूआत से ही यह निकास गैर संचालन में रहा तथा यू.जी.पी.एल. को संभाव्य नहीं पाया गया। आगे, यहां टेल चैनल के आस-पास जी.डब्ल्यू.आई.एल. पीने के पानी की पाइपलाईन थी तथा निकास को , नदी (भादर) के प्राकृतिक बहाव (विपरीत दिशा) के विरूद्ध तैयार किया गया तथा पानी को निकास से मोड़ा नहीं जा सका। वी.बी.सी. पर 64.875 कि.मी. जरीब दूरी पर अतिरिक्त निकास हेतु ₹ 1.54 करोड़ की अनुमानित लागत को अनुमोदित किया गया तथा कार्य के लिए निम्नतम उद्धृत कीमत ₹ 1.14 करोड़ थी। इस प्रकार, 63.072 जरीब दूरी पर वास्तविक निकास निर्माण होने से ही बेकार पड़ा रहा। संरचना के निर्माण के समय दोषपूर्ण सर्वेक्षण तथा योजना की वजह से, टेल चैनल के लिए पर्याप्त भूमि

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			का अधिग्रहण किए बिना तथा टेल चैनल को पूरा किए बिना अनुपयुक्त स्थान पर निकास का निर्माण किया गया। परिणाम व्यर्थ परिसम्पति के निर्माण में तथा नए निकास पर ₹ 1.14 करोड़ की अतिरिक्त लागत के रूप में हुआ।
झारखण्ड	12.95	गुमनी बैराज योजना	₹ 13.27 करोड़ के पांच अनुबंधों को, सिंचाई विभागों, बारहेट तथा पाकूर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 0 से 234 तथा 629 से 1,083 जरीब दूरी के बीच गुमनी मुख्य नहर की मुख्य मरम्मतों तथा सेवा सड़को के निर्माण तथा किनारों को मजबूत बनाने हेतु 2015-17 के दौरान निष्पादित किया गया एवं ठेकेदारो को ₹ 12.95 करोड़ का भुगतान किया गया। सिंचाई विभाग, बरहरवा के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य नहर की मरम्मत के किसी भी कार्य को निष्पादित नहीं किया गया क्योंकि वाहोत्थान बांध के गैर निर्माण की वजह से गुमनी बैराज का कार्य अपूर्ण था। अतः वाहोत्थान बांध के निर्माण हेतु भूमि के गैर अधिग्रहण की वजह से निकट भविष्य में गुमनी बैराज से मुख्य नहर में पानी छोड़ने की संभावना दूरस्थ है। इस प्रकार, नहरों/तटबंधों की मरम्मत पर ₹ 12.95 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।
मध्य प्रदेश	0.62	सागड़ मध्यम परियोजना	मिट्टी के बांधों, स्पिलवे, डेक ब्रिज तथा जल द्वार का कार्य अनुप्रवाह में निष्पादित किया गया, यद्यपि यह अपेक्षित नहीं था, परिणाम स्वरूप ₹ 62.34 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ।
	0.15	सिंध	धातु हेतु आर.बी.सी. विभाग, नरवार के अनुबंध में, 4 कि.मी. के एक लीड को शामिल किया गया तथा कंक्रीट व अन्य वस्तुओं के साथ ₹ 15.30 लाख का भुगतान किया गया यद्यपि धातु हेतु लेड न तो अपेक्षित न ही भुगतान के योग्य था।
महाराष्ट्र	2.31	निचली पेढ़ी	स्थल पर लाए गए 1,210 एम.टी. टी.एम.टी. स्टील के लिए ठेकेदार को ₹ 3.19 करोड़ की राशि का भुगतान फरवरी 2010 में किया गया, हालांकि ठेकेदार सामग्री का उपभोज्य सात से अधिक वर्षों तक भी नहीं कर

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			सका तथा अग्रिम बकाया था। तथ्य के बावजूद कि भूमि अधिकार में नहीं थी तथा कार्य को निष्पादित नहीं किया जा सकता था, ई.ई. ने ठेकेदार को सुरक्षित अग्रिम राशि मंजूर की। फरवरी 2017 में, ई.ई. ने चिन्हित किया कि स्थल पर सामग्री में 136 एम.टी. कमी थी तथा ₹ 51.68 लाख की वसूली की। मार्च 2017 तक अर्थात सात वर्षों के बाद, ठेकेदार केवल 198.77 एम.टी. स्टील का प्रयोग कर सका तथा शेष मात्रा 875.234 एम.टी. जिसकी कीमत ₹ 2.31 करोड़ थी ठेकेदार के समक्ष अभी तक लम्बित थी (जुलाई 2017)। कार्यकारी अभियंता, अमरावती परियोजना निर्माण प्रभाग सं. 1 अमरावती ने कहा कि कार्य आदेश देने के बाद, यह अपेक्षित था कि ठेकेदार कार्य शुरू करेगा। हालांकि, भूमि की अनुपलब्धता की वजह से सात वर्षों के दौरान संरचनाओं में 1,200 एम.टी. में से केवल 198.77 एम.टी. स्टील का ही उपयोग किया जा सका।
ओडिशा	14.82	लोअर इंदिरा, कानूपुर तथा रूकुरा सिंचाई परियोजना	पी.डब्ल्यू.डी. राज्य को दर सूची (एस.ओ.आर.) ने ₹ 2,190.00 से ₹ 2,519 प्रति घंटा पर भूमि के 300 क्यू.मी. फैलाव के लिए बुल्डोजर किराए पर लेने का शुल्क तय किया। हालांकि, मिट्टी के बांधों तथा नहर के तटबंधों के संघनन हेतु अनुमानित लागत तैयार करते समय, विभाग ने 300 क्यू.मी. की बजाय 100 क्यू.मी. के फैलाव हेतु ₹ 2,177.43 से ₹ 2,519 प्रति घंटा की रेंज के किराया शुल्क अपनाए। तीन परियोजनाओं में 13 कार्यों की अनुमानित लागतों की संवीक्षा करने पर यह पाया गया कि अनुमानित लागतें ₹ 14.82 करोड़ बढाई गईं जिसमें से ₹ 12.12 करोड़ ठेकेदारो को दिए जा चुके थे।
	4.30	रूकुरा तथा लोउर इंदिरा सिंचाई परियोजना	75 एम.एम. मोटी सी.सी. एम.15 लाइनिंग की जरूरत के सापेक्ष 100 एम.एम. मोटी सी.सी. एम.15 लाइनिंग को 37,456.98 क्यूमी. के अनुमानित लागत में शामिल किया गया, जो दो परियोजनाओं के छः कंक्रीट लाइनिंग कार्यों में सी.सी. एम.-15 के 9,364.25 क्यू.मी. के अतिरिक्त प्रावधान की ओर ले गया जिसका

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			परिणाम ₹ 4.30 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।
तेलंगाना	7.96	इंदिराम्मा बाढ़ बहाव नहर परियोजना	• सितम्बर 2008 में विभाग ने आर. एंड आर. गतिविधियों को सुनिश्चित किए बिना ₹ 131.68 करोड की लागत पर थोटापल्ली बैलेंसिंग रिजरवॉयर' (टी.बी.आर.) का कार्य सौंपा। सरकार ने जनवरी 2016 में आर. एंड आर. लागत में वृद्धि की वजह से परियोजना से टी.बी.आर. को हटाने के निर्देश दिए। परिणामस्वरूप, टी.बी.आर. पर किया गया ₹ 1.24 करोड़ का व्यय व्यर्थ रहा। आगे परियोजना में एक बांध का निर्माण अपेक्षित उंचाई तक ग्रामीणों की आपत्तियों की वजह से नहीं किया जा सका क्योंकि आर. एंड आर. गतिविधियां पूर्ण नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, मिट्टी बांध का बायाँ हिस्सा मन्नार नदी के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश (सितम्बर 2016) के दौरान टूट गया। अपेक्षित ऊचाई तक बांध के निर्माण में असफलता से टूटे हुए बांध पर ₹ 5.50 करोड़ का व्यय व्यर्थ रहा। • परियोजना के अंतर्गत मोथ रिजरवॉयर का कार्य, ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न बाधाओं की वजह से शुरू नहीं किया जा सका क्योंकी आर. एंड आर. मुद्दों का निपटान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, अप्रैल 2011 तक सर्वेक्षण व जांच पर खर्च की गई ₹ 1.22 करोड़ की राशि मार्च 2017 तक निष्फल थी।
	46.64	राजीव भीमा लिफ्ट इरिगेशन योजना	अनुबंध (मार्च 2005), के अनुसार तेलंगाना में राजीव भीमा लिफ्ट इरिगेशन योजना (आर.बी.एल.आई.एस.) के अंतर्गत मौजूदा शंकरा समुंद्रम टैंक का शंकरा समुंदरम बैलेंसिंग रिजरवॉयर (एस.एस.बी.आर.) में बदलाव दो वर्ष में पूरा किया जाना था। हालांकि, कन्हैयापल्ली गांव में जलप्लावन के अंतर्गत आने वाले गांवों के गैर निष्क्रमण की वजह से कार्य अपूर्ण रहा (मार्च 2017 को)। कार्य में दस वर्ष की देरी हुई है

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			तथा एस.एस.बी.आर. के निर्माण पर ₹ 46.64 करोड़ का व्यय बेकार रहा।
उप कुल	**176.33**		
एम.आई. योजनाएं			
आंध्र प्रदेश	25.88	भावानासी टैंक	विभाग ने कार्यों के निर्विहन निष्पादन के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण के बिना ही प्रकाशम जिले के अड्डानकी मंडल में भावनासी टैंक का मिनी-रिजरवोयर में बदलाव का कार्य सौंपा। दिसम्बर 2016 को, विभाग ने केवल 190.29 एकड़ (40.85 प्रतिशत) अधिग्रहित की। परिणामस्वरूप, कार्य पूर्ण नहीं हुआ, जिसके परिणाम से छः वर्षों का समय लंघन, लक्षित अयाकट का गैर-सृजन तथा परियोजना पर पहले ही खर्च किए जा चुके ₹ 25.88 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।
बिहार	6.57	हड़सा बरहउना अहर पायने तथा भालुकी अहर पायने	ये दो योजनाएं 2011-12 में ₹ 10.48 करोड़ की समग्र अनुमानित लागत पर अनुमोदित की गई। यद्यपि कार्यों को पूरा नहीं किया गया, योजनाओं पर ₹ 5 करोड़ खर्च करने के बाद बंद घोषित कर दिया गया।
		जमुआ व करूआ, रंगाहीर राजाला कराही तथा काकाराका बंध सागी	चार योजनाएं जिसमें 1,040 हेक्टेयर के आई.पी. को बनाना था को 2013-14 के दौरान शुरू किया गया। चार विभिन्न अनुबंधों को विभिन्न एजेंसियों के साथ ₹ 3.21 करोड़ की संयुक्त लागत पर निष्पादित किया गया। योजनाओं को नौ महीनों में पूरा किया जाना नियत था। हालांकि, ठेकेदारों ने कार्यों को पूरा किए बिना इसे परित्यक्त कर दिया तथा वे ₹ 1.57 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी अपूर्ण रहे।
छत्तीसगढ़	13.21	भानुपुरी डाइवरजन, महादेव दांड टैंक, मैनालारंगा डाइवरजन, चेरामा टैंक, आंनदपुर टैंक पोन्डुम टैंक, बोहारदिह टैंक, चिखालकासा टैंक, भारीतोला एनीकट, बोरगांव एनीकट, दाबड़ी	₹ 56.11 करोड़ की संस्वीकृत लागत के साथ 7,540 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र की सिंचाई के लिए 23 एम.आई. योजनाओं को, विभाग द्वारा ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत समावेश के बाद तथा ₹ 13.21 करोड़ का व्यय करने के बाद, स्थानीय लोगों के विरोध, मंजूरी की गैर-प्राप्ति, इत्यादि की वजह से अलाभकारी मानते हुए बंद कर दिए गए। इस प्रकार इन परियोजनाओं पर ₹ 13.21 करोड़ का खर्च निष्फल रहा।

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
		पाड़ा स्टॉपडैम, फूलनदी एनीकट मकड़ी डाइवरजन, पानीडोबीर एनीकट, तेलगारा डाइवरजन, गेरूआनाल्ला डाइवरजन, घारहारी डाइवरजन, भेलवाटोली टैंक, केकराझारिया टैंक, जैतपुरी डाइवरजन, झिराना टैंक, गत्तम डाइवरजन तथा गमहारिया टैंक	
जम्मू व कश्मीर	1.20	लिफ्ट सिंचाई स्कीम डुलांजा	1,800 मीटर की लम्बाई की नहर वाली योजना को ₹ 1.80 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 2010-11 में शुरू किया गया। योजना, पंप हाउस के स्थल में बदलाव तथा अन्य सहबद्ध कार्यों नामतः मुख्य उत्थान, डिलीवरी टैंक इत्यादि की वजह से अपूर्ण रही। कार्य के तकनीकी भाग के लिए सामग्री पहले ही खरीदी जा चुकी थी जिसे भी प्रतिष्ठापित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, योजना पर किया गया ₹ 1.20 करोड़ का व्यय निष्फल रहा (मार्च 2017 को)।
मध्य प्रदेश	1.62	बरखेड़ी वेयर एम.आई. योजना	यह अवलोकन किया गया कि दिक्परिवर्ती बांध का दायां भाग, की (key), बॉडी (body) तथा टो (toe) दीवार के सी.सी. कार्य के भाग के साथ बह गया, जिसकी ₹ 12.88 लाख के अतिरिक्त व्यय के बाद भी मरम्मत नहीं की जा सकी। योजना को मरम्मत का कार्य पूरा किए बिना ही पूर्ण घोषित कर दिया गया। दिक्परिवर्ती बांध, पानी का भंडारण करने में असक्षम रहा तथा इसीलिए सी.सी.ए. के सृजन में भी। परिणामस्वरूप, परियोजना पर किया गया ₹ 1.62 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।
महाराष्ट्र	2.99	जाधववाडी एम.आई. टैंक	योजना, मुख्य कार्य, सिंचाई सह पावर आउटलेट (आई.सी.पी.ओ.), अन-गेटिड स्पिलवे, इत्यादि शामिल करती हैं, परंतु कोई भी नहर या वितरण नेटवर्क नहीं

राज्य	राशि	परियोजना	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			है। गैर-कार्यात्मक आई.सी.पी.ओ. के निर्माण मे किया गया ₹ 2.99 करोड़ का व्यय व्यर्थ रहा।
ओडिशा	5.25	डबलाजोर तथा तेमूरापल्ली	डबलाजोर तथा तेमूरापल्ली योजनाओं को ₹ 3.78 करोड़ की लागत पर 2007-09 के दौरान संस्वीकृत किया गया। दोनों परियोजनाओं के मुख्य कार्य ₹ 5.25 करोड़ की लागत पर पूर्ण किए गए। सिंचाई उद्देश्य हेतु पानी लाने के लिए वितरण प्रणाली को भूमि के गैर-अधिग्रहण की वजह से पूर्ण नहीं किया जा सका। यह न केवल ₹ 5.25 करोड़ की राशि को अवरूद्ध करने वरन् छः से सात से भी अधिक वर्षों हेतु बेकार वस्तुसूची के रूप में रहा। इसने सिंचाई के लाभों से वंचित किया।
उपकुल	**56.72**		
कुल	**233.25**		

अनुबंध 4.15
(पैरा संख्या 4.9.5.3 का संदर्भ लें)
अतिरिक्त एवं परिहार्य व्यय

(राशि ₹ करोड़ में)

राज्य	परियोजना	राशि	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
एम.एम.आई. परियोजनाएं			
असम	धनसिरी सिंचाई परियोजना	10.34	ठेकेदार के अनुरोध के आधार पर विभाग ने इन वस्तुओं के नामकरण को बदलकर अर्थवर्क, आर.सी.सी. और सी.सी. कार्यों की दरों में संशोधन किया जो इस प्रकार है: • उत्खनन में अर्थवर्क की दरों का विश्लेषण शुरूआत में लीड और उठान पर ध्यान दिए बगैर किया गया था जबकि नामकरण में परिवर्तन आकलन में लीड और उठान को क्रमशः 30 मीटर और 7 मीटर तक सीमित करते हुए किया गया था। • अतिरिक्त लिफ्ट के आधार पर आर.सी.सी. और सी.सी. कार्यों की दरों में भी संशोधन किया गया था, हालांकि आर.सी.सी./सी.सी. की मद दर लिफ्ट पर ध्यान दिए बगैर मात्रा (लंबाई, चौड़ाई और गहराई सहित मात्रा) प्रति घन मीटर के आधार पर निकाली गई थी। इसके अलावा, कार्य की गहराई के आधार पर कार्यों के उक्त मदों की दरों के विश्लेषण के लिए पी.डब्ल्यू.डी. सूचियों/मानदंडों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। संशोधित दरों पर किए गए भुगतान के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ। डिवीजन ने इस अवलोकन को स्वीकार किया।
		1.45	ठेकेदार द्वारा दर्शाई गई विसंगतियों के आधार पर, डिवीजन ने "संरचनाओं के किनारों को मिट्टी/बालू, कंकड़ और छोटे आकार के गोल पत्थरों सहित मिश्रित मिट्टी के साथ इसे पूरा करने के बाद पुनर्भरण" के एक नए मद को मिलाकर एक संशोधित आकलन तैयार किया। हालांकि, यह मद दरों के विश्लेषण में पहले से ही शामिल किया गया था। इस मद पर ₹ 1.45 करोड़ के भुगतान के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ। डिवीजन ने इस अवलोकन को स्वीकार किया।
		0.71	धनसिरी परियोजना डिवीजन, नहर-II सिंचाई, उदलगुड़ी ने लाखी नदी पर जलसेतु के निर्माण के लिए ₹ 8.65 करोड़ का अनुमान तय किया। हालांकि, ठेकेदारों को मजदूरी लागत पर 30 प्रतिशत आकस्मिक प्रभार शामिल करने के माध्यम से स्वीकृत बढ़ी हुई दर के भत्ते के लिए ₹ 71.23 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

राज्य	परियोजना	राशि	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			इस प्रकार, किसी भी पूरक निविदा के बिना तथा कार्य शुरू होने के बाद में निविदा दरों में बाद में की गई वृद्धि को उचित नहीं ठहराया जा सकता है और यह मौजूदा सी.डब्ल्यू.सी. दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन/हेरफेर है। श्रम पर आकस्मिक/परोक्ष लागत को शामिल करने के लिए प्रावधान केवल कार्य की वास्तविक लागत का पता लगाने और निधि की मंजूरी हेतु आकलन/डी.पी.आर. तैयार करने के लिए सी.डब्ल्यू.सी. दिशानिर्देशों में किया गया है।
		0.56	कार्यकारी अभियंता, धनसिरी परियोजना डिवीजन, नहर-II (सिंचाई), उदलगुड़ी के अभिलेखों की जांच-परीक्षा से पता चला कि डिवीजन ने संशोधित आकलन तैयार करने के समय "सीमेंट/मजबूत सलाखों/स्टील की प्लेटों/स्टील की सामग्रियों आदि को चढ़ाई एवं उतराई सहित ट्रक परिवहन द्वारा गुवाहाटी से कार्यस्थल तक पहुँचाने" के मद को शामिल किया था और तदनुसार 3,310.60 मीट्रिक टन की उक्त सामग्रियों के परिवहन के लिए ठेकेदार को ₹ 55.73 लाख का भुगतान किया गया था। चूंकि, सामग्रियों की ढुलाई लागत को आर.सी.सी./सी.सी. कार्यों की मद दरों में पहले से ही शामिल किया गया था इसलिए इस मद के अलावा ₹ 55.73 लाख के अतिरिक्त ढुलाई लागत की अनुमति का परिणाम परिहार्य अतिरिक्त व्यय के रूप में हुआ।
बिहार	पुनपुन	0.67	• बैराज की स्थापना से भूमि के उत्खनन के लिए ₹ 26 लाख के अतिरिक्त भुगतान को ठेकेदार को दुगुने भुगतान के मामले के रूप में पाया गया था। • 810.00 मीट्रिक टन पत्रक गट्ठे को प्रदान करने और रखने के काम के लिए एक पूरक समझौते के तहत डिवीजन ने मूल समझौते के मुकाबले उच्च दरों पर भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 41 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।
कर्नाटक	नारायणपुरा लेफ्ट बैंक नहर	187.19	विभागीय नियमों के अनुसार, एस.आर. में दरों के ऊपर 25 प्रतिशत वेटेज केवल काम के अंतिम भुगतान बिल के साथ देय था। लेकिन विभाग ने कार्य पूर्ति के 90 प्रतिशत तक किए गए भुगतान के लिए चालू खातों के बिल के साथ ₹ 187.19 करोड़ के वेटेज का भुगतान किया। इस प्रकार, ₹ 187.19 करोड़ के अधिक-भुगतान/पूर्व-भुगतान का अनुचित लाभ ठेकेदार को बढ़ाया गया था।
मध्य प्रदेश	बाणसागर	0.31	केवटी नहर रीवा डिवीजन के समझौते में पानी देने और संघनन के मद को केवल भरण/अर्थवर्क के मात्रा के बजाय कड़ी मिट्टी/हार्ड मुरम में उत्खनन की पूरी मात्रा के लिए

राज्य	परियोजना	राशि	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			प्रयुक्त/जोड़ा गया था। यह देखा गया था कि भरण/अर्थवर्क में 1,48,251.30 घन मीटर मात्रा का उपयोग किया गया था। हालांकि, पानी लगाना और संघनन निष्पादित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 31.37 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।
		0.61	तटबंध के अर्थवर्क में दो प्रतिशत की दर से अवमूल्यन भत्ते को कम किया जाना था। हालांकि, केवटी नहर डिवीजन, रीवा के समझौते में नहर के अर्थवर्क में भरण भाग में 10 और 20 प्रतिशत की दर से अवमूल्यन भत्ता काटा गया था जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 61.14 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।
		0.29	केवटी नहर, रीवा के समझौते में 42वें आर.ए. बिल में ठेकेदार को ₹ 9.53 करोड़ का भुगतान किया गया था लेकिन डिवीजन द्वारा तैयार किए गए 43वें और अंतिम बिल में किए गए कार्य की वास्तविक कुल राशि ₹ 9.25 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप बढ़े हुए माप के कारण ठेकेदार को ₹ 29 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।
		0.24	प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार द्वारा उत्खनित और उपलब्ध हार्ड मुरम का उपयोग करके अपनी लागत पर हाउल रोड का निर्माण किया जाना था। केवटी नहर डिवीजन, रीवा के दो समझौतों में, डिवीजन ने ठेकेदार को हार्ड मूरम के संग्रह और प्रसार के लिए ₹ 23.98 लाख का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त भुगतान हुआ।
		0.11	विभाग ने ठेकेदार के चालू बिल से ड्रेसिंग के कार्य के गैर-निष्पादन के लिए नहर के उत्खनन में 5,033.70 घन मीटर की मात्रा को रोक दिया लेकिन रिकॉर्ड में ड्रेसिंग कार्य के निष्पादन के बिना इसे अंतिम बिल में जारी किया गया। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 10.98 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।
	महुआर	2.27	प्रावधानों के अनुसार सीमेंट कंक्रीट (सी.सी.) का मद एक पूर्ण मद है, इस प्रकार धातु की संग्रह दर इसके लिए पृथक रूप से देय नहीं है। डब्ल्यू.आर.डी. डिवीजन, शिवपुरी के समझौते में धातु के लिए 15 कि.मी. के लीड को अनुमानित दर में शामिल किया गया था जिस पर निविदा प्रतिशत का भुगतान किया गया था। इसके अलावा, यद्यपि शिवपुरी जिले में बी.टी. या ग्रेनाइट धातु सम्मिलित नहीं था तथापि सी.सी. में बी.टी./ग्रेनाइट धातु के लिए भुगतान को जोड़ा गया था और इसके लिए भुगतान किया गया था। इसके

राज्य	परियोजना	राशि	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			अलावा, सी.सी. के पूर्ण मद के बावजूद सी.सी. के लिए धातु के अतिरिक्त संग्रहण दर को भी अनुमानित दर तक पहुंचने और भुगतान के लिए जोड़ा गया था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 2.27 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।
		5.85	आर.बी.सी. नहर के माइनर्स, सबमाइनर्स एवं माइनर्स के ढ़ाचे सहित निर्माण हेतु समझौते के प्रावधान के अनुसार 25.20 कि.मी. की लंबाई में आर.बी.सी. के मुख्य नहर का निर्माण किया जाना था। यह देखा गया कि आर.बी.सी. का मुख्य नहर को 25.20 कि.मी. की अनुमोदित लंबाई की तुलना में केवल 21.09 कि.मी. की लंबाई तक निर्मित किया गया था, लेकिन डिवीजन ने ठेकेदार को पूरी राशि का भुगतान किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.25 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ। इसके अलावा, समझौते के साथ संलग्न भुगतान सूची के अनुसार निर्मित प्रणाली को लगाने और परीक्षण के लिए तथा दोष देयता अवधि (तीन वर्ष) के बाद प्रतिशत भुगतान 3.80 प्रतिशत था। लेकिन ठेकेदार को दिए गए अंतिम बिल के अनुसार डिवीजन ने ठेकेदार को पूर्ण संविदा राशि का भुगतान किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.61 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।
	सिंहपुर	0.25	यह देखा गया था कि उत्खनन के लिए अनुमानित दर ₹ 30.13 प्रति घन मीटर थी लेकिन शेष कार्य में उत्खनन की दरें ₹ 90.99 प्रति घन मीटर के रूप में ली गई थी। इस प्रकार शेष कार्य में दर में गलत वृद्धि के कारण, ठेकेदार को ₹ 24.48 लाख का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।
		0.16	"मुख्य नहर का निर्माण, वितरण, सिंहपुर बैराज परियोजना के सभी वितरण प्रणाली के साथ माइनर एवं सबमाइनर" के समझौते में, पूरे लंबाई में सी.एन.एस. परत चढ़ाने की लागत को कार्य के निर्धारित लागत में शामिल किया गया था। यह देखा गया कि सी.एन.एस. परत को मुख्य नहर की प्रारंभिक पहुंच में 0 से 5 कि.मी. तक नहीं चढ़ाया गया था, लेकिन इसके लिए वसूली नहीं की गई थी जिसके कारण ₹ 16.11 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।
	सगद	1.01	समझौते के प्रावधान और कच्चा बांध, स्पिल मार्ग, डेक पुल और स्लूस के निर्माण कार्य में सी.सी. मदों के अनुमानित दर के अनुसार सीमेंट कंक्रीट कार्य के लिए नर्मदा रेत का उपयोग किया जाना था जिसके लिए 180 कि.मी. लीड प्रदान किया गया था। यह देखा गया कि निष्पादन के दौरान ठेकेदार ने नर्मदा रेत के स्थान पर 14,205.12 घन मीटर

राज्य	परियोजना	राशि	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			स्थानीय रेत का उपयोग किया लेकिन इसके लिए ठेकेदार के भुगतान से कोई वसूली नहीं की गई थी। इससे ₹ 1.01 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।
महाराष्ट्र	लोअर पंजारा एवं वाघूर परियोजनाएं	3.01	भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के पैरा 28 और 34 के अनुसार मुआवजे की राशि पर एक वर्ष के लिए नौ प्रतिशत और उसके बाद प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज का भुगतान भूमि पर अधिकार प्राप्त होने की तारीख से लेकर मुआवजे के अंतिम भुगतान की तारीख तक किया जाना था। यदि किसान उसे भुगतान किए गए मुआवजे की राशि से संतुष्ट नहीं है, तो वह बढ़े हुए मुआवजे के लिए विधि न्यायालय से संपर्क कर सकता है। अगर अदालत किसान के पक्ष में फैसला सुनाती है, तो बढ़े हुए मुआवजे को किसान को तत्काल भुगतान किया जाना होगा और किसी भी देरी के मामले में 15 प्रतिशत की दर से दंडस्वरूप ब्याज का भुगतान ठेकेदार को तब तक किया जाएगा जब तक उस किसान को मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 134 किसानों को बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान में मुआवजा देने की तिथि (2010-15) से दो से 70 महीने की अवधि तक की देरी हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप विलंबित अवधि के लिए ₹ 3.01 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया था।
	लोअर पेढी	1.05	केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अनुसार साइट पर निर्मित सिंचाई परियोजनाओं के द्वार उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट-प्राप्त हैं। इसके अलावा, सिंचाई या पीने के उद्देश्य हेतु पानी की आपूर्ति के लिए आवश्यक पाइपों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क (सी.ई.डी.) के भुगतान से छूट दी गई है। 2,082.93 मीट्रिक टन गेट्स/पाइपों के सी.ई.डी. घटक के लागत अनुमानों को, इस तथ्य के बावजूद कि ठेकेदार किसी सी.ई.डी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था, लोड किया गया था।
	लाल नाला	0.65	1,855.43 मीट्रिक टन गेट्स/पाइपों के सी.ई.डी. घटक के लागत अनुमानों को, इस तथ्य के बावजूद कि ठेकेदार किसी सी.ई.डी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था, लोड किया गया था।
	नांदूर मध्मेश्वर चरण-II	0.37	मीट्रिक टन गेट्स/पाइपों के सी.ई.डी. घटक के लागत अनुमानों को, इस तथ्य के बावजूद कि ठेकेदार किसी सी.ई.डी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था, लोड किया गया था।

राज्य	परियोजना	राशि	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
ओडिशा	लोअर सुकटेल परियोजना	58.28	• इस परियोजना के स्पिल्वे और अर्थ डैम के कार्यों को क्रमशः दिसम्बर 2011 और अप्रैल 2013 में ओ.सी.सी. को ₹ 140.74 करोड़ और ₹ 59.90 करोड़ के उनके प्रस्तावित दरों पर दिया गया था। ओ.सी.सी. की प्रस्तावित दरों की जांच से पता चला कि पत्थर, चिप्स और रेत के लिए ओ.सी.सी. द्वारा अपनाई गई दरें विभागीय दरों से अधिक थीं। विभागीय दरों को अनदेखा करके उच्च दरों की संस्वीकृति देना वित्तीय औचित्य के अनुरूप नहीं था। इसका परिणाम इस परियोजना के लिए ₹ 12.82 करोड़ के अतिरिक्त लागत के रूप में हुआ। • अर्थ डैम के निर्माण में 8,21,651.67 घन मीटर के भूमि संघनन के लिए ज्यादा किफायती शीप फुट रोलर के बजाय वाइब्रेटरी रोलर का इस्तेमाल किया गया था जिससे ₹ 1.60 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुई। • ₹ 43.86 करोड़ का अतिरिक्त स्थापना व्यय हुआ जो परिहार्य था।
	रूकुरा एवं कानूपुर सिंचाई परियोजना	3.40	तीन कार्यों (रूकुरा के तहत दो और कानूपुर परियोजना के तहत एक) को जुलाई 2012 से मार्च 2016 के बीच पूरा करने के लिए ₹ 97.87 करोड़ के समझौता मूल्य सहित सौंपा गया था। ₹ 38.58 करोड़ की लागत से अतिरिक्त मदों के साथ सभी कार्यों के निष्पादन के लिए एजेंसी के साथ पूरक समझौते किए गए थे। समझौते की शर्त के अनुसार मौजूदा एस.ओ.आर. पर अतिरिक्त मद के निष्पादन के लिए पूरक समझौतों को समाप्त किया गया था। अगर इन मदों को शुरूआती चरण में समझौतों में शामिल किया गया होता और विस्तृत सर्वेक्षण और जांच के बाद कार्य सौंपे गए होते, तो समझौते में ₹ 38.58 करोड़ के लिए अतिरिक्त मदों को शामिल किया जा सकता था और समझौते की दर के अनुसार ₹ 3.40 करोड़ की कम दर पर निष्पादित किया जा सकता था। इस प्रकार, पूरक समझौतों के माध्यम से कार्यों के निष्पादन का परिणाम ₹ 3.40 करोड़ के अतिरिक्त लागत के रूप में हुआ।
	कानूपुर सिंचाई परियोजना	22.04	• कानूपुर नहर डिवीजन के तहत ₹ 112.07 करोड़ के मूल्य वाले छह पैकेजों के तहत कार्यों को निष्पादित किया गया था। कार्यों में ₹ 45.00 से ₹ 53.60 प्रति घन मीटर की दर से 18.11 लाख घन मीटर की भूमि के उत्खनन के लिए प्रावधान शामिल था।

राज्य	परियोजना	राशि	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त मात्रा की भूमि की उपलब्धता के बावजूद उधार क्षेत्र से ₹ 15.63 करोड़ की लागत पर 10.54 लाख घन मीटर की भूमि प्राप्त करने के लिए एक प्रावधान किया गया था जिससे बचा जा सकता था। • सीमेंट कार्य की एक संविदा के लिए लागत को माइनर कोर्स के ₹ 3.85 लाख घन मीटर के आंकलन को रिहैंडलिंग प्रभारों को जोड़कर ₹ 6.50 करोड़ तक बढ़ाया गया था। अतः 3.76 लाख घन मीटर के सीमेंट कार्य के निष्पादन के लिए ठेकेदार को ₹ 6.41 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया था।
	तेलिनगिरी सिंचाई परियोजना	2.50	स्पिलवे के रेडियल गेट्स के निर्माण, उत्थापन और परिवहन के लिए, ओ.सी.सी. ने मई 2010 में ₹ 20.38 करोड़ की दर दी। चूंकि प्रस्तावित दर ड्राइंग और डिज़ाइन प्रभारों में शामिल था इसलिए परियोजना प्राधिकरणों द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद, ओ.सी.सी. ने ड्राइंग और डिजाइन प्रभारों को छोड़कर कार्य के लिए फरवरी 2012 में ₹ 22.88 करोड़ की दर प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया। बाद की तारीख में निविदा की स्वीकृति के परिणामस्वरूप ₹ 2.50 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुई।
तेलंगाना	जे. चोखा राव	524.82	एक प्राचीन धरोहर मंदिर सहित चरण-III के तहत पैकेज-II में ₹ 531.71 करोड़ की लागत के एक सुरंग का संरेखण प्रस्तावित था। कार्य के निष्पादन के दौरान स्थानीय लोगों ने सुरंग के विस्फोट का विरोध किया। ₹ 44.64 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के लिए राज्य स्तरीय स्थायी समिति (एस.एल.एस.सी.) द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक सुरंग व्यवस्था को नहीं लिया गया और इसके बजाय सरकार ने मार्च 2015 में ₹ 1,101.17 करोड़ की संशोधित लागत पर सुरंग के बजाय पाइपलाइन लगाने के पक्ष में निर्णय लिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 524.82 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिबद्धता हुई जिसमें से ₹ 214.21 करोड़ व्यय किए गए थे।
	पलेमवगू	0.75	परियोजना के अतिरिक्त कार्य से संबंधित आंकड़ों की जांच करने पर यह देखा गया कि ठेकेदार के लाभ के प्रति आकलन में 14 प्रतिशत लोड किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ काम के लिए बीमा प्रीमियम के प्रति प्रावधान शामिल था। ठेकेदार के लाभ के तहत आकलन में

राज्य	परियोजना	राशि	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
			बीमा प्रीमियम को शामिल करने के बावजूद अतिरिक्त कार्यों के लिए ठेकेदार को ₹ 75 लाख की राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त भुगतान हुआ।
	एस.आर.एस.पी. चरण-II	0.28	एस.आर.एस.पी.-II के पैकेज-53 में विभाग ने देखा (नवंबर 2012) कि ठेकेदार को जांच, माइनर्स, सबमाइनर्स के डिजाइन एवं फील्ड चैनलों की संरचनाओं के लिए ₹ 1.36 करोड़ का भुगतान किया गया था। हालांकि, एजेंसी ने वास्तव में फील्ड चैनल की जांच और सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की थी। विभाग ने फील्ड चैनलों की जांच और सर्वेक्षण के प्रति ₹ 91 लाख के अतिरिक्त भुगतान का आकलन किया। इनमें से वसूल किए जाने के लिए ₹ 28 लाख की बकाया राशि को छोड़कर ₹ 62 लाख की राशि की वसूली (मार्च 2013) की गई थी।
उप कुल योग		**829.19**	
एम.आई. योजनाएं			
असम	सुबुरा	0.63	2011-12 और 2012-13 के दौरान गलत रूप से तैयार किए गए मद दरों के आधार पर विभागीय अनुसूची दर (डी.एस.आर.) के उल्लंघन में विभिन्न मदों के लिए अतिरिक्त मात्रा में सामग्री और श्रम की अनुमति देते हुए ठेकेदारों को कार्य सौंपे गए थें जिसके कारण ₹ 63 लाख का अतिरिक्त व्यय के साथ ही ठेकेदारों को उस सीमा तक अनुचित लाभ हुआ।
मध्य प्रदेश	बारखेड़ा छज्जू टैंक	0.40	प्रावधानों के अनुसार स्थल-पर-सामग्री खाते में अभिलेखित किए जाने के लिए उपयोग योग्य चट्टान की मात्रा उत्खनन में भुगतान की गई मात्रा का 1.3 गुना होगा, जिसे ठेकेदार को साइट पर कार्य में उपयोग के लिए जारी किया जाना था। एक समझौते में, ठेकेदार ने 2,915.87 घन मीटर हार्ड रॉक की खुदाई की, इस प्रकार 1.3 गुना यानी 3,790.63 घन मीटर धातु कार्य में उपयोग के लिए साइट पर उपलब्ध था। इसके बावजूद अनुमानित दरों में न्यूनतम 2 कि.मी. के गोल पत्थरों/धातु के लीड को शामिल किया गया और ठेकेदार को दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.29 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ था। आगे यह देखा गया कि ठेकेदार ने निर्धारित करेरा रेत के स्थान पर कंक्रीट में स्टोन डस्ट का उपयोग किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 36.10 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

राज्य	परियोजना	राशि	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
	बारखेड़ा छज्जू	0.19	• सिंचाई की विशिष्टताओं के अनुसार उन जगहों पर टेम्पिंग प्रदान किया जाना चाहिए जहां रोलर के माध्यम से भूमि भरण सामग्री का संघनन अव्यवहारिक या अवांछनीय है। हालांकि मात्राओं की सूची में टेम्पिंग का काम शामिल नहीं था, लेकिन इसका भी निष्पादन और आवश्यकता के बिना भुगतान किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.62 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ। • सिंचाई विशिष्टता के अनुसार, यदि उप-ग्रेड का उभार दबाव 0.50 किलोग्राम/वर्ग सेमी से अधिक है यानी काली मिट्टी या महंगी मिट्टी में, जिसे समय-समय पर विभाग द्वारा दोहराया गया था तो उप-ग्रेड का परीक्षण करने के बाद सी.एन.एस. परत प्रदान की जानी चाहिए। हालांकि नहर खुदाई में नगण्य उभार दबाव था तथापि विभाग ने उप-ग्रेड का परीक्षण किए बिना ही पूरे नहर की लंबाई में सी.एन.एस. को प्रदान किया और मापा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.33 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।
	मीराहसन	0.14	• यद्यपि मदों की सूची में 25 मि.मी. व्यास का स्टील प्रदान करने और फिक्स करने की दरें प्रति सलाखें गणना की गई थी तथापि उसका प्रति मीटर की दरों पर भुगतान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.43 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ। • यद्यपि जहां अर्थवर्क/खुदाई में ड्रेसिंग के लिए भुगतान पहले से ही किया जा चुका है वहा ट्रिमिंग प्रभार देय नहीं थें तथापि, विभाग ने 2,02,111.38 वर्ग मीटर की मात्रा में मिट्टी की खुदाई के लिए ट्रिमिंग हेतु ₹ 5.57 लाख का भुगतान किया।
उप कुल योग		**1.36**	
कुल		**830.55**	

अनुबंध 4.16
(पैरा संख्या 4.9.6 का संदर्भ लें)
ठेकेदारों को अनुचित लाभ

ए: एम.एम.आई. परियोजनाएं

राज्य	परियोजना का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकृति
जोखिम और लागत खंड का आह्वान किए बिना संविदाओं की समाप्ति			
छत्तीसगढ़	महानदी	19.35	• महानदी मुख्य नहर पर पक्की सड़क बनाने वाली मशीन द्वारा सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के निर्माण का कार्य 102.10 से 113.33 कि.मी चयनित जगहों में. ₹ 14.01 करोड़ की लागत से दो संविदाओं के तहत ठेकेदार को दिया (सितंबर 2007) गया था। संविदा की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार काम पूरा होने तक ठेकेदार को जोखिम एवं लागत पर काम करना था। ठेकेदार ने संविदा में यथा निर्धारित कार्य पूरा नहीं किया। ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर संविदाओं को समाप्त करने के बजाए ई.ई. नें ₹ 1.10 करोड़ का भुगतान किया और जोखिम और लागत खंड का आह्वान किए बिना संविदा को बंद कर दिया। विभाग ने फरवरी 2015 में ₹ 28.66 करोड़ की राशि से शेष कार्य के लिए एक नई संविदा थी जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 17.70 करोड़ की अतिरिक्त लागत हुई। • इसी प्रकार कंवरहाट शाखा नहर पर सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग के लिए आर.डी. 0 से 1,920 मीटर, 2,550 से 3,200 मीटर और 6,600 से 17,525 मीटर तक एक और संविदा ₹ 2.20 करोड़ की लागत पर दिया गया जो ठेकेदार द्वारा पूरा नहीं किया गया और उसे भी जोखिम और लागत खंड के आह्वान किए बगैर बंद कर दिया गया। शेष कार्य जिसकी लागत ₹ 1.34 करोड़ थी उसे दूसरे ठेकेदार को ₹ 2.99 करोड़ की लागत पर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.65 करोड़ का अतिरिक्त लागत हुआ।
जम्मू एवं कश्मीर	कंडी नहर परियोजना	3.37	नहर निर्माण हेतु ₹ 3.55 करोड़ का संचालित अग्रिम ठेकेदार को (2007-08) मशीनरी की गिरवी के विपरीत भुगतान किया गया लेकिन विभाग हाइपोथेकेशन डीड के शर्तों के अनुसार कार्यपालक अभियंता के नाम पर पंजीकरण करने में असफल रहा। ठेकेदार ने जनवरी 2010 में काम छोड़ दिया। उस समय ₹ 3.37 करोड़ संचालित अग्रिम की राशि ठेकेदार से वसूली योग्य थी। चूंकि हाइपोथेकेशन डीड विभाग के नाम पर पंजीकृत नहीं थी अतः ठेकेदार द्वारा काम छोड़ने के बाद विभाग उसके मशीनरी को जब्त करने में असमर्थ था। इसके बाद ठेकेदार को माननीय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा नवंबर 2010 में संचालित अग्रिम की वसूली के विरूद्ध में स्टे आर्डर

राज्य	परियोजना का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकृति
			दिया गया। इस प्रकार बकाया संचालित अग्रिम ₹ 3.37 करोड़ बिना वसूली के रह गया और उक्त अग्रिम के विरूद्ध विभाग के नाम पर रखी गिरवी मशीनरी का दावा भी सितंबर 2017 तक नहीं किया जा सका। इसके अलावा विभाग ने दिसबंर 2006 और मई 2008 के बीच भंडार खरीद विभाग, जम्मू को निर्माण सामग्री की खरीद हेतु ₹ 65 लाख का अग्रिम दिया लेकिन सितंबर 2017 तक सामग्री प्राप्त नहीं हुई जिसके कारण यह राशि भी असमायोजित रही। विभाग ने कहा (सितंबर 2017) कि उच्चत्तर प्राधिकारियों और राज्य स्तरीय संविदा समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नए सिरे से कार्य के आवंटन से संबंधित इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।
झारखंड	सुवर्णरेखा	1.88	ठेकेदार द्वारा संविदा की मौलिक उल्लंघन के कारण संविदा की समाप्ति के मामले में अभियंता अग्रिम भुगतानों, अन्य देय वसूलियों, स्रोत कर और अधूरे कार्य के मूल्य का 20 प्रतिशत कटौती कर किए गए कार्य के मूल्य के लिए प्रमाणपत्र जारी करेगा। इछा राईट मुख्य नहर के अर्थवर्क और 0.00 से 4.56 कि.मी. एवं 6.03 से 6.39 कि.मी. तक लाइनिंग के निर्माण हेतु समझौते के तहत अभियंता ने ठेकेदार द्वारा संविदा की मौलिकता उल्लंघन के कारण संविदा समाप्त कर दिया परन्तु ₹ 1.88 करोड़ की मांग के लिए भुगतान प्रमाणपत्र जारी नहीं किया।
कर्नाटक	गुड्डदा मालापुरा	50.60	लिफ्ट सिंचाई प्रणाली से संबंधित ₹ 35.87 करोड़ के मूल्य वाले कार्य को धीमी गति के कारण पहले ठेकेदार से वापस ले लिया गया और दूसरे ठेकेदार को ₹ 86.47 करोड़ लागत पर दिया गया। ₹ 50.60 करोड़ की अतिरिक्त लागत को जोखिम एवं लागत खंड का आह्वान करते हुए पहले ठेकेदार से वसूला नहीं गया। अतः पहले ठेकेदार को ₹ 50.60 करोड़ का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।
	घाटप्रभा	0.68	ठेकेदार निष्पादन की मूल अवधि के 10 गुना विस्तार के बाद भी ₹ 69.57 लाख के कार्य में से ₹ 21.77 लाख का कार्य कर सका। इसलिए कार्य को रद्द कर दिया गया एवं दूसरे ठेकेदार को पुनःआवंटित किया गया जिसने इसे ₹ 1.16 करोड़ में पूरा किया। विभाग ने पहले ठेकेदार से जोखिम एवं लागत खंड का आह्वान करते हुए अनुचित देरी के कारण हुए अतिरिक्त लागत की वसूली नहीं की। इस प्रकार पहले ठेकेदार को ₹ 67.80 लाख का अनुचित लाभ पहुँचाया गया।
केरल	कारापुज्हा	1.14	स्लिपवे चैनल के अनुप्रवाह पर ए.आई.बी.पी. निधि का उपयोग कर सड़क मार्ग और हैंड्रिल्स के बिना एक ब्रिज प्रोपर की अपूर्ण संरचना का निर्माण किया गया था। इस समझौते को 29.03.2005 को निष्पादित किया गया था। कई बार अवधि विस्तार के बावजूद ठेकेदार कार्य पूरा करने में विफल रहा। ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर कार्य को मई 2014 में समाप्त कर दिया गया। ठेकेदार ने

राज्य	परियोजना का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकृति
			केवल ब्रिज प्रोपर का कार्य पूरा किया जिसके लिए ₹ 1.14 करोड़ का व्यय किया गया था। ठेकेदार से जोखिम एवं लागत देयता अभी भी वसूल किए जाने थे। शेष कार्य अभी तक नहीं किया गया।
मध्य प्रदेश	सिंध परियोजना चरण-II और सिंहपुर परियोजना	36.08	सिंध परियोजना चरण-II के नौ समझौते और सिंहपुर मध्यम परियोजना के एक समझौते में ठेकेदार द्वारा काम की देरी या गैर-निष्पादन के कारण कार्यों को रद्द कर दिया गया और शेष कार्यों को डेबिट योग्य खंड के अंतर्गत दूसरे समझौता के तहत उच्च दर पर किया गया लेकिन ₹ 36.08 करोड़ की डेबिट योग्य लागत की वसूली ठेकेदार से नहीं की गई।
तेलंगाना	एस.आर.एस.पी. की इंदिराम्मा बाढ़ प्रवाह नहर	23.74	इंदिरामा फ्लड फ्लो नहर (आई.एफ.एफ.सी.) परियोजना के तहत थोटापली जलाशय[5] के गठन का काम 36 महीने (सितंबर 2011) के भीतर पूरा करने के की शर्त के साथ ₹ 131.68 करोड़ की राशि के लिए सौंपा (सितंबर 2008) गया था। ठेका एजेंसी ने (अगस्त 2010) जलाशयों के काम की जांच और डिजाइन को पूरा कर लिया और ₹ 1.24 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। इसके बाद एजेंसी ने पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर. एंड आर.) गतिविधियों और भूमि अधिग्रहण की गैर-पूर्ति के कारण काम बंद (दिसंबर 2013) कर दिया। इस संविदा को जून 2015 में समाप्त कर दिया गया। समाप्ति पर एजेंसी से ₹ 28.35 करोड़[6] की कुल राशि में से विभाग ने केवल ₹ 4.61 करोड़ वसूल (मार्च 2017) किए और विभाग को एजेंसी से अभी भी अन्य ₹ 23.74 करोड़ वसूल करना था।
उप कुल योग		**136.84**	
परिनिर्धारित हर्जाने एवं अन्य जुर्मानों की गैर-वसूली			
बिहार	दुर्गावती	1.29	तीन समझौते यथा दुर्गावती राईट मेन कैनल का निर्माण, दुर्गावती लेफ्ट मेन कैनल के बेलोन वितरक का निर्माण और दुर्गावती लेफ्ट मेन कैनल के भोरैया लघु वितरक का निर्माण को पूरा किए बिना बंद कर दिया गया और अंतिम भुगतान क्रमशः ₹ 84 लाख, ₹ 29 लाख और ₹ 16 लाख के एल.डी. की कटौती किए बिना किया गया।
गुजरात	सरदार सरोवर परियोजना	11.89	जनवरी 2017 में सेवा सड़क मुहैया करने और निर्मित करने के लिए कार्य को जुलाई 2017 तक पूरा करने की शर्त के साथ ₹ 95.68 करोड़ की लागत पर सौंपा गया था। सितंबर 2017 तक, ठेकेदार केवल ₹ 37.47 करोड़ के मूल्यांकित कार्य को पूरा कर सका, लेकिन संविदा की शर्तों के अनुसार ₹ 11.89 करोड़ की राशि के परिनिर्धारित हर्जाने को वसूल नहीं किया गया था।
झारखंड	सुबर्णरेखा, गुमानी, सोनुआ, सुरंगी एवं पंचखेरो	58.38	पाँच परियोजनाओं (सुबर्णरेखा बहुउद्देशीय: 46; गुमानी: 9; सोनुआ: 9; सुरंगी: 1; पंचखेरो: 1) के तहत 66 कार्यों में 23 से 1,467 दिनों के बीच की अवधि तक की देरी पाई गई थी। ₹ 78.55 करोड़ के अनुप्रयोग योग्य एल.डी. में से ₹ 58.38 करोड़ की राशि की कटौती नहीं की गई थी।

[5] ओगलापुर (थोटापली) बैलेंसिंग जलाशय की जांच, डिजाइन और निष्पादन श्रीराम सागर परियोजना (जलाशय कार्य) के बाढ़ प्रवाह नहर परियोजना के तहत करीमनगर जिले के थोटापल्ली गांव के पास 1.70 टी.एम.सी. पानी स्टोर करने के लिए।

[6] निष्पादन बैंक गारंटी की जब्ती, काम के बकाया मूल्य पर 20 प्रतिशत की वसूली और जुटाव अग्रिम की गैर-वसूली सहित।

राज्य	परियोजना का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकृति
कर्नाटक	अपर तुंगा	6.47	90 दिनों से अधिक की देरी के कारण ठेकेदार से 7.5 प्रतिशत के परिनिर्धारित हर्जाना लिया जाना था। लेकिन ठेकेदारों को अपर तुंगा परियोजना से संबंधित 16 कार्यों में देरी से 90 दिनों से ज्यादा की देरी के लिए ₹ 6.47 करोड़ के परिनिर्धारित हर्जाने की बजाय जुर्माने के रूप में केवल ₹ 0.59 लाख जुर्माना लगाया गया था।
मध्य प्रदेश	बाणसागर एवं महुआर परियोजनाएं	5.95	बाणसगर यूनिट-II के तीन समझौते और माहुआर मध्यम परियोजना के एक समझौते में यह देखा गया था कि ठेकेदार ने पूरा करने की निर्धारित अवधि में काम निष्पादित नहीं किया था लेकिन विभाग ने इसके लिए जुर्माना नहीं लगाया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 5.95 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।
राजस्थान	नर्मदा नहर	4.20	नियत समय पर काम पूरा नहीं होने के कारण ठेकेदार पर ₹ 4.28 करोड़, (धारा 2 के तहत ₹ 1.25 करोड़ और धारा 3 सी के तहत ₹ 3.03 करोड़) का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें से केवल ₹ 7.65 लाख वसूल किए गए थे और शेष ₹ 4.20 करोड़ की राशि अभी तक वसूल नहीं हुई थी।
उप कुल योग		**88.18**	
अग्रिमों एवं बीमा रक्षा की गैर/कम वसूली			
आंध्र प्रदेश	कानुपूर	0.42	सरकार ने ए.आई.बी.पी. के तहत ₹ 9.78 करोड़ की लागत सहित कानूपुर नहर परियोजना के 0.00 से 7.20 कि.मी. तक के स्तर का कार्य सौंपा (अक्टूबर 2002)। कार्य को पूरा करने की निर्धारित तिथि मार्च 2003 थी। सतर्कता और प्रवर्तन विभाग ने बताया कि विभाग ने निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न अनुभव प्रमाणपत्र की वास्तविकता के उचित सत्यापन के बिना ठेकेदार का चयन किया था। तदनुसार, विभाग ने कार्य निर्धारित (अप्रैल 2003) किया। विभाग ने (जून 2008) राज्य निधि के साथ कानूपुर नहर प्रणाली के आधुनिकीकरण के पैकेज-4 के तहत काम किया। संविदा (अप्रैल 2003) की समाप्ति की तारीख तक ए.आई.बी.पी. निधि से कुल व्यय ₹ 71 लाख था। इस राशि में ठेकेदार को भुगतान किए गए ₹ 42 लाख का संचालित अग्रिम शामिल था जिसे अभी तक वसूल नहीं किया गया था। ₹ 29 लाख का शेष व्यय निविदा सूची पर विभागीय प्रभारों पर किया गया था। इस प्रकार, पूरा व्यय व्यर्थ हो गया और सरकार को नुकसान पहुंचा।
असम	धानसिरी सिंचाई परियोजना	0.17	बी. 3 एम. नहर के चैनल 16,760 मीटर पर गेटेड स्पिलवे के निर्माण कार्य हेतु भुगतान करते समय ठेकेदार के बिलों से 10 प्रतिशत भुगतान की दर से ₹ 17 लाख की सुरक्षा जमा के लिए सांविधिक कटौती नहीं की गई थी।
बिहार	पुनपुन	7.22	• यद्यपि समझौते में प्लांट और मशीनरी अग्रिम के अनुदान की व्यनस्था नहीं थी तथापि पुनपुन बैराज डिवीजन-1, जी.ओ.एच. के कार्यकारी अभियंता ने ₹ 13.44 करोड़ के इस प्रकार के अग्रिम का भुगतान किया, जिसमें से ₹ 6.92 करोड़ की राशि ठेकेदार से वसूल नहीं की गई थी। 2013 से काम बंद रहा।

राज्य	परियोजना का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकृति
			• भूमि अधिग्रहण के मुद्दों के कारण पुनपुन बैराज योजना के मुख्य नहर के निर्माण के लिए किए गए समझौते को रद्द करना पड़ा, हालांकि, ठेकेदार को दिए गए ₹ 30 लाख के संचालित अग्रिम को वसूल नहीं किया गया था।
गुजरात	सरदार सरोवर परियोजना	12.96	2011 और 2016 के बीच विभिन्न एजेंसियों को दिए गए ₹ 11.16 करोड़ की राशि के विविध लोक निर्माण कार्यों के अग्रिम मार्च 2017 तक इन एजेंसियों के पास बकाया थी। इसी तरह, जुलाई 2017 तक ठेकेदार से ₹ 1.80 करोड़ का संचालित अग्रिम (एम.ए.) वसूल नहीं किया गया था। एम.ए. में से फरवरी और अप्रैल 2011 में एजेंसी को ₹ 17.26 करोड़ दिए गए।
झारखंड	सुबर्णरेखा	8.60	समझौते के अनुसार ठेकेदार को काम की प्रारंभिक तिथि से पहले किसी भी नुकसान या क्षति अथवा व्यक्तिगत चोट या मृत्यु के लिए बीमा रक्षा प्रदान करना था। न्यूनतम बीमा रक्षा चार घटनाओं तक सीमित प्रति घटना ₹ पांच लाख होना चाहिए था। विफलता के मामले में, नियोक्ता को ठेकेदार को बकाया किसी भी भुगतान से प्रीमियम वसूलना था। 43 समझौतों में न तो ठेकेदारों ने ₹ 8.60 करोड़ का बीमा रक्षा जमा किया और न ही नियोक्ता ने बीमा रक्षा के लिए प्रीमियम वसूल किया।
महाराष्ट्र	वर्णा	2.89	कडवी जलसेतु का कार्य ₹ 32.58 करोड़ की निविदा लागत पर दिसम्बर 2007 को दिया गया था। 6वें आर.ए. बिल (जुलाई 2010) तक ठेकेदार को ₹ 4.41 करोड़ के सुरक्षा अग्रिम सहित ₹ 14.17 करोड़ का भुगतान किया गया था जिसमें से केवल ₹ 1.52 करोड़ वसूल किए गए थें। सुरक्षा अग्रिम की शेष राशि वसूलने के बजाय इस बिल के द्वारा ₹ 60.12 लाख का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, 2009 से ₹ 2.89 करोड़ की राशि वसूल नहीं की गई थी।
	लोअर पेढी	3.91	संविदा समझौते में ठेकेदार को संचालित अग्रिम के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि, कार्यकारी अभियंता ने ठेकेदार को ₹ 7.50 करोड़ के संचालित अग्रिम का भुगतान (अप्रैल 2010) किया। इसके अलावा, परियोजना के लिए आवश्यक भूमि परियोजना प्राधिकरणों के कब्जे में भी नहीं थी। ऐसे मामले में काम की प्रगति को प्राप्त करने के लिए संचालित अग्रिम के भुगतान का उद्देश्य संभव नहीं था। अप्रैल 2010 में अग्रिम प्रदान किए जाने के बावजूद, इस तथ्य के बावजूद भुगतान की तारीख से सात साल बाद भी संचालित अग्रिम पूरी तरह से वसूल नहीं किया गया, इस तथ्य के बावजूद ठेकेदार ने मार्च 2017 तक (फरवरी 2017 में 11वें आर.ए. बिल का भुगतान किया गया) ₹ 12.36 करोड़ की लागत वाले कार्य को निष्पादित किया था। अगस्त 2017 तक ₹ 5.10 करोड़ की मूल राशि और ₹ 4.09 करोड़ का ब्याज वसूल किया जा सका तथा ₹ 2.40 करोड़ मूलधन और ₹ 1.51 करोड़ ब्याज की राशि वसूली के लिए बकाया थी।
	संगोला शाखा नहर	2.27	एम.पी.डब्ल्यू. मैनुअल, 213(1) के अनुसार सभी मामलों में सुरक्षा जमा को संविदा की उचित पूर्ति के लिए ली जानी चाहिए।

राज्य	परियोजना का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकृति
			खंड 38 के तहत ई.आई.आर.एल. के प्रदान करने और अतिरिक्त मात्रा के मामले में एस.डी. वसूल नहीं किया गया था जैसा कि मुख्य जलसेतु के अंतिम आर.ए. बिल और इस परियोजना के तहत नहरों के अस्तर के एवं जलसेतु को सुदृढ़ करने के अन्य कार्यों रूप नवीनतम आर.ए. बिल में देखा गया था। इस तरह की ई.आई.आर.एल. और अतिरिक्त मात्राएं क्रमशः ₹ 30.97 करोड़ और ₹ 14.51 करोड़ थी। चूंकि एस.डी. की दर पांच प्रतिशत है, इसका यह अर्थ है कि ठेकेदार से ₹ 2.27 करोड़ की राशि वसूल नहीं की गई थी।
तेलंगाना	एस.आर.एस.पी. के इंदिराम्मा बाढ़ प्रवाह नहर	4.42	ठेकेदार संचालित अग्रिम के लिए पात्र थें जो चालू खाता बिलों से वसूल किए जाने योग्य थें। आई.एफ.एफ.सी. के मिड मैनेयर जलाशय कार्य पर ठेकेदार को ₹ 16.97 करोड़ (संविदा मूल्य के पांच प्रतिशत) का संचालित अग्रिम का भुगतान किया (मार्च 2010) गया था। अन्य एजेंसियों को कुछ हिस्सों के सौंपने के कारण काम के दायरे को ₹ 255.95 करोड़ तक घटाया (नवंबर 2010) गया था। ₹ 16.97 करोड़ के संचालित अग्रिम में से ₹ 12.55 करोड़ की राशि वसूल (अप्रैल 2010) की गई थी। सात साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ₹ 4.42 करोड़ की शेष राशि वसूल नहीं की गई थी।
उप कुल योग		**42.86**	
उत्खनन कार्यों के प्रति बकाया राशि की कम वसूली			
गुजरात	सरदार सरोवर परियोजना	20.74	खुदाई किए गए हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक की न तो गणना की गई थी और न ही निपटान किया गया था। इसके अलावा, ठेकेदार के बिल से चट्टानों की खुदाई के लिए मद दरों से कोई कटौती इस आधार पर नहीं की गई थी कि इस संविदा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिससे ₹ 20.74 करोड़ की हार्ड रॉक के लागत की गैर-वसूली हुई।
मध्य प्रदेश	मह्आर परियोजना	0.15	मह्आर राइट बैंक नहर के एक समझौते और मह्आर लेफ्ट बैंक नहर के तीन समझौते में कुल 1,13,999.30 घन मीटर हार्ड रॉक की खुदाई की गई थी जिसे ठेकेदार को जारी किया जाना चाहिए और जिसके लिए ठेकेदार के भुगतान से ₹ 74.86 लाख वसूल किए जाने योग्य था। लेकिन विभाग ने केवल ₹ 59.56 लाख वसूल किए जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 15.30 लाख का अनुचित लाभ हुआ।
ओडिशा	लोअर सुकतेल	1.24	लीड प्रभारों सहित ओ.सी.सी. के प्रस्ताव मूल्य के अनुसार हार्ड रॉक की लागत ₹ 344.20 प्रति घन मीटर पर पहुंच गई। लेकिन विभाग ने स्पिलवे, एल.एस.आई.पी. के लिए हार्ड पत्थर की पुनर्प्राप्ति के प्रति ओ.सी.सी. से वसूली योग्य ₹ 230.20 प्रति घन मीटर की दर को अंतिम रूप दिया था। ₹ 114.00 प्रति घन मीटर कठोर पत्थर की कम वसूली हुई थी। इसलिए, ठेकेदार को 1.09 लाख घन मीटर पुनर्प्राप्ति योग्य हार्ड रॉक के लिए कम वसूली के लिए ₹1.24 करोड़ का अनुचित वित्तीय लाभ पहुँचाया गया था।
तेलंगाना	पलेम्वगू	1.67	पलेम्वगू परियोजना के लिए समझौते की शर्तों के अनुसार काम पर ठेकेदार द्वारा भूमि के उपयोग पर प्रभुत्व प्रभारों की वसूली की जानी

राज्य	परियोजना का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकृति
			थी। समझौते में यथा निर्धारित दरों पर ठेकेदारों के चालू खाता बिलों से वसूलियां की जानी थी। ठेकेदारों ने अतिरिक्त स्पिलवे काम के लिए 7,86,545 घन मीटर मिट्टी की मात्रा का उपयोग करके बाँध के काम को निष्पादित किया और उन्हें ₹ 11.64 करोड़ भुगतान (मार्च 2017) किया गया। हालांकि, प्रभुत्व प्रभार केवल 25,888 घन मीटर की मात्रा के लिए वसूल किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.67 करोड़ की कम वसूली और ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ।
उत्तर प्रदेश	लाचूरा बांध	9.22	भारतीय मानक कोड आई.एस.-1200 भाग-I में निर्धारित है कि नहरों की खुदाई में जहां नरम मिट्टी, कठोर मिट्टी, मुलायम या विघटित चट्टान और कठोर चट्टान को मिश्रित किया जाता है वहां उत्खनित चट्टान का कुल मात्रा तक पहुंचने के लिए कुल उत्खनित मात्रा से मिट्टी की मात्रा घटाई जानी चाहिए। संविदा की शर्तों के अनुसार, खुदाई किए गए पत्थरों को बांध के निर्माण पर आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाना था और शेष पत्थरों की लागत को ठेकेदार से वसूल किया जाना था। रिकॉर्ड के अनुसार, डिवीजन ने मार्च 2017 तक बांध पर पिचिंग कार्यों के लिए 1,46,953.25 एम^3 पत्थरों का उपयोग किया। हालांकि, ₹ 9.22 करोड़ के शेष 2,09,657.87 एम पत्थर ठेकेदार के पास थे और ठेकेदार से इन पत्थरों की वसूली लागत जुलाई 2017 तक लंबित थी।
उप कुल योग		**33.02**	
कुल एमएम.आई. परियोजनाएं		**300.90**	

बी: एम.आई. योजनाएं

राज्य	परियोजना का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकृति
जोखिम और लागत खंड का आह्वान किए बिना संविदाओं की समाप्ति			
मध्य प्रदेश	बर्खेड़ा छज्जू, पारसाटोला, चंदवाही और मिरहसन	0.28	यह देखा गया कि ठेकेदार द्वारा कार्य में देरी या गैर-निष्पादन के कारण मूल समझौतों को रद्द कर दिया गया था और शेष कार्यों को विकलनीय खंड के तहत उच्च दरों पर अन्य समझौतों के माध्यम से निष्पादित किया गया था, लेकिन इसके लिए वसूली/कम वसूली नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 2.79 लाख का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।
उप कुल योग		**0.28**	
परिनिर्धारित हर्जाने एवं अन्य जुर्मानों की गैर-वसूली			
असम	हटीगुड़ी एफ.आई.एस.	0.13	कार्य को जून 2010 में ₹ 1.27 करोड़ की लागत पर 12 महीनों के भीतर पूरा करने के लिए सौंपा गया। काम को जनवरी 2014 में 32 महीने की देरी के बाद पूरा कर लिया गया था लेकिन ठेकेदार से ₹ 12.75 लाख के निविदा मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से आवश्यक परिनिर्धारित हर्जाने की वसूली नहीं की गई थी।

राज्य	परियोजना का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	प्रकृति
झारखंड	15 एम.आई. योजनाएं	1.16	15 एम.आई. योजनाओं के लिए कार्य में देरी हुई और ठेकेदार से एल.डी. के वसूली योग्य ₹ 1.16 करोड़ वसूल नहीं किया गया।
मध्य प्रदेश	कचनारी डायवर्सन स्कीम और सावली टैंक	0.51	ठेकेदार ने समापन की निर्धारित अवधि के भीतर कार्य निष्पादित या पूरा नहीं किया, लेकिन विभाग ने उसके लिए जुर्माना नहीं लगाया और समय में विस्तार किया। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 50.92 लाख का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ।
	बारखेड़ा छज्जू	0.09	मानक निविदा दस्तावेज के अनुसार, ठेकेदार को परीक्षण के लिए फील्ड प्रयोगशाला स्थापित करनी थी, ऐसा न करने पर ठेकेदार के भुगतान से ₹ 50,000 प्रति माह की वसूली तब तक की जानी थी जब तक प्रयोगशाला की स्थापना नहीं हो जाती। यह देखा गया कि ठेकेदार ने फील्ड प्रयोगशाला स्थापित नहीं की लेकिन विभाग ने उसके लिए ₹ नौ लाख जुर्माना वसूल नहीं किया।
कुल योग		**1.89**	
उत्खनन कार्यों की ओर बकाया राशि की कम वसूली			
मध्य प्रदेश	मीराहसन	0.10	एक समझौते में ठेकेदार को 16,688.18 घन मीटर की मात्रा में हार्ड रॉक जारी किया गया था लेकिन वसूली केवल 5,988.16 घन मीटर के लिए की गई जिसके परिणामस्वरूप शेष मात्रा की कम वसूली के लिए ठेकेदार को ₹ 10.05 लाख का अनुचित लाभ हुआ।
	बारखेड़ा छज्जू	0.19	• प्रावधानों के अनुसार, एप्रोच और स्पिल चैनल को तटबंध में उपयोग के लिए खदान के रूप में दिया जाना था और स्पिलवे से प्राप्त उपयोग योग्य मात्रा में कटौती के बाद भुगतान किया जाना था। यह देखा गया था कि उत्खनित सामग्री के निपटारे के लिए एक कि.मी. के लीड के साथ कठोर मिट्टी और मुरम की खुदाई के तहत 1,54,073.61 घन मीटर की मात्रा का भुगतान किया गया था, जबकि 11,328.95 घन मीटर और 3,229.46 घन मीटर में तटबंध के निर्माण की कुल मात्रा का भुगतान उपयोग योग्य उत्खनित सामग्री की कटौती किए बिना उधार क्षेत्र से सामग्री के लिए किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.38 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ। • प्रावधानों के अनुसार, एप्रोच और स्पिल चैनल को तटबंध में उपयोग के लिए खदान के रूप में दिया जाना था और स्पिलवे से प्राप्त उपयोग योग्य मात्रा में कटौती के बाद भुगतान किया जाना था। यह देखा गया था कि 1,81,878 घन मीटर मात्रा की मिट्टी की खुदाई की गई थी और तटबंध के लिए 89,527.62 घन मीटर की मात्रा का भुगतान किया गया था, लेकिन उपयोग योग्य मात्रा के लिए कोई कटौती नहीं की गई थी। इसके अलावा, 7,446.52 घन मीटर की मात्रा के विभिन्न मदों (फिल्टर रेत, स्टोन पिचिंग, स्टोन चिप्स एवं रॉक) का भी भुगतान किया गया था, लेकिन कुल देय मात्रा निकालने के लिए कुल तटबंध मात्रा से कटौती नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.43 लाख की कम वसूली हुई।
कुल योग		**0.29**	
कुल एम.आई. योजनाएं		**2.46**	

शब्दकोष

संक्षिप्तीकरण	पूर्ण रूप
ए.ए.	प्रशासनिक अनुमोदन
ए.आई.बी.पी.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
ए.टी.एन.	कृत्त कार्रवाई नोट
ए.यू.डी.ए.	अहमदाबाद नगरीय विकास प्राधिकरण
बी.सी.आर.	लाभ लागत अनुपात
बी.एन.	बिटुमिनस मैकादम
सी.ए.	केन्द्रीय सहायता
सी.ए.डी.	कमांड क्षेत्र विकास
सी.ए.डी.डब्ल्यू.एन.	कमांड क्षेत्र विकास व जल प्रबंधन
सी. एंड ए.जी.	भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक
सी.सी.	सीमेंट कंक्रीट
सी.सी.	नियंत्रण केबिन
सी.सी.ए.	कृषि योग्य कमांड क्षेत्र
सी.डी.	क्रास ड्रेनेज
सी.एल.ए.	केन्द्रीय लोन सहायता
सी.डब्ल्यू.सी.	केन्द्रीय जल आयोग
डी.डी.पी.ए.	रेगिस्तान विकास कार्यक्रम क्षेत्र
डी.टी.पी.	निविदा पत्र तैयार करना
डी.पी.ए.	सूखा प्रवण क्षेत्र
डी.पी.आर.	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
ई.ई.	कार्यकारी अभियंता
ई.एफ.आई.	अतिरिक्त वित्तीय निहितार्थ
ई.-इन-सी.	मुख्य अभियंता
ई.एम.डी.	बयाना राशि
ई.आर.एम.	विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण
एफ.आई.सी.	क्षेत्र सिंचाई योजना
एफ.आई.एस.	बहाव सिंचाई योजना
एफ.टी.पी.	फास्ट ट्रैक परियोजना
एफ.टी.एल.	फूल टैंक लेवल
एफ.वाई.	वित्तीय वर्ष
जी.ए.डी.	सामान्य समझौता आरेख
जी.सी.एस.	सामान्य श्रेणी के राज्य

संक्षिप्तीकरण	पूर्ण रूप
जी.एफ.आर.	सामान्य वित्तीय नियम
जी.एम.आई.डी.सी.	गोदावरी मराठवाड़ा सिंचाई विकास निगम
जी.ओ.जी.	गुजरात सरकार
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.एस.सी.एस.सी.	गुजरात राज्य सिविल आपूर्ति निगम
जी.टी.आई.डी.सी.	गोवा तिल्लारी सिंचाई विकास निगम
जी.डब्ल्यू.आई.एल.	गुजरात जल अवसंरचना लिमिटेड
एच.ए. (ha)	हैक्टेयर
आई.सी.पी.ओ.	सिचांई सह पावर आउटलेट
आई.डी.सी.	सिंचाई विकास निगम
आई.एफ.एफ.सी.	इंदिराम्मा बाढ़ प्रवाह नहर
आई.पी.	सिंचाई क्षमता
आई.पी.यू.	सिंचाई क्षमता उपयोगिता
जे.एम.एम.सी.	झारखण्ड लघु खनिज रियायत
के.बी.के.	ओडिशा के कोरापुट, बोलांगिर तथा कालाहांडी जिला के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र
के.सी.ए.डी.ए.	कोसी कमांड क्षेत्र विकास एजेंसी
एल.ए.ओ.	भूमि अधिग्रहण अधिकारी
एल.आई.एस.	लिफ्ट सिंचाई योजना
एल.एम.सी.	लैफ्ट मेन कैनाल
एम.सी.एम.	मिलियन क्यूबिक मीटर
एम.आई.	लघु सिंचाई
एम.आई.एस.	लघु सिंचाई योजना
एम.एम.आई.	मुख्य व मध्यम सिंचाई
एम.ओ.ई.एफ. एंड सी.सी.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एम.ओ.एफ.	वित्त मंत्रालय
एम.ओ.यू.	समझौता ज्ञापन
एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एंड जी.आर.	जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार
एम.पी.डब्ल्यू.	मिश्रित सार्वजनिक कार्य
एन.एच.ए.आई.	भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एन.आई.टी.	निविदा आमंत्रण नोटिस
ओ.सी.सी.एल.	ओडिशा कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
पी.ए.एफ.	परियोजना प्रभावित परिवार

संक्षिप्तीकरण	पूर्ण रूप
पी.ए.पी.	परियोजना प्रभावित व्यक्ति
पी.सी.	योजना आयोग
पी.सी.पी.आई.आर.	पैट्रोलियम, कैमिकल तथा पेट्रोकैमिकल विशेष निवेश क्षेत्र
पी.ई.आर.टी.	योजना मूल्यांकन समीक्षा तकनीक
पी.एल.ए.	व्यक्तिगत बही खाता
पी.एल.टी.सी.	परियोजना स्तरीय तकनीकी समिति
पी.एम.सी.	परियोजना प्रबंधन सलाहकार
पी.एम.के.एस.वाई.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
पी.पी.एस.	आकार के आनुपातिक संभाव्यता
पी.डब्ल्यू.डी.	लोक निर्माण विभाग
क्यू.सी.सी.	गुणवत्ता नियंत्रण सर्किल
आर.एम.सी.एस.	सुदूर निगरानी व नियंत्रण प्रणाली
आर.एम.आर.	पुनः व्यवस्थापन व पुनर्वास
आर.एस.टी.	सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी
एस.ए.	पूरक समझौते
एस.ए.आई.एल.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण
एस.बी.डी.	मानक बोली दस्तावेज
एस.सी.एस.	विशेष श्रेणी के राज्य
एस.डी.जी.	सतत विकास लक्ष्य
एस.आई.आर.	विशेष निवेश क्षेत्र
एस.एल.ए.ओ.	विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी
एस.एल.सी.सी.	राज्य स्तंरीय निविदा समिति
एस.ओ.ई.	व्यय विवरण
एस.ओ.आर.	दर-सूची
एस.आर.एस.पी.	श्री राम सागर परियोजना
एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.	बिना प्रतिस्थापन के सरल यादृच्छिकन नमूना
एस.एस.बी.आर.	शंकरा समुंद्रम संतुलन जलाशय
एस.एस.एन.एन.एल.	सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड
टी.ए.सी.	तकनीकी सलाहकार समिति
टी.सी.	निविदा समिति
टी.सी.आई.एल.	दूरसंचार सलाहकार (भारत) लिमिटेड
टी.आई.डी.सी.	तापी सिंचाई विकास निगम
टी.एस.	तकनीकि संस्वीकृति
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाणपत्र

संक्षिप्तीकरण	पूर्ण रूप
यू.जी.पी.एल.	भूमिगत पाइपलाइन
यू.आई.पी.	अंतिम सिंचाई क्षमता
वी.आई.डी.सी.	विदर्भ सिंचाई विकास निगम
डब्ल्यू.ए.आर.	भारित औसत दर
डब्ल्यू.आर.डी.	जल संसाधन विभाग
डब्ल्यू.यू.ए.	जल उपयोगकर्ता संघ
जेड.पी.	जिला परिषद

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in